चतुर्थ माला, खंड 31, अंक 11 सोमवार, 4 अगस्त, 1969/13श्रावण, 1891 (शक)
Fourth Series, Vol.XXXI.No.11 Monday, 4 August, 1969/Sravana 13, 1891 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK-SABHA DEBATES

[आठवां सत्र
Eighth Session]

[खंड 31 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok-Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय–सूची, CONTENTS

अंक–11, सोमवार, 4 अगस्त, 1969/13 श्रावण, 1891 (शक)
No.-11, Monday, August 4, 1969/Sravana 13, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :

तारांकित प्रश्न संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
301	पी. एल. 480 के अधीन लेन-देन	P. L. 480 Transactions ...	1–5
302	पाकिस्तानी तस्कर	Pak Smugglers ...	6–9
303	उर्वरक कर	Fertilizer Levy ...	9–12
304	सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector Industries	12–15
307	सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण के बारे में जांच	Enquiry into the Affairs of Public Undertakings	15
	अल्प–सूचना प्रश्न/SHORT NOTICE QUESTION		
3	आयातित अशोधित तेल के मूल्य कम करना	Reduction in price of imported crude oil ...	15–21
प्रश्नों के लिखित उत्तर तारांकित प्रश्न संख्या/S. Q. Nos.		**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
305	खनिज उत्पादन बढ़ाने का कार्यक्रम	Programme to Boost Mineral Production ...	21–22
306	राजस्थान में उर्वरक कारखाना	Fertiliser Plant in Rajasthan ...	22
308	उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय	Ayurvedic University in U. P.	22–23
309	दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई	Slum clearance in Delhi	23–24
310	पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के पुत्र से संबंधित आय-कर के कागजात का गुम होना	Missing of Income Tax Documents relating to the son of the farmer Punjab Chief Minister	24–25

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

311 'फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकौर लिमिटेड" में सुपर फास्फेट तथा सलफ्यूरिक एसिड के उत्पादन में कमी	Fall in production of Super Phosphate and Sulphuric Acid in Fertilisers and Chemicals Travancore, Ltd.	25–26
312 अनुसूचित बैंकों पर शाखायें खोलने पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Scheduled Banks for opening of Branches	26
313 एण्टीबॉयटिक्स फैक्टरी ऋषिकेश के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Workers of Antibiotic Factory, Rishikesh ...	27
314 दिल्ली अस्पताल पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of recommendation of the Delhi Hospitals Review Committee	27-28
315 मैसर्स हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा) लिमिटेड के साथ व्यापार करने में भारतीय तेल निगम को हानि	Loss to IOC in dealings with M/s Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Ltd.	28–29
316 गोयनका की फर्मों को जीवन बीमा निगम के शेयरों की बिक्री	Sale of Life Insurance Corporation's Shares ro Goenka's Firms	29
317 जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों द्वारा त्यागपत्र	Resignations by LIC Development Officers ...	29
318 मिट्टी के तेल की बिक्री के लिये लाइसेंस	Licences for sale of Kerosene Oil ...	29–30
319 पेंशनभोगी सरकारी कर्मचारियों को राहत	Relief to Government Pensioners	30
320 आयकर के मामलों का गलत निर्धारण	Wrong Assessment of Income Tax Cases	30–31
321 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अस्पताल में पड़े हुए व्यक्तियों को आहार	Diet for hospitalised in Primary Health Centres	31–32

तारा. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.		
322	भाखड़ा और गोविन्द सागर स्थानों से बेदखल किये गये लोगों का पुनर्वास / Rehabilitation of oustees from Bhakara and Govind Sagar Sites	32
323	हिन्दी प्रकाशनों के लिये सरकारी मुद्रणालय की मुद्रण क्षमता / Printing capacity of Government Presses for Hindi Publications	32–33
324	दिल्ली के अस्पतालों की नर्सों की सेवायें तथा रहन-सहन की दशा / Service and Living Conditions of Nurses of Delhi Hospitals ...	33
325	प्रधान मंत्री द्वारा घोषित सम्पत्ति / Wealth Declared by Prime Minister...	33–34
326	उर्वरक संबधी तकनीक के दृष्टिकोण में परिवर्तन / Change in approach regarding fertillzer Technique	34–35
327	भारतीय उर्वरक निगम के सिंदरी कारखाने का असंतोषजनक कार्य / Poor performance of Sindri Unit of FCI ...	35–36
328	कम्पनियों में जीवन बीमा निगम की पूंजी का निदेश / Life Insurance Corporation's Investment in Companies	36
329	आयकर अधिकारियों पर कार्यभार / Work load of income tax officers	36–37
330	विदेशी तेल कम्पनियों से छंटनी किये गये कर्मचारियों को भारतीय तेल निगम में काम पर लगाना / Absorption of Retrenched workmen of Foreign Oil Companies in IOC	37
अतारा. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.		
1924	विदेशों में कम्पनियों के और लोगों के निजी अनधिकृत लेखे / Unauthorised accounts of Individuals and Companies maintained abroad	38

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.		
1925	मोटर गैसोलीन का उत्पादन तथा निर्यात — Production and Export of motor Gasoline ...	38–39
1926	भारतीय तेल निगम का उत्पादन — Production of Indian Oil Corporation	39–42
1927	दिल्ली में कम आय वाले कर्मचारियों के लिये मकान — Housing accommodation for low paid Employees in Delhi	42
1928	पेय जल की कमी — Shortage of drinking water	42–43
1929	डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, दिल्ली — The Dehra Ismil Khan Cooperative House Building Society Ltd., Delhi	43
1930	चिकित्सा शिक्षा के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिये आरक्षित स्थानों की प्रतिशतता — Percentage fixed for Scheduled Caste Scheduled Tribe Students for Medical Studies ...	43--44
1931	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण — House building loans to Central Government Employees	44--45
1932	भारत के व्यापार संतुलन तथा भुगतान संतुलन की स्थिति — India's balance of trade and balance of payments position	45
1933	नागपुर में मेडिकल कालेज — Medical College at Nagpur ...	45
1934	भारतीय उर्वरक निगम के कर्मचारियों को अनुग्रह बोनस का भुगतान — Payment of Ex-Gratia Bonus to the Workmen of Fertilizer Corporation of India ...	46
1935	सरकारी उपक्रमों के बजट अनुमान — Budget Estimates of Public Undertakings ..	46--47
1937	अलौह धातुओं का उत्पादन — Production of non-ferrous Metals	47

1938	सरकारी उपक्रमों में फालतू कर्मचारी	Surplus staff in Public Uudertakings	47--48
1939	कोयाली गुजरात में संश्लिष्ट रबड़ का निर्माण	Manufacture of Synthetic Rubber at Koyali in Gujarat	48
1940	अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का दस सूत्रीय कार्यक्रम	10 Point programme of AICC	49
1941	मैंगनीज अयस्क की खानों का बन्द होना	Closure of Manganese Ore Mines ...	49
1942	पश्चिम बंगाल से केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों का स्थानान्तरण	Shifting of central Government Offices from West Bengal	49--50
1943	नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन में इंजीनियरों की छंटनी	Retrenchment of Engineers in National Buildings construction	50
1944	उत्तर बंगाल में आई बाढों से विस्थापित हुए व्यक्तियों का बसाया जाना	Rehabilitation of Persons displaced due to Floods in North Bengal	50--51
1945	संघ राज्य क्षेत्र के गांवों में बिजली लगाना	Electrification of Villages in Union Territory	51
1946	चंडीगढ़ के गांवों में पेय जल की कमी	Shortage of Drinking Water in Chandigarh Village	52
1947	विदेशी मुद्रा की चोरी करने वाले गिरोह के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जांच	C. B. I. Probe into Foreign Exchange Racket	52
1948	भारतीय तेल निगम द्वारा गेज इस्पात चादरों का आयात	Import of Gauge Steel sheets by Indian Oil Corporation	52--53
1949	दिल्ली में सड़कों का रख-रखाव तथा विकास	Maintenance and Development of Roads in Delhi	54

तारा. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.		
1950	औद्योगिक संस्थानों द्वारा नदी के जल को दूषित करना — Pollution of river water by Industrial Establishments ...	54--55
1951	पश्चिमी दिल्ली की बस्तियों के लिये अस्पताल — Hospital for West Delhi Colonies ...	55--56
1952	करों की बकाया धनराशि — Arrears of Taxes	56
1953	दिल्ली में विद्युत सप्लाई की कमी — Cut in Power Supply to Delhi ...	56--57
1954	दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई योजनाएं — Schemes forwarded by Delhi Administration	57--58
1955	भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी — Smuggling of Goods in Indo-Nepal Border...	58--59
1956	तपेदिक के रोगियों को सहायता — Assistance to T. B. Patients	59
1957	यमुनानगर सिविल अस्पताल में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात समिति निधि द्वारा दिया हुआ और बेकार पड़ा एक्सरे सयंत्र — X-Ray Plant given by UNICEF lying idle at Civil Hospital, Yamunanagar	59--60
1958	"हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड" और "इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मासियूटिकल्स" को वर्दियां सप्लाई करने के ठेके के बारे में शिकायतें — Complaints regarding contract for supply of Uniforms to Hindustan Insecticides Ltd., and Indian Drugs and Pharmaceuticals ...	60
1959	औद्योगिक सहकारी समितियां तथा कृषि जन्य पदार्थों को तैयार करने वाली समितियों को ऋण — Finance for Industrial Co-operatives and Agricultural Processing Societies	60--62

1960	नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली	National Projects Construction Corporation Ltd., New Delhi	62--64
1961	नई दिल्ली में सरकारी मकानों का सरकारी कर्मचारियों के अलावा अन्य लोगों द्वारा प्रयोग	Occupation of Government Accommodation in New Delhi by Parties other than Government Employees	64--65
1962	संसद् सचिवालयों के कर्मचारियों के लिये आवास का पृथक कोटा	Separate Quota for Allotment of Housing Accommodation to Parliament Secretariats' Employees	65--66
1963	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नतियां	Promotions to Scheduled Caste Scheduled Tribe Employees in the Ministry ...	66
1964	केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिये मकान आरक्षित करना	Reservation of Residential accommodation for Scheduled Caste and Scheduled Tribe Central Government Employees	66--67
1965	परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family planning programme ...	67
1966	राजस्थान की बिजली की आवश्यकता	Requirement of electricity in Rajasthan	67--68
1967	गुजरात में एक और तेल शोधक कारखाना	Another Oil Refinery in Gujarat	68--69
1968	वर्ष 1973-74 में विद्युत की अनुमानित कमी	Anticipated Shortage of power in 1973-74 ...	69
1969	'पैट्रीआट' और 'लिंक' में विनियोजित धनराशि	Money invested in 'Patriot and Link' papers	69--70

1970	हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की काली तथा हरी चाय का स्तर	Standards for H. P. and U. P. Black and Green Tea	70
1971	हिमाचल प्रदेश को भेजे गये संयुक्त पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	Service conditions of employees of composite Punjab State Electricity Board allocated to Himachal Pradesh	70--71
1972	एच. पी. वाटर्स द्वारा उत्पादित बिजली की रायल्टी में भाग की हिमाचल प्रदेश की मांग	Demand of Himachal Pradesh Government for sharing of Royalty on power generate from H. P. Waters	71--72
1973	उत्पादन-शुल्क का न्यून अनुमान	Under-Assessment of Excise Duty ...	72
1974	कर निर्धारण के व्यापारिक अनिर्णीत मामले	Pending Business Assessment cases...	72--73
1975	टेट्रासाइक्लीन की मांग	Requirement of Tetracycline ...	73
1976	जनसंख्या पर नियत्रण	Population Control	73--74
1977	चौथी योजना के दौरान सिचाई कार्यक्रम	Irrigation programme during the Fourth Plan	74--75
1978	दिल्ली में झुग्गी झोंपडियों में रहने वाले व्यक्तियों को प्लाटों का आवटन	Allotment of plots to Shanty dwellers in Delhi	75
1979	दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी योजना के अन्तर्गत झोंपड़ियों/मकानों का गिराया जाना	Demolising of huts/houses under J.J. scheme in Delhi	75--76
1980	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	Indian drugs and pharmaceuticals limited ...	76--77
1981	दिल्ली और नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों द्वारा क्वार्टरों का सब लट करना	Sub-letting of accommodation by Government employees in Delhi and New Delhi ...	77--78

1982	आयकर विभाग में कथित भ्रष्टाचार	Alleged corruption in income tax Department	78
1983	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	Madras Fertilizers Ltd ...	79
1984	पंजाब राज्य में उर्वरक कारखाना	Fertilizers plant in Punjab State	79--80
1985	सरोजनी नगर, नई दिल्ली में भूमि को खेल के मैदान/पार्कों के रूप में बदलना	Conversion of land into playgrounds parks in Sarojini Nagar, New Delhi	80
1986	किदवई नगर (नई दिल्ली) में पानी के मीटरों की चोरी	Theft of Water Meters in Kidwai Nagar, New Delhi ...	80--81
1987	नेताजी नगर, नई दिल्ली में 'ई' तथा 'एफ' ब्लाक में सफाई का प्रबन्ध	Insanitary conditions in E&F Blocks of Netaji Nagar, New Delhi	81
1988	बोकारो कोयला खान के द्वितार रज्जु मार्ग को हटाना	Dropping of Bokaro, Colliery Bicable Ropeway ...	81--82
1986	पेट्रोल अथवा गैस की पाइपलाइन के रिसने का पता लगाने सम्बन्धी उपाय	Measures to locate leakage in petrol or Gas pipelines	82
1990	जल क्षमता के उपयोग की योजना	Plan for use of water Potentiality	82
1991	उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में पीने के पानी का अभाव	Drinking water famine, in Allahabad District, U. P. ...	82--83
1992	सैन्ट्रल बम्बई में सोने का पकड़ा जाना	Seizure of gold in Central Bombay ...	83--84
1993	दिल्ली में नरेला स्थित म्युनिसिपल टी.बी. क्लीनिक	Municipal T. B. Clinic, Narela (Delhi)	84

अता. प्र संख्या/U. S, Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.		
1994	दिल्ली के कटरे और बस्तियों में नागरिक सुविधायें — Civic Amenities for Katras and Colonies in Delhi	84
1995	नई दिल्ली के लिये हृदय रोग चिकित्सालय और पुनर्वास केन्द्र — Curdiac clinic and Rehabilitation Centre for New Delhi	85
1996	दिल्ली नगरपालिका को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना के लिये अनुदान — Grant to Delhi Municipal Corporation for National Malaria Eradication Scheme ...	85--86
1997	जाली मुद्रा का प्रचलन — Circulation of forged currency notes ..	86
1998	भूतपूर्व उप प्रधान-मंत्री का तमिल नाडु के चिंगलपट जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा — Former Deputy Prime Minister's visit to drought affected areas of Chingleput district in Tamil Nadu	86
1999	महाराष्ट्र में मिट्टी के तेल की कमी — Scarcity of Kerosene Oil in Maharashtra ...	86--87
2000	परिवार नियोजन कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संगठनों का भाग लेना — Participation of Voluntary organisations in Family Planning Programmes	87
2001	राजस्थान में स्टेट बैंक द्वारा ऋण सम्बन्धी सुविधायें — Facilities by State Bank to grant loans in Rajasthan ...	87--88
2002	स्टेट बैंक द्वारा छोटे व्यापारियों को धन दिया जाना — Financing of small Traders by the State Bank	88--89
2003	गर्भपात को वैध करार दिया जाना — Legalisation of abortions ...	89--90
2004	बिहार में ग्रामों में पीने के पानी की कमी — Scarcity of drinking water in Bihar Villages	90
2005	खेतरी ताम्बा परियोजना — Khetri Copper Project	90--92

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWARS TO QUESTIONS--Contd.		
2006	राज्यों में पानी की दरों में वृद्धि करने का अध्ययन करने के लिये समिति Committee to study scope for increasing water rates in states ...	92--93
2007	उर्वरक ऋण गारंटी निगम की स्थापना Setting up of fertilizer credit Gurantee corporation ...	93--94
2008	पेट्रो रसायन निगम Petro Chemical Corporation ...	94
2009	पंचकुइयां रोड़, नई दिल्ली स्थित चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों में बिजली लगाना Electrification of Class IV quarters at Punchkuin Road, New Delhi	95
2010	गोबिंद सागर (भाखड़ा बांध) में गांद का जमा होना Accumulation of silt in Gobind Sagar (Bhakra Dam) ...	95--96
2011	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के बम्बई तथा दिल्ली स्थित प्रादेशिक कार्यालय Regional offices of FACT Ltd. at Bombay and Delhi	96
2012	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड Fertilizers and Chemicals Travancore, Ltd.	96
2013	दिल्ली के अस्पतालों में संसत्सदस्यों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयां Difficulties faced by M.Ps. in Delhi Hospitals ...	96--97
2014	आयकर कार्यालयों में कार्य Work in Income-Tax Offices ...	97
2015	राज्यों में सिंचाई शुल्कों का बढ़ना Enhanced Irrigation charges in States	98--99
2016	एड इंडिया कनशोरटियम से सहायता Aid received from Aid India Consortium ...	99--100

2017	हाजियों को दी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange given to Hajis...	100--101
2018	हल्दिया-बरौनी - कानपुर पाइप लाइन	Haldia-Barauni-Kanpur Pipe Line ...	101
2019	उत्तर बिहार में बिजली की कमी	Shortage of power in North Bihar ...	101--102
2020	कर अपवंचन	Evasion of Taxes	102--103
2021	व्यापार गृहों पर आय-कर की बकाया राशि	Arrears of Income tax outstanding against Business Houses ...	103
2022	मध्य प्रदेश में सुकता सिंचाई परियोजना	Sukta Irrigation Project in Madhya Pradesh	103
2023	मध्य प्रदेश में कुछ विद्युत परियोजनाओं का सर्वे-क्षण	Survey of certain power projects in Madhya Pradesh	103--104
2024	मध्य प्रदेश के व्यक्तियों तथा कम्पनियों द्वारा विदेशों में अनधिकृत लेखे रखना	Unauthorised accounts maintained abroad by persons and companies of Madhya Pradesh	104
2025	मध्य प्रदेश में स्वर्णकारों को सहायता	Assistance to Goldsmiths in Madhya Pradesh	104–105
2026	मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, नागपुर	Manganese Ore India Limited, Nagpur ...	105
2027	बिहार में ग्रामिण विद्युतीकरण तथा नलकूप लगाने की योजना	Scheme for Rural Electrification and sinking of Tubewells in Bihar ...	105--106
2028	ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये वाहन	Vohicles for Family Planning programme in Rural Areas	106
2029	"कुकिंग कोल" खानों का विकास तथा उनको मान्यता	Development and recognition of coking coal mines ...	106--107

2030	मैसर्स धरमसी मोरारजी को उर्वरक कारखाना के लिये लाइसेंस	Licences to M/s Dharamji Morarji for Fertilizer Plant ...	107
2031	भारतीय उर्वरक निगम की रोजगार नीति	Employment policy of Fertilizer Corporation of India	107--108
2032	भारत में शान्ति सेना के स्वयंसेवक	Peace Crops volunteers in India	108
2033	आयकर की बकाया राशि	Income Tax Arrears	108--109
2034	बम्बई में अवैध सोना बरामद किया जाना	Recovery of contraband gold in Bombay...	109
2035	ससून गोदी, बम्बई से तस्करी के माल का पकड़ा, जाना	Recovery of smuggled goods from Sasoon Dock, Bombay ...	109
2036	बम्बई में कोलाबा में सोना तथा घड़ियों का पकड़ा जाना	Recovery of gold and watches at Colaba in Bombay ...	110
2037	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड	Hindustan Housing Factory, Ltd,	110--111
2038	'पी' फार्म की समाप्ति	Abolition of 'P' form	111
2039	इन्डिया गेट, नई दिल्ली पर महात्मा गांधी की मूर्ति	Statue of Mahatma Gandhi at India Gate New Delhi	111--112
2040	राष्ट्रीय ग्रामीण जल प्रदाय तथा सफाई कार्यक्रम	National Rural Water Supply and Sanitation programme	112
2401	इंडियन एक्सप्लोसिव्ज लिमिटेड, कानपुर में विदेशी तकनीशनों की नियुक्ति	Appointment of foreign technicians in Indian Explosives Ltd., Kanpur ...	112--113
2042	बैंकों में जमा धन राशि पर ब्याज की दर	Rate of intrest on deposits in Banks	113
2043	बरौनी में अप्रयुक्त पेट्रोलियम कोक	Idle petroleum cock at Barauni	113--114

2044	मंत्रियों के निवास स्थानों में छतदार क्षेत्र	Covered space occupied by Ministers	114
2045	तेल शोधक कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता	Installed capacity of oil Refineries	114--115
2046	करों की वसूली	Tax Collection	115
2047	नेफा में कामेंग परियोजना	Kameng Project in NEFA	116
2048	तुंगभद्रा बांध जलाशय (मैसूर) में गाद का जमा होना	Silting up of Tungabhadra Dam Reservoir, Mysore	116
2049	तेल के मूल्य कम करना	Reduction in prices of oil ...	116--117
2050	मंत्रियों की विदेश यात्रा	Visits by Ministers abroad ...	117
2051	पटना, बिहार में पानी की कमी	Water shortage in Patna, Bihar	118
2052	कोचीन उर्वरक परियोजना के लिये उपकरणों का आयात	Import of equipment for Cochin Fertilizer project	118
2053	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमीकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd.	119
2054	केरल से लड़कियों को रोम में ईसाई भिक्षुणियों के रूप में दीक्षा देना	Initiation of Kerala girls as Nuns in Rome	119--120
2055	बड़ौदा को अंकलेश्वर से प्राकृतिक गैस की सप्लाई	Supply of Natural Gas from Ankleshwar to Baroda	120--121
2056	तेल उत्पादों में आत्म निर्भरता	Self sufficiency in Oil Products ...	121--122
2057	हरयाणा के ग्रामीणों में रतौंध का रोग	Night blindness among Haryana villages	122
2058	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को विशेष वेतन	Special pay to deputationists to Andaman and Nicobar Islands	122--123

अतां. प्र. संख्या/U.S.Q Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.		
2059	दिल्ली में बिजली के चलने वाले पानी के नल	Electrically operated water pumps in Delhi 123
2060	रेलवे के सामान का आयात करने के लिये विश्व बैंक से ऋण	World Bank loan for import of Railway Materials 123- 124
2061	नई दिल्ली, रामाकृष्ण पुरम में सैक्टर 2 की कल्याण संस्था के पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaint against the office bearers of Welfare Association Sector II R.K, Puram, New Delhi 124
2062	सिंचाई आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन	Interim recommendations by Irrigation Commission 124--125
2063	थन्नीरमुक्कम बांध के निर्माण कार्य का रुकना	Holding up of construction work of Thannirmukkam Bund ... 125
2064	केरल में पजहासी परियोजना	Pazhassi project in Kerala ... 126
2065	राजस्थान में तांबे की खोज	Copper exploration in Rajasthan... 126--127
2066	गोआ में खनिज संसाधन	Mineral resources in Goa 127
2067	साउथ ऐवेन्यू, नई दिल्ली में पेय जल की सप्लाई	Supply of drinking water in South Avenue New Delhi 127--128
2068	पारे से सोना बनाना	Manufacture of gold from Mercury ... 128
2069	बंगलौर में राज्यों के आवास मंत्रियों की बैठक	State Housing Ministers' Meeting at Bangalore 129
2070	भारतीय उर्वरक निगम द्वारा मुकदमेबाजी में खर्च की गई राशि	Amount spent by FCI on Litigation ... 129
2071	सुवर्ण रेखा उड़ीसा बाढ़ नियंत्रण	Control of floods in Subarnarakha, Orissa 130
2072	उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखाना	Fertilizer factory in U. P. 130--131

अता. प्र संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.			
2073	जीवन बीमा निगम के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप	Charges against LIC Officers	131
2074	जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों	Development officers of LIC	131--132
2075	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में नये तेल शोधक कारखानों की स्थापना	Installation of New Oil Refineries during the Fourth Plan	132
2076	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मूर्तियों वाले भूखण्डों को सुन्दर बनाना	Beautification of C. P. W. D. plots having statues	133
2077	अखिल भारतीय कांग्रेस समिति पर आयकर की बकाया राशि	Tax arrears standing against all India Congress Committee	133
2078	उड़ीसा द्वारा राज्य कर्मचारियों को वेतन देने के लिये अधिक धन निकाला जाना	Overdraft by Orissa to pay salaries of state employees ...	134
2079	चलचित्र निदेशकों की आय पर कर	Tax on incomes of film directors ..	134--135
2081	आयकर अधिकारियों/निरीक्षकों के विरुद्ध अनिर्णीत मामले	Cases pending against Income-tax Officers Inspectors	135--136
2082	उत्पादन शुल्क अधिकारियों/निरीक्षकों के विरुद्ध अनिर्णीत मामले	Cases pending against Excise Officers Inspectors	136
2083	अमरीका का भारत में रुपयों में खाता	Rupee holdings of USA in India...	136--137
2084	मिट्टी तेल और डीजल तेल के प्रयोग में वृद्धि	Increased use of kerosene and diesel oils...	137
2085	दिल्ली में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा माल जब्त किया जाना	Seizure of goods by customs authorities in Delhi	137--138

2086	भारत में स्वैच्छिक कार्य कर रहे विदेशी व्यक्ति	Foreigners engaged in voluntary work in India ...	138
2087	पश्चिमी जर्मनी में तकनीकी प्रशिक्षण के लिये छात्रवृत्तियां	Scholarships for technical training in West Germany ...	138--139
2088	ईरान में अमोनियां के निर्माण के लिये कारखाना	Factory for Manufacture of Ammonia in Iran	139
2089	पोलिएस्टर रेशों के निर्माण के लिये कारखाने	Plants for manufacture of polyester fibres	139--140
2090	इन्डेन गैस की सप्लाई	Supply of Indane Gas	140--141
2091	अलौह धातुओं के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of non-ferrous Metal ...	141
2092	एन्टीबायोटिक प्रोजेक्ट तथा इंडियन ड्रग एण्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के अधिकारियों के विरुद्ध मामले	Cases against officers of Antibiotics Project & IDPL	142
2093	ओ. टी. ए. इन्डिया, बम्बई के अधिकारियों के विरुद्ध जांच	Inquiry against officers of Ota, India Bombay	142--143
2094	साउथ एवेन्यू में संसद सदस्यों के सेबकों के मकानों का रख-रखाव	Maintenance of Servant quarters of M.Ps. in South Avenue	143--144
2095	नई दिल्ली में ताल कटोरा बैरकों का रख-रखाव	Maitenance of Talkatora Barracks, New Delhi ...	144--145
2096	उपरि वर्धा नदी घाटी परियोजना	Upper Wardha River Valley Project	145
2097	तैरती (फ्लोटिंग) क्रेन के अभाव में अलियावेट और ताप्ती में ड्रिलिंग कार्य का बन्द होना	Stoppage of oil drilling work in Alia Bet and Tapti due to Non availability of Floating crane	145--146

2098	गुजरात में सहकारी समितियों के माध्यम से गैस का वितरण	Distribution of gas through co-operative societies in Gujarat	146
2099	सालन्डी सिंचाई परियोजना	Salandi Irrigation project ...	147
2101	गृह - निर्माण के लिये आवर्तक निधि योजना	Revolving Fund Scheme for housing	147--148
2102	गृह निर्माण के लिये किराया खरीद समितियां	Hire purchase societies for Construction of Houses	148
2103	यमुना तट विकास मंडल द्वारा दिल्ली में नदी तट (वाटर फ्रन्ट) का निर्माण	Development of a water front in Delhi by Yamuna Bank Development Board ...	148--149
2104	देवारी में जिंक पिघलाने के संयंत्र का बन्द होना	Closure of Zinc Smelter plant at Debari ...	149
2005	मंगलोर में उर्वरक परियोजना के लिये ब्रिटेन से ऋण	British credit for fertilizer Project at Mangalore	149--150
2106	दिल्ली के सरकारी क्वाटरों में बिजली के मीटरों को लगाने के लिये जमानत की राशि	Deposits for installation of Electric meters in Government Quarters in Delhi ...	150
2107	पी. एल. 480 निधि के अन्तर्गत गांवों में बिजली लगाने की योजना	Rural Electrification Seheme under PL 480 Fund	150--151
2108	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में उत्पादन लागत	Cost of production at Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd, ...	151--152
2109	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अशोधित तेल का आयात	Import of Crude oil by foreign oil companies	152–153

2110	मैसूर राज्य में रायचूर जिले के गांवों में भोजन विषाक्तता की घटनाएं	Food poisioning in Raichur Village of Mysore ...	153
2111	सहकारी गृह निर्माण समिति के कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार को सहायता	Assistance to Mysore Govt. under Cooperative House Building Society Programme	154
2112	भूतपूर्व राजाओं और नवाबों को विदेश जाने के लिये दी गई विदेशी मुद्रा	Foreign exchange given to Erstwhile Rulers of States for visits abroad	154
2113	मास्को में हुआ साम्यवादी पार्टियों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	International Conference of Communist Parties held in Moscow	154--155
2114	केरल में चिकित्सा कालेज	Medical College in Kerala	155--156
2115	थाना, बम्बई में पकड़ी गई निषिद्ध वस्तुएं	Seizure of contraband goods at Thana, Bombay	156
2116	उत्तर प्रदेश में 5 लाख रुपये से अधिक की बकाया कर राशि वाले व्यक्ति तथा कम्पनियां	Taxes above Rs. 5 lakhs outstanding against individuals and companies in Uttar Pradesh	156
2117	बिहार में कमला नदी का मार्ग बदलना	Diversion of River Kamala in Bihar	156--157
2118	फरुखाबाद (उत्तर प्रदेश) में रसीदी टिकटों की कमी	Shortage of Revenue stamps in Farukhabad (U. P.)	157
2119	लोकटक परियोजना	Loktak project	157
2120	मनीपुर के सामान्य अस्पताल से डाक्टरों और विशेषज्ञों की बदली	Transfer of doctors and specialists from General Hospital, Manipur	157--158
2121	मनीपुर सरकार के अस्पतालों के परिचर्या कर्मचारियों को भत्ते का भुगतान	Payment of Allowance to Nursing staff of Manipur Government Hospital ...	158

अता. प्र. संख्या/U.S.Q.Nos. विषय Subject		पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.		
2122 तुलिहाल हवाई अड्डे पर नियुक्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सैक्सनल ऑफीसर	C. P. W. D. Sectional Officers posted as Tulihal Airport	158--159
2123 व्यापार गृहों को जीवन बीमा निगम से ऋण	LIC Loan to Business Houses ...	159--160
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	160--166
पश्चिमी बंगाल विधान-सभा के परिसर में पुलिस कर्मचारियों द्वारा की गई तोड़-फोड़	Vandalism by Policemen in West Bengal Assembly Premises	160--166
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	160
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	161
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Tabie	166--167
अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेलवे) 1967-68	Demand for Excess Grants (Railway) 1967-1968	
राज्य-सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha ...	168
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee	168
भारतीय चिकित्सा तथा होमियोपेथी में अनुसन्धान के लिये केन्द्रीय परिषद	Central Council for Research in Indian Medicine and Homeopathy	168
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege	169–171
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विधेयक–पुरस्थापित	Central Excise Bill-Introduced ...	171–172
पटसन उद्योग में संकट के बारे में	Re, Crises in Jute Industry	172
बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तान्तरण)	Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill	173–246
खंड 12,13,6 से 11, 14 से 27 तथा 1	Clauses 12,13,6 to 11,14 to 2 7 and 1...	173

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass as amended			
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee.	...		242
श्री अहमद आगा	Shri Ahmed Aga			244
स्वामी ब्रह्मानन्द जी	Swami Brahmanandji	...	...	244
श्री एस. कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	...		244
श्री योगेन्द्र शर्मा	Shri Yogendra Sharma		..	245
श्री पी. राममूर्ति	Shri P. Ramamurti			245
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	...		245
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon		...	245

लोक--सभा
LOK-SABHA

सोमवार, 4 अगस्त, 1969/13 श्रावण, 1891 (शक)
Monday, August 4, 1969/Sravana 13, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पी० एल० 480 के अधीन लेन-देन

*301. **श्री सीताराम केसरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने अमरीका सरकार को अगले वर्ष के दौरान पी० एल० 480 के अधीन लेन-देन की शर्तों में ढील देने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका सरकार ने भारत सरकार की प्रार्थना स्वीकार कर ली हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) . ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

Shri Sitaram Keshri : The imports under P. L. 480 during the years 1956 to 30th June, 1968 have been to the tune of 2024 crores. Out of this amount of Rs. 1100 crores has been given to the Government as loan, Rs. 450 crores of rupees have been as grants, Rs. 1666 crores have been distributed in the country, Rs. 158 crores have

been given to American Embassy for spending in the country. It is good that assistance is given for the development of our country under P. L. 480. Because the goods are given in Indian currency and that Indian currency is used here, so many things have been said that so much amount has been spent by C. I. A. in the elections of 1967. So many other things have been said about P. L. 480 Fund. Keeping all these things in view it was viewed by the Estimates Committee that this money may lead to inflation in our country and it was suggested by them that a Committee be constituted to examine the effects of this money on our economy and to find out whether it results in inflation or not. In view of this recommendation Khusro Committee was appointed by Government. I want to know whether next year the P. L. 480 budget will be presented by the Minister with his note as required by the Committee's suggestion.

श्री प्र० च० सेठी : माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में कई बातें कही हैं। मुख्य बात तो यह है कि पी० एल० 480 निधि के अन्तर्गत कुल 1319.96 करोड़ रुपये की राशि जमा हुई है, जिसमें से 380.81 करोड़ रुपये ऋणों के रूप में, 130 करोड़ रुपये अनुदानों के रूप में, तथा 347 करोड़ रुपये सरकारी परियोजनाओं में खर्च करने के लिये दिये गये हैं। जहां तक शेष राशि का सम्बन्ध है, उसे खर्च करना उनका काम है। वह सारा धन रक्षित बैंक में जमा है। यह सच है कि इस धन का कुछ भाग अमरीकी दूतावास को, उसका कुछ अंश खर्च करने के लिये तथा कुछ अंश बर्मा और नेपाल को सहायता देने के लिये और कुछ अंश भाड़े आदि की अदायगी का भुगतान करने के लिये दिया जाता है। इसलिये गत वर्ष 40 करोड की जो राशि अर्जित हुई थी, उस में से अमरीकी दूतावास को जितनी राशि दी गई, वह अधिक से अधिक लगभग 15 करोड़ रुपये होगी। इसका भी लेखा जोखा वे हमें देते रहे हैं। यद्यपि उस हिसाब किताब का विस्तार पूर्वक उल्लेख करना बहुत जरुरी नहीं है, तथापि मेरी जानकारी यह है कि खर्च किये गये धन के बारे में माननीय गृह कार्य मंत्री सभा में स्पष्टीकरण दे चुके हैं।

Shri Sitaram Keshri : Some years back there was a move to establish an Indo-U.S. Education Foundation under P. L. 480 for spending this amount on the development of Education in India. But that move was postponed because there was strong opposition on this question in Lok Sabha. Now Mr. Ketting, U.S. Ambassador has said that Indo-U.S. Education Foundation should be reviewed. He has also stated tha the talks which our leader would be having with President Nixon would also cover that question of P. L. 480. So I want to know whether the question of reviewing the Indo–U.S. Education Foundation and utilisation of money on the development of education was discussed with U. S. President.

The Prime Minister, Minister of Finance, Atomic Energy and Planning (Shrimati Indira Gandhi) : No Sir, this question was not raised in our talks. But I have heard and it is true that they want that there should be some such Foundation. But so far no talks had been held there in this regard. Whenever such talks will be held the interest of the country will always be kept in mind.

Shri Prakash Vir Shastri : I want to know the existing balance of P. L. 480 funds. As you have stated that no talks were held with the President of America regarding P. L. 480, I want to know whether some suggestion has been received from USA through American Ambassador or through some other person for utilising the P.L. 480

funds for the expansion of irrigation and rural electrification and, if so, the details thereof ?

Shri P. C. Sethi : So far as the question of the balance of P. L. 480 funds and loans is concerned, the balance of funds at present is Rs. 77 crores and interest is Rs. 155 crores and thus the total balance is Rs. 232 crores of rupees so far as the hon. Member's question whether discussions were held with U.S. Embassy or any other American Authority, the hon. Member would be pleased to note that it has been decided to give an amount of Rs 105 crores out of this amount for rural electrification. It has also been decided to give an amount of twenty crores of rupees to the Fertilizer Credit Granting Corporation Similarly negotiations are in progress for spending this fund for the development of the country.

Shri Prakash Vir Shastri : Irrigation schemes are also equally important for the development of the country like electrification schemes. Lack of irrigation facilities is the biggest problem of the country. Entire Rajasthan is drought affected. I want to know whether any scheme for utilising P. L. 480 funds for irrigational purposes has been submitted by Government.

Shri P. C. Sethi : As I have stated the major part of the amount that is shown in the budget is spent for agricultural and irrigational purposes.

श्री एस० आर० दामानी : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि 105 करोड़ रुपये बिजली लगाने के लिये देना तय हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या देश के विभिन्न भागों में बिजली लगाने के बारे में कोई विस्तृत योजना तैयार की गई है तथा प्रस्तुत की गई है और यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है। कुछ समय पहले यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि अमरीकी दूतावास ने हमारे देश का पर्यटन करने वाले अमरीकी पर्यटकों से अपने डालरों को रुपयों में बदलने को कहा था। यदि हां तो इस प्रकार कितने डालरों को रुपयों में बदला गया और इसका ब्यौरा क्या है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक 105 करोड़ रुपये के खर्च की विस्तृत योजना का सम्बन्ध है, हम उसे तैयार करेंगे। यह राशि खर्च करने के लिये मोटे तौर पर अमरीकी दूतावास से एक समझौता हुआ है।

जहां तक इस निधि से अमरीकी पर्यटकों द्वारा डॉलरों के विनियम का सम्बन्ध है, इस बारे में मेरे पास विस्तृत जानकारी नहीं है, किन्तु विनिमय विनियमों के अनुसार विदेशी मुद्रा का विनिमय रुपयों के साथ किया जाता है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस प्रसंग में मुझे एक बात और भी कहनी है कि ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस योजना के प्रबन्ध निकाय अथवा उसके संचालन में अमरीका का कोई सहयोग नहीं है।

श्री रा० की० अमीन : माननीय मंत्री जी अच्छी तरह जानते हैं कि तत्समान निधि से धन निकालने से यदि पी० एल० 480 के आयातों से बजट में कोई नई राशि प्राप्त न हो, तो

मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति पैदा होती है । इस बात को दृष्टि में रखते हुए, जैसा कि आगे पी०एल० 480 सौदों की राशि धीरे-धीरे घटती जायेगी और यदि हम इसके साथ-साथ तत्समान निधि से धन निकालते जाते हैं, तो क्या उससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी ? मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही करने का विचार किया है और अमरीका के साथ बातचीत करके इस तत्समान निधि के स्थिरीकरण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयातों का सम्बन्ध हैं, वे धीरे-धीरे कम हो रहे हैं । वर्ष 1968–69 में 1967–68 की तुलना में 311 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक मूल्य के आयात कम होंगे, हमें आशा है, वर्ष 1971 तक हम ऐसी स्थिति में हो जायेंगे जब कि हमें पी० एल० 480 ऋण लेने अथवा आयात करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ।

जहां तक वित्तीय परिणाम का सम्बन्ध है, अधिकतर शेष राशि सरकारी प्रत्याभूतियों में रखी गई है और अमरीकी दूतावास को जो राशि मिलती है, बातचीत के अनुसार, उसे हम समुचित लाभ की योजनाओं के लिये खर्च करने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस धन को विकास कार्यक्रमों के लिये खर्च किया गया है और जब इस धन का उपयोग विकास कार्यों के लिये किया जाता है, तो उसका प्रभाव मुद्रास्फीति पर इतना अधिक नहीं पड़ता ।

Shri Bibhuti Mishra : Sir so many items are covered under P. L 480 Funds. I want to know whether Government propose to utilise the entire P. L. 480 funds for irrigational purposes and for completion of certain big schemes such as Ghagra, Gandak and Nagarjunasagar projects which will help increase our agricultural production as well as our exports and it will further enable us to pay back the P. L. 480 funds at the earliest ?

Shri P. C. Sethi : Every year a budgetary provision is made indicating some amount out of this fund to be used for irrigational and agricultural purposes. However, the suggestion given by the hon. Member would receive due consideration.

Shri Bibhuti Mishra : I want a definite reply from the Government.

Shrimati Indira Gandhi : I agree with the hon. Member that it is necessary to increase agricultural production in the country and for that matter we should provide adequate irrigational facilities. All these things are receiving due consideration. But the way in which these funds should be utilised has many complications, also.

श्री स्वैल : राज्य मंत्री के उत्तर से ऐसा लगता है कि हमारे पास पी० एल० 480 की कुल शेष राशि 232 करोड़ रुपये है । अन्य स्रोतों से ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि वह राशि 2250 करोड़ रुपये तक बढ़ गई है, सरकार बताये कि ये रिपोर्टें ठीक हैं अथवा गलत हैं ।

क्या इस निधि के उपयोग के बारे में अमरीकी सरकार के साथ मोटे तौर पर कोई बातचीत तय की गई है, विशेषतः क्या इस देश में भारत अमरीकी शिक्षा संस्थान का प्रश्न फिर से उठाया गया है ? क्या उर्वरक ऋण निगम तथा कृषि पुनर्वित्त निगम, जिन्हें हमें स्थापित करना

है, के सम्बन्ध में कोई निश्चित निर्णय किया गया है और क्या उन पर किसी प्रकार का अमरीकी नियंत्रण रहेगा ?

श्री प्र० च० सेठी : मैं समझता हूं, जहां तक समूची राशि का सम्बन्ध है, इसमें कुछ गलतफहमी है । मैंने कहा है कि पी० एल० 480 निधि तथा अमरीका से अन्य ऋणों और अनुदानों के कारण प्राप्त राशि 2,117.03 करोड़ रुपये है, जहां तक इसका सम्बन्ध है, माननीय सदस्य की बात ठीक है, इस राशि में से आधी से काफी रधिक राशि सरकारी कार्यों पर खर्च की गई है । लगभग 232.23 करोड़ रुपये अमरीकी दूतावास को भेजने हैं और जिसमें से 105 करोड़ रुपये निगम के माध्यम से ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिये खर्च किये जायेंगे । जहां तक उर्वरक ऋण गारन्टी निगम का सम्बन्ध है, उस पर 20 करोड़ रुपये खर्च करने के बारे में बातचीत चल रही है और इसी प्रकार ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के बारे में भी बातचीत चल रही है ।

Shri Chandrajit Yadav : May I know whether attention of the Government has been drawn to the statement made recently by the U. S. Ambassador in New Delhi in which he has stated that the total amount of assistance given to India from time to time under P. L. 480 would be increased rise to something between Rs. 1500 crores and Rs. 2200 crores in the near future ? He had further stated that this rising amount is causing anxiety for India and USA both and as such he wanted to talk with the Government of India at the high level. Is it also a fact that suggestions were given to the Government several times by this very House as also recommendations were made by the Committee of this House and the Khusro Committee to the effect that accumulation of these funds would lead to inflation in the economy ? In view of this, may I know the steps being taken by the Government to use these funds properly and in a manner which would not adversely affect our economy ?

Shri P. C. Sethi : We have been holding talks with the U S. Government from time to time regarding the utilisation of these funds so that it may not lead to inflation in the economy. So far as accumulation and total amount of these funds is concerned, I have already indicated the figures and I have to add that the debt service charges will amount to Rs. 40 to 50 crores per year. We will be required to stick to this schedule in order to reduce this accumulation and check inflation.

So far as inflation is concerned, the amount of Rs. 677 crores which is in balance is held in Government securities and out of this, as I have indicated earlier, about Rs. 200 crores have been passed on to the U. S, Embassy. We are also considering how and in what manner this money should be spent so that its circulation may not lead to inflation and may not affect our economy adversely: As I have stated, we will have to pay back this money within 30 to 40 years and thus Rs: 50 crores per year. The matter regarding the utilisation of this money in order to check inflationary trends is also receiving our active consideration:

Shri Hukam Chand Kachwai : Do the Govt. propose to utilise these funds for abolition of begging on the country and to grant pension to the old inferin people ?

पाकिस्तानी तस्कर

+

*302. श्री राम चरण : श्री भारत सिंह चौहान :
श्री वंश नारायण सिंह : श्री स० मो० बनर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 मई 1969 को "दि स्टेट्समैन" में प्रकाशित समाचार के अनुसार हाल ही में मंडवी में सात पाकिस्तानी तस्कर पुलिस की हिरासत से भाग गये थे ।

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिये जिम्मेवार पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या वे पाकिस्तानी तस्कर इस बीच पकड़ लिये गये हैं तथा देश से निकाल दिये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) (क) से (घ) . भारतीय नौ सेना के जहाज ने 7 फरवरी 1968 को कच्छ के पार भारतीय जल-सीमा में एम० एस० वी० माई मकाई को जब रोका था तब उस पर सवार पाकिस्तानी नाविक दल के जो सात सदस्य उसमें पाये गये थे, उन पर विदेशी राष्ट्रिक रजिस्ट्रेशन अधिनियम तथा पासपोर्ट विनियमों के उपबन्धों के उल्लघन करने के अपराध में मुकदमा चलाया गया था और उनको दण्ड दिया गया था कारावास की अवधि पूरी हो जाने पर उनको पाकिस्तान भेजे जाने से पूर्व पुलिस निगरानी में रखा गया था । सात व्यक्ति 16-5-69 को किसी प्रकार भागने में सफल हो गये । उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया है । कर्तव्य में लापरवाही के कारण 6 पुलिस मैनों तथा एक हेड कांस्टेबल को निलम्बित किया गया है ।

Shri Ram Charan : It is not a new thing. Large scale smuggling is going on daily on the borders of Pakistan, China and Nepal and Police is in collusion with the smugglers. If any one comes in the picture any time then police arrests him and release him after few days detention. I want to know whether any steps have been taken to stop the smuggling of ration on the Pakistan China and Nepal borders.

Shri P. C. Sethi : Many steps have been taken to check smuggling. For instance staff strength has been increased and they have been provided with conveyance and modern equipment. Customs Bill has recently been amended. In addition to that the party of Central Reserve Police has also been posted there. Some officers have been put on special duty. In addition to that an agency has been set up to review the situation every now and then. There has been more vigilance and the number of seizures has also increased.

Shri Ram Charan : I have come to know from a reliable source that political leaders have a hand in the smuggling with Pakistan. I do not want to take names but it is definite that some political leaders have a share in smuggling. These leaders belong to India. There are such gangs in Pakistan which are protected by the Political leaders on the Rajasthan Pakistan border. They also give protection to 'Gundas' rogues and dacoits. I want to know whether the Government will take steps to

shoot the smugglers and arrested persons will be kept in the Central Jail, Delhi instead of keeping them on the border ?

श्री प्र० च० सेठी : यह बहुत व्यापक आरोप है कि इसमें राजनैतिक नेताओं का हाथ है और उस दृष्टि से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि माननीय सदस्य कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाते । जहां तक पाकिस्तान की सीमा पर सामान के जब्त किये जाने का सम्बन्ध है...

Shri Meetha Lal Meena : The Congress 'Surpanch' of the Marwar has has been held in smuggling.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को अन्तर्वाधाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा यह मामला कभी समाप्त नहीं होगा ।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि यदि कोई विशिष्ट आरोप लगाये जाते हैं अथवा माननीय सदस्य कोई विशेष शिकायत करते हैं तो मैं उसकी जांच करूंगा और हम किसी को संरक्षण नहीं देंगे । जहां तक पाकिस्तान सीमा पर कितनी बार सामान पकड़ा गया है उसके आकड़े नीचे दिये गये है,

	वर्ष 1967	वर्ष 1968
शिलांग सीमा	1261	1397
पश्चिम बंगाल सीमा	1504	1950
पंजाब-राजस्थान	131	140
सीमा	317	251

सीमा पर तस्करी को रोकने के लिये सभी सम्भव कार्यवाही की जा रही है ।

Shri Bharat Singh Chauhan : May I know whether Government is aware that a conference of the study team of old districts was held at Simla and they gave such suggestions about checking smuggling on the border. What steps have been taken on those suggestions.

Mohammedans, Bhil and Rajput communities are residing on the Barmer border of Rajasthan. Mohammedans and Bhils have marital relations with each other. Bhil and Mohammedan communities are engaged in the smuggling of goods on the Rajasthan border. These people lift sheep and other animals to Pakistan and there they sell them and bring gold and other articles. I want to know whether Government is aware of all these things. If so, the steps proposed to be taken on it ?

श्री प्र० चं० सेठी : माननीय सदस्य ने उन सात पाकिस्तानियों का उल्लेख किया है । जो निगरानी से बच गये थे । यदि वह शिमला सम्मेलन के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि वह इस बारे में प्रथक प्रश्न करें तब हम इस बारे में अपेक्षित जानकारी दे सकेंगे ।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित जातियों का सम्बन्ध है, यह कहना वांछनीय नहीं है कि किसी जाति विशेष के सभी व्यक्ति इसमें अन्तर्ग्रस्त हैं। तस्करी में अन्तर्ग्रस्त सभी व्यक्तियों, चाहे वह एक समुदाय के हो अथवा दूसरे के, से निपटा जायेगा और यदि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हम उसकी जांच करेंगे।

Shri S. M. Banerjee : It is not the first time, there have been many instances like that. Smugglers have been coming in our country and the goods have been taken out of our country. Often we have seen that people engaged in smuggling do not believe in casteism. They may be Hindus or Mohammedan, all raise the slogan of Bhai Bhai. I want to know whether it is a fact that the smugglers have been left out and Policemen have been held and suspended ? Is it also a fact that police had also a hand in it ? If so, the steps taken to keep watch on them ? It is not only the question of simply checking the smuggling. Large scale illegal import and export of goods on either side is also going on. Who keep supervision on the policemen posted on the check posts ?

Shri P. C. Sethi : So far as these persons are concerned they were challaned after they were held on the vessel. They were challanged under the 'Foreigners' Registration Act and Passport Regulations. They were convicted in the court. After their release the question of their deportation to Pakistan under the police surveillance has risen. Deportation takes time as we have to consult the Pakistan High Commissioner. Afterwards the High Commissioner consults the Government. So all that takes time. For this they were detained somewhere, and they were under surveillance. According to police report they escaped somehow. That is why action has been taken against the policemen and officers. They have been suspended and charge-sheeted. Whatever has happened is very unfortunate, but the necessary steps have been taken.

Shri S. M. Banerjee : It is a fact that five smugglers had escaped and five policemen were held. But I want to know the arrangements made to keep watch on them.

श्री प्र० च० सेठी : मैंने बताया है कि वे पाकिस्तानी राष्ट्रजन थे और पाकिस्तान को भेजने से पूर्व उनको पुलिस की निगरानी में रखा गया था। विदेशी पंजीकरण अधिनियम और पारपत्र विनिमय अधिनियम के अन्तर्गत उन्होंने जो अपराध किये थे उनके लिए उन्हें सजा दी जा चुकी है, इसके बाद उनको पाकिस्तान भेजा जाता था।

Shri Prem Chand Verma : I would like to know whether the hon. Minister is aware of the fact that groups of Pakistani smugglers operating on Indias' borders include young educated girls who have been imparted regular training. They also indulge in expionage. I would like to know the number of arrests made, the number, of those girls which have been prosecuted ? If the prosecutions have been launch how many of them were punished ? I would also like to know the steps proposed to be taken to prevent the girls belonging to smugglers gangs from coming here and Indian girls, from going there.

श्री प्र० च० सेठी : इस मामले से सम्बन्धित व्यक्तियों के बारे में समूचे आंकडे मेरे पास हैं, परन्तु पुरुषों तथा महिलाओ के बारे में आंकड़े नहीं है। परन्तु सभी लोग यह जानते हैं कि वस्तुयें चोरी छिपे लाने ले जाने, विशेष रूप से सोना लाने ले जाने का काम महिलाओं

में लिया जा रहा है। यदि माननीय सदस्य चाहे तो मैं पुरुषों तथा महिलाओं के बारे में पृथक पृथक आंकड़े एकत्र करूंगा तथा यह सूचना सभा पटल पर रख दूंगा।

श्री समर गुह : माननीय मन्त्री ने यह बात स्वीकार की है कि सीमा के विभिन्न क्षेत्रों में भारी मात्रा में वस्तुयें पकड़ी गई हैं। यह भी स्वीकार किया गया है कि चोरी छिपे लाई जाने वाली इन वस्तुओं में से अधिकांश वस्तुयें चीन में बनी हुई हैं। सीमा के पार से चोरी छिपे लाई जाने वाली मुख्य वस्तुयें कौन कौन सी हैं ? क्या उन वस्तुओं में जाली भारतीय नोट भी शामिल हैं ? हाल ही में कृष्णनगर तथा एक अन्य स्थान पर कुछ ऐसी वस्तुयें पाई गई हैं। क्या पाकिस्तान से चोरी छिपे लाये जाने वाली वस्तुओं में भारी मात्रा में माओ पक्षी साहित्य तथा माओं की लाल पुस्तक भी शामिल हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : चोरी छिपे लाई जाने वाली वस्तुओं में प्राय. सोना, चांदी, घड़ियां, कृत्रिम कपड़े तथा सूत आदि हैं। चीन में बनी हुई वस्तुओं के बारे में हमारी जानकारी यह है कि उनमें फाउन्टेन पैन आदि शामिल हैं। हमारे पास विस्तृत जानकारी नहीं हैं।

चीन में चोरी छिपे नोट लाने के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

Shri Sheo Narain : It appears from the reply given by the hon. Minister that the Government does not have much information. I would like to know which is the Intelligence Department doing ? The houses of officers in Basti and Gorakhpur districts should be searched in order to find out the foreign made articles in their houses. Foreign made goods will be found in the houses of magistrate and the Superintendent of Police. I would like to know about the action proposed to be taken to check it.

Shri P. C. Sethi : I would like to place the statistics regarding seizures on the Indo-Nepal border. Goods worth Rupees 3 lakh, 21 thousand, 5 lakh 81 thousand and 24 lakh 77 thousand ware seized in 1966, 1967 and 1968 respectively at Allahabad, Patna and in West Bengal Centres.

Shri Sheo Narain : You should conduct searches in the houses of those officers.

श्री प्र० चं० सेठी : यदि किसी विशिष्ट मामले की ओर हमारा ध्यान दिलाया जायेगा तो हम उसकी जांच करेंगे।

उर्वरक कर

\+

*303. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :** **श्री जि०मो० बिस्वास :**
श्री राम सिंह अयरवाल : **श्री यशवन्तसिंह कुशवाह :**
श्री शारदा नन्द :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री ने कांग्रेस संसदीय दल को आश्वासन दिया था कि आय व्ययक में लगाये गये उर्वरक कर को संसद के शरदकालीन सत्र से पहले हटाने के प्रश्न पर सरकार गम्भीरता पूर्वक विचार करेगी ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ;

(ग) किन-किन राज्यों ने इस कर का विरोध किया है ; और

(घ) इस मामले में सरकार कब तक अन्तिम निर्णय कर लेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। प्रधान मन्त्री ने कुछ वैकल्पिक सुझावों पर विचार करना स्वीकार कर लिया था जिन्हें उर्वरक-कर के स्थान पर अन्य साधनों को जुटाने के लिये कांग्रेस दल के संसद सदस्यों ने प्रधान मन्त्री के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहा था। इन सुझावों पर ध्यान पूर्वक विचार किया गया था परन्तु केन्द्रीय सरकार की योजना तथा अन्य आवश्यक मदों के लिए धन जुटाने के साधनों की बढ़ती हुई जरुरतों को ध्यान में रखते हुए उर्वरक कर को हटाना सम्भव नहीं हो पाया गया।

(ग) उक्त कर के विरुद्ध औपचारिक अभ्यावेदन आन्ध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों से प्राप्त हुए थे।

(घ) यह सवाल नहीं उठता।

Shri Raghubir Singh Shastri : After the resignations of Shri Morarji Desai and the taking over of the Finance Department by the Prime Minister herself, it is generally felt that the Government will be liberal towards such demands of the public which were ignored by Shri Morarji Desai. I would like to know whether Government will change its policy towards agriculturists so that they could also go to thank the Prime Minister ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, परमाणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : यह निर्णय किसी एक व्यक्ति का नहीं है अपितु समूचे मंत्री मंडल का निर्णय था। जैसा कि श्रीमोरारजी देसाई ने स्वयं सभा में कहा था, यह कर लगाने के बारे में कोई भी प्रसन्न नहीं था, परन्तु साधनों की आवश्यकता इतनी अधिक थी कि हम ऐसा करने के लिए बाध्य हो गये थे।.... (अंतर्बाधायें)

An hon. Member : The relief to agriculturists .....

Shrimati Indira Gandhi : It is not the question of farmers alone. We need to mobilise all resources. If we get finances from other sources, it does not mean that the resources, already mobilised should be decreased.

Shri Raghubir Singh Shastri : It has just now been told that a sub-committee had been constituted on the instance of the Congress Parliamentary Party. That Committee submitted certain proposals and alternative proposals before the Government. I would like to know whether the views of the Chief Ministers of all the States

will be ascertained in this connection and the matter will be raised in the Chief Ministers' Conference, so that their views on the question of levy could be ascertained.

Shri P. C Sethi : The Prime Minister has just now stated that huge resources are needed for Five Year Plan. Even after resorting to deficit financing we need about 2700 crores of Rupees. These provisions will hardly give us 700 or 800 crores of Rupees. There is scope for further mobilisation of resources. The Prime Minister has just now said that all the other useful suggestions regarding mobilisation of resources will be implemented She also said that levy on fertilizer is necessary because such a big source of revenue cannot be brought down.

Shri Shardanand : The Government propagates more and more use of fertilizers but on the other hand they are putting this burden on the farmers Is it fair ? The Minister has stated in his reply that the Governments of Uttar Pradesh and Andhra Pradesh have asked for not imposing this tax on the agriculturists. Even if the hon. Minister is adamant on imposing this tax, may I know whether U. P. and Andhra Pradesh would be exempted from the purview of this tax in view of the widespread poverty and backwardness in these States ?

Shri P. C. Sethi : Report of the Finance Commission is awaited and Government will take decisions on those recommendations in the light of the conditions and requirements of every state. As regards the shrinkage in consumption due to rise in price, our past experience has been that its consumption has increased despite the increase in prices. A suggestion was also made that the views of the Chief Ministers should also be invited. I might say that Government has been calling the conferences of the Ch ef Ministers from time to time at such concerences this and all other questions are discussed.

Shri Yashwant Singh Kushwah : Is it a fact that a rise in the price of fertiliser will create a vicious circle in the form of adverse effect on productivity spiralling prices of foodgrains and general price rise in the country ? Since the need to augment the food production cannot be overemphasised, will Government reconsider this question ? What are the views of the Madhya Pradesh Government in this regard ?

Shri P. C. Sethi : Despite the rise in price of fertiliser, its consumptions is consistently increasing. Its consumption during the years 1961-62, 1964-65 and 1968-69 was 2 5, 5.6 and 14 lakh tons respectively. This happened when the price of fertiliser increased by 46-47 per cent. Our intention is not to reduce the production. We are taking only a very small amount by way of this tax increase from the profit accruing to the farmer by the use of the fertiliser.

Shri D. N. Tiwari : We all feel that Government revenues will always face short of its requirement. When the Congress Parliamentary Party gave certain suggestions in this regard at that time it was stated that if alternative sources of revenue were suggested to the Government, it would abolish this tax. May I know the decisions taken on the suggestions of alternative sources of revenue and the out come thereof ?

Shri P. C. Sethi : It is not that the suggestions were not examined by the Finance Ministry. But there is a difference of opinion as to the quantum of resources. Just now the Prime Minister exmphasised the need to find more resources. That apart, we shall also see that the farmers get the maximum benefit these tax proceeds.

Shri D. N. Tiwari : The Congress Parliamentary Party was given an assurance that if alternative sources of revenue were suggested the question of abolition of this tax could be considered. May I know whether the suggestions of alternative sources of revenue were considered and whether the proceeds from them was also assessed ?

Shri P. C. Sethi : As regards the suggestions, these were considered by the Ministry of finance and the measures suggested in the Report were not expected to yield the desired revenue Still these suggestions will be considered and efforts made to implement them.

Shri Sarjoo Pandey : May I know whether in view of the fact that Government have supplemented its income by the nationalisation of Banks and also in view of the fact that the prices of fertilisers are already ruling very high, will Government consider to abolish the duty on fertiliser in the changed circumstances.

Shri P. C. Sethi : As already stated the tax proceeds is a necessity. The fact is that the price increase due to this tax would result in the consumption of 50 Kilos more of Uria and thus result in increased production of about 2-3 hundred rupees to the farmers. Out of that the farmer will have to give only Rs. 4 00 to the Government.

Shri Randhir Singh : Fifty percent of the farmers in India have less than an acre land in India and 20 percent of the farmers have 1 to 2 acres of land. It is evident that the owners of such small holdings cannot afford the use of fertilisers. The price of fertiliser has more than doubled during the last five years, from Rs. 14 per bag to Rs. 29 per bag. Those who are in a position to pay, might be taxed, but 75-80 per cent of the farmers are not in a position to purchase the fertiliser. May I know whether Government will reconsider the abolition of this levy on fertiliser ? Will Government also consider the question of subsidising the fertiliser so that its use may be maximised ?

Shri P. C. Sethi : It is true that most of the farmers have small holdings. But as regards the burden of tax, they will be affected less to that extent. This tax is in the interest of the farmers and as such it is difficult to reconsider it.

Public Sector Industries

\+

304. Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Muhammad Sheriff :
Shri A. Sreedharan :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri Chengalraya Naidu :
Shri D. Amat :
Shri N. R. Laskar :
Shri G. C. Naik :
Shri Ramachandra Veerappa :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Suraj Bhan :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ranjeet Singh :
Shri R. Barua :
Shri J. K. Choudhary :
Shri C. Janardhanan :
Shri Jageshwar Yadav :
Dr. Ranen Sen :
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Samar Guha :
Shri Y. A. Prasad :
Shri R. R. Singh Deo :
Shri M. S. Oberai :
Shri S. M. Krishna :
Shri R. K. Birla :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total amount invested by Government in the public sector industries:

(b) the total annual profit that is likely to accrue to Government therefrom at the bank rate;

(c) the percentage of profit earned by the public sector industries during the last three years separately; and

(d) the fresh steps being taken by Government to increase the profit ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) . एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) 1967–68 के अन्त में केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों में लगी हुई कुल पूंजी 3,333 करोड़ रु० थी जिसमें केन्द्रीय सरकार का हिस्सा 3,029 करोड़ रु० का था । इस आधार पर उत्पादन में प्रभावशाली ढंग से लगी केन्द्रीय सरकार की पूंजी 2116 करोड़ रु० बैठती है ।

(ख) 1967–68 से लागू 6 प्रतिशत शीर्षक की बैंक दर से 2116 करोड़ रु० का ब्याज 145 करोड़ रु० है ।

(ग) लगी हुई प्रभावशाली पूंजी का सकल लाभ 1965–66, 1966–67 और 1967–68 में क्रमशः 3.4%, 2.8 प्रतिशत और 2.2 प्रतिशत था । ये आंकड़े जीवन बीमा निगम और उन उपक्रमों को छोडकर जिनका निर्माण कार्य चल रहा है, के अतिरिक्त उपक्रमों के कार्य परिणामों से सम्बन्धित हैं । इन आंकड़ों में टूट फूट का खर्च शामिल है किन्तु ब्याज और कर नहीं । 1967–68 में इन उपक्रमों में 121 करोड़ रु० की राशि टूट फूट के लिए रखी गई है और 175 करोड़ रु० उत्पादन शुल्क के रूप में दिये गये हैं ।

जिवन बीमा निगम ने 1 अप्रेल, 1965 से 31 मार्च, 1967 तक की दो वर्ष की अवधि में 72.28 करोड़ रु० की बचत दिखाई जिसमें से 68.67 करोड़ रु० पालिसी धारियों को दिये गये और 3.61 करोड़ रु० भारत सरकार को ।

ऊपर समूचे कार्य परिणाम दिये गये हैं, कुछ उपक्रमों का कार्य काफी अच्छा रहा है जबकि अन्य का शायद इतना अच्छा न हो ।

(घ) सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों का निरन्तर रूप से पुर्नविलोकन किया जाता है ताकि उनके उत्पादन और लाभ में वृद्धि लाई जा सके । 28.2 1969 को बजट पत्रों के साथ परिचालित किये गये "सरकार क्षेत्र के उपक्रम-एक ज्ञापन पत्र" नाम की दस्तावेज में प्रबन्ध तथा सरकार द्वारा किये जाने वाले निम्न उपायों का उल्लेख किया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० -1492/69**]

(एक) विशेष रूप से इस्पात तथा इंजीनियरी उद्योगों में वर्तमान क्षमता का पूर्ण उपयोग; और

(दो) प्रबन्ध तथा संचालन कार्य कुशलता में वृद्धि ।

Shri Om Prakash Tyagi : The statement shows that Government has invested Rs. 3,333 crores in Public undertakings. Government should get Rs. 145 crores annually by way of interest at the rate 6 percent. This statement also shows that total profit during 1965-66 was 3.4%; during 1966-67 it was 2.8% and during 1967-68 it was 2.2%. Thus it shows a constant decrease their profit.

The annual accounts of various Undertakings show that 31 Undertakings out of 55 suffered a loss of Rs. 48.43 crores and 22 Undertakings suffered a loss of Rs. 45.14 crores. I want draw the attention of hon. Minister to statement the Indian Express of the 5th June. It says :--

> 'of the 55 running concerns in which no fewer than Rs. 3,400 crores had been invested 24 units suffered a loss of Rs. 83 crores during 1967-68.'

Had Government deposited this money in banks, it would have received Rs. 200 crores by way of interest. I want to know the reasons for this loss and the steps being taken to prevent this ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : माननीय सदस्य ने बड़े संकुचित दृष्टिकोण से प्रश्न पूछा है। बड़ी बड़ी परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है ? इनका उद्देश्य एक आधार तैयार करना है और केवल यही नहीं कि हमें अधिक लाभ हो। 1967–68 में लगभग 39 सरकारी उपक्रमों को लाभ हुआ और लगभग 28 को हानि हुई। कुल लाभ 48 करोड़ रुपये और कुल हानि 83 करोड़ रुपये थी। अतः शुद्ध हानि 35 करोड़ रुपये थी। इसमें से 38 करोड़ रुपये की हानि तो अकेले हिन्दुस्तान स्टील को ही हुई। यह एक बड़ी हानि प्रतीत होती है, परन्तु इस परियोजना की अपनी विशेष समस्याएं हैं। इसने हमारी अर्थव्यवस्था का आधार सुदृढ़ करने में विशेष कार्य किया है।

1967–68 में हिन्दुस्तान स्टील ने 31 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की। व्यापारिक उपक्रमों जैसे खनिज तथा धातु व्यापार निगम आदि को छोड़कर इतनी विदेशी मुद्रा किसी सरकारी उपक्रम ने नही कमायी।

Shri Om Prakash Tyagi : The units in private sector are making profit, but units in the public sector, which were set up about twenty years back, are running in loss. I want to know the amount spent by Government in other concerns in the shape of loans or grants and the return therefrom and the number of concerns which became insolvent ?

Shri P. C. Sethi : It has been told in the answer that it would have fetched Rs. 145 crores as interest. Government has received that, Apart from that these concerns have provided Rs. 121 crores for depreciation. I want to remind the hon. Member that Government earned Rs. 175 crores from these concerns by way of excise duty.

Shri Om Prakash Tyagi : I had asked about the loan advanced by Government to the private sector concerns.

श्री प्र० चं० सेठी : यह प्रश्न सरकारी क्षेत्र के बारे में है। गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये अलग से प्रश्न पूछा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 307 भी ऐसा ही प्रश्न है। यदि माननीय मंत्री उत्तर देने को तैयार हैं तो उसे भी ले लिया जाय।

सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण के बारे में जांच

+

*307. **श्री अब्दुल गनी दार :**
श्री कार्तिक उरांव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेषज्ञों की एक जांच समिति से सरकारी क्षेत्र में उन सभी उपक्रमों की जांच कराने का है जो लगातार घाटे में चल रहे हैं और जिनके कार्य में सुधार होने का कोई संकेत नहीं दिखाई देता है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) सरकारी उपक्रमों के कार्यचालन पर, उपक्रमों के प्रबन्धकों, सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों और सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा लगातार नजर रखी जाती हैं। नियंत्रक महा-लेखा-परीक्षक के अधीन नव-गठित लेखा परीक्षा बोर्ड भी, सरकारी उपक्रमों के कार्य का विस्तृत मूल्यांकन करते रहेंगे।

Shri Abdul Gani Dar : May I know the name of the concern whose machinery has become useless in which Government had invested crores of rupees ?

Shri P. C. Sethi ; If hon. Member asks about a specific concern, I can give information. So far as the enquiry is concerned, I have replied about that.

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTIONS

आयातित अशोधित तेल के मूल्य कम करना

अ०सू०प्र० 3. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री धीरेश्वर कालिता : **श्री क० लक्कप्पा :**

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में काम करने वाली सभी विदेशी तेल कम्पनियों के आयातित अशोधित तेल के अपने वर्तमान मूल्य कम करने के लिए सरकार के अनुरोध को मान लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो मूल्य कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं; अब तक केवल बर्मा शैल ही लाइट इरानियन कच्चे तेल का प्रति बैरल के मूल्य में चार सेन्टस की कमी करने के लिए सहमत हुई है। इस प्रकार प्रति बैरल का मूल्य 1.38 सैन्टस से 1.34 सैन्टस हो गया है।

(ख) सरकार लाइट इरानियन कच्चे तेल के मौजूदा मार्किट मूल्य-प्रति बैरल 1,28 सैन्टस के तदनुरूप, मूल्य कम करने के बारे में विदेशी तेल कम्पनियों को मनाने का विचार रखती है, इस बीच में सरकार ने जून, 1969 से विदेशी तेल कम्पनियों के विदेशी मुद्रा के मासिक आवंटन का 7½ प्रतिशत तक कम कर दिया है; जो विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा मई, 1969 तक वसूल किये गये 1.38 सैन्टस मूल्य तथा अब लागू 1.28 सैन्टस मूल्य के बीच पाये जाने वाले अन्तर के तदनुरूप है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आयातित कच्चे तेल पर हमें बहुत अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ती है—यह एक वर्ष में लगभग 109 करोड़ रुपये हैं—और सरकार विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा मूल्यों में कमी कराने में असफल रही है और जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य बहुत कम हो गये हैं, क्या सरकार गैर-सरकारी कम्पनियों के साथ समझौते में संशोधन करने का विचार करेगी अथवा कच्चे तेल के आयात का पूरा काम अपने हाथ में लेगी ?

श्री द० रा० चव्हाण : करार में संशोधन करना बहुत कठिन है। सरकार द्वारा पूरा काम अपने हाथ में लिया जाना भी कठिन है, क्योंकि इसका अर्थ होगा सरकार सप्लाई करने वालों से लेकर गैर-सरकारी तेल कम्पनियों को सप्लाई करे।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकार इन कम्पनियों के समक्ष विवश है, क्या वह कम से कम यह विचार करेगी कि गैर-सरकारी तेल कम्पनियों को कच्चे तेल के आयात के लिए दी जाने वाली विदेशी मुद्रा में कमी की जाये ?

श्री द० रा० चव्हाण : 7½ प्रतिशत की कमी पहले ही कर दी गई है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या करार में संशोधन किया जायेगा ? क्या उन्हें समझौते की जानकारी है ?

श्री द० रा० चव्हाण : करार 1951 में हुआ था। अब समझौतों में परिवर्तन करना बहुत कठिन है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : 1951 के करार में एक विशिष्ट उपबन्ध है। अब वर्ष 1969 है। कृपया सरकार से उत्तर दिलाने में हमारी सहायता करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न का उत्तर देना मंत्री महोदय का काम है, मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : विभिन्न साथों के साथ करार किसी निश्चित अवधि के लिए होते है जैसे 15 वर्ष, 20 वर्ष आदि । जब तक यह अवधि समाप्त न हो, हम उसमें परिवर्तन कैसे कर सकते हैं ?

श्री जि० मो० बिस्वास : आप ऐसा कर सकते हैं । सरकार को अधिकार है कि किसी करार के समाप्त होने से पहले ही उसे बदल सकती है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : आप 1951 में 15 वर्ष जोड़िये और देखिये कि कौन सा वर्ष बनता है । अब 1969 है ।

डा० त्रिगुण सेन : बर्माशैल, काल्टेक्स तथा अन्य समवायों के साथ करार 25 वर्षों के लिए किये गये थे और वे 1973 अथवा 1974 तक चलेंगे । हमें तब तक प्रतीक्षा करनी होगी ।

श्री धोरेश्वर कलिता : श्रीमान, इस सम्बन्ध में आसाम पर सब से अधिक बुरा प्रभाव पड़ा है । समूचा सदन जानता है कि सब से पहले तेल लगभग 60 वर्ष पूर्व आसाम में मिला था और पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई में लगाया गया था । वहां तेल मिलता तथा साफ होता है परन्तु हमें भारत में सब से अधिक महंगा तेल मिलता है । आसाम में मिट्टी के तेल तथा पेट्रोल आदि सभी माल के लिए अधिक राशि देनी पड़ती है । इसका कारण यह है कि भारत सरकार ने 1961 में एक करार किया था जिसे अनुपूरक करार कहा जाता है । बर्मा शैल कम्पनी के साथ किये गये इस करार के साथ हमारे अशोधित तेल का मूल्य फारस की खाड़ी के सिद्धान्त के अनुसार तय किया जाता है अर्थात बर्मा शैल कम्पनी अबादान में अशोधित तेल का मूल्य निर्धारित करेगी उस पर अबादान से बम्बई तक का समुद्री जहाज द्वारा किराया उतारने का खर्च, स्वामिस्व और बम्बई से कलकत्ता, कलकत्ता से गोहाटी तथा गोहाटी से डिगबोई तक का किराया शामिल करके मूल्य निर्धारित किया जायेगा । आसाम में मिलने वाले तेल का मूल्य भी अबादान के आधार पर लगाया जायेगा ।

इस सम्बन्ध में मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वह शीघ्र ही इस करार में संशोधन कर रही है अथवा नहीं । सरकार ने एस्सो, बर्मा शैल तथा कॉल्टैस के साथ यह करार किये थे । इन तीनों तेल शोधक कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता इस प्रकार है

		मी० टन
एस्सो	....	25 लाख मीट्रिक टन
बर्मा शैल	....	37 8 लाख ,,
कॉल्टैक्स	....	10.2 लाख ,,

अब वे कम्पनियां उत्पादन कम कर रही है । इसका कारण यह है कि सरकार इन विदेशी कम्पनियों से मांग कर रही है कि वे विश्व की मंडियों में अशोधित तेल के मूल्य स्वीकार करने के लिए सहमत हो जायें । हमारी सरकार 1.28 डालर की दर से खरीद रही है और

यह तीनों विदेशी कम्पनियां 1.36. डालर के हिसाब से मांग कर रही हैं। मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार वे केवल 4 सैंट तक मूल्य घटाने के लिए सहमत हुए हैं। सरकार उन्हें अशोधित तेल की बाजार दर स्वीकार करने के लिए बाध्य क्यों नहीं करती ?

श्री धीरेश्वर कलिता : क्या इसे देखते हुए सरकार राज्य व्यापार निगम के माध्यम से विदेशी तेल शोधक कारखानों को अशोधित तेल सप्लाई करने के लिए कार्यवाही करेगी।

डा० त्रिगुण सेन : माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि आयल इण्डिया के साथ 1961 में, एस्सो तथा अन्य समवायों के साथ 1951 में तथा कॉल्टैक्स के साथ 1953 में करार किये गये थे। कुछ के साथ करार 20 वर्षों के लिए थे तथा कुछ के साथ 15 वर्षों के लिए। यह अवधि पूरी होने में अभी कुछ समय बाकी है। हमने इन करारों में संशोधन करने के लिए कई प्रयत्न किये हैं परन्तु हम अभी इसमें सफल नहीं हुए हैं। वर्तमान परिस्थितियों के लिए उपयुक्त संशोधन कराने के लिए हम अब भी बातचीत कर रहे हैं।

इन गैर-सरकारी तेल कम्पनियों ने ऐसे समय में हमारी अर्थ-व्यवस्था के विकास में हमारी सहायता की है, जब भारत में तेल नहीं था। मैंने उनसे देश की अर्थ-व्यवस्था के अंग्रेतर विकास में भाग लेने का अनुरोध किया है परन्तु मैंने इस बात पर बल दिया है कि ऐसा योगदान उचित प्रतियोगिता के आधार पर होना चाहिये। हम स्थिति की जांच कर रहे हैं।

श्री धीरेश्वर कलिता : क्या सरकार राज्य व्यापार निगम के माध्यम से यह कार्य करने के लिए तैयार है ?

डा० त्रिगुण सेन : माननीय सदस्य यह नहीं जानते कि बड़ी कम्पनियों का विश्व में तेल के समूचे उत्पादन पर नियंत्रण है। अतः यह इतना सरल नहीं है। कोचीन रीफाइनरी ने एक विदेशी सार्थ के साथ कोचीन में किसी विशिष्ट तिथि तक 1.28 डालर की दर से अशोधित तेल की सप्लाई का करार किया था परन्तु बाद में वह समवाय पीछे हट गया। उन्होंने एक और अन्तर्राष्ट्रीय सार्थ के साथ एक और करार किया परन्तु वे भी मुकर गये। हमें वास्तविक स्थिति को समझना चाहिये। कुछ बड़े सार्थों का तेल के समूचे उत्पादन पर एकाधिकार है। आप विश्व की मण्डियों में जाकर तेल नहीं खरीद सकते.....

श्री क० लकप्पा : यह लज्जा की बात है कि भारत सरकार इन विदेशी तेल कम्पनियों के इशारों पर नाच रही है। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने 1951 के पुराने करारों को क्यों नहीं बदला ?

भारत सरकार खम्भात की खाड़ी में तट से दूर अशोधित तेल की खोज करने में समर्थ नहीं है। मंत्री महोदय ने यह भी उत्तर दिया है कि रूस को भी तकनीकी जानकारी नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि जहां तक अशोधित तेल का सम्बन्ध है, विश्व की तुलना में उसके निक्षेप कितने हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार अशोधित तेल का सीधा आयात क्यों नहीं

करती ताकि मूल्य कम हो ? क्या सरकार इस पृष्ठ भूमि में इसके पुनर्गठन के बारे में निर्णय करेगी ।

डा० त्रिगुण सेन : गैर-सरकारी तेल कम्पनियां 80 लाख मीटरिक टन तेल साफ कर रही थीं । जैसा कि श्री धीरेश्वर कलिता ने बताया है, पिछले कई वर्षों में हमारे पास आसाम के अतिरिक्त कहीं भी अशोधित तेल नहीं था । अब हम सरकारी क्षेत्र में साझे उपक्रमों में 94 लाख मीट्रिक टन तेल साफ करते हैं अर्थात् गैर–सरकारी क्षेत्र से अधिक तेल साफ करते हैं । अशोधित तेल का अधिक उत्पादन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की बड़ी सफलता है, हम अधिक खोज का प्रयत्न कर रहे हैं, हमने बम्बई में तट से दूर तथा भूमि पर भी खुदाई के लिए कार्यवाही की है । हमारे प्रयत्नों में ढील नहीं है ।

अन्य साधनों से तेल खरीदना सम्भव नहीं है, वास्तव में एक कम्पनी कई लाख टन अशोधित तेल सस्ती दर पर देने के लिए सहमत हो गई थी, परन्तु जैसा कि मैंने बताया है, बाद में पीछे हट गये । इसी प्रकार कोचीन तेल शोधक कारखाने के साथ हुए दो करारों के सम्बन्ध में भी वे पीछे हटे हैं । उन परिस्थितियों में हमारे लिए मार्ण्डयों में जा कर अशोधित तेल सस्ती दर पर खरीदना सम्भव नहीं है । केवल उन गैर–सरकारी सार्थों के साथ मूल्य कम करने के लिए बातचीत करना सम्भव है । जब हमने देखा है कि वे मूल्य कम करना नहीं चाहते तो हमने विदेशी मुद्रा की मात्रा में 7½ प्रतिशत कमी कर दी । यह राशि उनके द्वारा लिये जाने वाले अशोधित तेल के मूल्य (एक डालर 38 सैंट) तथा वर्तमान मूल्य, जिसके पर्याप्त प्रमाण हैं (1 डालर 28 सैंट) में अन्तर जितनी है । इसकी बजाय उन्होंने मात्रा $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम कर दी । हम स्थिति की जांच कर रहे हैं और हमें आशा है कि हम सफल होंगे ।

श्री रा० बरुआ : करार अधिक अवधि के लिए थे । अतः इसमें कमी करना सम्भव नहीं था । परन्तु जहां तक विदेशी तेल शोधक कारखानों का सम्बन्ध है, उन्हें पहले सीमित मात्रा में तेल साफ करने के लिए कहा गया था । बाद में उनकी क्षमता बढ़ा दी गई । जब पहले करार पर हस्ताक्षर किये गये थे तो बढी हुई मात्रा अथवा क्षमता को ध्यान में नहीं रखा गया था । अतः बढ़ी हुई क्षमता के बारे में अशोधित तेल का मूल्य कम करने में अब क्या कठिनाई है ?

डा० त्रिगुण सेन : हम तेल का सम्भरण करने वाले नहीं है । हम मूल्य कैसे कम कर सकते है, हम विदेशी मुद्रा का आवंटन कम कर सकते हैं, परन्तु हमें देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता को देखना होगा । हम इसे कम कर के अपना गला नहीं काट सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि बाद में बढ़ाई गई क्षमता को ध्यान में रखते हुए क्या यह सम्भव नहीं कि मूल्य कम करने के लिए उन पर दबाव डाला जाये ।

डा० त्रिगुण सेन : हमारा जो कार्यवाही करने अथवा तरीके अपनाने का हमारा विचार है, उन्हें मैं बताना नहीं चाहता । परन्तु जैसा कि मैंने कहा है, हम स्थिति की जांच कर रहे हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The prices of crude oil are coming down every where. The Minister has just now told that he is trying to get the agreement revised. I would like to know the items which are sought to be revised and what is the reply of the oil companies.

We are importing crude worth 150 crores every year but the question of Cambay offshore drilling has been pending before the Cabinet for last two years. I would like to know when that matter will be settled so that the country can become self-reliant in this respect ?

डा० त्रिगुण सेन : हम अशोधित तेल के मूल्य कम करवाने का प्रयत्न कर रहे है, हम इसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए करार में परिवर्तन कराने का भी प्रयत्न कर रहे हैं । विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए आयात पर व्यय कम कराने का भी प्रयत्न किया जा रहा है ।

गहरे समुद्र में तेल की खुदाई के बारे में हमने एक ब्रिटिश सार्थ को सलाहकार नियुक्त किया था । वह इस महिने में अपना प्रतिवेदन देगा । हमें आशा है कि दिसम्बर तक हम निर्णय कर सकेंगे ।

श्री वेदव्रत बरुआ : केन्द्रीय सरकार द्वारा आसाम में केवल एक छोटा सा तेल शोधक कारखाना खोले जाने के अतिरिक्त और कोई तेल शोधक कारखाना खोलने से इन्कार किये जाने पर हमें कई तर्क दिये गये थे । एक तर्क यह दिया गया था कि गोहाटी तेल शोधक कारखाना इतना लाभप्रद नहीं है जितना अन्य तेल शोधक कारखाने, परन्तु गोहाटी तेल शोधक कारखाने के लाभ के प्रश्न की जांच केवल अशोधित तेल के मूल्य के सम्बन्ध में की जानी चाहिये । क्या यह सच नहीं है कि गोहाटी तेल शोधक कारखाने को अन्य कारखानों की तुलना में इण्डियन आयल कम्पनी में बहुत अधिक मूल्य पर अशोधित तेल खरीदना पड़ता है ?

क्या यह सच नहीं है कि इण्डियन आयल कम्पनी को अधिक मूल्य देकर हम अपनी आय का एक बड़ा भाग विदेशी कम्पनियों को लाभ के रूप में दे रहे हैं क्योंकि इन्डियन आयल कम्पनी के 50 प्रतिशत लाभ एक विदेशी कम्पनी को जाते हैं । मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि अशोधित तेल आदि के मूल्यों की जांच करने वाली समिति का क्या हुआ ? क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है ?

डा० त्रिगुण सेन : इन मांगों को पूरा करने के लिए और यदि आवश्यक हुआ तो इन गैर-सरकारी तेल शोधक कारखानों को अशोधित तेल की सप्लाई कम करने के लिए हमने गोहाटी, बरौनी तथा कोयली तेल शोधक कारखानों का विस्तार करने का निर्णय किया हैं । कुछ वर्ष पूर्व हमने हल्दिया में एक और तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिए करार किया था, यह ठीक नहीं है कि हम गोहाटी तेल शोधक कारखाने का विस्तार नहीं कर रहे है ।

आसाम में दूसरा तेल शोधक कारखाना स्थापित करने की सम्भावना पर विचार करने के लिए स्थापित की गई समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए दो महिने का समय दिया गया है और 2 सितम्बर तक हमें उसका प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा । परन्तु मैं माननीय सदस्य

को विश्वास दिलाता हूं कि हम कुछ न कुछ करेंगे ताकि आसाम के लोग यह न समझें कि उनकी उपेक्षा की गई हैं।

श्री हेम बरुआ : मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप निष्पक्ष नहीं है। मै अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए कई बार खड़ा हुआ हूँ परन्तु आपने मुझे समय नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का क्षेत्र सीमित था। निष्पक्षता का प्रश्न उठाना आपके लिए उचित नहीं है।

श्री सु० कु० तापड़िया : हमारी भी यही शिकायत है।

श्री म० कुण्डु : आपने मुझे खड़े देखा, परन्तु प्रश्न पूछने का अवसर नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब ध्यान दिलाने वाला प्रस्ताव लिया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उतर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

खनिज उत्पादन बढ़ाने का कार्यक्रम

*305 **श्री सु० कु० तापडिया :**
श्री भोलानाथ मास्टर :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में प्रत्येक राज्य में (मैसूर को छोड़ कर) पृथक-पृथक् कुल कितना खनिज उत्पादन हुआ;

(ख) गत तीन वर्षों की तुलना में यह उत्पादन कितना है;

(ग) क्या देश में और विशेषत: राजस्थान राज्य में खनिज का उत्पादन बढ़ाने के बारे में कोई विशेष कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) (क) और (ख) . 1965 से 1968 वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में (मैसूर के अतिरिक्त) खनिज उत्पादन का तुलनात्मक मूल्य दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है। 1968 वर्ष के लिये छोटे खनिजों के संबंध में आधार सामग्री अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) . चौथी योजना के प्रारुप में सम्मिलित देश में, राजस्थान राज्य सहित, खनिज विकास के लिये योजनाएं दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1492/69]

राजस्थान में उर्वरक कारखाना

*306. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में उर्वरक के लिये पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार का विचार राजस्थान में एक सरकारी क्षेत्र में कारखाना खोलने का है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र में ऐसा एक कारखाना खोलने हेतु लाइसेंस देने का है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) (क) से (ग) . सरकार द्वारा नियुक्त एक कार्यकारी दल ने, अब तक उपलब्ध जिले के आधार पर, राजस्थान के एक फास्फेट तथा पाइराइट निक्षेपों पर आधारित एक उर्वरक समूह की स्थापना की संभावना व्यक्त की है। निक्षेपों का व्यापारिक सुमुपयोजन शुरू हो जाने के बाद, ऐसे समूह के सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

(घ) ऐसे उर्वरक कारखाने को गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने हेतु लाइसेंस देने का सरकार का इस समय विचार नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय

*308. श्री रा० कृ० सिंह :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसे कहां स्थापित करने की सम्भावना है;

(ग) क्या उसे फैजाबाद में स्थापित करने के सुझाव पर विचार किया जायेगा; और

(घ) क्या किसी अन्य राज्य सरकार ने भी ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में केन्द्रीय सरकार से कहा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ है ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार का विचार आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ मे करने का है ।

(ग) स्थान के बारे में निर्णय करना सम्बन्धित राज्य सरकार का काम है ।

(घ) जी नहीं ।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई

*309. **श्री झा० सुन्दरलाल :** **श्री बलराज मधोक :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा : **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
श्री तेन्नेटि विश्वनाथन : **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में गन्दी बस्तियों को हटाने तथा उनके लिये तैयार किये गये स्थायी स्थान पर झुग्गियों को ले जाने का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि झुग्गियों को हटा कर दूसरे स्थान पर ले जाने में विलम्ब होने से झुग्गी वासियों को परेशानी होगी क्योंकि उन्हें शहर से और अधिक दूर भूमि दी जायेगी जबकि पुनर्वास के लिये झुग्गियों को हटाने के काम को प्राथमिकता मिलनी चाहिये ;

(ग) क्या हटाई जाने वाली झुग्गी बस्तियों की प्राथमिकता क्रम के अनुसार कोई सूची है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) उपलब्ध साधनों के अन्दर, गन्दी बस्ती हटाने और झुग्गियों को उठाने का काम, सन्तोषपूर्ण ढंग से चल रहा है, यद्यपि यह समय-सारणी के अनुसार नहीं हो रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) तथा (घ) . जिन क्षेत्रों को खाली कराया जाना है उनकी प्रस्तावित सूची सभा पटल पर रखी है । हटाये जाने के लिए प्राथमिकता का निर्णय, उप-राज्यपाल द्वारा उचित

गैर सरकारी परामर्श से और इस बात का ध्यान रख कर, कि खाली करवाया गया स्थान जिस विभाग का है, उसे विकास के उद्देश्य के लिए इस की आवश्यकता है, किया जाता है ।

सूची

क्रम संख्या	क्षेत्र
1.	गुलाबी बाग
2.	शक्ति नगर-कमला नगर-रोशनआरा रोड़
3.	चन्द्रावल पहाड़ी
4.	'सी' पावर स्टेशन
5.	राजघाट पावर स्टेशन
6.	लाजपत नगर । दुर्गा कालोनी आदि
7.	किलोकरी सनलाइट कालोनी, श्रीनिवासपुरी
8.	करमपुरा
9.	सराय रोहिल्ला
10.	कदम शरीफ । नाई वाला
11.	दक्षिणी रिज, मन्दिर मार्ग
12.	मिन्टो ब्रिज रेलवे स्टेशन
13.	विनय मार्ग, अलीगंज, कर्बला
14.	कोटला मुबारकपुर तथा इसके आस पास का क्षेत्र ।
15.	नजफगढ़ रोड़
16.	मोती बाग
17.	बाग रावजी । बस्ती रेहगड़
18.	सदर बाजार
19.	शंकर रोड पूसा इन्स्टीट्यूट
20.	तिहाड़

पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के पुत्र से सम्बन्धित आय-कर के कागजात का गुम होना

*310. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री जयसिंह ।
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के पुत्र के आय कर सम्बन्धी मामलों की फाइलें 7 मई 1969 को न्यायालय के कमरे से चुरा ली गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो इस चोरी के लिए कौन व्यक्ति जुम्मेदार थे ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के पुत्र पर कितना आय-कर बकाया है और उसके विरुद्ध कब से ये मामले चल रहे हैं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। श्री सुरिन्दर सिंह कैरों के खिलाफ इस्तगासे के मामले में सत्र न्यायाधीश चंडीगढ़ की अदालत में पेश किये गये कुछ दस्तावेज 7 मई 1969 की रात को अदालत के कमरे से चोरी चले गये।

(ख) और (ग). दस्तावेजों की चोरी के मामले में पुलिस की जांच-पड़ताल चल रही है। श्री सुरिन्दरसिंह कैरों को गिरफ्तार किया था और उससे पूछ-ताछ की गयी। चोरी के लिये अभी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सका है।

श्री सुरिन्दरसिंह कैरों के खिलाफ 1955-56 से 1964-65 तक के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में आय-कर निर्धारण की कार्यवाही 10-3-1965 को पूरी हो चुकी थी। उक्त कर-निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में दण्ड लगाने की कार्यवाही भी की गयी है और दण्ड लगाये गये हैं। कर-निर्धारण वर्ष 1962-63 और 1963-64 के सम्बन्ध में 27-7-1966 को इस्तगासा भी दायर किया गया था। ये मामले सत्र न्यायाधीश चण्डीगढ़ के यहां चल रहे हैं।

फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में सुपर फासफेट तथा सलफरिक एसिड के उत्पादन में कमी

*311. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड में वर्ष 1967-68 में सुपर फासफेट तथा सलफारिक एसिड़ के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में भारी कमी हुई हैं ;

(ख) वर्ष 1968-69 में उसका उत्पादन कितना रहा ;

(ग) उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं ; और

(घ) उत्पादन के दोषों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) यद्यपि सुपरफास्फेट के उत्पादन में भारी कमी हुई थी, किन्तु सलफ्यूरिक एसिड के उत्पादन में केवल सीमान्त कमी थी।

		मीटरिक टन
(ख)	सुपरफास्फेट	28338
	सल्फ्यूरिक एसिड	134981

(ग) मांग में कमी हो जाने के कारण सुपरफास्फेट का उत्पादन कम कर दिया था। सलफ्यूरिक एसिड की सीमान्त कमी कुछ हद तक कुछ महीनों में सल्फर की कमी के कारण हुई थी।

(घ) विभिन्न समितियां तथा अन्य व्यक्तियों ने कम्पनी के कार्यकरण की जांच की है और संयंत्र की परिचालन कार्यकुशलता एवं कम्पनी के कार्यकरण में सुधार लाने के लिये उनके सुझावों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

अनुसूचित बैंकों पर शाखायें खोलने पर प्रतिबन्ध

*312. **श्री क० लकप्पा :**
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों की शाखाएं खोलने पर पाबन्दी लगा रखी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस पाबन्दी के कारण देश में 444 ऐसे नगर हैं, जहां पर कोई बैंकिंग सुविधाएं नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो नगरों में बैंकिंग सुविधाओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). यह बात सही नहीं है कि ऐसे बहुत से शहरों में, जहां इस समय बैंकिंग सुविधाएं नहीं हैं, ये सुविधायें न होने का कारण नयी शाखाएं खोलने पर रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध है। इसके विपरीत, रिजर्व बैंक इस बात पर जोर देता रहा है कि जिन शहरों में इस समय बैंक नहीं है उनमें बैंकों की शाखाएं खोली जाये।

(ग) कुछ दिन पहले भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के पास ऐसे 100 शहरों की सूची भेजी गयी थी जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 10,000 या उससे अधिक है और वाणिज्यिक बैंकों से यह आशा की जाती है कि वे इन केन्द्रों में अगले वर्ष के अन्त तक अपनी शाखाएं खोलेंगे। इसी उद्देश्य से, अपर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं वाले राज्यों के 197 शहरों की (जिनमें से प्रत्येक की जन संख्या 10,000 से कम है) एक अन्य सूची भी वाणिज्यिक बैंकों के पास भेजी गयी है।

बड़े-बड़े वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्यों में एक उद्देश्य यह भी है कि बैंकिंग सुविधाओं का ज्यादा विस्तार किया जाये।

एण्टीबायटिक्स फैक्टरी, ऋषिकेष के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*313. श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री मणि भाई जे० पटेल :
श्री प० मु० सईद :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 मई, 1969 को ऋषिकेश स्थित एन्टीबायटिक्स फैक्टरी के कर्मचारियों ने दंगाफिसाद किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने फैक्टरी की इमारत को कुछ नुकसान पहुंचाया था और अधिकारियों को उनके निवास स्थान पर मारा पीटा था ;

(ग) यदि हां, तो कारखाने की कितनी हानि होने का अनुमान है ;

(घ) दंगा फसाद करने के क्या कारण हैं ;

(ङ) कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(च) क्या सरकार का विचार सुरक्षा बल को बढ़ाने और गुण्डागर्दी करने वालों को नियंत्रण में रखने का है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) . जी हां। अधिकारियों को उनके कार्यालयों में मैनहंडल करने की शिकायतें मिली है।

(ग) हानि का अनुमान निम्न प्रकार हैं ;

(1) प्रोसेस में सामग्री की हानि के फलस्वरूप 5 लाख रुपये,

(2) कार्यकारी दिनों की हानि के रूप में 15 लाख रुपये ; और

(3) इनके अलावा भवनों तथा सम्पत्तियों की भी 20,000 रुपये की हानि।

(घ) और (ङ) . हड़ताल अचानक की गई जिसके लिए कोई कारण नहीं दिये गये। किन्तु कथित कदाचार के लिये एक बस क्लीनर की सेवाओं की मुअत्तली, अवैध हड़ताल तथा दंगा फसाद का कारण प्रतीत होता है। कर्मचारियों की मांग और उनकी शिकायतें दूर करने का प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही कर रही है।

Implementation of Recommendations of Delhi Hospitals Review Committee

*314. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to refer to Unstarred Question No. 6957 on the 21st April, 1969 and state :

(a) whether the decisions of Government have since been announced in respect of more than 200 recommendations made by the Delhi Hospitals Review Committee which have already been examined ; and

(b) if so, whether a copy of the decisions will be laid on the Table of the House ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) . A statement is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Library. See No. LT. 1494/69]**

मैसर्स हिन्द गलैवनाइजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड के साथ व्यापार करने में भारतीय तेल निगम को हानि

*315. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री 31 मार्च, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 790 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स हिन्द गलैवनाइजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी के साथ व्यापार में भारतीय तेल निगम को बहुत हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं और इस फर्म पर ऐसी रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है कि भविष्य में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से इस फर्म को कोई क्रयादेश न दिये जाये ;

(ग) क्या भारतीय तेल निगम ने अपने शेष क्रयादेश को क्रियान्वित करने के लिये मैसर्स हिन्द गेलवनाइजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को इस्पात की और चादरें सप्लाई की हैं ;

(घ) यदि हां, तो जब भारतीय तेल निगम के लिए उनको इस्पात की चा रें सप्लाई करना अनिवार्य नहीं था तो इस फर्म पर जोर क्यों नहीं दिया गया था कि शेष ड्रम इस्पात की चादरों के अपने कोटे में से सप्लाई करें ; और

(ङ) क्या इससे यह पता चलता है कि इस फर्म के इस प्रकार के व्यवहार के बावजूद भारतीय तेल निगम अनुचित रूप से उसका पक्ष ले रहा है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) . अनुमान समिति (एस्टीमेटस कमेटी) ने मामले की जांच की है और उनके विचार छियासीवीं रिपोर्ट (चौथी लोक सभा) में विद्यमान हैं, जिनको सरकार निरीक्षण कर रही है ।

(ग) जी हां ।

(घ) और (ङ) . भारतीय तेल निगम द्वारा इस्पात की सप्लाई, सम्मरण-आदेश (सप्लाई आर्डर) के ढांचे के अन्तर्गत थी । इस बात का ध्यान न देते हुए कि निर्माता इस्पात को अपने आप प्राप्त करता है या भारतीय तेल निगम उसे सप्लाई करता है ; इस्पात का मूल्य

वास्तविक आधार पर भारतीय तेल निगम के खाते में शामिल होता है। अतः यह विशेष सप्लाई निर्माता के लिये पक्षपात नहीं समझी जा सकती।

गोयनका की फर्मों को जीवन बीमा निगम के शेयरों की बिक्री

*316. **श्री ओंकार सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोयनका की फर्मों को जीवन बीमा निगम के शेयरों की बिक्री के बारे में जांच करने का आदेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह जांच किसके द्वारा की जा रही है ;

(ग) क्या जांच पूरी हो गई है, यदि नहीं, तो जांच की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इसके प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, नहीं।

(ख), (ग) और (घ) . ये सवाल नहीं उठते।

जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों द्वारा त्यागपत्र

*317. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 8,000 विकास अधिकारियों ने जीवन बीमा निगम को अपने त्याग-पत्र दे दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सामूहिक त्याग-पत्र के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) . ये सवाल नहीं उठते।

Licences for Sale of Kerosene Oil

*318. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Civil Supply Department issues licences for the sale of Kerosene Oil to such persons who do not possess a licence for the sale of kerosene oil under Section 121 of the Delhi Municipal Corporation Act, and under the authority of the New Delhi Municipal Committee ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) For the grant of licence for Kerosene Oil by the

Civil Supply Department of the Delhi Administration, holding of a licence from the Delhi Municipal Corporation or the New Delhi Municipal Committee is not a prerequisite.

(b) It is not considered expedient to impose such a restriction.

पेन्शन भोगी सरकारी कर्मचारियों को राहत

*319. श्री हेमराज :
श्री न० रा० देवघरे :

क्या वित्त मन्त्री 24 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 913 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच पहले सेवा-निवृत्त हुए सरकारी पेन्शन भोगी लोगों को तदर्थ राहत देने के प्रश्न पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : याचिकाओं विषयक समिति की पेन्शन भोगियों को एतदर्थ राहत देने की तथा अन्य सिफारिशों की जांच के परिणाम लोक सभा सचिवालय को भेजे गये इस मन्त्रालय के दिनांक 9 जुलाई 1969 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(5)ई०/68 में दिये गये हैं, जिसकी प्रति सलग्न हैं । [पुस्तकालय रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1459/69] फिर भी, सरकार इस मामले पर, उपलब्ध साधनों के अनुरूप, अत्यन्त सहानुभूति पूर्ण विचार करेगी ।

आयकर के मामलों का गलत निर्धारण

*320. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि आयकर अधिकारियों की असावधानी, उपेक्षा तथा आयकर के निर्धारण में कर की उचित दर लागू करने में उनकी असफलता के कारण भूल-चूक के मामलों में गत चार वर्षों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है ; जैसाकि 1965 और 1969 के प्रतिवेदनों (राजस्व प्राप्ति) में बताया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा आयकर अधिकारियों को ऐसी असावधानी तथा उपेक्षा के लिये चेतावनी देने के लिये आयकर विभाग को क्या अनुदेश जारी किये गये हैं ; और ऐसे कार्य के लिए किन दांडिक उपायों की व्यवस्था की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) जी हां । लेखा परीक्षा रिपोर्ट 1965 से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में, आय-कर प्राधिकारियों की लापरवाही उपेक्षा तथा कर की सही दर लगाने में चूक के कारण जिन मामलों में भूल-चूक हुई थी, उनकी संख्या 1786 है ;

और लेखा परीक्षा रिपोर्ट 1969 से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में उनकी संख्या 2650 थी। भूलचूक के मामलों की संख्या में यह वृद्धि होते हुए भी, कर निर्धारण के मामलों की संख्या में हुई वृद्धि के प्रति भूल-चूक के मामलों के प्रतिशत अनुपात में दरअसल कमी ही आई है। यह अनुपात .120 प्रतिशत से घटकर .104 प्रतिशत हो गया है। बीच के तीन वर्षों में भूल-चूक से होने वाले मामलों की संख्या 1059, 1455 और 2612 थी और उनके सम्बन्ध में प्रतिशत अनुपात क्रमशः .058, .061 और .108 प्रतिशत था।

(ख) लेखा परीक्षा में उल्लिखित किस्म की लापरवाही और उपेक्षा आयन्दा नहीं होने देने के बारे में, विभाग के अधिकारियों को जनवरी और जून 1967 में आदेश जारी करके सावधान किया गया था। विभाग के कर्मचारियों द्वारा ऐसी गलतियां होने पर, गम्भीर गलतियों के मामलों में उन्हें दण्ड देने के अतिरिक्त, वे गलतियां उनके नाम के सामने दर्ज की जाती है और उनकी वार्षिक गोपनीय चरित्र पंजी लिखते समय उनका समुचित ध्यान रखा जाता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अस्पताल में पड़े हुए व्यक्तियों को योगदान

*321. **श्री लोबो प्रभु :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औषधालयों की तुलना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपस्थिति का मूल्यांकन क्या है और यदि उपस्थिति कम होने का कारण उन केन्द्रों में बीमार पड़े हुए लोगों के लिए आहार की व्यवस्था न होना है तो क्या सरकार का विचार कुछ प्रतिनिधि केन्द्रों में आहर की व्यवस्था करके एक नया प्रयोग करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1965 और 1966 में किये गये अध्ययनों से पता चलता है कि प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दैनिक औसतन उपस्थिति 100 से 150 तक थी। औषधालयों में दैनिक उपस्थिति के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अतः इस विषय में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों के तुलनात्मक मूल्यांकन के लिये कोई आधार नहीं है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केवल चिकित्सीय देख-रेख ही नहीं करते किन्तु निरोधक स्वास्थ्य सेवायें, मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सम्बन्धी सेवाएं भी प्रदान करते हैं। दूसरी ओर औषधालयों की गतिविधियां रोगियों की देख-भाल तक ही सीमित हैं। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में औसतन चार से दस तक पलंग होते हैं और अधिकतर राज्यों में इन पलंगों पर जिन रोगियों का उपचार किया जाता है उन्हें भोजन देने की व्यवस्था नहीं है। ये पलंग अधिकतर प्रसूति एवं आपतकालीन मामलों के लिये हैं और न कि नियमित अस्पताली उपचार के लिए। अस्पताली उपचार के लिये रोगियों को जिला या तालूका स्तर के अस्पतालों में भेजा जाता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मुफ्त आहार की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार करना राज्य सरकारों का काम है ।

भाखड़ा और गोविन्द सागर स्थानों से बेदखल किये गये लोगों का पुनर्वास

*322. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा और गोविन्द सागर स्थानों से बेदखल किये गये उन लोगों की संख्या कितनी है जो 15 वर्ष पूर्व विस्थापित किये गये थे और जिनका अभी तक समुचित ढंग से पुनर्वास नहीं किया गया ;

(ख) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत बिलासपुर और इसके आस-पास के क्षेत्रों से उठाये गये लोगों का पुनर्वास किया जायेगा ; और यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन उठाये गये लोगों के पुनर्वास की समूची योजना क्या है और उन योजनाओं के कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (श्री कु० ल० राव) : (क) से (ग) . भाखड़ा तथा गोविन्द सागर के लगभग सभी विस्थापितों को फिर से बसा दिया गया है। किन्तु भूमिहीन काश्तकारों के कुछ मामले ऐसे हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा कांगड़ा जिले में अभी अलाटमेंट की जानी है । भूमिहीन काश्तकारों को उतनी भूमि दी जाती है जितना 1957 की खरीफ में उनका पट्टे का क्षेत्र वास्तव में डूब गया था, किन्तु किसी एक काश्तकार को 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं दी जाती ।

Printing Capacity of Government Presses for Hindi Publications

***323 Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :**

(a) whether any fresh decisions have been taken to increase the printing capacity of Government presses so as to make adequate arrangements for the printing of Hindi publications;

(b) if so, the time by which the same will be implemented; and

(c) whether it is also a fact that Printing of some important publications of various Departments has been held up for want of required capacity in the Government presses ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir. These are as follows :

(i) the introduction of a full second shift at the Government of India Press, Faridabad ;

(ii) the setting up of a Reprographic unit; and

(iii) the setting up of an offset unit at the Government of India Press, Faridabad. The full commissioning of the Ring Road Press, which has already been started up, will add to the available capacity.

(b) Implementation of (i) and (ii) in part (a) will be completed during the current financial year; (iii) will take two years more.

(c) Delay in the printing of Hindi jobs sometimes occurs because of the inadequate capacity in the Government presses and the need to divert some jobs to private presses.

दिल्ली के अस्पतालों की नर्सों की सेवायें तथा रहन सहन की दशा

*324. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली संघ राज्य के अस्पतालों में काम करने वाली नर्सों की दशा बड़ी दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी सेवा की शर्तों और रहने की दशा को सुधारने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) उस योजना को क्रियान्वित करने में कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) . ऐसा नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली संघ राज्य के अस्पतालों में काम करने वाली नर्सों की दशा बड़ी दयनीय है। फिर भी सरकार ने उनकी काम करने और रहन सहन की दशा में सुधार करने के लिये समय समय पर कदम उठाये हैं। 1967 में नर्सों के काम करने के घण्टों को विनियमित किया गया और प्रति सप्ताह 48 घण्टे रखे गये। पहली अप्रैल, 1969 से महगाई भत्ते, नगर प्रतिकर भत्ते और भोजन भत्ते की दरों में उनके हित में संशोधन किया गया है। विलिंग्डन अस्पताल में नर्सिग कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है।

प्रधान मंत्री द्वारा घोषित सम्पत्ति

*325. **श्री मधु लिमये :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीमती इन्दिरा गांधी के, स्वामित्वाधीन इलाहाबाद स्थित नेहरू भवन का सम्पत्ति कर लगाने की दृष्टि से पुनः मूल्यांकन किया गया है;

(ख) सम्पत्ति कर सम्बन्धी अपने विवरण में लगभग 20,000 रुपये के आभूषणों के लिये कर से छूट मांगने के लिये गलत तरीका अपनाने के कारण क्या प्रधान मंत्री के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इन आभूषणों के स्रोत बताने का कारण यह था कि 1962 में तत्कालीन प्रधान मंत्री ने इस आशय का स्पष्ट और बहुप्रचारित वक्तव्य दिया था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने आभूषण और सोना राष्ट्र को दान कर दिया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) इलाहाबाद में प्रधान मंत्री के घर का मूल्य धनकर अधिकारियों द्वारा 1965-66 से 1968-69 तक के प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष में सम रुप से 1,75,000 रुपये आंका जाता रहा है। धन कर अधिकारियों ने ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं पायी हैं जिनके कारण फिर से मूल्यांकन करना जरूरी हो।

(ख) धनकर अधिनियम की धारा 5 (I) (XV) के अन्तर्गत 25,000 रूपये मूल्य तक के गहनों पर कर-निर्धारण वर्ष 1962-63 तक धन कर से छूट मिली हुई थी। वित्त अधिनियम 1963 के द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 1963-64 से यह छूट समाप्त कर दी गयी। कर-निर्धारण वर्ष 1964-64 से 1965-66 तक के संबध में धन-कर की विवरणियां प्रस्तुत करते समय प्रधान मंत्री ने सोने के गहनों तथा जवाहरातों का पूरा मूल्य तो दिखाया था लेकिन ऐसा करने में धारा 5 (I) (XV) के अन्तर्गत छूट के रूप में, 25,000 रूपये की रकम की कटौती करने के बाद केवल कर लगने योग्य शुद्ध मूल्य दिखाया था। भूल इस वजह से हुई कि धन-कर अधिकारियों ने उन्हें जो फार्म दिये थे वे पुराने फार्म थे जिनमें वित्त अधिनियम 1963 के पास होने के बाद किये गये संशोधन शामिल नहीं थे, तथा उन (पुराने फार्मों) में तब भी यह संकेत था कि सोने के गहनों तथा जवाहरातों के सकल मूल्य में से 25,000 रूपये की रकम कटौती योग्य थी। इस पर भी तथ्य यह है कि वास्तव में इस प्रकार की कटौती का कोई लाभ नहीं उठाया गया। साधारणतया इस प्रकार की भूल को गंभीर दृष्टि से नहीं लिया जाता, सिवाय इसके कि कर लगाने के प्रयोजन के लिए कटौती की गयी रकम को शुद्ध धन में जोड़ दिया जाता है। विवरणी में दिखाया गया धन, कर लगाने के लिए निर्धारित शुद्ध धन के 20 प्रतिशत से अधिक कम नहीं पड़ता था इसलिए जिन कर निर्धारण वर्षों 1964-65 तथा 1965-66 के संबंध में धारा 18 (I) का स्पष्टीकरण लागू हो सकता था उसके अन्तर्गत फिर भी कोई दण्ड लगने योग्य नहीं था।

(ग) वर्षों से जिस जरिये से गहने उनके पास रहते आये हैं उसके बारे में कोई सन्देह नहीं है। नवम्बर 1962 में चीन के आक्रमण के समय प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रयास के निमित्त स्वर्ण दान की अपील पर सोने के अपने लगभग सभी गहने दान कर दिये थे। परन्तु परवर्ती कर-निर्धारण वर्षों के संबन्ध में दायर की गई धन-कर की विवरणी में शामिल गहनों तथा जवाहरातों के विवरण में से प्रधान मंत्री सोने के उन गहनों का मूल्य घटाना भूल गई जो उन्होंने दान कर दिये थे।

Change in approach regarding Fertilizer Technique

***326. Shri Maharaj Singh Bharti** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the change in the approach of Government as a result of the study of the Coal-based Fertilizer technique by a team of experts, which had recently gone to Europe for the purpose; and

(b) whether there will be dependence on foreign assistance for adopting this technique or our Research and Development Department, Sindri will be able to adopt it without any foreign assistance ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) As a result of the study made by a team of experts during the visit to Europe, the Government have decided in principle to encourage the establishment of coal-based fertilizer plants.

(b) The Planning & Development Division will have to acquire knowhow in regard to some parts of the coal-based technology particularly gasification of coal and purification of raw gas. Once this know-how is acquired the Division will be in a position to design and engineer the coal based plants.

भारतीय उर्वरक निगम के सिंदरी कारखाने का असंतोषजनक कार्य

*327. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के सिन्दरी कारखाने में 1967-68 में असंतोषजनक कार्य रहने के क्या कारण थे,

(ख) वर्ष 1966-67 में लाभ 1,07,93,306 रूपये था और 1967-68 में कम होकर 24,49,678 रूपये हो जाने के कारण क्या इसका उत्तरदायित्व प्रबन्धकों पर डालने के लिये जांच-पड़ताल की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले है;

(घ) यदि नहीं, तो इतने बड़े मामले की इस प्रकार उपेक्षा की जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या 1968-69 में कारखाने के कार्य में सुधार हुआ है और यदि हां, तो किस प्रकार ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) 1967-68 में, सिन्दरी कारखाने के उत्पादन में गिरावट होने के निम्नलिखित कारण थे :-

(1) जिप्सम की गुणावस्था में ह्रास तथा मिट्टी की प्रतिशतता में वृद्धि;

(2) रेल परिवहन की कठिनाइयों तथा वैगनों की अनुपलब्धि, विशेष रूप से जिप्सम के लिये बन्द डिब्बे;

(3) भारी वर्षा और इसलिये, मिट्टी युक्त जिप्सम में बहुत नमी हो जाना;

(4) निम्नलिखित कारणों से कारखाना बन्द किया जाना :—

(क) सितम्बर, 1967 में 12 दिनों की हड़ताल, और

(ख) 17 वर्ष पुराने संयंत्र की देखभाल सम्बन्धी जरूरतों में वृद्धि ।

(ख) मुनाफे में कमी, उत्पादन में गिरावट (जिसका जिक्र ऊपर किया गया है) तथा मूल कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण हुई थी। इन हालात में, किसी व्यक्ति पर उत्तरदायित्व डालने के लिये कोई जांच करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) . प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) 1968-69 में सिन्दरी के कार्यकरण में कुछ सुधार हुआ है। 1968-69 में 75,757 मीटरी टन नाइट्रोजन का उत्पादन हुआ था जब कि 1967-68 में 74 068 मीटरी टन हुआ था।

Life Insurance Corporation's Investment in Companies

*328 **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints that certain companies are favoured by certain officers of the Life Insurance Corporation in the matter of investments; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance, (**Shri Jagannath Pahadia**) : (a) No complaints have been received of officers of L. I. C. favouring certain Companies.

(b) Does not arise.

आयकर अधिकारियों पर कार्यभार

*329. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय-कर अधिकारियों को सौंपे गये कार्य का भार उनके सामर्थ्य से कहीं अधिक हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि आय-कर अधिकारियों को प्रत्येक मामले में निर्णय लेने के लिये पर्याप्त समय नहीं मिलता और इसीलिये वे उन मामलों को निर्णय लेने में न्याय नहीं कर पाते है; जिन पर न्यायिक दृष्टिकोण से निर्णय लेने की आवश्यकता होती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि आय-कर अधिकारियों को दौरों पर जाना पड़ता है और उसी समय मामलों पर निर्णय लेना पड़ता है और क्या यह भी सच है कि उन्हें अपने न्यायालय सम्बन्धी कार्य और निवास के लिये सरकारी विश्राम गृहों में स्थान नहीं मिलता; और

(घ) यदि हां, तो सरकार उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख) . सरकार को पता है कि पिछले वर्षों में कर-दाताओं की संख्या में अधिक वृद्धि हो जाने के कारण आयकर अधिकारियों का कार्यभार बढ़ गया है । इसी वजह को ध्यान में रखते हुए कर-निर्धारण कार्य के लिए, अन्य उपायों के अलावा, आयकर अधिकारियों की सख्या में पिछले वर्ष 500 की वृद्धि की गयी थी । आयकर अधिकारी मामलों पर उचित प्रकार से कार्यवाही करने की सावधानी बरतते हैं ।

(ग) कर-निर्धारण की कार्यवाही को पूरा करने के लिये जब किसी जानकारी की आवश्यकता होती है तो अमूमन निर्धारितियों को ही आयकर कार्यालय में बुलाया जाता

है । तथापि आयकर अधिकारियों को कभी कभी मुफस्सिल क्षेत्रों में दौरा करना होता है तथा मामलों का वहीं पर निकाल करना होता है । सरकार के ध्यान में ऐसा कोई विशिष्ट मामला नहीं आया है जिसमें आयकर विभाग के किसी अधिकारी को उसके काम तथा निवास के लिए, राज्य विश्राम गृह में स्थान होते हुए भी जगह देने से इन्कार किया गया हो ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी तेल कम्पनियों से छंटनी किये गये कर्मचारियों का भारतीय तेल निगम में काम पर लगाना

*130. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अखिल भारतीय पैट्रोलियम कर्मचारी संघ को यह आश्वासन दिया था कि विदेशी तेल कम्पनियों से छटनी किये गये लोगों को भारतीय तेल निगम में पदों के रिक्त होने पर काम पर लगा लिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो मैसर्स बर्मा शैल, कॉलटैक्स तथा एस्सो कम्पनियों के छंटनी किये गये क्रमशः कितने-कितने कर्मचारी भारतीय तेल निगम में अब तक काम पर रखे गये हैं;

(ग) क्या प्रशिक्षित और अनुभव-प्राप्त कर्मचारियों का भी हल्दिया तेलशोधक कारखाने में रोजगार देने के बारे में विचार किया जायेगा; और

(घ) पूर्वी क्षेत्र में विदेशी तेल कम्पनियों के कार्यालयों (संस्थानों) वितरण एजेन्सियों के बन्द होने से जो व्यक्ति बेरोजगार होते जा रहे हैं उनके रोजगार की सुरक्षा के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) . (क) महासचिव, भारतीय पैट्रोलियम कर्मचारी संघ को उसके 7 मई के पत्र के उत्तर में बता दिया गया है कि भारतीय तेल निगम में रिक्त स्थानों को भरने के लिये विदेशी तेल कम्पनियों से छटनी किये गये लोगों के दावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-समय सदन के पटल पर रखी जायेगी ।

(ग) भारतीय तेल निगम की अन्य शोधनशालाओं के अतिरिक्त उपयुक्त अनुभवी और प्रशिक्षित कर्मचारियों को लेने के बाद गैर सरकारी क्षेत्र की शोधनशालाओं से छंटनी किये गये और अतिरिक्त कर्मचारियों पर उनकी योग्यता और हल्दिया शोधन-शाला की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विचार किया जायेगा ।

(घ) विदेशी तेल कम्पनियों के कर्मचारियों की नौकरी सम्बन्धी सुरक्षा के सम्पूर्ण प्रश्न पर गोखले जांच आयोग द्वारा विचार किया गया है जिसकी रिपोर्ट श्रम मंत्रालय के विचाराधीन है ।

विदेशों में कम्पनियों के और लोगों के निजि अनधिकृत लेखे

1924. श्री बाबूराव पटेल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों तथा कम्पनियों के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों में विदेशों में अनधिकृत खाते खोलने के कारण पकड़ा गया तथा उन देशों के नाम क्या क्या हैं जहां यह खाते खोले थे तथा प्रत्येक मामले में कितना-कितना धन जमा था;

(ख) अनधिकृत खाते खोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें गत दो वर्षों में विदेशों में खाता खोलने की अनुमति दी गई तथा उन देशों के नाम क्या-क्या हैं जहां खाते खोलने की अनुमति दी गई तथा प्रत्येक मामले में कितना-कितना धन जमा कराया गया; और

(घ) उन व्यक्तियों तथा कम्पनियों के नाम क्या-क्या हैं जिन्होंने विदेशों में खाता खोलने की अनुमति मांगी थी तथा उन्हें नहीं दी गई थी तथा प्रत्येक मामले में अनुमति न देने के क्या कारण थे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). प्रवर्तन निदेशक द्वारा की गई न्याय-निर्णय की कार्यवाही में अथवा न्यायालय की कार्यवाही में तीन वर्षों 1966, 1967 और 1968 में जो व्यक्ति विदेशों में अनधिकृत खाते रखने के अपराध में दोषी पाये गये उनके नाम, जहां ये खाते चालू थे वे देश, इन खातों में जो अन्तिम बकाया रकमें यथा सम्भव मालूम हो सकी वे और प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध की गई कार्यवाही सलग्न विवरण पत्र में दी गई है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1496/69] प्रवर्त्तन निदेशक द्वारा की गई न्याय-निर्णय की कार्यवाही में अथवा न्यायालय की कार्यवाही में किसी कम्पनी को विदेशों में अनधिकृत खाते रखने के अपराध में दोषी नहीं पाया गया ।

(ग) और (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

मोटर गैसोलीन का उत्पादन तथा निर्यात

1925. श्री बाबूराव पटेल : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में देश में तैयार की गई मोटर गैसोलीन की मात्रा कितनी है तथा उसका मूल्य कितना था तथा कितनी मात्रा और कितने मूल्य की गैसोलीन का विदेशों को निर्यात किया गया;

(ख) क्या देश में तैयार होने वाली गैसोलीन अथवा पैट्रोल का विमानों में प्रयोग किया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो गत दो वर्षों में वर्ष-वार विमानों में प्रयोग में लाये जाने वाले पैट्रोल तथा स्नेहकों का कितनी मात्रा में आयात किया गया तथा उनका मूल्य कितना था; और

(घ) गत तीन वर्षों में विदेशी तेल कम्पनियों के मुनाफे को कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(1) मोटर गैसोलीन का उत्पादन

	"000 मीटरी टन
1967	1326
1968	1378

(2) मोटर गैसोलीन का देश-वार निर्यात

	1967		1968	
	हजार मी० टन	करोड़ रु०	हजार मी० टन	करोड़ रु०
सिंगापुर	115	2.82	43	1.22
थाइलैंड	41	0.77	26	0.44
सिलोन	20	0.41	21	0.39
यू० के०	19	0.35	10	0.19
	195	4.35	100	2.24

(ख) जी हां, कुछ हद तक ।

(ग) पिछले दो वर्षों में विमानन गैसोलीन तथा स्नेहकों का आयात निम्न प्रकार था :

	1967		1968	
	"000 मीटरी टन	करोड़ रुपये	"000 मीटरी टन	करोड़ रुपये
विमानन गैसोलीन	60	2.56	57	2.82
स्नेहक	379	26.16	402	27.82

(घ) विदेशी तेल विप्पणन कम्पनियों का मुनाफे तेल मूल्यों के कार्यकारी दल द्वारा सिफारिश की गई सीमा के अन्तर्गत है ।

भारतीय तेल निगम का उत्पादन

1926. श्री अब्दुल गनी दार : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम के पेट्रोलियम उत्पादों के तेलशोधक कारखानों में गत तीन वर्षों में उत्पादन तथा व्यय कितना-कितना हुआ है;

(ख) क्या यह उत्पादन निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बढ़ा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या व्यय भी निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बढ़ा है और यदि नहीं, तो अधिक व्यय होने के क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक तेल शोधक कारखाने में क्या-क्या तथा कितना-कितना उत्पादन हुआ है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) गत तीन वर्षों में भारतीय तेल निगम की शोधनशालाओं के पैट्रोलियम पदार्थों का कुल उत्पादन और किया गया व्यय निम्न प्रकार है:

सज्जित उत्पादन (मीटरी टनों में)

	1965-66	1966-67	1967-68
(1) उत्पादन			
गौहाटी	720,758	652,084	739,739
बरौनी	625,586	976,053	1461,916
गुजरात	354,817	1286,617	1730,113
(2) परिचालन व्यय	(लाख रुपयों में)		
गौहाटी	174.20	182.94	209.22
बरौनी	290.54	369.80	451.40
गुजरात (1-1-66 से 31-3-66 तक)	69.38	276.80	282.03

(ख) पदार्थों का उत्पादन थ्रुपुट से सम्बन्धित है । गौहाटी शोधनशाला के बारे में 1965—66 और 1966—67 का वास्तविक थ्रुपुट लक्ष्यों के निकट था और यह 1967—68 में लक्ष्य से बढ़ गया । जहां तक बरौनी शोधनशाला का सम्बन्ध है, निर्धारित लक्ष्य प्रतिवर्ष बढ़ते रहे हैं । गुजरात शोधनशाला के अक्तूबर 1965 से चालू होने से लेकर उसकी क्षमता वृद्धि पर रही है ।

(ग) बरौनी शोधनशाला के अतिरिक्त, व्यय, बजट-व्यवस्था के अन्तर्गत रहा है । 1965—66 में बढोतरी कर्मचारी वृन्द प्रभार में वृद्धि के कारण हुई । लूब कामप्लेक्स के शुरू होने में देरी के कारण 1966—67 और 1967—68 में कमी हुई ।

(घ) गत तीन वर्षों में गौहाटी, बरौनी और गुजरात शोधनशालाओं में उत्पाद-वार उत्पादन निम्न प्रकार हैं :

(मिटरी टनों में आंकड़े)

उत्पाद	1966	1967	1968
गौहाटी :			
मोटर स्पिरिट	169,573	153,662	157,115
जे० पी०-4, ए०टी०एफ० व मि० तेल	14,090	23,776	43,936
घटिया मि० तेल	88,552	62,510	75,311
हाई स्पीड डीजल	212,334	210,803	204,253
लाइट डीजल तेल	88,891	76,048	80,281
भट्टी का तेल	92,277	67,948	101,992
ग्राईओमैक्स	14,331	17,558	31.311
कोक	40,710	39,779	45,533
लौ सलफर हैवी स्टाक	—	—	7
कुल	720,758	652,084	739,739
बरौनी :			
तरल पेट्रो० गैस	239	1,298	2,891
मोटर स्प्रिट	158,112	223,990	311,739
जे०पी०-4, ए०टी०एफ० व मि० तेल	56,068	105,497	169,925
मिनरल टरपैंटाइन तेल	2,649	15,133	10,726
घटिया मि० तेल	11,148	–	–
हाई स्पीड डीजल	172,774	288,656	438,429
लाइट डीजल तेल	102,189	161,837	191,682
लौ सलफर हैवी स्टाक	18,285	98,705	120,740
भट्टी का तेल	68,651	43,248	128,574
बिट्टमेन	–	–	1,965
लूब आयल	–	–	1,791
कोक	35,451	37,239	65,263
73 एन०एल० गैस	–	433	1,664
नेफ्था	–	17	16,527
कुल	625,586	976,053	1,461,916
गुजरात :			
तरल पैट्रोलियम गैस	—	—	421
मोटर स्प्रिट	90,106	264,191	362,656
ईथेलाइज्ड गैसोलीन	—	56,819	—
जे०पी०-4, ए०टी०एफ० व मि० तेल	106,357	328,607	575,585

हाई स्पीड डीजल	81,765	295,581	348,775
लाइट डीजल तेल	—	—	63,520
लो सलफर हैवी स्टाक	76,589	241,418	360,226
नेफ्था	—	—	18,930
कुल	354,817	1286,617	1730,113

दिल्ली में कम आय वाले कर्मचारियों के लिये मकान

1927. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में लाखों लोगों को विशेषकर कम आय वाले सरकारी तथा गैर-सरकारी कर्मचारियों को मकानों की कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार कब तक उचित व्यवस्था कर सकेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) तथा (ख) . यह सत्य है कि राष्ट्र की राजधानी में लोगों की एक बड़ी संख्या उचित रिहायशी वास के बगैर है। उपलब्ध सीमित साधनों के अनुरूप इन लोगों की विशेषकर निम्न आय वर्ग की, आवासीय स्थिति को सुधारने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न किया जा रहा है।

अभी तक दिल्ली / नई दिल्ली में विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत 52,000 से अधिक रिहायशी एककों की व्यवस्था की है (जिसमें झुग्गी और झोंपड़ी सफाई योजना के अन्तर्गत दिए गए प्लाट् शामिल हैं)। इसके बाद, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1318 फ्लैटों का निर्माण किया गया है। इस अधिकरण ने विभिन्न आकार के 11,000 रिहायशी प्लाटों को विकसित किया है। जब कि सहकारी समितियों ने अधिकरण द्वारा आवंटित की गई भूमि में से 5,200 प्लाटों को विकसित किया है। इनके अलावा, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए, सामान्य पूल वास के अन्तर्गत विभिन्न टाइपों के लगभग 40,250 रिहायशी एककों का समय-समय पर निर्माण किया है।

अगले तीन वर्षों में (अर्थात् 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 में) वर्तमान संकेतों के अनुसार, विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के तथा दिल्ली विकास अधिकरण के निर्माण कार्य के अधीन लगभग 55,000 एककों की व्यवस्था की जा सकती है। साधनों की उपलब्धता होने पर, चतुर्थ योजना के अगले वर्षों में तथा तत्पश्चात् अगली योजनाओं में कार्य क्रम का उत्तरोत्तर विस्तार किया जा सकता है।

पेय जल की कमी

1928. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण महाराष्ट्र में पेय जल की उचित व्यवस्था न होने तथा राजस्थान और हरियाणा में महेन्द्रगढ़ जिले के काफी बड़े भाग में पेय जल की भारी कमी के कारण वहां के लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उनकी कठिनाइयों को कब तक दूर करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) और (ख). लोगों के लिए उनके क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इसलिए योजनायें तैयार करना और उनको क्रियान्वित करना, उनकी प्राथमिकता का निश्चय करना तथा राज्य सैक्टर में आवश्यक धन की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का काम है। चालू वर्ष से राज्यों को केन्द्रीय सहायता किसी भी योजना/कार्य क्रम/ विकास शीर्षक के लिए न देकर सभी योजनाओं के लिए समेकित ऋण तथा समेकित अनुदान के रूप में दी जा रही है। राज्यों को चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की रकम को निर्धारित करते समय पिछड़ेपन, चिरकालिक सूखे की परिस्थितियों आदि का समुचित ध्यान रखा गया है।

डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, दिल्ली

1929. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह-निर्माण समिति, लिमिटेड, दिल्ली के बारे में 12 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9193 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो देरी होने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जो समिति का प्रबन्ध कर रहे हैं तथा भूमि का विकास करने में देरी होने का साधन बन रहे हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब०स० मूर्ति) : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन से प्राप्त हुई सूचना में कुछ स्पष्टीकरण आवश्यक हैं जो कि प्राप्त किये जा रहे हैं।

(घ) निर्धारित तारीख अर्थात् 13 मार्च, 1970 तक भूमि का विकास करने में असफल होने पर सोसाइटी के विरुद्ध जो कार्यवाही सरकार करेगी उसका स्वरूप देरी के लिए उत्तरदाई कारणों पर निर्भर करेगा।

चिकित्सा शिक्षा के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिये आरक्षित स्थानों की प्रतिशतता

1930. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिकित्सा शिक्षा के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिये आरक्षित स्थानों की प्रतिशतता से इन जातियों के छात्रों को तब तक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा जब तक इस प्रतिशतता में वृद्धि नहीं की जायेगी और आरक्षित सभी स्थान इन्हीं जातियों के छात्रों को नहीं दिये जायेंगे;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब अनुसूचित आदिम जातियों के छात्र उनके लिये आरक्षित प्रतिशतता को पूरा करने के लिये नहीं मिलते, तो उनके लिये आरक्षित स्थानों को रद्द कर दिया जाता हैं;

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों को, जो रिक्त रह जाते हैं अनुसूचित जातियों के छात्रों द्वारा क्यों नहीं भरा जाता, जो अनुसूचित आदिम जातियों के साथ आरक्षित वर्ग में आते हैं; और

(घ) क्या सरकार भविष्य में कार्यान्विति के लिये इस तथ्य को ध्यान में रखेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की प्रतिशतता को लागू नहीं किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों/संस्थानों में उनके लिए आरक्षित स्थानों की प्रतिशतता एक समान नहीं है। सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा इस उद्देश्य के लिए बनाये गये नियमों के अनुसार यह प्रतिशतता अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न है। जहां आवश्यक हो, आरक्षित स्थानों की प्रतिशतता में वृद्धि करना भी राज्य सरकारों का काम है।

(ख), (ग) और (घ). केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अनुदेश जारी कर दिए हैं कि जहां-जहां अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के लिये पृथक से आरक्षण की व्यवस्था की गई हो वहां उन्हें परस्पर अदला-बदली वाले स्थान माना जाय। जहां प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के पात्र-छात्र उपलब्ध न हों वहां उन स्थानों का उपयोग दूसरों के लिये किया जाता है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण-ऋण

1931. श्री दंडपाणि :
श्री महाराज सिंह भारती :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति की तारीख पर ध्यान दिये बिना, मकान बनाने के लिए ऋण देने की एक ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत ऋण 25 समान वार्षिक किश्तों में वसूल किया जायेगा; तथा जो योजना निम्न, मध्य आय वर्ग के लोगों सम्बन्धी राज्य सरकार योजना के नमूने की होगी; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना के कब तक अन्तिम रूप से तैयार हो जाने की संभावना है तथा उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत के व्यापार संतुलन तथा भुगतान संतुलन की स्थिति

1932. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968–69 में भारत की व्यापार संतुलन तथा भुगतान संतुलन की स्थिति क्या थी;

(ख) क्या गत वर्षों की तुलना में यह स्थिति अधिक अच्छी रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं. सेठी) : (क) भारत द्वारा 1968–69 में किये गये आयात और निर्यात का मूल्य क्रमशः 1862 करोड़ रुपया और 1360 करोड़ रु० था। 1968–69 में 502 करोड़ रुपये का प्रतिकूल व्यापार-शेष था, जो पिछले वर्ष के मुकाबले में कम था। यह कमी आयात में कमी और निर्यात में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप हुई। जहां तक शोधन-शेष का सम्बन्ध है, 1968–69 में ब्याज सहित ऋणों की चुकायी गयी रकम उससे पिछले वर्षों के मुकाबले में अधिक थी। 1968–69 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की कुल मिलाकर ऋण की वापस अदायगी की गयी जबकि पिछले तीन वर्षों में निधि से ली गयी रकम उसे वापस अदा की गयी रकम से अधिक थी। हमारी विदेशी मुद्रा की रकम में वर्ष के दौरान लगभग 38 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

(ख) जी, हां।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

नागपुर में मेडीकल कालेज

1933. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में एक नया कालेज खोलने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक आरम्भ होने की आशा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब०सू० मूर्ति): (क) महाराष्ट्र सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय उर्वरक निगम के कर्मचारियों का अनुग्रह बोनस का भुगतान

1934. श्री जार्ज फरनेंन्डीज : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कर्मचारियों की अनुग्रह बोनस के भुगतान के सम्बन्ध में पंजाब के औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये पंचाट के निदेशों, को, जिनकी पुष्टि बाद में उच्चतम न्यायालय ने भी की थी क्रियान्वित करने में भारतीय उर्वरक निगम (नगल एकक) के प्रबन्धकों की असफलता की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या भूतपूर्व विधि मन्त्री श्री अ० कु० सेन ने यह राय प्रकट की है कि प्रबन्धकों ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया है; और

(ग) क्या सरकार भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्धकों को तत्काल यह हिदायत देगी कि वे उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन करेंगे ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हां, सरकार ने इस विषय में की गई शिकायतों को देखा है ।

(ख) ऐसा प्रतीत होता है कि लेबर यूनियन की प्रार्थना पर श्री अ० कु० सेन ने अपनी राय प्रकट की है । किन्तु भारतीय उर्वरक निगम द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार निगम के प्रबन्धकों ने, औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट को, उच्चतम न्यायालय के फ़ैसले के अनुसार, क्रियान्वित किया है ।

(ग) उत्तर (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी उपक्रमों के बजट अनुमान

1935. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे मार्गदर्शक निर्देश जारी कर दिये हैं कि भविष्य में सभी सरकारी उपक्रम हर प्रकार से ठीक बजट रिपोर्ट तथा बजट अनुमान तैयार किया करें; और

(ख) यदि बाद में ये अनुमान ऐसे कारणों से बढ़ाये गये जिनके बारे में मूल अनुमान बनाते समय भी ध्यान रखा जा सकता था, तो क्या उत्तरदायी अधिकारियों को उचित दण्ड दिया जायगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सरकार ने सरकारी उपक्रमों में बजट तैयार करने की व्यापक प्रणाली लागू करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित कर दिये हैं। ऐसे उपयुक्त प्रपत्र भी तैयार किये गये हैं जिनके अनुसार इकट्ठी की गयी सूचना की सहायता से बजट-सम्बन्धी आवश्यकताएं निर्धारित करने में सुविधा होगी। ये प्रपत्र सरकारी उपक्रमों के मार्गदर्शन के लिए तथा उनके द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने के लिये उनके पास भेज दिये गये हैं ।

(ख) सरकार, खर्च के अनुमानों में किये गये संशोधन की जांच हमेशा बहुत सावधानी से करती है और यदि जांच के समय कोई गलती पकड़ी जाय तो सरकार उसे एक गम्भीर मामला समझती है।

Production of non-ferrous metals

1937. Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Jyotirmoy Basu :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the extent to which the production of non-ferrous metals and special steel during the current financial year is likely to be less than the demand thereof; and

(b) what would be the position at the end of the Fourth Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jaganath Rao) : (a) and (b) : The extent to which the production of major non-ferrous metals and special steel is likely to be less than demand during the current financial year and the position by 1973-74 are indicated below :--

	1969–70	1973–74
	(in tonnes)	
I Non-Ferrous Metals		
(1)	(2)	(3)
1. Aluminium	Marginal	Steps are being taken to attain self-sufficiency.
2. Copper	75,300	74,000
3. Zinc	64,800	66,000
4. Lead	64,550	92,000
5. Tin	5,500	8,000
6. Nickel	4,000	6,000
II Special Steel		
(particularly free cutting steel)	4,800	Steps are being taken to increase production adequately.

Note : 1. There is at present no indigenons production of Tin and Nickel.

2. The figures do not take into account likely availability of secondary metal/ scrap particularly in the case of copper and lead.

Surplus Staff in Public Undertakings

+

1938. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of surplus officers and workers in each public sector undertaking;

(b) the loss being suffered by Government as a result thereof; and

(c) the scheme drawn up by Government to meet this situation ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) According to a study undertaken by the Bureau of Public Enterprises the surplus staff employed in all the public undertakings of the Central Government was estimated to be around 15000 as on 30th September, 1967. The surplus staff reported by the major undertaki ngs which accounted for the bulk of such staff was as follows :--

1. Hindustan Steel Ltd.	9214 (estimated)
2. Indian Oil Corporation	2131
3. Heavy Engineering Corpn. FFP	986
4. Indian Drugs & Pharmaceuticals	760
5. Bharat Heavy Electricals Ltd (Tiruchi Unit)	594
6. Life Insurance Corporation	445
7. National Mineral Dev. Corpn.	313
8. Hindustan Aeronautics	135

(b) In is not easy to assess the loss directly attributable to employment of excess staff.

(c) The A.R.C. had made certain recommendations to deal with the question of surplus staff in different undertakings relating to (i) adoption of work standards and control techniques from the initial stages to avoid over-staffing. (ii) where over-staffing has become chronic, the initiation of work studies to assess the extent of the problem (iii) steps to deploy personnel of the over-staffed department elsewhere, (iv) Greater use of construction Corporations in order to reduce activity on the part of the Projects in the construction stages. These recommendations have been accepted by the Government and communicated to the Public Sector Undertakings. The Bureau of Public Enterprises have also suggested to the public undertakings to work out suitable voluntary retirement schemes as already operating in some undertakings. which can help reduce the surplus staff.

कोयाली गुजराती में संश्लिष्ट रबड़ का निर्माण

1939. **श्री मधुलिमये :**
श्री जनार्दनन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में कोयाली में संश्लिष्ट रबड़ बनाने का एक कारखाना खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना की क्षमतम कितनी होगी तथा उस पर कितनी लागत लगेगी; और

(ग) उस परियोजना में कब तक उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री द० रा० चव्हाण**) : (क) मामला विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठता ।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का दस सूत्री कार्यक्रम

1940. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री अदिचन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का 10 सूत्री कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है जिसे सरकार ने स्वीकार किया है; और

(ख) क्या इस में दिये गये सुझावों पर कोई कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) . एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1497/69]**

मैंगनीज अयस्क की खानों का बन्द होना

1941. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश मे मैंगनीज अयस्क की 30 प्रतिशत से अधिक खाने बन्द हैं और निकट भविष्य में बड़ी संख्या में और भी बहुत सी खानों के बन्द होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो इन खानों के बन्द होने के कारण उत्पादन में कुल कितनी हानि हुई है; और

(ग) क्या उनके पुनः खुलने की कोई सम्भावना है और यदि नहीं, तो सरकार का विचार मैंगनीज अयस्क किस प्रकार के लाभप्रद प्रयोग में लाने का है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) भारतीय खान ब्यूरो में प्राप्त होने वाले विवरणों के अनुसार 1968 वर्ष में केवल 50 खानें अस्थायी रूप से निलम्बित हुई तथा 2 खानें स्थायी रूप से बन्द की गई थीं। यह खानें 1967 वर्ष में मैंगनीज का उत्पादन करने वाली खानों का 13.5 प्रतिशत थी।

(ख) 1968 वर्ष के दौरान उत्पादन में हानि 21,166 मैट्रिक टन की थी।

(ग) मैंगनीज अयस्क के निर्यात तथा आन्तरिक बिक्रियाँ बढ़ाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल से केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों का स्थानान्तरण

1942. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल से कई केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित कार्यालयों के क्या नाम हैं;

(ग) पश्चिम बगाल से इन कार्यालयों को स्थानान्तरित करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से विचार-विमर्श कर लिया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ) . सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन में इंजीनियरों की छटनी

1943. श्रीमती इला पाल चौधरी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बिल्डिंग्स कस्ट्रक्शन कारपोरेशन के इंजीनियरी तथा अन्य कर्मचारियों की छंटनी की शिकायत के बारे में हो रही जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य उपपत्तियां क्या हैं; और

(ग) उन उपपत्तियों के परिणामस्वरूप क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) . 1960 में स्थापित की गई नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन तब से, प्रति वर्ष घाटे में जा रही है । इसके कार्य में सुधार लाने के लिए, कारपोरेशन के प्रबंधकों ने इसके फालतू स्टाफ को अलग करने का निर्णय किया और छंटनी अनिवार्य थी । छंटनी किए गए कर्मचारियों की ओर से तथा उनके लिए कुछ अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुए हैं और प्रबंधकों के परामर्श से उन पर विचार किया जा रहा है ।

उत्तर बंगाल में आई बाढ़ों से विस्थापित हुए व्यक्तियों का बसाया जाना

1944 श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष पूर्व बंगाल में अक्तूबर में आई बाढ़ों से विस्थापित हुए व्यक्तियों को बसाने और बाढ़ों से प्रभावित क्षेत्रों के बारे में सरकार द्वारा प्रस्तावित सब कार्यवाही कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) विस्थापित व्यक्तियों के बसाने सम्बन्धी कार्य पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को फिर से आबाद करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई अपर्याप्त सहायता पर रोष व्यक्त किया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख). भारत सरकार सीधे ही सहायता या फिर से बसाने का काम नहीं करती। सहायता तथा फिर से बसाने के उपायों को अमल में लाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि अक्टूबर 1968 की उत्तरी बंगाल की बाढ़ से जिन क्षेत्रों और लोगों को नुकसान पहुंचा था, उनको फिर से बसाने के सारे आवश्यक उपाय किये गये हैं। इन उपायों में मुफ्त सहायता का वितरण, रोजगार दिलाने के लिए प्रयोगात्मक सहायता सम्बन्धी कार्यों को आरम्भ करना, मकान बनाने के उद्देश्य से ऋण और अनुदान देना संकटग्रस्त परिवारों को फिर से बसाना, गादवाली भूमि को फिर से खेती योग्य बनाना तथा कारीगरों और व्यापारियों को वित्तीय सहायता देना आदि मुख्य हैं।

(ग) 1968–69 में राज्य में जो बाढ़ आयी थी उस के सम्बन्ध में मरम्मत कार्यों तथा सहायता और पुनर्वास के विभिन्न उपायों के खर्च के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार को अभी तक 20.04 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है। पता चला है कि इसमें से, राज्य सरकार ने उत्तरी बंगाल के जिलों में शुरू किये गये विभिन्न उपायों पर 11.73 करोड़ रुपया खर्च किया है। अनुमान है कि चालू वर्ष में इन पर 6.41 करोड़ रुपया खर्च होगा।

(घ) जी, नहीं।

संघ राज्य क्षेत्र के गांवों में बिजली लगाना

1945. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र के गांवों में बिजली लगाने के बारे में क्या कार्यवाही की; और

(ख) सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र के किसानों को नल कूपों के लिए बिजली के कनेक्शन देने के बारे में क्या कार्यवाही की थी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). संघीय प्रदेशों की स्थापना के बाद, ग्राम विद्युतीकरण कार्य और सिंचाई पम्पों के ऊर्जन कार्य में काफी प्रगति हुई है। ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

	गांव, जिनको बिजली दी गई	ऊर्जित किए गए सिंचाई पम्प
जो स्थिति 31–3–51 को थी	106	
प्रथम योजना के दौरान	35	284
द्वितीय योजना के दौरान	711	1089
तृतीय योजना के दौरान	1164	2789

संघीय प्रदेशों में चौथी योजना के दौरान 4010 सिंचाई पम्पों को ऊर्जित करने का विचार है।

चंडीगढ़ के गांवों में पेय जल की कमी

1946. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के कुछ गांवों में पेय जल की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) . सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशी मुद्रा की चोरी करने वाले गिरोह के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जांच

1947. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री क० लक्कप्पा :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच विभाग वर्ष 1967 से 1969 तक विदेशी मुद्रा की चोरी करने वाली बड़ी कम्पनियों के बारे में जांच कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक कम्पनी ने कुल कितनी विदेशी मुद्रा की चोरी की ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख) . प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है कि वह विदेशी मुद्रा के किसी विशिष्ट जाल-चक्र के बारे में है, जिससे एक से अधिक व्यापारगृह ग्रस्त हों, अथवा विदेशी मुद्रा विनिमय के विभिन्न जाल चक्रों से है जिनमें विभिन्न व्यापार गृह ग्रस्त हों । केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम 1947 के उपबन्धों का उल्लघन करने के आरोप में, 1967 से 1969 के बीच, अनेक व्यापारी फर्मों के विरुद्ध जांच-पड़ताल चलाई है । मामले जांच-पड़ताल की विभिन्न स्थिति में है, और इसलिए इस समय किसी के नाम और अन्य विवरण बताना उपयुक्त नहीं होगा ।

भारतीय तेल निगम द्वारा गेज इस्पात चादरों का आयात

1948. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री 31 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4471 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन तेल शोधक कारखाने तथा अन्य गैर-सरकारी तेल शोधकों का बिटूमैन ड्रम के निर्माण हेतु 24 गेज इस्पात चादरें स्वीकार करने के लिये जोर न देने तथा इन चादरों को लघु उद्योगों को न देने के क्या कारण है;

(ख) भारतीय तेल निगम द्वारा आयात की गई उक्त इस्पात की चादरें की देश में पहुंचने पर क्या लागत पड़ती है;

(ग) उक्त इस्पात चादरें अन्य लोगों को किस मूल्य पर बेची जाती हैं;

(घ) क्या कोचीन तेल शोधक कारखाने तथा अन्य गैर-सरकारी तेल शोधकों द्वारा भारतीय तेल निगम से चादरें खरीदने से इन्कार किये जाने के बाद भी उन्हें आयात लाइसेंस दिये गये थे; और

(ङ) यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक को कितने मूल्य के आयात लाइसेंस दिये गये तथा बिटुमेन डम बनाने के लिये प्रत्येक ने किस मूल्य पर 24 गेज इस्पात चादरों का आयात किया ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) कोचीन तेल शोधक कारखाने तथा बर्मा शैल द्वारा की गई मूल्यों की पेशकश भारतीय तेल निगम को स्वीकार नहीं थी। उस समय एस्सो तथा अन्य तेल शोधक कारखानों की खरीद में रूचि नहीं थी। अतः भारतीय तेल निगम का इनमें से किसी कारखाने को चादरें स्वीकार करने के लिये जोर देने का प्रश्न नहीं उठता था। इस्पात की चादरों की बिक्री पब्लिक टेंडर तथा बात-चीत से की गई थी। इसके लिये रूचि रखने वाले लघु उद्योग पेशकश करने के लिये स्वतंत्र थे।

(ख) इस इस्पात की लागत शुल्क मिला कर लगभग 1670.07 रुपये प्रति मीटरी टन है, इसमें देख-भाल का खर्च शामिल नहीं है।

(ग) 5 अगस्त, 1968 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2606 के उत्तर में यह सूचना पहले ही दी जा चुकी है।

(घ) और (ङ) . तेल शोधक कारखानों के 1967-68 तथा 1968-69 के दौरान कोई आयात लाइसेंस नहीं दिये गये। आयात भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम की मार्फत किया गया था। तेल शोधक कारखानों को विदेशी मुद्रा का आवंटन तथा प्रति टन लागत-बीमा-भाड़ा निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	आवंटन		लाख रुपये		प्रति टन लागत-बीमा-भाड़ा
	बर्मा-शैल	एस्सो	कोचीन	काल्टेक्स	
1967-68	170	60	15	5	922 रुपये से 1022 रुपये तक
1968-69	70	67	135	33	918.86 रुपये से 1323 रुपये तक।

दिल्ली में सड़कों का रख-रखाव तथा विकास

1949. श्री भा० सुन्दर लाल :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री बलराज मधोक :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से गुजरने वाली कुछ सड़कें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीन हैं, यदि हां, तो ऐसी सड़कों के नाम क्या हैं तथा उनकी लम्बाई कितनी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन सड़कों का रख-रखाव, उनके आस-पास का निकास तथा गलियों में प्रकाश-व्यवस्था संतोषजनक नहीं है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली नगर निगम उन सड़कों को अपने अधिकार में लेने तथा उन पर विकास कार्य करने को तैयार है; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ऐसी सड़कों के रख रखाव तथा विकास कार्य को, उस धन राशि सहित जिसे वह विभाग इनके रख-रखाव पर खर्च करता है दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित कर देगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं, ये सड़कें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की नहीं हैं । तथापि, सड़कों का अनुरक्षण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है तथा दिल्ली संघीय क्षेत्र में इनकी लम्बाई संलग्न विवरण में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1498/69]**

(ख) निधियों की उपलब्धता के अनुसार, जहां भी आवश्यक है और संभव है, गोल-चक्करों (राउन्ड-एबाउट), सड़कों की रोशनी तथा विकास का अनुरक्षण ठीक प्रकार किया जा रहा है ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Pollution of river water by Industrial Establishments

1950. Shri J. Sunder Lal :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri P. M. Sayeed :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Public Health Engineering Research Institute and Indian Council of Medical Research have made a study in respect of

water of the rivers of Uttar Pradesh and have concluded that the discharge of the dirty water of cities and industrial establishments pollutes the water of rivers which is very dangerous for the health of the people and have suggested that it should be prevented on a country-wide scale;

(b) if so, the details of the suggestion made by them; and

(c) The reaction Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, The surveys weve conducted in Uttar Pradesh and other areas also.

(b) The studies undertaken by these Institutions have pointed out that --

(i) the industrial wastes should be first treated and made harmless before these are allowed to flow into the rivers;

(ii) indiscriminate discharge of industrial wastes into the natural bodies of water and also the parallal pollution of sewage and sullage should be checked; and

(iii) it is necessary to adopt legal and administrative methods for effecting pollution abatement.

(c) A Central legislation on 'Prevention of Water Pollution' in the country as a whole is contemplated.

पश्चिम दिल्ली की बस्तियों के लिये अस्पताल

1951. **श्री झा० सुन्दर लाल :** **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री बलराज मधोक : **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम दिल्ली में नजफगढ़ रोड़ तथा उसके इर्द-गिर्द की बस्तियों में रहने वाले 5 लाख से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वहां कोई बड़ा अस्पताल नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार का विचार उक्त क्षेत्र में 500 बिस्तरों वाला एक अस्पताल खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो योजना को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां । इस क्षेत्र में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) पश्चिम दिल्ली में प्रस्तावित 500 पलंगों वाले अस्पताल के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि की कीमत का भुगतान करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के बजट में व्यवस्था की गई है।

करों की बकाया धनराशि

1952. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री जय सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बे० कु० दास चौधरी :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **वित्त** मंत्री 3 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1536 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 31 दिसम्बर, 1968 तक की आयकर, धनकर, सम्पदा शुल्क तथा निगमित कर के कुल बकाया धनराशि के बारे में अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

प्रश्न	कर	उत्तर 31-12-1968 को बकाया रकमें (करोड़, रुपयों में)
31 दिसम्बर 1968 को आयकर, धनकर, सम्पदा-शुल्क, दान कर तथा निगमित-कर की बकाया की कुल मात्रा	आयकर तथा निगमित कर	463.10 (शुद्ध)
	धन-कर	8.37
	सम्पदा-शुल्क	9.01
	दान-कर	1.49

दिल्ली में विद्युत सप्लाई की कमी

1953. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जय सिंह :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार को दिल्ली की विद्युत सप्लाई में कमी करके पंजाब को 200 मैगावाट विद्युत देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो पंजाब सरकार से इस संदर्भ में यदि कोई पत्र प्राप्त हुआ है तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पंजाब के मुख्य मंत्री ने सुझाव दिया था कि दिसम्बर से मई तक की अल्प जल अवधि के दौरान, भाखड़ा-नंगल से दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान को प्राप्त होने वाली 80 मैगावाट समस्त थोक सप्लाई को बन्द कर देना चाहिये । बहरहाल, ऐसा कोई अनुरोध नहीं था कि पंजाब को 200 मैगावाट बिजली सप्लाई न की जाए ।

(ख) इस समय पंजाब में बिजली की तंगी की जो स्थिति है, उसको देखते हुए मुख्य-मंत्री ने यह सवाल उठाया था कि दिल्ली को भाखड़ा-नंगल प्रणाली से प्राप्त होने वाली बिजली की उस थोक सप्लाई का पुनरावलोकन किया जाए जो अब तक एक पहले वाले समझौते के अनुसार होती चली आ रही है । उन्होंने यह सवाल भी उठाया था कि क्या उस दर की तुलना में जिस पर भाखड़ा-नंगल की बिजली दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान को सप्लाई की जा रही है, दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान द्वारा उस राहत के लिए जो वह भाखड़ा-नंगल प्रणाली से खरीदी जाने वाली बिजली की मात्रा को कम कर देने से पंजाब को पहुंचायेगा, टैरिफ की उच्चतर दर मांगने में कोई औचित्य है ।

(ग) पंजाब में बिजली की तंगी को कम करने के लिए दिल्ली से 25/40 मैगावाट की बिजली का व्यपवर्तन करने की व्यवस्था की गई थी । जहां तक टैरिफ के प्रश्न का सम्बन्ध है, इस मामले की विस्तृत जांच करने और समुचित टैरिफ दर निश्चित करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन कर दिया गया है ।

दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई योजनाएं

1954. श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 7 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5367 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं तथा यह जानकारी कब तक एकत्रित कर ली जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1499/69**]

भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी

1955 **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री जय सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री बिभूति मिश्र :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री राम चन्द्र वीरप्पा :
श्री न० रा० देवधरे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा विभिन्न उपाय करने पर भी सीमा शुल्क अधिकारी भारत–नेपाल सीमा पर हर मास एक करोड़ रुपये के विदेशी माल की तस्करी को रोकने में असफल रहे हैं;

(ख) वर्ष 1968 के दौरान तथा इस वर्ष के प्रथम छः मास में प्रत्येक मास अलग-अलग कितने मूल्य का माल पकड़ा गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में और आगे क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है !

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) - (क) भारत–नेपाल सीमा पर तस्कर आयात–निर्यात अभी भी होता तो हैं लेकिन यह विश्वास करने के लिए कारण हैं कि तस्कर-व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपायों से वहां तस्कर आयात-निर्यात काफी हद तक रुक गया है । भारत-नेपाल सीमा पर होने वाले तस्कर आयात–निर्यात का सही सही मूल्याकन करना कठिन है ।

(ख) 1968 में तथा 1969 के पहले छः महीनों में पकड़े गये माल का एक महीनेवार विवरण-पत्र संलग्न है ।

विवरण

अवधि	कुल मूल्य, रुपयों में
1968	**24,71,078**
1969	
जनवरी	2,42,043
फरवरी	2,76,762

मार्च	7,62,958
अप्रैल	4,93,816
मई	5,61,730
जून	3,32,684
जून 1969 के अन्त तक	26,69,995

Assistance to T. B. patients

1956. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Suraj Bhan :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ranjeet Singh :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to assist in the treatment expenses of T. B. patients as per recent statement made by Dr. Chandrashekhar, Minister of State in his Ministry; and

(b) if so, the details of such schemes and steps taken in this direction ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B.S. Murthy): (a)and(b). There is no new Central Scheme to provide assistance to T. B. patients for their treatment expenses. The entire expenditure in respect of Government Institutions in the States providing treatment to T. B. patients is already being met by the State Governments, As regards Voluntary Institution grant-in-aid are given by the Central Government to enable them to purchase special equipment. Government of India also supply free anti-TB drugs both to State Government as well as Voluntary TB clinics and centres.

Indigent TB patients are also given grants from the Union Health Minister's Discretionary Grant.

यमुनानगर सिविल अस्पताल में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात समिति निधि द्वारा दिया हुआ और बेकार पड़ा एक्सरे संयंत्र

1957. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा उपहार के रूप में यमुनानगर सिविल अस्पताल को दिया गया एक्सरे संयंत्र गत तीन वर्षों से बेकार पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) संयंत्र का प्रयोग करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री व० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) . टी० सी० ए० कार्यक्रम के अन्तर्गत अमरीका से मंगाया गया एक एक्स-रे संयंत्र जगाधरी के सिविल अस्पताल में (न कि यमुना नगर में) मरम्मत के बिना बेकार पड़ा है, क्योंकि कोई भी फर्म अभी तक इसकी मरम्मत करने के लिए तैयार नहीं है । इस संयंत्र की मरम्मत कराने के लिए प्रयत्न निरन्तर किये जा रहे हैं ।

हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड और इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मासियूटिकल्स को वर्दियां सप्लाई करने के ठेके के बारे में शिकायतें

1958. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली और इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मासियूटिकल लिमिटेड, ऋषिकेश के कर्मचारियों के लिये वर्दियाँ सप्लाई करने के ठेके के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो ऊंचो दर वाले ठेकेदार को वर्दी सप्लाई करने का ठेका दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोई जांच की गई है; और

(घ) जांच का ब्यौरा क्या है तथा सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड और इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेसिटिकल लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए वर्दी की सप्लाई के ठेके के बारे में श्री सूरज प्रकाशजी के राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1027 दिनांक 11 मार्च, 1969 के सिवाय और कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि० ने सर्दी की वर्दियों के लिए ऊंचा रेट देने वाले ठेकेदार को चुना था क्योंकि नीचा देने वाले का काम भूतकाल में असंतोषजनक था ।

(ग) और (घ) . प्रश्न ही नहीं उठता ।

औद्योगिक सहकारी समितियों तथा कृषि जन्य पदार्थों को तैयार करने वाली समितियों को ऋण

1959. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने औद्योगिक सहकारी समितियों तथा कृषि जन्य पदार्थों को तैयार करने वाली समितियों को वित्त देने सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दल ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अधीन औद्योगिक सहकारी समितियों तथा कृषि जन्य पदार्थों को तैयार करने वाली समितियों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का प्राक्कलन कर लिया है ;

(ग) इस दल द्वारा अन्य क्या सिफारिशें की गई है;

(घ) क्या इन सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) पदार्थों का परिष्करण करने वाली और औद्योगिक सहकारी समितियों की वित्तीय व्यवस्था के लिये पर्याप्त रकमें दिये जाने को सुनिश्चित करने के ठोस उपाय सुझाने के लिए, रिजर्व बैंक ने जून, 1967 में बैंक के उप-गवर्नर श्री दी० एन० दमरी की अध्यक्षता में कार्यकारी दल नियुक्त किया था ।

(ख) दल ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि-जन्य पदार्थों का परिष्करण करने वाली समितियों और औद्योगिक सहकारी समितियों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का निर्धारण नहीं किया है ।

(ग) कार्यकारी दल की मुख्य सिफारिशें दो श्रेणियों में विभक्त होती हैं क्योंकि इन सिफारिशों का संबंध मुख्यतः या तो संगठन से है या वित्त व्यवस्था से है । जो सिफारिशें संगठनात्मक पहलू के बारे में है उनका सम्बन्ध विशिष्ट रूप से इन बातों से है :

(1) औद्योगिक सहकारी समितियों के पुनर्गठन का कार्यक्रम जिससे प्रत्येक एकक सक्षम बनाया जा सके ।

(2) नयी समितियों के पंजीकरण के लिए कसौटियां;

(3) सहकारी बैंकों में ऐसी संगठनात्मक व्यवस्थाएं करना जिससे ये बैंक छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों की वित्त व्यवस्था करने में प्रमुख भाग ले सकें ।

वित्तीय पहलू के बारे में की गयी सिफारिशों का संबंध विशेष रूप से इनबातों से है :

(1) औद्योगिक सहकारी समितियों के पूंजीगत ढांचे को सुदृढ़ बनाना;

(2) औद्योगिक सहकारी समितियों की कुल परिसम्पत्ति और कार्यचालन पूंजी संबंधी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना;

(3) इन सिफारिशों के संदर्भ में रिजर्व बैंक का योगदान; इन बातों का संबंध विशेष रूप से इन से है:

(क) रिजर्व बैंक से वित्तीय सहायता पाने के लिए मान्यताप्राप्त कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों की सूची का विस्तार करना;

(ख) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घावधिक कार्य) निधि से राज्य सरकारों को ऋण देने की व्यवस्था करना ताकि राज्य सरकार परिष्करण समितियों से भिन्न औद्योगिक सहकारी समितियों और कुछ चुने हुए शहरी सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी में रुपया लगा सकें;

(ग) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घावधिक कार्य) निधि से राज्यों के सहकारी बैंकों को माध्यम अवधि के लिये ऋण देने की व्यवस्था करना ताकि सहकारी परिष्करण समितियों के सदस्य इन समितियों के शेयर खरीद सकें;

(घ) सहकारी समितियों की कुल परिसम्पत्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण ऋण-पत्रों की योजनाएं तैयार करना।

(घ) और (ङ). रिजर्व बैंक और इसकी ग्रामीण तथा सहकारी ऋण संबंधी स्थायी सलाहकार समिति ने आम-तौर पर इन सिफारिशों का अनुमोदन किया है। चूंकि इन सिफारिशों का संबंध कई अभिकरणों से है, इसलिए इन पर अमल करने के लिए इन्हें उन अभिकरणों के पास भेज दिया गया है। जहां रिजर्व बैंक का संबंध है, उसने वित्तीय सहायता देने के प्रयोजन के लिए सान्यता प्राप्त उद्योगों की सूची का विस्तार करने से सम्बन्धित सिफारिश स्वीकार करली है और इसके लिए बुनाई उद्योग के अलावा, कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों के 22 व्यापक समूह बनाये हैं।

नेशनल प्रोजेक्ट कस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली

1960. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्सन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली की स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1969 को अधिकृत और प्रदत पूंजी कितनी थी;

(ख) कारपोरेशन ने सरकार, बैंकों तथा अन्य पार्टियों से 31 मार्च, 1969 तक कितना-कितना ऋण लिया हुआ था;

(ग) गत तीन वर्षों में कारपोरेशन ने ब्याज के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया;

(घ) गत तीन वर्षों में कारपोरेशन द्वारा किये गये कार्यों का तथा यदि उसे कोई लाभ या हानि हुई है तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हानि हुई है तो इसके क्या कारण हैं तथा 1969-70 में क्या उसे हानि अथवा लाभ होने का अनुमान है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि० की स्थापना 9-1-57 को हुई थी जिसकी अधिकृत शेयर पूंजी

2 करोड़ रुपये थी। उस समय निगम की प्रदत्त पूंजी 49 लाख रुपये थी । 31-3-1969 को निगम की अधिकृत शेयर पूंजी 3 करोड़ रुपये थी और प्रदत्त पूंजी 2.50 करोड़ रुपये थी।

(ख) 31-3-1969 तक निगम द्वारा लिए गये ऋण और अग्रिम धनराशि निम्नलिखित थे :—

(1)	केन्द्रीय सरकार से	295 लाख रुपये
(2)	परियोजना प्राधिकारियों से	237.17 लाख रुपये
(3)	बैंक से नकद उधार	211.08 लाख रुपये
(4)	बैंक गारंटी	15.98 लाख रुपये

(31-3-1969 को बकाया धन राशि 532 04 लाख रुपये थी)

(ग) 1965-66 से 1967-68 तक के वर्षों के दौरान निगम द्वारा ब्याज के रूप में दी गई धन राशि निम्नलिखित थी :—

वर्ष	धनराशि
1965-66	25.36 लाख रुपये
1966-67	29.70 लाख रुपये
1967-68	32.60 लाख रुपये

(घ) 1965-66 से 1967-68 तक के वर्षों के दौरान किए गए कार्यों का मूल्य और कार्यों के परिणाम निम्नलिखित थे–

वर्ष	किए गए कार्य का मूल्य	लाभ/हानि (लाख रुपयों में)
1965-66	940.95	16.83
1966-67	827.59	24.83
1967-68	980.12	(–) 29.21

1968-69 के लेखों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ङ) 1967-68 के दौरान 29.21 लाख रुपये हानि होने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे।

(1) वृहत् यूनिटों नामशः फरक्का, गण्डक और चंदन पर कार्यों के बहुत हद तक पूर्ण हो जाने के कारण बहुत से कर्मकों की छटनी करनी पड़ी। निगम को छंटनी मुआवजे, अनुग्रहपूर्वक अदायगियों आदि के रूप में भारी मात्रा में खर्च करना पड़ा। श्रम से सम्बन्धित विवाद को तय करने के लिए मध्यस्थों के निर्णयों का कार्यान्वयन करने के लिए भी अतिरिक्त खर्च करना पड़ा।

(2) कार्य पर लगने वाली पूंजी की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक से काफी मात्रा में धन उधार लेना पड़ा और निगम को 16.60 लाख रुपये ब्याज के रूप में अदा करने पड़े, जिनकी इसमें व्यवस्था नहीं थी।

(3) पिछले वर्षों के विपरीत, बेकार पड़ी अथवा पूर्ण रूप से उपयोग में न लाई गई मशीनों और गाड़ियों के प्रति बेकार मूल्य-ह्रास के लिए निगम ने पूर्ण व्यवस्था की ।

यह बताना अभी सम्भव नहीं है कि 1969–70 के लिए कार्य परिणाम क्या होंगे क्योंकि पिछले वर्ष के लेखों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

नई दिल्ली में सरकारी मकानों का सरकारी कर्मचारियों के अलावा अन्य लोगों द्वारा प्रयोग

1961. श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित कुछ सरकारी मकानों का प्रयोग अर्द्ध सरकारी संगठन, राज्य सरकार के कार्यालय और राजनीतिक दलों आदि द्वारा किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मकानों की संख्या कितनी है;

(ग) सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त इन आवासों को अन्य पार्टियों को अलाट करने के क्या कारण हैं; और

(घ) उनको खाली कराने और उनको सरकारी कर्मचारियों को अलाट करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हाँ ।

(ख) तथा (ग) . दिल्ली / नई दिल्ली में सामान्य पूल वास के आवंटन के लिए पात्र घोषित किए गए संघठनों के कर्मचारियों के दखल में 272 रिहायशी एकक हैं। 126 एकक उन संगठनों के कर्मचारियों के दखल में हैं, जहां वास के रखने के लिए पहले ही वचन दिया जा चुका है । 14 एकक दिल्ली में प्रतिनियुक्त किए गए राज्य सरकार के कर्मचारियों के दखल में हैं । इनमें 10 पारस्परिक व्यवस्था के आधार पर आवंटित किए गए हैं, जो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच की गई है और 4 एकक अन्य प्रकार से । सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार 16 एकक राजनीतिक दलों को आवंटित किए गए हैं ।

(घ) सरकार ने सामान्य पूल वास के आवंटन के लिए इस बात को देखते हुए 5 संघठनों को पात्र घोषित किया कि ये महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य में लीन हैं और उनके दखल में वास उनके दखल में रहेंगे। 126 रिहायशी एककों को, जो कुछ अन्य संघठनों के दखल में हैं, खाली करा लिया जायगा जब ये सम्बन्धित संघठन इन कर्मचारियों को वैकल्पिक वास

उपलब्ध कराने की स्थिति में होंगे। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच हुए पारस्परिक समझौते के अधीन राज्य सरकारों के कर्मचारियों को किए गए आवंटन उनके दखल में रहेंगे। जब तक वे दिल्ली में पदों पर बने रहेंगे। राजनीतिक दलों को किए गए आवंटन सरकार के नीति सम्बन्धी निर्णय के रूप में हुए हैं और ये एकक उन के दखल में बने रहेंगे।

संसद सचिवालयों के कर्मचारियों के लिये आवासों का पृथक कोटा

1962. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
श्री एन० शिवप्पा :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ सरकारी कार्यालयों को अपने कर्मचारियों के लिये आवास का पृथक कोटा निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन सरकारी कार्यालयों के क्या नाम हैं जिनके पास आवास का अलग कोटा है;

(ग) क्या संसद् के सचिवालयों के पास भी आवास का अपना अलग कोटा है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को पृथक आवास कोटा देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) . कतिपय विशेष श्रेणी के कार्यालयों के लिए सामान्य पूल से कुछ रिहायशी यूनिटों को अलग कर दिया गया है। जिनके लिए इन रिहायशी यूनिटों को अलग कर दिया गया हैं उन कार्यालयों तथा श्रेणियों के नाम निम्नांकित हैं:—

(1) दिल्ली पुलिस के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए उनके पूल की वृद्धि के हेतु 350 यूनिट।

(2) सी० जी० एच० एस० के आवश्यक कर्मचारियों के लिए जिनको सी० जी० एच० एस० की डिसपेन्सिरियों के निकट ड्यूटी पर होना आवश्यक है, 109 यूनिट।

(3) सरकारी अस्पतालों जैसे सफदरजंग, विलिंग्डन तथा इरविन के आवश्यक कर्मचारियों को आवंटन के लिए 320 यूनिट।

(4) रक्षामंत्रालय के सैनिक अधिकारियों को आवंटन के लिए डिफेंस पूल की वृद्धि के हेतु 1009 यूनिट।

(5) समुद्रपार संचार सेवा के आवश्यक कर्मचारियों के लिए 14 यूनिट।

(6) बार्डर सिक्योरिटी संगठन के स्टाफ के लिए 10 यूनिट

(ग) जी नहीं ।

(घ) तथा (ङ) . लोक सभा/राज्य सभा के अध्यक्ष की सिफारिश पर लोक सभा/राज्य सभा के सचिवालयों में कार्य कर रहे, कर्मचारियों की कतिपय श्रेणियों को तदर्थ आधार पर बगैर बारी के आवंटन करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

Promotions to Scheduled Caste/Scheduled Tribe Employees in the Ministry

1963. **Shri Molahu Prasad** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7029 on the 21st April, 1969 and state:

(a) whether the information regarding promotions to Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees in his Ministry has since been collected.

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) A statement is attached. [**Placed in Library,** See No. LT- 1500/69]

(c) Does not arise.

Reservation of residential accommodation for Scheduled Caste and Scheduled Tribe Central Government employees

1964. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 666 on the 24th March, 1969 regarding the reservation of residential accommodation for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe Central Government employees and state:

(a) the action taken on the representation of the Scheduled Castes Social Welfare Organisation of India;

(b) the reasons for the non-availability of the statistical data in the Directorate of Estates regarding the number of Scheduled Caste/Scheduled Tride employees in various Central Government Offices and the number of those amongst them who have been allotted Government accommodation and those who are without Government accommodation; and

(c) steps Government propose to take for reservation of residential accommodation for SC/ST Central Govt. employees ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The Scheduled Castes Social Welfare Organisation of India was informed that no preferential treatment to the Scheduled Castes employees, in the matter of allotment of general pool accommodation, could be given as every employee is waiting for his turn in accordance with his date of priority.

(b) The applications for allotment of Government accommmodation are called for only from Government employees having their dates of priority within certain

ranges fixed by the Directorate of Estates keeping in view the expected availability of accommodation during a particular year. No. column in the application forms in respect of castes or creed of the Government employees has been provided and, therefore no statistical data as such is available in the Directorate of Estates.

(c) The Government is considering whether any weightage could be given to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes employees in the matter of accommodation from the general pool.

परिवार नियोजन कार्यक्रम

1965. **श्री नि० र० लास्कर :**
श्री चेंगल राया नायडू :
श्री रा० बरुआ ।

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को प्रसवन तथा जनन के विषय में लोगों के दृष्टिकोण सम्बन्धी सामाजिक परिवर्तन के बारे में तथ्य एकत्रित करने के काम पर तुरन्त ध्यान देने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र में अन्य क्या बातें कहीं गई हैं; और

(ग) उनके प्रति राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर): (क) और (ख). राज्य परिवार नियोजन कार्यालयों के जन-विद्या और मूल्यांकन प्रभागों में समाज – वैज्ञानिक के पदों के सृजन की स्वीकृति देते समय राज्य सरकारों को यह बतलाया गया था कि संतानोत्पत्ति के विषय में लोगों के विचारों में सामाजिक परिवर्तन लाना परिवार नियोजन कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण समस्या है। समाज में कुछ ऐसे सांस्कृतिक तौर–तरीके, रीति–रिवाज और परम्परागत धारणायें प्रचलित हैं जो संतानोत्पादन के वर्तमान स्वरूप को प्रभावित करते हैं। परिवारों को छोटा बनाने के उद्देश्य से उनमें परिवर्तन लाना आवश्यक है ताकि परिवार नियोजन के तरीकों का व्यापक रूप से इस्तेमाल होने लगे। भेजे गये पत्र का सम्बद्ध उद्धरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1501/69]

(घ) राज्य सरकारें आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

राजस्थान की बिजली की आवश्यकता

1966. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कोई अनुमान लगाये गये हैं कि राजस्थान के विभिन्न भागों में आबादी की सघनता और प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता की तुलना में राजस्थान की विद्युत सम्बन्धी आवश्यकतायें क्या हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य के किन भागों में बिजली की कमी है;

(ग) क्या चौथी योजना के अन्त में बिजली की कमी पूरी हो जायेगी और यदि हां, तो तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने बिजली की कमी को दूर करने के लिये कोई योजना तैयार की है या किसी राज्य द्वारा तैयार की गई योजनाओं पर सहमति प्रकट की है; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बिजली के उत्पादन के लिए राजस्थान में जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं वे उनकी आवश्यकता की अपेक्षा कम हैं। अतः राज्य भाखड़ा-नांगल, चंबल, व्यास और सतपुड़ा ताप-बिजली परियोजना नामक सांझी परियोजनाओं की पूंजीगत लागत और लाभों में अंशधारी रहा है।

(ख) और (ग) . इस समय राजस्थान में बिजली की सप्लाई की कमी नहीं है और न ही इस राज्य में चौथी योजना के अन्त तक कमी होने की संभावना है।

जो संतत स्कीमें अब प्रगति कर रही हैं उनके चालू हो जाने से ऐसी उम्मीद है कि सांझी परियोजनाओं में राज्य के अंश समेत राजस्थान की प्रतिष्ठापति क्षमता 1973–74 तक लगभग 982 मेगावाट हो जाएगी जिसमें से लगभग 658 मेगावाट पक्की क्षमता होगी। यह बिजली उस समय तक प्रत्याशित लगभग 583 मेगावाट की मांग को पूरा करने के लिए काफी है।

(घ) और (ङ) . प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में एक और तेल शोधक कारखाना

1967. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री एस० आर० दामानी :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात में एक दूसरा तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में निर्णय लेने के सम्बन्ध में क्या रुकावटें हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) गुजरात में दूसरी शोधनशाला को लगाने का प्रश्न, देश में अतिरिक्त शोधन-क्षमता की आवश्यकता से जुड़ा हुआ है। जांच की जा रही है कि कब, कहां और कैसे अतिरिक्त क्षमता पैदा की जाए।

वर्ष 1973-74 में विद्युत की अनुमानित कमी

1968. श्री देवकीनन्दन पाटो दया : श्री देवव्रत बरुआ :
श्री रामावतार शास्त्री : श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री मीठालाल मीना :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में विद्युत के उत्पादन में कटौती किये जाने के परिणामस्वरूप वर्ष 1973-74 में 40 लाख किलोवाट विद्युत की कमी होने का अनुमान है;

(ख) क्या विद्युत की कमी से ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं तथा लघु उद्योगों के विकास पर कुप्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं तथा इसका सामना करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बिजली सम्बन्धी कार्यदल द्वारा संशोधित पांचवे वार्षिक बिजली सर्वेक्षण के अनुसार, चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 260 लाख किलोवाट होनी चाहिए जब कि चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य केवल 220 लाख किलोवाट परिकल्पित किया गया है।

(ख) बिजली की सम्भावित कमी से औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी विकास में रुकावट आने की संभावना है।

(ग) अतिरिक्त उत्पादन सुविधाओं को उत्पन्न करने के लिए धन की कमी ही एक मात्र कठिनाई है। हाल ही में 26 और 27 मई, 1969 को हुए राज्यों के सिंचाई व बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में यह फैसला किया गया था कि जिन राज्यों में बिजली की भारी कमी होने की सम्भावना है उन्हें इस भारी अंतर को कम करने के लिए बिजली उत्पादनार्थ अन्य स्रोतों से अतिरिक्त धन आवंटित करना होगा।

Money invested in 'Patriot' and 'Link' Papers.

1969. Shri Sharda Nand : Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Shri Gopal Saboo : Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that Shrimati Aruna Asaf Ali and the Editor of 'Patriot' have invested large sums of money in the papers 'Patriot' and 'Link' ;

(b) if so, the amount of money invested by both the persons mentioned above in the aforesaid papers during the last fours years; and

(c) whether Government have made enquiries from both these persons about the source of the money invested by them in these papers ?

The Minister of State in the Ministry of Finance, (Shri P. C. Sethi) : (a) It has come to the notice of the Income-tax Department that Smt. Aruna Asaf Ali and Shri E. Narayanan, Editor of the daily 'Patriot' have invested money in the shares of M/s Raisina Publications Ltd., publishers of the 'Patriot' and M/s. United India Periodicals (Pvt.) Ltd., publisher of the 'Link'. Smt. Aruna Asaf Ali has also other deposits with these companies.

(b) The amount invested by Smt. Aruna Asaf Ali in shares and deposits in the above two concerns is as below·

As on 31 3.1966	Rs. 13,91,999
As on 31.3.1967	Rs. 17,10,855
As on 31.3.1968	Rs. 18,93,755

Shri E. Narayanan had invested till 31.3.1965 a sum of Rs. 30,300/- in the shares of these two companies. Datails of his investments during the subsequent period are not readily available.

(c) Enquiries are in progress.

हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की काली तथा हरी चाय का स्तर

1970. **श्री हेम राज** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास, तथा नगरीय विकास मन्त्री 24 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 849 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की काली और हरी चाय के लिए अलग अलग स्तर निर्धारित करने के बारे में भारतीय मानक संस्था की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो यह संस्था कब तक उनके स्तर के बारे में अन्तिम निर्णय कर लेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारतीय मानक संस्था की सिफारिशें शीघ्र ही मिल जाने की आशा है ।

हिमाचल प्रदेश को भेजे गये संयुक्त पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

1971. **श्री हेम राज** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री दिनांक 3 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1494 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारियों की सेवा-शर्तों तथा हिमाचल प्रदेश के विद्युत कर्मचारियों के साथ उनके विलय से सम्बन्धित प्रश्न इस समय किस स्थिति में हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) मामला अभी विचाराधीन है ।

एच० पी० वाटर्स द्वारा उत्पादित बिजली की रायल्टी में भाग की हिमाचल प्रदेश की मांग

1972. **श्री हेम राज** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री 3 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1534 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उपभोक्ता राज्यों द्वारा उपयोग की जा रही विद्युत तथा पानी की रायल्टी उस राज्य द्वारा वसूल की जायेगी जिस राज्य का पानी उपभोक्ता राज्य उपयोग कर रहे हैं; और यदि हां, तो इस समय कौन सा राज्य यह रायल्टी वसूल कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अपने जल से बनाई जा रही बिजली पर रायल्टी तथा समुन्नति शुल्क में अपने हिस्से की मांग की है, और

(ग) यह मामला कब से सरकार के विचाराधीन है और इस बारे में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम में यह कहा गया है कि "कोई भी राज्य, किसी दूसरे राज्य अथवा वहां के लोगों द्वारा अन्तर्राज्यीय नदी को जल संसाधनों के प्रयोग के सम्बन्ध में जागीरदारी अथवा अतिरिक्त दर अथवा शुल्क (जिस भी नाम से पुकारा जाए) इस कारण न तो निर्धारित कर सकता है अथवा निर्धारित करने के लिए किसी को अधिकार दे सकता है कि अन्तर्राज्यीय नदी के जल संसाधनों के संरक्षण, नियमन और प्रयोग के लिए बनाए गये कार्य उनके राज्य की सीमा में पडते हैं" ।

किन्तु अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के लागू होने से पहले सम्बन्धित राज्यों में आपसी मर्जी के द्वारा निम्नलिखित समझौते किए गए थे :

(i) मचकुंड परियोजना के सम्बन्ध में (उड़ीसा और भूतपूर्व मद्रास सरकार द्वारा किए गए समझौते के अनुसार) बिजली केन्द्र पर रिकार्ड की गई अधिकतम वास्तविक मांग के 20% पर 20 रुपये प्रति किलोवाट–वर्ष की दर पर आंध्र प्रदेश सरकार हर वर्ष उड़ीसा सरकार को अदायगी कर रही है ।

(ii) पेरियार परियोजना के सम्बन्ध में, तमिलनाडु सरकार, भूतपूर्व ट्रावनकोर-कोचीन राज्य के साथ किए गए समझौते के अधीन, केरल सरकार को 3500 लाख यूनिट बिजली तक उत्पन्न यूनिटों के लिए 12 रुपये प्रति किलोवाट–

वर्ष और 3500 लाख यूनिट से अधिक उत्पन्न बिजली के लिए 18 रुपये प्रति किलोवाट-वर्ष रायल्टी दे रही है ।

(ख) और (ग) जी, हां । उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सीमाओं में बिजली के उत्पादन पर टैक्स, ड्यूटी अथवा रायल्टी का प्रश्न उठाया है । इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । चूंकि इस प्रश्न के महत्वपूर्ण कानूनी तथा सांविधिक पहलू भी है, इस पर फैसला लेने में कुछ समय लगने की सम्भावना है ।

उत्पाद-शुल्क का न्यून-अनुमान

1973. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छूट आदेश तथा दरों को समुचित ढंग से लागू न करने के कारण शुल्क के न्यून-अनुमान के परिणामस्वरूप केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के द्वारा वर्ष 1968-69 में सरकार को राजस्व की कितनी धनराशि की हानि हुई है ; और

(ख) सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) । (क) तथा (ख) छूट विषयक आदेश के अनुचित प्रयोग से और दरें गलत तरीके से लगाये जाने से वर्ष 1968-69 में सरकार को 1,24,115 रुपये 77 पैसे के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की हानि हुई । इसमें से 1,14,879 रुपये 37 पैसे की हानि मिश्रित सूत के न्यूननिर्धारण के कारण हुई जो सम्बन्धित छूट विषयक अधिसूचना की गलत व्यवस्था के कारण हुआ था । गलत व्याख्या, अधिसूचना की अस्पष्टता के कारण हुई थी, और इसे बाद में, अधिसूचना में उपयुक्त संशोधन करके दूर कर दिया गया । शेष 9,236 रुपये 40 पैसे की हानि के बारे में यह जांच की जा रही है कि क्या सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता है ।

कर-निर्धारण के व्यापारिक अनिर्णीत मामले

1974. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1968 तक अनिर्णीत व्यापारिक मामलों की कुल संख्या क्या है तथा उन से अनुमानतः कितना राजस्व प्राप्त होना है ;

(ख) कुल मामलों के कितने प्रतिशत मामले 15,000 रुपये से अधिक आय वाले हैं ; और

(ग) कुल मामलों के कितने प्रतिशत मामले 15,000 रुपये से कम आय वाले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 7,500 रुपये से अधिक आय वाले व्यापारिक मामलों के सम्बन्ध में सांख्यिकी सूचना रखी जाती है । 31 मार्च, 1968 को जिन मामलों की कर-निर्धारण की कार्यवाही चल रही थी उनकी कुल संख्या 7,24,136 थी ।

31 मार्च, 1968 को कर निर्धारण की कार्यवाही चल रहे सब मामलों में लगभग 185.16 करोड रुपये की रकमें प्राप्त है।

(ख) 15000 रुपये से अधिक व्यापारिक आय वाले जितने कर-निर्धारण के मामले 31-3-1968 को विचाराधीन थे उनकी संख्या का कर निर्धारण के लिए विचाराधीन कुल मामलों की संख्या के प्रति अनुपात 14 प्रतिशत था, और

(ग) 15000 रुपये से कम व्यापारिक आयवाले जितने कर-निर्धारण के तथा अन्य प्रकार के कर-निर्धारण के मामले 31-3-1968 को निर्णय होने को बाकी थे उनकी संख्या का कुल विचाराधीन मामलों की संख्या के प्रति अनुपात, 86 प्रतिशत था।

टैट्रासाइक्लीन की मांग

1975. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ड्रग्स एण्ड फोर्मस्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा एंटीबायोटिक्स के टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का वार्षिक उत्पादन कितना है ; और

(ख) देश में उक्त औषधि की वास्तविक आवश्यकता कितनी हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

मद	लाइसेंस की गई क्षमता प्रतिवर्ष
क्लोरटैट्रासाइक्लीन	70 मीटरी टन
आक्सीटैट्रासाइक्लीन बेस	25 मीटरी टन
टैट्रासाइक्लीन बेस, टैट्रासाइक्लीन हाइड्रोक्लोराइड	25 मीटरी टन
कुल :	**120 मीटरी टन**

(ख) ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स की विकास परिषद ने 1973-74 के लिये टैट्रासाइक्लीन ग्रुप के लिये 150 मीटरी टनों के लक्ष्य का सुझाव दिया है।

जनसंख्या पर नियंत्रण

1976. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रहणशील जनसंख्या में वंध्याकरण और लूप लगवाने की प्रतिशतता क्या है और वर्तमान जनसंख्या को स्थिर रखने के लिये इसकी प्रतिशतता क्या होनी चाहिये ; और

(ख) क्या जनसंख्या को प्राकृतिक रूप से सीमित करने के उद्देश्य से खुले मकानों की व्यवस्था करने, जीवन स्तर ऊंचा बनाने और आमोद-प्रमोद की व्यवस्था करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) :(क) कुल प्रजननशील दम्पत्तियों में से 13 प्रतिशत से भी अधिक दम्पत्तियों ने लूप या नसबन्दी के द्वारा सतंति-निग्रह कर लिया है। वर्तमान स्तर पर जनसंख्या को स्थिर रखने का विचार नहीं है बल्कि उद्देश्य यह है कि दस वर्ष में जन्म दर को घटा कर 25 प्रतिहजार तक कर दिया जाए।

(ख) अच्छे मकानों की व्यवस्था करना और जीवन स्तर को ऊंचा बनाना तथा मनोरंजन की व्यवस्था करना सरकार की सामान्य नीति है।

चौथी योजना के दौरान सिंचाई कार्यक्रम

1977. **श्री लोबो प्रभु** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई नीति अपनाने के परिणामस्वरूप पिछले दो वर्षों में कृषि उत्पादन में अनुपातत: कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या अवशेष वृद्धि सिंचाई सुविधाओं के कारण हुई है और यदि हां, तो सिंचाई कार्यक्रम के लिये तीसरी योजना में रखी गई व्यवस्था को 6.3 प्रतिशत से घटा कर चौथी योजना में 4.3 प्रतिशत कर देने के क्या कारण हैं ;

(ग) प्रयोग में आने योग्य प्रवाह को इस्तेमाल में लाने के लिये तीसरी योजना की प्रतिशतता को दुगना न करने के क्या कारण हैं जबकि इसमें विदेशी मुद्रा का खर्च भी नहीं है तथा कर्मचारी और श्रमिक लगाये जाते हैं ; और

(घ) वर्तमान सिंचाई क्षमता के उपयोग में सुधार करने के लिये क्या विशेष कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1964-65 में 890 लाख टनस् अनाज की उपज के प्रति, 1966-67 और 1967-68 के दौरान अनाज की उपज क्रमश: 742 लाख टनस् और 956 लाख टनस् थी।

(ख) कृषि उपज में वृद्धि इन कारणों से हुई : सिंचाई, अच्छी किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, सयंत्र सरक्षण आदि। इनमें से हर एक से कितना कितना लाभ हुआ इसका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। सिंचाई आधारभूत तत्व होने के नाते बहुत महत्व रखती है।

(ग) सिंचाई के लिये व्यय का प्रबन्ध अन्य विकास कार्यक्रमों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है जैसा कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने सुझाव दिया है राज्यों के संसाधनों का नव मूल्यांकन पांचवे वित्त आयोग की सिफारिशों की रोशनी में किया

जायेगा । सिंचाई के लिए अतिरिक्त व्यय का प्रबन्ध करने के प्रश्न पर इसके बाद विचार किया जाएगा ।

(घ) बृहद् नदी घाटी परियोजनाओं के कुछ चुने हुए कमान क्षेत्रों में क्षेत्र विकास स्कीमें, जिनमें लैंड शेपिंग और लेवलिंग कार्य तथा क्षेत्रीय नालियों का प्रबन्ध आदि शामिल है, कार्यान्वित की जा रही हैं और इन्हें जारी रखा जाएगा ।

Allotment of plots to shanty dwellers in Delhi

1978. **Shri Ram Charan ;** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there was a scheme to allot Plots of 80 square yards to the shanty dwellers who were removed under the Jhuggi-Jhonpri Scheme of the Delhi Development Authority and that some such plots have also been allotted in Delhi ;

(b) whether it is also a fact that plots of 25 square yards only are now being allotted ; if so, the reasons therefor :

(c) whether it is also a fact that no house of less than 125/80 square yards can be approved under the Delhi Master Plan; if so, whether compelling the people to live in a plot of 25 square yards will not tantamount to the violation of the law; and

(d) if so, whether Government are formulating a new scheme in this regard and if not, the reasons therefor ?

The Minieter of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B, S. Murthy) : (a) Yes.

(b) Yes. In view of the paucity of land and large number of squatters who have to be provided with alternative sites, it is not possible to allot bigger plots to them.

(c) and (d) : The Master Plan provides that the Minimum size of an individual residential plot for a two-storey. two family dwelling unit should be 125 square yards. In the case of low cost housing for low income-groups and slum rehousing the minimum plot size should be 80 square yards. Minimum size of residential plot for single family dwelling unit has not been laid down. As such the allotment of 25 square yards camping sites does not constitute any violation of the law. There is no proposal to revise the policy in this regard.

दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी योजना के अन्तर्गत झोंपड़ियों/मकानों का गिराया जाना

1979. **श्री राम चरण :**
श्री नाथू राम अहिरवार :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की झुग्गी-झोंपड़ी योजना के अन्तर्गत गत दो वर्षों में (31 मई, 1969 तक) दिल्ली/नई दिल्ली में कुल कितनी झोंपड़ियां/मकान गिराये गये ;

(ख) दिल्ली/नई दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी योजना के अन्तर्गत गिराई गई झोंपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों को उक्त अवधि में विभिन्न बस्तियों में कितनी सख्या में प्लाट अलाट किये गये और प्लाटों का ब्यौरा और माप क्या है ;

(ग) उन झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को अभी भी कितने प्लाट अलाट करने हैं जिनकी झुग्गी झोंपड़ियों को गिरा दिया गया है ; और

(घ) प्लाटों को कब तक अलाट किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) लगभग 29,000 झुग्गियां गिराई गई थीं।

(ख) नियमित बस्तियों में, 722 टेनमेंट, 25 वर्ग गज के 6524 प्लाट तथा 12½ वर्ग गज के 245 अस्थायी दुकान प्लाट आवंटित किये गये थे। शिविर स्थानों (कैम्पिंग साइट्स) में प्रत्येक 22½ वर्ग गज के 9875 प्लाटों तथा 294 अस्थायी दुकान-प्लाटों को आवंटित किया गया था।

(ग) जिनके पास गिराये जाने की पर्चियां (डिलोलीशन स्लिप्स) थीं तथा आवंटन के लिए आये थे उन सभी को आवंटन दे दिया गया।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फ़ार्मास्युटीकल्स लिमिटेड

1980. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के 31 मई, 1969 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के कार्य के परिणामों को देखा है और क्या उसमें किसी प्रगति अथवा ह्रास का पता चला है ;

(ख) क्या कम्पनी का कार्य गत वर्षों की तुलना में अच्छा है और कुल कितना लाभ तथा हानि हुई है और उत्पादन, बिक्री, निर्यात और भण्डार की सूची क्या है ;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में वही अधिकारी कम्पनी को चला रहे थे या नहीं, इस कम्पनी के अध्यक्ष, प्रबन्धक निदेशक तथा सचिव के नाम क्या हैं, वे इन पदों पर कब से हैं और वे किन विभागों से आये हैं ; और

(घ) पिछली कमियों को दूर करने के लिए गत वर्ष में क्या विशेष कार्यवाही की गई है और क्या जनता में कम्पनी की प्रतिष्ठता बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) . कम्पनी के 1968-69 वर्ष के वार्षिक लेखों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है विधिवत् लेखा-परीक्षा के बाद सितम्बर, 1969 में किसी समय होने वाली सेअर होल्डर्स की वार्षिक साधारण सभा में पेश किये जायेंगे। इसलिये इस वर्ष के परिणामों की पिछले वर्ष के परिणामों से तुलना करना सम्भव नहीं है।

(ग) आवश्यक जानकारी संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1502/69**]

(घ) इसकी कार्य-कुशलता में वृद्धि करने और इसे सरकारी क्षेत्र की एक जीने योग्य इकाई बनाने के लिऐ, कम्पनी के कार्य का निरंतर पुनरीक्षण किया जाता है। सामान्यता, जनता ने कम्पनी के उत्पादों को अपनाया है तथा कम्पनी जब कुछ अनुभव अर्जित कर लेगी, और अपने को बाजार में प्रतिस्थापित कर लेगी, स्थिति में और अधिक सुधार की आशा है।

दिल्ली और नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों द्वारा क्वार्टरों का 'सब-लेट' करना

1981. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है कि दिल्ली तथा नई दिल्ली में कितने सरकारी कर्मचारियों ने उनको आवंटित क्वार्टरों को 'सबलेट' किया हुआ हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित किये गये हैं, और उनमें से कितने कर्मचारियों ने क्वार्टरों को सबलेट किया हुआ है;

(ग) सबलैट की इस प्रथा के बारे में सरकार की क्या नीति है और ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है जो सरकारी क्वार्टर को सबलैट करते हैं; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार सबलैट के सम्बन्ध में नया सर्वेक्षण करने का है, और यदि हां, तो कब ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकारी क्वार्टरों के अनधिकृत रूप से उप-किराएदारी के अनाचार पर नियंत्रण करना सरकार की नीति है। जहां उप-किराएदारी प्रमाणित हो जाती है, निम्न प्रकार का दण्ड दिया जाता है :—

(i) एक विशेष अवधि के लिए, जो तीन वर्ष से अधिक नहीं होती सरकारी वास के लिए आवंटियों को अपात्र घोषित कर दिया जाता है।

(ii) विशिष्ट अवधि के लिए सरकारी वास की भागीदारी से वंचित कर दिया जाता है ।

(iii) अधिक किराया वसूल किया जाता है जो मूल नियम 45-ए के अन्तर्गत मानक किराये के चार गुना से अधिक नहीं होता ।

(घ) सरकारी क्वार्टरों की उप-किरायेदारी का सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं हैं ।

आय-कर विभाग में कथित भ्रष्टाचार

1982. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय-कर विभाग की नई नीति के अन्तर्गत अधिक कर निर्धारण करने के लिए आय-कर अधिकारियों को अधिक शक्तियों तथा स्वविवेक का प्रयोग करने की अनुमति दी है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस नीति के परिणामस्वरूप प्रत्यक्षतः आय-कर विभाग में भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया है;

(ग) क्या सरकार को गत 6 महीनों में आयकर अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो इन में से कितनी शिकायतों की जांच की गई थी और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और कर-दाताओं की परेशानी को रोकने के लिए सरकार का तत्काल क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं । कर-अपवंचन की बुराई को रोकने के लिए दण्ड लगाने से सम्बन्धित उपबन्धों को दृढ़ बनाया गया है लेकिन उनमें आय-कर अधिकारी को अधिक अधिकार अथवा स्वविवेक का प्रयोग निहित नहीं है, जिससे वह मनमाने ढग से कर निर्धारण कर सके ।

(ख) इस बात का कोई प्रमाण नहीं हैं कि कर-अपवंचन को समाप्त करने के लिये किये गये दृढ़ उपायों के कारण आय-कर विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा है ।

(ग) 1 जनवरी 1969 से 30 जून 1969 तक की अवधि में आय-कर अधिकारियों के खिलाफ 109 शिकायतें प्राप्त हुई । इनमें से 78 शिकायतों के सम्बन्ध में जांच पड़ताल की गयी । 9 शिकायतों के सम्बन्ध में अब जांच पड़ताल पूरी हो गयी है, और उनमें लगाये गये आरोप निराधार पाये गये हैं और इसलिये इन मामलों को बन्द किया गया है । शेष 69 शिकायतों के बारे में जांच-पड़ताल अभी चल रही है ।

(घ) भ्रष्टाचार और परेशान करने सम्बन्धी आरोपों की जांच पड़ताल करने के लिये एक सक्रिय सतर्कता संगठन पहले ही विभाग में काम कर रहा है और भ्रष्टाचार एवं परेशान करने की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिये, आवश्यक मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो जैसी अन्य एजेन्सियों की भी सहायता लेकर बराबर कार्यवाही की जा रही है ।

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

1983. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के 31-3-69 को समाप्त होने वाले द्वितीय वर्ष के कार्य के परिणामों को देखा है और क्या उसमें किसी प्रगति अथवा ह्रास का पता चला है;

(ख) कम्पनी का काम गत वर्षों की तुलना में अच्छा है या नहीं तथा लाभ और हानि, उत्पादन, विक्रय निर्यात तथा माल-सूचियों आदि के बारे में तुलनात्मक जानकारी क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में वही अधिकारी कम्पनी को चला रहे थे या नहीं, इस कंपनी के अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा सचिव के नाम क्या हैं, वे इन पदों पर कब से कार्य कर रहे हैं, उनके वेतन, भत्ते आदि क्या हैं; और वे कहां से आये हैं; और

(घ) पिछली कमियों को दूर करने के लिए गत वर्ष में क्या कार्यवाही की गई है और क्या जनता में कम्पनी की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लेखों को अभी अन्तिम रूप देना है ।

(ख) परियोजना अभी तक निर्माणाधीन है ।

(ग) एक विवरण-पत्र संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1503/69]

(घ) जैसा कि ऊपर बताया गया है परियोजना अभी निर्माणाधीन है ।

पंजाब राज्य में उर्वरक कारखाना

1984. **श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने राज्य में गैर सरकारी क्षेत्र में 60 करोड़ रुपये का उर्वरक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार उपर्युक्त परियोजना को वित्तीय सहायता, भूमि तथा बिजली देने पर सहमत हो गई है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि नांगल स्थित सरकारी क्षेत्र के कारखाने का विस्तार इसलिये रोकना पड़ा था क्योंकि राज्य सरकार ने रियायती दरों पर बिजली देने से इन्कार कर दिया था ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) मंगलौर, पंजाब या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये भारत सरकार ने मैसर्स कलिंगा ट्यूब्स लिमिटेड को एक आशय पत्र जारी किया है। आरम्भ में कम्पनी ने 75 करोड़ रुपये की लागत से पंजाब में संयंत्र लगाने का प्रस्ताव किया था।

(ख) राज्य सरकार ने भूमि और बिजली जैसी आवश्यक सुविधायें देने की सहमति प्रकट की थी और परियोजना में वित्तीय सहयोग देने के लिए भी विचार कर रही थी।

(ग) यद्यपि राज्य सरकार ने आवश्यक मात्रा में बिजली सप्लाई करने में असमर्थता प्रकट की है तथापि अन्य श्रोत से बिजली सप्लाई के आधार पर नंगल कारखाने के विस्तार की योजना जारी है।

सरोजनी नगर, नई दिल्ली में भूमि को खेल के मैदान/पार्कों के रूप में बदलना

1985. श्री म० ला० सोंधी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जे० के० और एल० ब्लाक के निवासियों से तथा सरोजनी नगर, नई दिल्ली के अन्य निवासियों से कोई अभ्यावेदन मिले हैं कि रेलवे लाइन के साथ की भूमि को उस बस्ती के बच्चों के प्रयोग के लिए खेल के मैदान/पार्क के रूप में बदल दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

किदवई नगर, (नई दिल्ली) में पानी के मीटरों की चोरी

1986. श्री म० ला० सोंधी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किदवई नगर नई दिल्ली के चतुर्थ श्रेणी के क्वार्टरों में पानी के मीटरों की चोरी हो रही है क्योंकि वे सुरक्षित स्थान पर नहीं लगाये गये हैं;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में वहाँ के निवासियों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो वहां के निवासियों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं । इस समय किदवई नगर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के टाईप 1 क्वार्टरों में पानी की सप्लाई बगैर मीटर के हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नेताजी नगर, नई दिल्ली में "ई" तथा "एफ" ब्लाक में सफाई का प्रबन्ध

1987. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहां तक सफाई और घास वाले मैदानों की व्यवस्था का सम्बन्ध है नेताजी नगर के क्षेत्र में "ई" तथा "एफ" ब्लाकों (टाइप एक और दो क्वार्टर) की स्थिति बहुत खराब है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में सफाई व्यवस्था और यहां की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) तथा (ख). जी नहीं । क्षेत्र की सामान्य सफाई संतोषप्रद है । अभी हाल में, जब बजरी के मार्गों की मरम्मत का कार्य चल रहा था, तो ईटों की कुछ रोडी बिखर गई, जो काम के पूरा हो जाने पर उठवा दी जाएगी । 'लान' के रूप में 69 प्लाटों को विकसित किया गया ।

बोकारो-कोयला खान के द्वि-तार रज्जू मार्ग को हटाना

1988. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि बोकारो कोयला खान से 'वाशरी' तक कोयला ले जाने के लिए 13 लाख रुपये की लागत से स्थापित किये गये द्वि-तार रज्जु मार्ग को बाद में हटा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) यद्यपि रज्जुमार्ग अनुमोदित विशिष्टियों के अनुसार स्थापित किया गया था, परन्तु कुछ समय चलने के पश्चात् उसमें तेजी के साथ घिसावट आने लगी । बाल्टियां गिर जाती जिससे कि दुर्घटनाएं हो जाती और साथ में परिचालन रुकावटें आ जाती तथा कोयला धोने के कारखानों को हानियां होने लगी । उत्पादक ने रज्जुमार्ग को अपने खर्च पर बदल दिया

परन्तु बदले गये रज्जुमार्ग में भी वही खराबी आ गई । अतः रज्जुमार्ग को विखण्डित करना तथा बोकारो कोयला खान से करगली के कोयला धोने के कारखाने तक कोयले के परिवहन को निगम की अपनी वेगनों तथा ट्रकों के द्वारा करना लाभदायक समझा गया जिस से कि कोयला धोने के कारखाने के कार्यकरण पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े ।

Measures to locate leakage in Petrol or Gas pipelines

1989. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that dogs are put on the job of locating leakage in petrol or gas pipe-lines in Russia; and

(b) if so, whether Government have made a comparative study of the utility of dogs for the purpose in the Indian background ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes; according to reports in some trade journals dogs are being used to detect leakage in gas pipelines in Russia.

(b) No.

Plan for use of water potentiality

***1990. Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri S. R. Damani :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that water potentiality of rivers at present going waste which can be usefully harnessed, is 350 lakh hector meters and 50 lakh hector metres only out of it are to be harnessed during the Fourth Plan period; and

(b) if so, the long term plan drawn up for utilising the remaining 3 crores hector metres water ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : The average annual surface water resources of the country are about 168 million hectare metres. Out of this. about 40% to 50% only can be used for irrigation on account of physiographical conditions. About 20.5 million hectare metres are being used now, and an additional 5 million hectare metres are expected to be utilised at the end of the Fourth Plan.

(b) It may take another four or five year plans and an outlay of over Rs. 7000 crores to utilise all the 56 million hectare metres of usable flow. Investigations are being carried out by the State Governments for projects to be taken up in the future plans and to drawn up master Plans of development.

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में पीने के पानी का अभाव

1991. श्री बैं० कृ० दास चौधरी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त इलाहाबाद जिले में लगभग 10 लाख लोगों तथा लगभग इतने ही पशुओं के सामने मई, 1969 के महीने में गम्भीर रूप से पानी का संकट आ गया था और वहां पर अब भी पानी का संकट बना हुआ है;

(ख) क्या उन क्षेत्रों में जनता को बचाने के लिये पानी की कमी का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ग) राज्य में पानी के संकट से निपटने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार की क्या सहायता की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) ; (क) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि केवल लगभग 3.26 लाख लोग और कुछ पशु इससे प्रभावित हुए थे ।

क्योंकि वर्षा शुरु हो गई है इसलिए पीने के पानी के मिलने में कुछ आसानी हो गई है ।

(ख) जी हां ।

(ग) केन्द्रीय सरकार प्राकृतिक प्रकोपों, जिनमें पीने के पानी की कमी भी सम्मिलित हैं, सम्बन्धी सहायता कार्यों पर पूरे वर्ष में सम्पूर्ण राज्य में 75 लाख रुपये से अधिक के खर्च पर केन्द्रीय सहायता 50 प्रतिशत सहाय्यानुदान के रूप में और 25 प्रतिशत ऋण के रूप में देगी ।

मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर भारत सरकार चालू वित्तीय वर्ष में पीने के पानी की स्थायी योजनाओं के लिये सहायता लेखा में एक करोड़ रुपये का ऋण देने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में विचार करने के लिए सहमत हो गई है बशर्ते राज्य सरकार के अर्थोपाय की परिस्थिति से ऐसी सहायता का औचित्य सिद्ध होता हो और 1969–70 के ग्रामीण जल सम्भरण कार्यक्रमों के लिये स्वीकृत योजना लागत समाप्त हो चुकी हो ।

सेंट्रल बम्बई में सोने का पकड़ा जाना

1992. श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई खुफ़िया पुलिस विभाग की विशिष्ट शाखा ने 16 मई, 1969 को सेंट्रल बंबई के एक फ्लेट से 16 लाख रुपये का सोना जब्त किया था;

(ख) क्या कोई जांच की गई थी और अपराधियों को पकडा गया था; और

(ग) उन अपराधियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) . बम्बई की खुफिया विभाग की विशेष शाखा के अधिकारियों ने 16 मई, 1969 को परेल, बम्बई में एक

फ्लैट की तलाशी ली और 8 सूती जाकिटें बरामद कीं, जिनमें 9। किलोग्राम सोना भरा था जिसका अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 7.68 लाख रुपये होता है। 17 मई, 1969 को कुछ पुराने आभूषण और 800 रुपये मूल्य की भारतीय मुद्रा भी बरामद की गई। यह मामला, बम्बई के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने अपने हाथ में ले लिया है और माल पकड़ लिया गया है। अब तक तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, और उनमें से प्रत्येक को एक एक लाख की जमानत पर रिहा किया गया है। आगे जांच-पड़ताल चल रही है।

दिल्ली में नरेला स्थित म्युनिसिपल टी० बी० क्लीनिक

1993. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरेला स्थित म्युनिसिपल टी० बी० क्लीनिक का वार्ड अभी चालू नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) इस क्लीनिक के चालू होने से लेकर अब तक में कुल कितने टी० बी० के रोगी आये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) . अपेक्षित स्तर के उपकरण तथा पानी की सप्लाई उपलब्ध न होने के कारण नरेला स्थित म्युनिसिपल टी० बी० क्लीनिक का वार्ड अभी चालू नहीं हुआ है। म्युनिसिपल अधिकारियों ने उपकरणों के लिये फर्मों को आर्डर दे रखे है, और जल पूर्ति की व्यवस्था करने के लिये भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(घ) इस क्लीनिक के चालू होने से लेकर अब तक 3,251 रोगियों की जांच की गई जिनमें से 360 टी० बी० के रोगी पाये गये।

Civic Amenities for Katras and Colonies in Delhi

1994. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the total number of Katras and colonies in Delhi and the number out of them where lavatories, water power and metalled roads have been provided by Government;

(b) when these facilities are likely to be provided in the remaining katras; and

(c) the amount spent so far by Government on these katras and the amount proposed to be spent thereon during the next two years ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c) . The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

नई दिल्ली के लिये हृदय रोग चिकित्सालय और पुनर्वास केन्द्र

1995. श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री प० मु० सईद :
डा० रानेन सेन :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया हार्ट फौंडेशन ने हृदय रोगों के निःशुल्क निदान तथा नाममात्र के व्यय पर हृदय रोग की चिकित्सा करने के लिये नई दिल्ली में एक हृदय-रोग-चिकित्सालय तथा रोगियों के लिये पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) ; (क) जी हां ।

(ख) प्रस्ताव के ब्यौरे को अभी इस प्रतिष्ठान के द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना है ।

दिल्ली नगरपालिका को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना के लिए अनुदान

1996. श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री प० मु० सईद :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने केन्द्रीय सरकार से दिल्ली में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना के लिये दिये जा रहे अनुदान को जारी रखने के लिये अनुरोध किया है;

(ख) सरकार को दिल्ली के अनेक क्षेत्रों में बढ़ते हुए मच्छरों के उत्पात के बारे में जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) . (क) जी हां । राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता देते रहने के बारे में दिल्ली नगर निगम ने अनुरोध किया था । 1969-70 के स्वतन्त्र मूल्यांकन दल की सिफारिश के अनुसार दिल्ली के सभी राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन एकक रख-रखाव अवस्था से पहुंच चुके हैं और ऐसी परिस्थिति में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा सकती । तथापि, 1969-70 के वर्ष के लिए तटवर्ती क्षेत्रों तथा परियोजना स्थानों में विशेष निरोधी उपायों के लिए सहायता देने के हेतु 1.48 लाख रूपये की व्यवस्था की गई है ।

(ख) और (ग). जुलाई से प्रारम्भ होने वाले इस मौसम में मच्छरों के आंतक के बढ़ने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य मच्छरों के उत्पात को दूर करना नहीं है। मच्छरों को मारने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा नालियों की सफाई और मच्छर उत्पादक स्थलों में लार्वानाशी तेल का छिड़काव जैसे सामान्य गतिविधियों के रूप में लार्वानिरोधी उपाय बरते जाते हैं।

Circulation of Forged Currency Notes

1997. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the circulation of forged currency notes has been on the increase for the last few years; and

(b) if so, the number of cases of printing and circulation of forged currency notes registered during the last three years and the number of fake notes captured during each year ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi). (a) and (b) : The information is being collected from the State Governments/Union Territories and will be laid on the Table of the House in due course.

भूतपूर्व उप-प्रधान मंत्री का तमिल नाडु के चिंगलपट जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा

1998. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व उप-प्रधान मंत्री ने मई, 1969 में तमिल नाडु के जिला चिंगलपट के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था; और

(ख) राज्य में सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को क्या वित्तीय अथवा अन्य सहायता दी थी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया). (क) : जी, नहीं।

(ख) तमिल नाडु की सरकार को सूखा-सम्बन्धी सहायता-कार्यों के खर्च के लिए अब तक 8.25 करोड़ रूपया केन्द्रीय सहायता के रूप में दिया जा चुका है।

महाराष्ट्र में मिट्टी के तेल की कमी

1999. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में मिट्टी के तेल की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या लोगों की इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार का तत्काल कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) महाराष्ट्र सरकार से पता लगा है कि इस समय विदर्भ क्षेत्र में मिट्टी के तेल की कोई कमी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संगठनों का भाग लेना

2000. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संगठनों के कृत्यों तथा भाग लेने की क्षमता का निर्धारण कर लिया है; और

(ख) वे कौन से स्वयंसेवी संगठन हैं जिन्होंने सरकारी सहायता से अथवा बिना सहायता के परिवार नियोजन कार्यक्रमों में सराहनीय योगदान दिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर) : (क) जी हां। 1966 में स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय के तात्कलिक सचिव श्री वी० मुखर्जी की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक विशेष समिति ने इस सम्बन्ध में अध्ययन किया था और उसने 1966 की अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया था कि भारत में स्वयंसेवी संगठन परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति में क्या योगदान दे सकते हैं। रिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(ख) स्वयंसेवी संगठनों को परिवार नियोजन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सहाय्यानुदान देने के अधिकार 1967 में राज्यों/संघ क्षेत्रों की सरकारों को दे दिए गए थे। राज्य/संघ क्षेत्र सरकारें स्थानीय अनुदान समितियों की सहायता से स्वयसेवी संगठनों के कृत्यों को आंकती हैं। जिन स्वयंसेवी संगठनों ने परिवार नियोजन कार्यक्रम में प्रशंसनीय योगदान दिया है, उनके नामों का राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों से पता लगाया जा रहा है और उसे यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

राजस्थान में स्टेट बैंक द्वारा ऋण सम्बन्धी सुविधाएं

2001. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का स्टेट बैंक राजस्थान में छोटे कस्बों की जनता को, ऋण देने का व्यवसाय करने वाले लोगों तथा संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की दर से कम दर पर ऋण देने की सुविधाओं का विस्तार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये सुविधाएं अन्य राज्यों में भी दूसरे लोगों को दी जायेंगी; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धन-राशि निर्धारित की गई है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) स्टेट बैंक, हाल में, राजस्थान के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में सूखे से प्रभावित किसानों को फिर से बसाने के लिए ब्याज की 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती दर के हिसाब से ऋण दे रहा है।

(ख) स्टेट बैंक, गुजरात के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में बाढ़ से प्रभावित लोगों को फिर से बसाने के लिए ब्याज की 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती दर के हिसाब से ऋण दे रहा है। फरवरी 1969 में बम्बई में हुए दंगों से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्टेट बैंक ने 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर के हिसाब से ऋण देना मान लिया है:

(ग) भारतीय स्टेट बैंक ने उपर्युक्त (क) और (ख) में बताये गये प्रयोजनों के लिए कोई खास रकम निर्धारित नहीं की है परन्तु ऐसे ऋणों के लिए कुल मिलाकर 40 लाख रूपये की सीमा निर्धारित की गयी हैं।

स्टेट बैंक द्वारा छोटे व्यापारियों को धन दिया जाना

2002. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री रामसिंह अयरवाल :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री ओंकार सिंह :
श्री शारदा नन्द :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री लोबो प्रभु :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री रवि राय :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के स्टेट बैंक ने छोटे व्यापारियों को धन देने के सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) (क) : जी, हां।

(ख) इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गयी हैं :

1. उद्देश्य :

इरादा यह है कि खुदरा व्यापारियों को व्याज की उचित दरों पर वित्तीय सहायता दी जाय, जो इस समय संस्थाओं से भिन्न स्रोतों पर निर्भर हैं। बैंक से मिलने वाली सहायता व्यापारियों का काम बढ़ाने में भी सहायक होगी। स्टेट बैंक ने खुदरा व्यापार के लिए, जैसे अनाज और पंसारी की दुकानों, कपड़े के व्यापारियों, औषध-विक्रेताओं, बहुविभागी भण्डारों तथा बिजली के सामान के व्यापारियों आदि को वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है।

2. वित्तीय सहायता का क्षेत्र :

(क) बैंक का विचार, कार्यचालन पूंजी और उपकरणों की खरीद दोनों प्रयोजनों के लिए ऋण-सुविधाएं देने का है। कार्यचालन पूंजी के लिए वित्तीय सहायता

थोड़ी अवधि के ऐसे अग्रिमों के रूप में दी जायगी जो मांग पर चुकाने पड़ेंगे और उपकरण-संबंधी वित्तीय सहायता किस्ती-ऋणों के रूप में होगी, जो दो–तीन वर्षों की अवधि में चुकाने पड़ेंगे ।

(ख) 50,000 या इससे कम जनसंख्या वाले स्थानों में स्थापित की गयी बैंक की सभी शाखाएं खुदरा व्यापार के लिए वित्त-व्यवस्था करने का काम करेंगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार के माध्यम मजबूत बनें। शहरी स्थानों में यह योजना चलाने के प्रश्न पर बैंक बाद में विचार करेगा ।

(ग) अनुमान है कि खुदरा व्यापार के लिए दिये जाने वाले अग्रिमों की रकमें बड़ी नहीं होंगी तथा किसी व्यक्ति को सामान्यतः एक लाख रूपये से अधिक का अग्रिम नहीं दिया जायगा । कार्यचालन पूंजी तथा उपकरणों की खरीद के लिए दिये जाने वाले अग्रिमों की अधिकतम-सीमाएं अलग-अलग होंगी ।

3. प्रतिभूति :

कार्यचालन-पूंजी के लिए अग्रिम व्यापार में लगे माल को गिरवी/दृष्टिबन्धक रखकर दिये जायेंगे । उपकरण खरीदने के लिए ऋण प्राप्त उपकरणों को दृष्टिबन्धक रख कर दिये जायेंगे । इसके अतिरिक्त, ऋण लेने वाले से, आवश्यकता होने पर, तीसरी पार्टी की गारण्टी के रूप में या अचल सम्पत्ति के अधिकार–पत्र जमा कराके उपयुक्त अतिरिक्त प्रतिभूति भी ली जा सकती है ।

4. अन्य शर्तें :

ये शर्तें वही होंगी जो व्यापार और उद्योग के लिए बैंक द्वारा दिये जाने वाले सामान्य अग्रिमों पर लागू होती हैं ।

गर्भपात को वैध करार दिया जाना

2003. श्री अदिचन : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या पर नियंत्रण करने के विचार से गर्भपात को कानूनी रूप देने के बारे में इस बीच कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है और यदि नहीं, तो इस समय इस मामले की स्थिति क्या है; और

(ग) किन-किन देशों में संतति निग्रह के लिए गर्भपात को कानूनी रूप दिया गया है और उन देशों में इस सम्बन्ध में क्या विशेष विनियम बनाये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) . चैकित्सिक गर्भान्ति की शर्तों को उदार बनाने के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत करने के बारे में सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

(ग) गर्भपात के वैधीकरण के विषय में अध्ययन करने वाली समिति की रिपोर्ट के परिशिष्ट 4 में अपेक्षित जानकारी दी गई है। रिपोर्ट की प्रतियां सभा पटल पर रख दी गई हैं।

ब्रिटेन के गर्भपात अधिनियम 1967 की एक प्रति भी संलग्न है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1504/69]

Scarcity of Drinking Water in Bihar Villages

2004. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that wells have dried up this summer in villages of Chhota Nagpur, Tirhut, Bhagalpur and Patna Divisions of Bihar resulting in acute water Scarcity ;

(b) if so, whether any scheme has been prepared by Government for the immediate solution of the water problem of the rural population of Bihar ; and

(c) if so, the nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The State Government intimated that no such information was received by them from the Local Officers.

(c) and (d) : Do not arise.

खेतरी तांबा परियोजना

2005. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री म० सुदर्शनम :**
श्री बाल्मीकि चौधरी : **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतरी ताम्बा परियोजना के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस परियोजना की नवीनतम प्रगति को देखते हुए इसके विभिन्न यूनिट अलग-अलग कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या परियोजना सम्बन्धी अनुमानों में आजकल संशोधन किया गया है और उन्हें बढ़ा दिया गया है और यदि हां, तो कितना ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस परियोजना के विभिन्न उत्पादों के सम्बन्ध में देश को आयात से कितना छुटकारा मिल जायेगा और इस परियोजना के चालू होने के परिणामस्वरूप चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) जुलाई, 1969 के अन्त तक खेतड़ी ताम्बा प्रयोजना के सम्बन्ध में प्राप्त की गई प्रगति नीचे बताई गई है :—

(1) **कूपक की खुदाई :** उत्पादन कूपक मध्यमार्ग के एक स्टेशन सहित 349 मीटरों तक और सेवा कूपक, चार स्टेशनों सहित, 250 मीटरों की गहराई तक खोद लिया गया है ।

(2) **खान का विकास :** पट्टे के अन्तर्गत खेतड़ी के कुल क्षेत्र के लगभग एक तिहाई भाग में घाटी के स्तर के ऊपर पार्श्वीय विकास पूरा कर लिया गया है । ऊपरी स्तरों से तांबा अयस्क के निकाले जाने के प्रारम्भिक कार्य के रूप में निखनन कक्ष तैयार करने, दो फुट के गेज के स्थान पर मीटर गेज की पटरी बिछाने, उत्थितों (रेजिज) को सुसज्जित करने, ढालू प्रणाली की स्थापना, लोकोमोटिव, पिसाई संयंत्र, वाहक–पट्टा और अन्य सेवा सुविधाओं की व्यवस्था प्रगति पर है । तीन नम्बर का झुका व कूपक 224 मीटरों तक गहरा कर लिया गया हैं और 300 मीटर स्तर का पार्श्वीय विकास कार्य अभी प्रारम्भ किया गया है ।

(3) **सकेन्द्रक :** इस संयंत्र के लिये आवश्यक सारे आयातित उपकरणों तथा स्वदेशी उपकरणों के लिये आदेश दे दिये गये हैं । निर्माण सम्बन्धी सिविल कार्य प्रगति पर है ।

(4) **प्रद्रावक :** विस्तृत और डिजाईन इंजीनियरी कार्य के लिये निविदाएं प्राप्त हो गई हैं और उनकी जांचे की जा रही हैं । संयंत्र के लिये आवश्यक उपकरणों की कुछ ऐसी मदों के लिये आदेश दे दिये गये हैं जिनकी डिलिवरी मिलने में लम्बा समय लगता हैं । विदेशी परामर्श–दाताओं के परामर्श के साथ बाकी के उपकरणों की विशिष्टियों को भी अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(5) **शोधनशाला :** शोधनशाला के लिये फ्रांसीसी समूह से प्राप्त प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

(6) **एसिड तथा उर्वरक संयंत्र :** इस संयंत्र के लिये विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट का प्रारूप प्राप्त हो गया है और उसकी जांच हो रही है ।

(ख) खेतड़ी तांबा प्रायोजना समूह के विभिन्न एककों को निम्न प्रकार से चालू किया जाना नियत है :—

(1) **खानों से उत्पादन :** अयस्क का उत्पादन खेतड़ी खान से 2000 टन प्रति दिन की दर पर 1970 से तथा कोलिहान खान से 1600 टन प्रति दिन की दर पर 1971 से प्रारम्भ किया जाना नियत है। अयस्क उत्पादन की दर खेतड़ी (1976–77) में लगभग 8000 टन प्रति दिन तथा कोलिहान (1975–76) से 2000 टन प्रति दिन तक बढ़ाई जानी नियत है ।

(2) **संकेन्द्रक :** संकेन्द्रक की पिसाई की मिलों का पहला प्रवाह 1970 में तथा दूसरा प्रवाह 1971 में चालू किया जाना नियत है ।

(3) **प्रद्रावक :** प्रद्रावक को 1971 में चालू किया जाना नियत है ।

(4) **शोधनशाला :** शोधनशाला को 1972 में चालू किया जाना नियत है ।

(5) **एसिड तथा उर्वरक संयंत्र -** एसिड तथा उर्वरक संयत्र को 1972 में चालू किया जाना नियत हैं ।

(ग) एसिड तथा उर्वरक संयंत्र को निकाल कर, जिसके लिये विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है, खेतड़ी तांबा क्षेत्र तथा कोलिहान खान पर (नगर क्षेत्र सहित) लागत का अनुमान अक्टूबर, 1966 में 65.70 करोड़ रुपये था । यह लागत वर्तमान अनुमानों के अनुसार 75.78 करोड़ रुपये आंकी जाती है ।

(घ) प्रायोजना का आयोजन 31,000 मैट्रिक टन इलैक्ट्रोलाइटिक श्रेणी के तांबा धातु तथा लगभग 214500 मैट्रिक टन ट्रिपल सुपर फास्फेट (या 100,000 मैट्रिक टन $पी_2 ओ_5$) उर्वरक का उत्पादन करने का है । देश को इस मात्रा तक आयातों पर निर्भर न रहना होगा । इससे तांबे के आयातों में प्रति वर्ष लगभग 29 करोड़ रुपये तथा उर्वरकों के सम्बन्ध में प्रति वर्ष 12 करोड़ रुपये की बचत होगी ।

राज्यों में पानी की दरों में वृद्धि करने का अध्ययन करने के लिये समिति

2006. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों के अतिरिक्त साधन जुटाने में सहायता करने के उद्देश्य से योजना आयोग ने सिफारिश की है कि छः राज्यों में पानी की दरों को बढ़ाने की सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिए सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की एक छोटी समिति बनाई जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी समिति का गठन कर लिया गया है, यदि हां, तो इस समिति ने इस बीच सिफारिशें पेश की है तो वे क्या है ; और

(ग) क्या पानी की दरों को बढ़ाने से कृषि उत्पादन की लागत बढ़ने की संभावना है तथा परिणामस्वरूप खाद्यानों तथा कृषि उत्पादों के मूल्य भी बढ़ जायेंगे और यदि हां, तो किसानों पर अनुचित भार न पड़े इस सम्बन्ध में क्या विशिष्ट उपाय किये गये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पानी की दरों को बढ़ाने की गुंजाइश का अध्ययन करने के लिए सम्बन्धित मन्त्रालयों और योजना आयोग के प्रतिनिधियों की एक छोटी समिति स्थापित करने का प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन था । मई, 1969 में हुए सिंचाई व बिजली राज्य मन्त्रियों के चौथे सम्मेलन के दौरान, पानी की दरों का प्रश्न विचार-विमर्श के लिए सामने आया और सम्मेलन

ने सिफारिश की कि पहले से अपनाई गई नीतियों की परिपालना में राज्यों को सिंचाई परियोजनाओं पर पानी की दरों में उचित वृद्धि कर देनी चाहिए और इस उद्देश्य के लिए व्यावहारिक कदम उठाने हेतु इसमें आई कुछ कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय अन्तर्राज्यीय बैठकें होनी चाहिए। सम्मेलन की इस सिफारिश कों देखते हुए, जिस पर यह मन्त्रालय अमल कर रहा हैं, समिति बनाने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है।

उत्तरी क्षेत्र के, नामशः उत्तर प्रदेश, पजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के संघीय क्षेत्र के राज्यों के सिंचाई मन्त्रियों की बैठक शीघ्र ही करने का प्रस्ताव है। दूसरे क्षेत्रों में भी राज्य मन्त्रियों की बैठकें जल्दी ही भविष्य में बुलाने का प्रस्ताव हैं।

(ग) सिंचाई जल की व्यवस्था से प्राप्त होने वाले विशाल अतिरिक्त लाभों को ध्यान में रखते हुए, किसानों की अतिरिक्त पानी की दरों को बरदास्त करने की क्षमता को दृष्टि में रखा जाएगा।

उर्वरक ऋण गारटी निगम की स्थापना

2007. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक ऋण गारंटी निगम की स्थापना की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है तथा उसके विशिष्ट कृत्य और कार्य प्रणाली क्या हैं ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि इस निगम के लाभ देश के दूरस्थ छोटे से छोटे किसान को पहुंचे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) आशा है कि उर्वरक ऋण गारंटी निगम जल्दी ही स्थापित किया जाएगा।

(ख) प्रस्तावित उर्वरक ऋण निगम की स्थापना, समवाय अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, 10 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से की जायेगी जिसमें से 1.5 करोड़ रुपये की पूंजी वर्ष के दौरान जारी किये जाने की सम्भावना है। निगम की शेयर पूंजी में रिजर्व बैंक का 60 प्रतिशत, भारत सरकार का 10 प्रतिशत, भारतीय स्टेट बैंक का 5 प्रतिशत और राज्यों के सहकारी बैंकों का 25 प्रतिशत हिस्सा होगा। निगम उन ऋणों की गारंटी देगा जो वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा स्वीकृत अभिकरणों को उर्वरक और खेती के काम आने वाली अन्य चीजों का स्टाक करने और उनका वितरण करने के लिए दिये जायेंगे। निगम बकाया रकम के अधिक से अधिक 65 प्रतिशत तक की गारंटी देगा। रिजर्व बैंक से प्राप्त होने वाली रकम के अलावा यह निगम वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के साधनों को बढाने के लिए एक पुनर्वित योजना भी चलायेगा।

(ग) अनुमान है कि निगम की गारंटी तथा पुनर्वित योजनाओं से सभी स्तरों के विभिन्न प्रकार के वितरण अभिकरणों को, जिनमें खुदरा केन्द्र और खुदरा अभिकरण भी शामिल है, उर्वरक और खेती के काम आने वाली अन्य चीजों का स्टाक करने में सहायता मिलेगी और इस तरह खुदरा अभिकरण किसानों को उर्वरक और खेती के काम आने वाली अन्य चीजें उधार पर दे सकेंगे ।

पैट्रो-रसायन निगम

2008. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित पैट्रो-रसायन निगम का गठन कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस निगम के सदस्य कौन-कौन हैं तथा उसका ढांचा क्या और उसके निदेशकों तथा अन्य पदाधिकारियों के नाम क्या है ; और

(ग) इस प्रकार के निदेशकों की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हां । 22 मार्च, 1969 को कम्पनीज एक्ट 1956 के अन्तर्गत "इंडियन पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड" नाम से एक कम्पनी रजिस्टर की गई है ।

(ख) निगम पर भारत सरकार का पूर्ण रूप से स्वामित्व है तथा इसके निदेशकों के नाम निम्नलिखित हैं :-

1-श्री जे० जे० मेहता	प्रबन्ध निदेशक
2-श्री आर० गणपति	वित्तीय निदेशक
3-श्री डी० एन० शराफ, बम्बई	निदेशक
4-श्री सुधीर मूलजी, नई दिल्ली	-वही-
5-श्री एस० एम० घोष, अहमदाबाद	-वही-
6-श्री एल० आर० दलाल, अहमदाबाद	-वही-
7-डा० आर० बी० मित्रा, पूना	-वही-
8-डा० ए० सीतारमैया, नई दिल्ली	-वही-
9-श्री एल० कुमार, नई दिल्ली	-वही-
10-श्री एम० रामकृष्णइया, नई दिल्ली	-वही-

पहले दोनों व्यक्ति निगम के पदाधिकारी हैं । एक अंशकालिक चेयरमैन की नियुक्ति पर विचार हो रहा है ।

(ग) बोर्ड में केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि, उस राज्य सरकार के कुछ अफसर जहां पर परियोजनाएं स्थित हैं, तकनीशन तथा कुछ व्यक्ति जिन्हें औद्योगिक एवं जन सम्बन्धी मामलों का अनुभव है, शामिल किये गये हैं ।

Electrification of Class IV Quarters at Punchkuin Road, New Delhi

2009. **Shri Nihal Singh ;** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that old quarters numbering about 400 for class IV employees at Punchkuin Road. New Delhi have not yet been electrified and as such the employees living in them are facing inconvenience;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps teken by Government to electrify these quarters ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir.

(b) These quarters were not electrified as they were likely to be demolished under the redevelopment scheme of the area.

(c) Since these quarters are not likely to be demolished within the next two or three years, it has since been decided to electrify them. Work of electrification of these quarters will be taken up shortly.

गोविन्द सागर (भाकड़ा बांध) में गाद का जमा होना

2010. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोबिन्द सागर में गाद तेजी से जमा हो रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गाद के जमा होने से भाखड़ा बांध की जीवन अवधि 500 वर्ष घट कर 80 वर्ष हो गई है;

(ग) गाद जमा न होने देने के लिये विशेषकर अपवाह-क्षेत्र में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार के सामने गाद को हटाने का कोई प्रस्ताव है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गाद भरने की गति परियोजना की रूपरेखा तैयार करते समय जैसा अनुमान लगाया गया था, गाद जमने की गति उससे अधिक है ।

(ख) जी, नहीं । गाद जमने की वर्तमान गति के अनुसार भाखड़ा जलाशय की कुल क्षमता के नष्ट होने में 350 से 400 वर्ष लग जाएंगे ।

(ग) जलाशय में गाद जमने की गति को घटाने के लिये अपवाह क्षेत्र में भूसंरक्षण उपाय अपनाए जा रहे हैं, जिन में ये कार्य शामिल हैं—रोक बांधों का निर्माण, वनारोपन को बहन करना, मवेशियों की चराई और वृक्षों की गिराई को न्यूनतम करना, पर्वतीय ढलानों पर खेतों को सीढीदार बनाना और उनकी कंटूर-बंदी करना, आदि । गाद जमने की रोक के लिये प्रतिप्रवाह दिशा में एक बांध बनाने की संभाव्यता का अनुसंधान भी किया जा रहा है ।

(घ) गाद को निकाल फेकने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह काम व्यवहार्य नहीं है ।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमीकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के बम्बई तथा दिल्ली स्थित प्रादेशिक कार्यालय

2011. श्री पी० विश्वम्भरन : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के बम्बई और दिल्ली स्थित प्रादेशिक कार्यालयों में अब भी कार्य चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की प्रतिकूल टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इन प्रादेशिक कार्यालयों को बन्द करने के लिए कार्यवाही की जायेगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) कम्पनी के कार्यकलापों में, जिसमें इन दोनों कार्यालयों की आवश्यकता का प्रश्न शामिल है, मितव्ययता लाने की समस्या का अध्ययन करने के लिए, निदेशकों के बोर्ड की एक समिति कायम की गई है । समिति की सिफारिशों के शीघ्र प्राप्त होने की आशा है ।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड

2012. श्री पी० विशवभरन :
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के वित्तीय प्रबन्धक सरकार को सही त्रैमासिक वित्तीय समीक्षा नहीं भेजते रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द०रा० चव्हाण) : (क) सरकारी उपकरणों की समिति (1968-69) (चौथी लोक सभा) ने अपनी 44 वीं रिपोर्ट में यह बतलाया है कि फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के वित्तीय प्रबन्धक ने जो समीक्षायें पेश की हैं वह उतनी विस्तृत नहीं हैं जितनी कि होनी चाहिये ।

(ख) कमेटी की उपर्युक्त टिप्पणी सरकार के परीक्षणाधीन है ।

Difficulties Faced By M. Ps in Delhi Hospitals

2013. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Members of parliament have been drawing his attention constantly to the defficulties faced by them in Willingdon and other Hospitals in Delhi ;

(b) if so, the action taken by Government so far to remove their difficulties ;

(c) whether it is a fact that in all the Hospitals in Delhi, Doctors are examined and given medical treatment out-of-turn;

(d) whether it is also a fact that this facility is not available to Members of Parliament and they and their family members have to wait till the doctors are attended to first; and

(e) if so, whether Government propose to extend the facility of out-of-turn treatment to Members of Parliament also ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Difficulties relating to overcrowding in the out-patient-Department and delay in getting appointments in the Willingdon Hospital, New Delhi have been reported.

(b) A new procedure has been introduced in the Out-patient Department of the Willingdon Hospital under which the out-patients are received at the reception counter where they are given appointment slips indicating the hour at which they would receive medical attention. Arrangements are also being made for special appointments.

(c) No.

(d) Does not arise.

(e) Does not arise.

Work in Income-Tax Offices.

2014. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Income Tax Offices in Hindi speaking areas still continue to do their work in English which results in a lot of inconvenience to the Income-tax payers ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government will ensure that the entire work in Income Tax Offices located at Sawai Madhopur in Rajasthan is done in Hindi ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a)and (b) : The Offices continue to do their work in English but efforts are made to avoid inconvenience to the Income–tax payers on this account. Hindi is also used for answering letters received in Hindi, in discussions held with assessees in the course of assessment proceedings and for recording of statements of assessees where they desire it. In some Income-tax charges, I. T. Return froms in Hindi are also provided to assessees on demand.

(c) Hindi is already in use at Sawai Madhopur for the purposes mentioned above. As and when the use of Hindi is extended to other items of work in the Rajasthan Income-tax charge, Sawai Madhopur shall also be included.

Enhanced Irrigation charges in States

2015. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Centre has urged the State Governments to enhance irrigation charges in their respective states;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the reaction of various State Governments in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwer Prasad) : (a) to (c) . Aanalysis made in the Planning commission based on the recommendations of the Nijalingappa Committee had shown that there is scope for increasing the water rates in the States of Andhra Pradesh, Haryana, Tamil Nadu, Mysore, Punjab and Uttar Pradesh for mobilising resources for the Plan and to improve the financial returns from irrigation Projects. A copy of these studies was sent to the State Governments in March, 1968 with a request to review the position regarding the existing water rates ni their States ni the context of raising adequate resources for developmental plans. The reaction of the State Governments is given below :--

(i) **Andhra Pradesh :** The water rates were increased by 100%only 6 years back and it would not be possible to revise water rates in the State for the present.

(ii) **Haryana :** No definite reply has been received from the State Government.

(iii) **Punjab :** The existing water rates are already high and the State Government do not consider it fair to enhance the water rates at this stage.

(iv) **Tamil Nadu :** Consequent to the abolition of land revenue, the question of increasing the water rates is under consideration of the State Government.

(v) **Mysore :** The water rates which were revised in 1965 have generally been framed taking into account the recommendations of the Nijalingappa Committee and have been fixed after careful consideration of the capacity of the beneficiaries to pay these water rates. Any further enhancement is not desirable for the present.

(vi) **Uttar Pradesh :** It is not possible to implement the recommendations of the Nijalingappa Committee; higher rates have, however, been fixed for pumping schemes and tubewells.

The question was subsequently discussed at the recent Conference of the State Ministers of Irrigation and Power held in may, 1969. The Conference recommended that States should appropriately increase the water rates on irrigation projects and that in order to formulate practical steps for the purpose. Zonal inter-State meetings might be held, as contemplated by the National Development Council, for the purpose of ironing out some of the difficulties involved. In pursuance of this, it is proposed to hold shortly a meeting of the Irrigation Ministers of the State in the Northern region viz Uttar Pradesh, Punjab, Rajasthan, Jammu and Kashmir, Haryana and

the Union Territory of Himachal Pradesh to formulate practical steps for increasing water rates. Similar meeting of Irrigation Minister of the other regions also are proposed to be held in near future.

एड इंडिया कनशोरटियम से सहायता

2016. **श्री कृ० प्र० सिंह देव :**
श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य देशों की तुलना में गत तीन वर्षों में भारत का प्रति व्यक्ति के आधार पर 'एड इंडिया कनशोरटियम' से कितनी सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) सहायता दिये जाने के संबंध में यदि कोई भेद-भाव रखा गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) . भारत सहायता संघ एक ऐसी संस्था है जो केवल भारत की सहायता सम्बन्धी आवश्यकताओं पर विचार करती है। पर, कुछ अन्य विकास-शील देशों के लिए इसी प्रकार की सहायता का समन्वय करने वाली ऐसी ही संस्थाएं हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की विकास सहायता समिति ने विकासशील देशों को 1966 तक मिली औपचारिक सहायता की शुद्ध प्राप्तियों का प्रतिव्यक्ति आधार पर हिसाब लगाया है। सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें ऐसे विभिन्न देशों द्वारा, जिन के लिए सहायता संघ या सलाहकार संस्थाएं बनी हैं, 1964, 1965 और 1966 में प्राप्त प्रतिव्यक्ति सहायता का तुलनात्मक ब्यौरा दिया गया है।

(ख) सहायता प्रति-व्यक्ति आधार पर नहीं दी जाती है। इस का सम्बन्ध सहायता प्राप्त करने वाले देशों की विभिन्न प्रायोजनाओं/कार्यक्रमों और रखरखाव सम्बन्धी आवश्यकताओं से होता है जिनका वित्तपोषण सहायता देने वाली संस्थाओं द्वारा किया जाना है।

विवरण

डालर

देश का नाम	प्रति-व्यक्ति सहायता प्राप्तियां		
	1964	1965	1966
सहायता संघ			
भारत	2.5	2.6	2.5
पाकिस्तान	4.6	4.5	5.5
तुर्की	5.2	5.9	6.2
यूनान	5.1	5.7	4.8

सलाहकार संस्थाएं	1964	1965	1966
नाइजीरिया	1.3	2.3	2.3
कोलम्बिया	5.9	3.4	5.5
सूडान	1.9	2.2	1.2
ट्यूनीशिया	16.8	20 9	16 0
इक्वेडोर	2.4	3.0	5.2
थाइलैण्ड	1.1	1.5	1.7
मलयेशिया	1.8	3.7	5 1
श्रीलंका	1.1	1.4	2.7
पीरू	3.6	6.0	5.4

टिप्पणी : प्रति-व्यक्ति सहायता का सम्बन्ध विकास सहायता समिति के सदस्य देशों और बहुपक्षीय अभिकरणों से प्राप्त सहायता से है ।

स्रोत :—आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की विकास सहायता समिति द्वारा प्रकाशित "विकास सहायता..... ..." समीक्षा, 1968 ।

हाजियों को दी गयी विदेशी मुद्रा

2017. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने भारतीय हाजियों को कम से कम विदेशी मुद्रा दी और विदेशी मुद्रा की कमी के कारण भारतीय हाजियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार हाजियों को अधिक विदेशी मुद्रा देने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र०चं० सेठी) : (क) और (ख) : चालू विनियमों के अनुसार, हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के पास कमसे कम 1250 रुपये के बराबर की विदेशी मुद्रा होनी चाहिए, तभी उन्हें हज यात्रा पर जाने की इजाजत दी जाती है । प्रत्येक वयस्क हज यात्री को अधिक से अधिक 1575 रुपये के बराबर की विदेशी मुद्रा दी जा सकती है । भारत सरकार हज यात्रियों को सऊदी अरब में अपने खाने के लिए पर्याप्त मात्राओं में गेहूं, चावल, दालें आदि अत्यावश्यक अन्न अपने साथ ले जाने की अनुमति भी देती है । इसके अतिरिक्त, हज यात्रियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भारत सरकार चार महीने के लिए दस डाक्टरों और दस कम्पाउन्डरों का एक स्वास्थ्य मिशन भी सऊदी अरब में भेजती है । बीमार यात्रियों का मुफ्त इलाज किया जाता है और उनके इस्तेमाल के लिए उन्हें मुफ्त दवाएं दी जाती हैं ।

बहुत से यात्री विदेशी मुद्रा की पूरी रकम इस्तेमाल नहीं करते और कम से कम अनिवार्य रकम (1250 रुपये के बराबर की विदेशी मुद्रा) ही लेते हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा इस बात को भी देखते हुए कि यात्रियों को अन्य सुविधाएं दी जाती हैं तथा

देश की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिन स्थिति का भी उचित ध्यान रखते हुए सरकार का विचार हज यात्रियों को दी जाने वाली विदेशी मुद्रा की रकम की सीमा को बढ़ाने का नहीं है ।

हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइप लाइन

2018. श्री समर गुह : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक विशेषज्ञ समिति ने, जिसके सदस्य खान सुरक्षा के उप-महानिदेशक, मुख्य खनन इंजिनियर, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, खनन सलाहकार, पश्चिम बंगाल सरकार हैं, मत व्यक्त किया था कि 38 करोड़ रुपये की लागत की हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइप लाइन के सरेखण (एलाइमेंट) में आसनसोल के कोयला संस्तर (कोल सीम) से, जहां से यह होकर जाती है, आग लगने का बहुत खतरा है;

(ख) क्या उनके मतानुसार पाइप लाइन का मार्ग बदल देना चाहिये और पाइप लाइन के आस-पास खनन बन्द कर देना चाहिये;

(ग) यदि हां, तो विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों और व्यक्त की गई आशंकाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पाइप लाइन के क्षेत्रों में रुक गये कोयले के लिये प्रतिकर मांगा है; और

(ङ) यदि हां, तो इन समस्याओं को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) भारतीय तेल निगम लि० ने इस विशेषज्ञ समिति को नियुक्त किया था । उक्त समिति ने भारतीय तेल निगम लि० को अपनी रिपोर्ट भेज दी है । सरकार को अभी यह प्राप्त होनी है ।

(ख) से (ङ) : प्रश्न नहीं उठता ।

Shortage of Power in North Bihar

***2019. Shri Bibhuti Mishra : Shri P. M. Sayeed :**
Shri Mani Bhai J. Patel : Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a shortage of power in North Bihar;

(b) if so, whether it is also a fact that it is neither available for domestic and irrigation purpose nor for running the small industries; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government to remedy this situation in Nort Bihar ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) Normally, there is no restriction in power supply for domestic and irrigation purposes, But when one of the three 15 MW units is shut down for maintenance, load shedding is resorted to in rotation in different areas of North Bihar. At present, there is restriction in giving new connections to small industries. However, Flour mills are being offered power supply during off-peak hours.

(c) : The following steps have been taken to augment power supply in North Bihar:

(1) Installation of two additional generating units of 50 MW each at Barauni Power Station. The first unit is expected to be commissioned in August 1969 and the second in March 1970,

(2) The transmission systems in North Bihar and South Bihar are being inter-connected with a 132 KV transmission line. This link is expected to be completed in August 1969.

कर अपवंचन

2020. श्री वेदव्रत बरुआ : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनियों द्वारा उच्च अधिकारियों तथा उनके परिवारों के सदस्यों की विभिन्न प्रकार से अनेक सुविधाएं देकर करों की बहुत बड़ी राशि का अपवंचन किया जाता है;

(ख) इस प्रकार से राजस्व की कितनी हानि होने का अनुमान है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस तरीके से अपवंचन करने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) कर की इस प्रकार की चोरी अपवंचन की रोकथाम करने के लिये आयकर अधिनियम में व्यवस्था है । उदाहरण के तौर पर, यदि कोई नियोजक कम्पनी अपने 7,500 रुपये वार्षिक से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को किसी प्रकार के लाभ अथवा सुविधाएं देती हैं तो ऐसे लाभ अथवा सुविधाओं का जितना अंश सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन के एक-पंचमांश से अधिक होता है उसे कम्पनी के कर निर्धारण में अस्वीकृत कर दिया जाता है । इसी प्रकार जब किसी कर-निर्धारिती द्वारा (कम्पनी द्वारा भी) कुछ ऐसा खर्च किया जाता है अथवा (कम्पनी के मामलों में) उसके डायरेक्टरों को अथवा (फर्म के मामलों में) उसके भागीदारों या उनके सम्बन्धियों को ऐसी अदायगी की जाती है जो आयकर अधिकारी की राय में भुगतान करने वाले के द्वारा प्राप्त किये नये माल, सेवा अथवा सुविधा के उचित बाजार-मूल्य से अधिक हैं, तो भुगतान करने वाले की कर लगाने योग्य आय की संगणना में व्यय/भुगतान के उक्त आधिक्य को अस्वीकृत कर दिया जायगा ।

(ख) तथा (ग) : ऐसी हानि का अनुमान लगाना कठिन है । फिर भी, कर-निर्धारितियों द्वारा कर की चोरी/अपवंचन के लिए अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों पर सरकार

निगाह रखती है और उनकी रोकथाम करने के लिए समय-समय पर कानून में संशोधन द्वारा उपयुक्त उपाय करती है ।

व्यापार गृहों पर आयकर की बकाया राशि

2021. श्री भौगेन्द्र झा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह महालानोविश आयोग द्वारा बताये गये एकाधिकारियों के 75 परिवारों में से प्रत्येक के पास आयकर की कुल कितनी राशि बकाया है और उनका तुरन्त भुगतान सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मांगी गयी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और उसे इकट्ठा करने में काफी समय तथा श्रम लगेगा । महालनवीस आयोग ने एकाधिकार-प्राप्त जिन 75 परिवारों के नाम गिनाये हैं उनके मामले में 5 लाख रुपये से ऊपर की आय-कर की बकाया के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

जहां तक वसूली के उपायों का सवाल है, प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बकाया करों की तत्काल वसूली करने के लिये कानून में दिये गये सभी उपाय किये जारहे हैं ।

Sukta Irrigation Project in Madhya Pradesh

+**2022. Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Sukta Irrigation Project in Madhya Pradesh has been finally approved by Government ;

(b) if so, the estimated cost of the project and the details thereof ; and

(c) when the work is likely to be started ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Sukta Irrigation project report sent by the Government of Madhya Pradesh is under detailed examination in the Central Water and Power Commission.

(b) and (c) : Do not arise.

Survey of certain power projects in Madhya Pradesh

2023. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether any survey has been conducted in connection with certain power project proposed to be undertaken in Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan period ;

(b) whether the State Government have requested the Central Government to undertake certain new power projects on the basis of priority during the Fourth Five Year Plan period ; and

(c) if so. the details thereof and the reaction of Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Government of Madhya Pradesh had proposed to implement the following new hydro electric schemes under the Fourth Five Year Plan;

(i) Bansagar (Kusum/Demba)

(ii) Jalsindhi

It is understood that surveys and investigations in respect of Bansagar Project have been completed and those in respect of Jalsindhi Project are stated to be in progress.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Unauthorised accounts maintained abroad by persons and companies of Madhya Pradesh

2024. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the names and addresses of the persons and companies of Madhya Pradesh in whose names unauthorised accounts were found in foreign countries during the last three years ;

(b) the names of persons and the companies of Madhya Pradesh against whom action has been taken for keeping unauthorised accounts in foreign countries ; and

(c) the names of persons and the companies of Madhya Pradesh who have been permitted to open account in foreigen countries during the last two years and those who applied for permission but could not succeed in getting the same ?

The Minister of State in the Ministry of Finance, (Shri P. C. Sethi) : (a) During the years 1966, 1967 and 1968 no individual or company of Madhya Pradesh was found, either in the course of adjudication proceedings before the Director of Enforcement or in proceedings in a Court of law, to have maintained unauthorised accounts abroad.

(b) Does not arise.

(c) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Assistance to goldsmiths in Madhya Pradesh

2025. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount of money sanctioned by the Central Government during 1968 for giving assistance to goldsmiths of Madhya Pradesh ; and

(b) the number of the goldsmiths who have been given the assistance so far ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) A sum of Rs. 7.93 lakhs which lapsed out of the total sum of Rs. 1.32 crores given earlier to Madhya Pradesh Government has been sanctioned to that Government during the financial year 1968-69 for rehabilitation assistance to goldsmiths affected by Gold Control in that State.

(b) 41,256 goldsmiths and their Children are reported by the State Government to have received assistance under the rehabilitation scheme of goldsmiths in Madhya Pradesh so far.

मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, नागपुर

2026. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, नागपुर की अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी है ।

(ख) क्या यह सच है कि यह कम्पनी अपने उत्पादन गैर सरकारी लोगों को बेचती है, जो बाद में उन्हें खनिज तथा धातु व्यापार निगम को बेच देते हैं, जो इन उत्पादों का निर्यात करता है ;

(ग) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र की इस कम्पनी द्वारा अपने उत्पाद सरकारी क्षेत्र के एक अन्य उपक्रम खनिज तथा धातु व्यापार निगम को सीधे नहीं बेचकर विचौलियों के माध्यम से बेचने के क्या कारण हैं, जो कम कीमत पर माल खरीद कर अधिक दामों पर माल बेचते हैं ; और

(घ) इसके उत्पादों की खनिज तथा धातु व्यापार निगम को सीधी बिक्री सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, नागपुर की अधिकृत तथा चुकता पूंजी नीचे दी गई है —

अधिकृत पूंजी	:	6,00,00,000/-रुपये
चुकता पूंजी	:	2,15,45,100/-रुपये

(ख), (ग) और (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Scheme for Rural Electrification and Sinking of Tubewells in Bihar

2027. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Bihar Government has prepared a scheme for rural electrification and sinking of tubewells in Bihar during the Fourth Five Year Plan period ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the amount Government has decided to spend on this ;

(d) whether the State Government has asked for some special assistance from the Central Government for this ; and

(e) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) In the Draft Fourth Five Year Plan, an outlay of Rs. 40 crores has been suggested for Bihar and with this provision it is expected that about one lakh irrigation pumpsets/tube-wells would be energised in the State besides connecting other incidental loads. The Fourth Five Year Plan is yet to be finalised.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

ग्रामीण क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए वाहन

2028. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम को और तेजी से लागू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस विभाग में गाड़ियों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) इस कार्य में इस समय कुल कितनी गाड़ियां लगी हुई हैं और कितनी गाड़ियां बढ़ाने का विचार है ; और

(घ) क्या सरकार इन गाड़ियों को अमरीका से खरीद रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक गाड़ी का मूल्य क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) इस समय परिवार नियोजन कार्यक्रम में 1,444 गाड़ियां काम कर रही हैं। 1969-70 में विभिन्न राज्यों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को लगभग 1000 गाड़ियां देने का विचार है।

(घ) और (ङ) . ये गाडियां अमरीका से नहीं खरीदी जा रही हैं बल्कि संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के साथ हुए ऋण समझौते के अन्तर्गत देश में से ही खरीदी जा रही हैं। गत मास जो 18 गाड़ियां खरीदी गई, उनका मूल्य इस प्रकार है:...

(1) फोर व्हील ड्राईव गाड़ी — रु० 24,176
(2) टू व्हील ड्राईव गाड़ी — रु० 23,864

कुकिंग कोल खानों का विकास तथा उनको मान्यता

2029. **श्री क० प्र० सिंह देव** : **श्रीमती इला पाल चौधरी** :
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री भगवानदास** :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में 'कुकिंग कोल,' खानों के विकास तथा उनको मान्यता देने हेतु सहायता देने के लिए एक योजना चालू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इसके फलस्वरूप उद्योग को किस सीमा तक लाभ होने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) : देश में उत्पादित तथा प्रेषित कोकिंग कोयले के प्रत्येक मैट्रिक टन पर 14 अक्टूबर, 1968 से 75 पैसे की दर से उत्पादन शुल्क लगाया जा रहा है, जिससे प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग एक मात्र कोयले के विकास तथा संरक्षण के लिये किया जायेगा। इस शुल्क से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग करके कोकिंग कोयले की कोयला खानों को सहायता करने की योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

मैसर्स धरमसी मोरारजी को उर्वरक कारखाने के लिए लाइसेंस

2010. **डा० रानेन सेन :**
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री मधुलिमये :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स धरमसी मोरारजी को कुवैत से आयातित तरल अमोनिया, जिसका तुलनात्मक मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से अधिक है, की सहायता से एक उर्वरक कारखाना चालू करने के लिए लाइसेन्स मंजूर किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय कारखाने की स्थापना के बारे में क्या स्थिति है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) आयातित अमोनिया पर आधारित एक उर्वरक कारखाने को लगाने के लिए मैसर्स धरमसी मोरारजी कैमिकल्स कम्पनी को अभी तक कोई लाइसेन्स मंजूर नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय उर्वरक निगम की रोजगार नीति

2031. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम की अपने बरौनी कारखाने के सम्बन्ध में रोजगार नीति क्या है ; और

(ख) क्या भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्ध निदेशक ने 10 मई, 1969 को बरौनी में स्थानीय संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों के साथ अपनी बैठक में कहा था कि उन्हें केन्द्रीय सरकार से कोई निदेश नहीं है कि ग्रेड 3 और 4 के पदों (अर्ध कुशल तथा अकुशल) में स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के पदों के लिए चुनाव अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन के द्वारा होता है। श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के पदों की भर्ती केवल स्थानीय रोजगार के दफ्तर अथवा स्थानीय पत्रों में विज्ञापन द्वारा होती है। श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के पदों की भर्ती के लिये नियुक्त चयन समिति में राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि सम्मिलित किया जाता है।

(ख) उर्वरक निगम के प्रबन्ध निदेशक ने बैठक में बताया था कि भर्ती केवल स्थानीय रोजगार के दफ्तर द्वारा अथवा राज्य से निकलने वाले स्थानीय पत्रों में विज्ञापन द्वारा की जाती है। यह सरकार द्वारा तय मार्गदर्शक नीति के अनुसार है। इससे स्थानीय व्यक्तियों की प्राथमिकता काफी हद तक सुनिश्चित होती है। बैठक की तिथि तक के रोजगार सम्बन्धी अद्यतन आंकड़ों से यह प्रकट है कि 70 प्रतिशत कर्मचारी बिहारी थे।

भारत में शान्ति सेना के स्वयंसेवक

2932. **श्री भगवान दास :** **श्री पं० गोपालन :**
श्री अनिरुद्धन : **श्री उमानाथ :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि शान्ती सेना के नये प्रमुख मिस्टर जो बलाच फोर्ड के सम्बन्ध अमरीका की सी० आई० ए० के साथ थे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भारत में शान्ति सेना के स्वयसेवकों को रहने देने की वांछनीयता पर पुनः विचार करेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) जी, हां। सम्भवतः यह रिपोर्ट "वाशिंग्टन पोस्ट" में छपे एक समाचार पर आधारित है, वाशिंग्टन पोस्ट ने बाद में इस रिपोर्ट का खण्डन कर दिया था।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

Income Tax Arrears

2033. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri N. R. Deoghare :
Shri Valmiki Choudhary :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of indiduals and firms in the country at present against whom an amount of Rs. 10 lakhs or more is outstanding as Income-tax ; and

(b) the steps Government propose to take to realise these arrears ?

The Minister of State in the Ministry of Finance, (Shri P. C. Sethi) : (a) The total number of individuals and firms against whom Income-tax arrears exceed Rs. 10 lakhs as on 1-12-1968 is 260.

(b) All possible steps provided in the law for recovery of tax are being taken on the merits and circumstances of each case.

Recovery of contraband gold in Bombay

2034. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the officials of the Central Excise Department recovered contraband gold of the value of about Rs. 12 lakhs from a flat in Malgaon, Bombay recently ; and

(b) if so, the number of persons arrested in this connection and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance, (Shri P. C. Sethi) : (a) on the 7th May, 1969 officers of the Bombay Custom House seized contraband gold valued approximately at Rs. 4 lakhs at the international monetary rate and Rs. 8 lakhs at the Indian market rate from an unoccupied room in Mazgaon, Bombay.

(b) No person has so far been arrested in this connection. Investigations in the matter are still in progress.

Recovery of Smuggled goods from Sasoon Dock, Bombay

2035. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the officials of the Central Anti-corruption Department recovered large quantity of smuggled goods from some boats in Sasoon dock of the Bombay port in May, 1969 ;

(b) if so, the value of recovered goods in terms of Indian currency and the details of the recovered goods ; and

(c) the number of persons arrested in this connection and the action taken by Government against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) : Yes, Sir. On the 6th May, 1969, the Anti-corruption Bureau of the Government of Maharashtra seized metallic yarn, Nylon crape, Tetron suiting and shirting of a total value of about Rs. 7 6 lakhs at the Indian market rate from a local mechanized fishing carft in Sasoon Dock.

(b) One person has so far been arrested. He was released on bail. Further investigations are in progress.

Recovery of gold and watches at Colaba in Bombay

2036. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Sharda Nand :**
Shri Ram Singh Ayarwal : **Shri Bharat Singh Chauhan :**

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Anti-corruption Department of Maharashtra recovered contraband gold and watches of the value of about Rs. 40 lakhs in a raid in a village of Colaba in Bombay in May, 1969 ;

(b) if so, the number of watches recovered and the weight of recovered gold ; and

(c) the number of persons arrested in this connection and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) . On the 6th May, 1969 officers and staff of the Anti-Corruption and Prohibition Intelligence Bureau of the Maharashtra Government recovered from an open place underneath bushes near Bankot creek in Colaba district 4 cloth Jacket in 4 gunny bags containing 4,000 tolas (46.7 Kg.) of gold in 400 pieces of 10 tolas each with foreign markings, valued at Rs. 3.94 lakhs approximately at the international rate and 17 sealed Zinc tins containing 10,250 wrist watches and 1,229 wrist watch straps valued at about Rs, 10.3 lakhs.

(c) The goods remain unclaimed. No person has so far been arrested. Further investigations are in progress.

Hindustan Housing Factory, Ltd.

2037. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Hindustan Housing Factory earned profit of Rs. 6.77 lakhs and Rs. 19.63 lakhs in 1966-67 and 1967-68, respectively ;

(b) whether it is also a fact that a bonus of 6.62 percent only was declared in 1967-68 on higher profits though a bonus of 19.13 per cent was paid during 1966-67 inspite of lower profits ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(a) and (c) . Bonus is not always directly related to profit. It is determined in accordance with the provisions of the Payment of Bonus Act. 1965

The amount to be distributed to the employees as bonus is 60% of the 'available surplus' as explained in the Act with a minimum of 4% and maximum of 20% of the salary. In the event of any deficit or surplus arising out of the Payment of bonus, it is carried forward for adjustment in the subsequnt year.

During the year 1964-65, when bonus became payable under the Act for the first time, no amount was available for distribution as bonus. Since minimum bonus

at the rate of 4% had to be paid, the entire amount so paid was carried forward as deficit, In the year 1965-66 the deficit was reduced but it increased in the year 1966-67 as no amount was available that year also (in terms of the Act) far payment as bonus on account of reduced profits, Although the year 1967-68 showed increased profits, the deficit carried forward from the previous year had to be adjusted against the 'allocable surplus' and after this adjustment was made, only a small amount of Rs. 47,460/· was available for payment of bonus. However, the Company paid bonus to the extent of Rs. 1,30,000/-at the prescribed minimum rate of 4%

पी फार्म की समाप्ति

2038. **श्री आर० के० अमीन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने पी० फार्म नियन्त्रण को समाप्त करने की सिफारिश की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) . चूंकि देश की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति लगातार कठिन चली आ रही है, इसलिये विदेश यात्रा पर लगे सभी नियंत्रणों में पूरी तरह से ढील देना इस समय सम्भव नहीं है क्योंकि विदेश यात्रा पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा खर्च होती है । 'पी' फार्म सम्बन्धी नियन्त्रण के बारे में पहले जो धीरे-धीरे ढील दी गयी है, उसे ध्यान में रखते हुए स्थिति पर कुछ और समय तक नजर रखने की आवश्यकता है । बाद में, अर्थ-व्यवस्था की स्थिति और देश की सामान्य आर्थिक नीति के ढांचे के अनुसार यथोचित परिवर्तन करने पर विचार किया जा सकता है ।

इण्डिया गेट, नई दिल्ली पर महात्मा गांधी की मूर्ति

2039. **श्री रा० की० अमीन** :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डिया गेट नई दिल्ली पर महात्मा गांधी की मूर्ति अब नहीं लगाई जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या 2 अक्तूबर, 1969 तक महात्मा गांधी की मूर्ति किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर लगाई जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी नहीं । महात्मा गांधी की मूर्ति को इंडिया गेट के पास लगाने का निर्णय ले लिया गया है, यद्यपि वास्तविक स्थान अभी भी विचाराधीन है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय ग्रामीण जल प्रदाय तथा सफाई कार्यक्रम

2040. **श्री रा० को० अमीन :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण जल प्रदाय तथा सफाई कार्यक्रम के अनिवार्य अंग के रूप में एक व्यापक भूमि जल विकास कार्यक्रम बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) . जी हां । इस कार्यक्रम की मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार है:—

(1) साधनों का मूल्यांकन करना तथा भूमिगत जल की उपलब्धता के बारे में पता लगाना विशेषकर कमी वाले इलाकों में जहां कुंए खोदना आवश्यक हो ।

(2) गहरी खुदाई करने के लिए ड्रिलिंग रिगों, फालतू पुर्जों तथा अन्य उपकरणों की उपलब्धि करना ।

(3) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जो इस प्रक्षिक्षण कार्यक्रम में रूचि रखते हों, के सहयोग से कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों अर्थात् इन्जीनियर, इन्जीनियरों के अधीनस्थ कर्मचारियों तथा कुएं खोदने वाले आपरेटरों आदि के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना ।

इन्डियन एक्सप्लोसिव्ज लिमिटेड, कानपुर में विदेशी तकनीशनों की नियुक्ति

2041. **श्री शंकरराव माने :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डियन एक्सप्लोसिव्ज़ लिमिटेड, द्वारा अपनी कानपुर फैक्टरी में बहुत से विदेशी तकनीशन नियुक्त किये गये हैं जिन्हें आय-कर देने से छूट दी गई है हालांकि बहुत से मामलों में उपयुक्त या उनसे अच्छे भारतीय तकनीशन उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी मुद्रा को बचाने के लिये इन सभी मामलों में अच्छी तरह विचार किया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त कम्पनी ने अल्कली तथा भारतीय उर्वरक निगम से वर्तमान प्रबन्ध निदेशक को उर्वरयी प्रभारी निदेशक नियुक्त करने के लिये अनुमति मांगी है, हालांकि उन्हें उर्वरकों के निर्माण अथवा विक्रय का कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस नियुक्ति से भारतीयों की पदोन्नति के अवसर कम नहीं हो जायेंगे और क्या बेकार में अतिरिक्त विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करनी पड़ेगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : कानपुर में उर्वरक कारखाने में लघु-अवधी आधार पर 65 विदेशी तकनीशनों का, जिन्हें आय-कर देने से छूट दी गई है, नियुक्त किया गया है । निम्न सम्बद्ध तथ्यों को यथावत ध्यान से रखने के बाद सरकार आय-कर की अदायगी से ऐसी छूट की मंजूरी देती है:-

(1) विदेशियों की अर्हताएं, अनुभव आदि को विचार में रखते हुए क्या उनकी नौकरी की शर्तें न्यायसंगत हैं; और

(2) क्या उपयुक्त भारतीय उस कार्य के लिए उपलब्ध हैं, आदि

(ग) और (घ) : उक्त कम्पनी ने, भारतीय समवाय अधिनियम की धारा 269 के अन्तर्गत, मिस्टर ए० सी० मुयर की कम्पनी के पूर्ण-समय निदेशक के रुप में नियुक्ति की स्वीकृति के बारे में कम्पनी ला बार्ड को एक प्रार्थना-पत्र भेजा है । मिस्टर मुयर का भारत में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव बताया जाता है । उन्हें यह अनुभव केवल व्यापारिक क्षेत्र में ही नहीं है बल्कि विभिन्न प्रबन्ध समस्याओं में भी है; जो एक स्थान पर एक परियोजना को प्रारम्भ करने में उत्पन्न होती है । उन्हें इस समय इम्पीरियल कैमीकल्स इण्डस्ट्रीज़ के कृषि प्रभाग के साथ यू० के० (इंगलिस्तान) में बताया जाता है । वे स्वयं को प्रबन्ध समस्याओं से, जो विशेष रूप से उर्वरकों के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी हुई है, परिचित कर रहे हैं । उक्त कम्पनी का प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है ।

Rate of interest on deposits in Banks

2042. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state whether Government propose to amend the present system of rate of interest in respect of deposits in banks ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) . The Governor of the Reserve Bank of India, recently appointed a Committee consisting of the representatives of commercial banks and the Reserve Bank to study the interest rates on bank deposits. The recommendations of the Committee are under consideration of the Reserve Bank of India.

बरौनी में अप्रयुक्त पेट्रोलियम कोक

2043. **श्री अदिचन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फालतू कच्चे पेट्रोलियम कोक की बहुत अधिक मात्रा बरौनी में अप्रयुक्त पड़ी है;

(ख) क्या इस अप्रयुक्त पेट्रोलियम कोक का प्रयोग करने के लिये बरौनी में स्थापित किये जा रहे संयंत्र को पूरा किये जाने में पहले ही विलम्ब हो चुका है;

(ग) क्या यह सच है कि इस फालतू उत्पाद का पूरा प्रयोग करने के लिये देश में पर्याप्त संयंत्र नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस फालतू उत्पाद के कुछ भाग को विदेशों को निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) 1969 में बरौनी शोधनशाला में कच्चे पेट्रोलियम कोक का उत्पादन 66,000 मीटरी टन है। पहली जनवरी, 1969 को ओपनिंग स्टाक (आरम्भिक स्टाक) 22,400 मीटरी टन था। 1969 में उपलब्ध कुल 88,400 मीटरी टन कोक में से लघु उपभोक्ताओं एल्यूमीनियम उद्योगों और कोक निस्तापन उद्योग की अनुमानित खपत 78,000 मीटरी टन है। 1969 के अन्त तक अनुमानित 10,400 मीटरी टन कोक को बरौनी निस्तापन संयंत्र के लिये रखा गया है, जिसके 1970 में चालू होने की आशा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) देशीय मांग को विचार में रखते हुए, इस उत्पाद का निर्यात नहीं किया जायेगा।

मंत्रियों के निवास स्थानों में छतदार क्षेत्र

2044. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में प्रधान मन्त्री, राज्य मन्त्रियों- उप मन्त्रियों तथा सभा सचिवों सहित प्रत्येक मंत्री के निवास स्थान में छतदार क्षेत्र कुल कितना क्षेत्र है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1505/69]

तेल शोधक कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता

2045. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल शोधक कारखानों की गत तीन वर्षों में वर्षवार कुल अधिष्ठापित क्षमता क्या थी;

(ख) गत तीन वर्षों में, वर्षवार कुल क्षमता में गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र का भाग कितना कितना था;

(ग) क्या विदेशी तेल कम्पनियों ने सरकार की अनुमति के बिना ही अपनी क्षमता बढ़ा ली थी; और

(घ) यदि हां, तो यदि उन विदेशी तेल कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). गत तीन वर्षों से तेल शोधक कारखानों की अधिष्ठापित कुल क्षमता और उसमें गैर-सरकारी / सरकारी क्षेत्रों का भाग निम्न प्रकार है :

(मिलियन मीटरी टनों में मात्रा)

वर्ष	कुल क्षमता	गैर-सरकारी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र
1966	15.10	8.00	7.10
1967	16.10	8.00	8.10
1968	17.70	8.30	9.40

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

करों की वसूली

2046. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में (1) आयकर, (2) सम्पदा शुल्क, (3) धन-कर, (4) निगम कर, (5) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और (6) आयात-निर्यात शुल्क के रूप में राज्य-वार कुल कितने रुपये वसूल किये गये; और

(ख) उक्त अवधि में वर्ष-वार, प्रत्येक राज्य को प्रत्येक केन्द्रीय कर की रुपयों में कुल कितनी-कितनी राशि दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) आवश्यक सूचना संलग्न दो विवरण-पत्रों में दी गई है : (1) वर्ष 1966—67, 1967—68 तथा 1968—69 में आय कर, सम्पदा शुल्क, धन कर तथा निगम कर की वसूली के आयकर आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्र वार आंकड़े विवरण-पत्र-अनुबन्ध I में दिये गये हैं तथा (2) वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और आयात तथा निर्यात सीमा-शुल्कों की वसूली के राज्यवार आंकड़े विवरण-पत्र-अनुबन्ध II में दिये गये हैं । [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1506/69**]

(ख) वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 में आयकर, सम्पदा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के हिस्से के रूप में प्रत्येक राज्य को अन्तरित की गयी रकमों का विवरण पत्र अनुबन्ध III के रूप में संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1506/69**] आयात तथा निर्यात सीमा शुल्क, निगम-कर तथा धन-कर राज्य सरकारों के साथ विभाजनीय नहीं है ।

नेफा में कामेंग परियोजना

2047. श्री शिव नारायण शास्त्री : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा में कामेंग परियोजना का कार्य आरम्भ कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, नहीं । सर्वेक्षण कार्य और विस्तृत अनुसंधान कार्य प्रगति कर रहे हैं ।

तुंगभद्रा बांध जलाशय (मैसूर) में गाद का जमा होना

2048. **श्री स० अ० अगड़ी :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में तुंगभद्रा बांध जलाशय में तेजी से गाद जमा होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वहां अब तक कितनी गाद जमा हो गई है; और

(ग) इसको रोकने के लिये क्या पूर्वोपाय किये गये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). निर्माणोत्तर क्षमता सर्वेक्षण 1963 में किया गया था और 3 मिलियन एकड़ फुट से अधिक कुल संचय में से 0.4 मिलियन एकड़ फुट गाद तत्व दर्शाया गया था ।

(ग) इस बाहक्षेत्र में 1962 में भूमि सरक्षण सम्बन्धी केन्द्र द्वारा प्रयोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है और अब तक लगभग 18,500 हैक्टेयर (46,000 एकड़) पर कार्य किया जा चुका है । राज्य के साधारण भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अधीन 28,000 हैक्टेयर (70,000 एकड़) के अतिरिक्त क्षेत्र में भी कार्य किया जा चुका है । ये भूमि संरक्षण कार्य किये जा रहे हैं ।

तेल के मूल्य कम करना

2049. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री के० रमानी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री सीताराम केसरी :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री जुगल मंडल :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री अदिचन :
श्री से० व० पाटिल :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रा० बरुआ :
श्री बे० कृ० दास चौधरी ;
श्री कृ० गु० देशमुख :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल का मूल्य कम करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मूल्य कितना कम किया जायगा;

(ग) क्या विदेशी तेल कम्पनियों ने आयातित अशोधित तेल का मूल्य कम करने से इन्कार कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उनके बिरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) से (घ) : शोधनशाला करारों के अन्तर्गत विदेशी तेल कम्पनियां अपने अपने संसाधनों से कच्चे तेल का आयात करने की हकदार हैं। मध्य-पूर्व के कच्चे तेल के मूल्यों में लगातार गिरावट और विदेशी मुद्रा के व्यय में कमी के लिए आपाती एवं बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कच्चे तेल के आयात पर विदेशी तेल कम्पनियों को सुझाव दिया है कि उनके द्वारा आयातित कच्चे तेल के मूल्यों में तदनुरूपी कमी करने के लिये वे सहमत हों। किन्तु वे मध्य-पूर्व के कच्चे-तेल के मूल्यों में गिरावट के तथ्य का प्रतिशोध करते हुए, सहमत नहीं हुई। अत: सरकार ने जून, 1969 से इन तेल कम्पनियों को कच्चे तेल के आयात पर दिये जाने वाले विदेशी मुद्रा आवंटन में 7½ प्रतिशत की कमी का फैसला किया और उसी समय उनको आशा व्यक्त की, कि मूल्यों में गिरावट को ध्यान में रखते हुए वे अपनी शोधन-शालाओं के सामान्य थ्रूपुट के लिए अपेक्षित कच्चे तेल की पूर्ण मात्रा ला सकेंगे। किन्तु, शुरु शुरु में तेल कम्पनियों ने कच्चे तेल के अपने आयात तथा अपनी शोधनशाला के थ्रूपुट में अनुपातिक कटौती की तरजीह दी। तब से बर्मा शैल ने सरकार को सूचित किया है कि वह 1 अगस्त, 1969 से प्रति बैरल के मूल्य में चार सैन्ट्स की कमी करते हुए लाईट इरानियन कच्चे तेल का आयात करेंगे। वैस्ट एशियन क्रूडस् के मूल्यों में गिरावट के अनुसार आयातित कच्चे तेल के मुल्य में और कमी करने के लिए सरकार तेल कम्पनियों पर दबाव डालती रहेगी।

मंत्रियों की विदेश यात्रा

2050. **श्री हेम बरुआ :**
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री जय सिंह :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री प० ला० बारूपाल :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद की पिछली अन्तर सत्रावधि में सरकार के कुछ सदस्यों ने, विशेष रूप से मन्त्रियों, उप मन्त्रियों ने, कुछ देशों की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो इन यात्राओं का प्रयोजन क्या था और प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

Water shortage in Patna, Bihar

2051. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Jal Kal Praished has submitted a Master Plan to the Bihar Government to solve the problem of acute water crisis in the areas of Patna Municipal Corporation;

(b) if so, the details thereof and the estimated expenditure involved in its implementation;

(c) whether the Bihar Govcrnment have asked the Centre for any assistance for the implementation of the said Master Plan and to solve the problem of drinking water crisis there;

(d) if so, the details thereof; and

(d) the reaction of the Central Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha when received.

(c) No, Sir.

(d) and (e) : Do not arise.

कोचीन उर्वरक परियोजना के लिये उपकरणों का आयात

2052. श्री उमानाथ :
श्री अनिरुद्धन :
श्रीमति सुशीला गोपालन :
श्री अ० कु० गोपालन ;

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन उर्वरक परियोजना के लिये उपकरणों के आयात हेतु निर्बाध विदेशी मुद्रा देने में विलम्ब होने के परिणाम स्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिये उपकरणों के आयात हेतु निर्बाध विदेशी मुद्रा देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) . विदेशी मुद्रा की स्थिति अति जटिल होने के कारण, परियोजना के लिये उपकरणों के आयात हेतु निर्बाध विदेशी मुद्रा सुलभ करना सम्भव नहीं हो सका जिसके परिणामस्वरूप कुछ अतिरिक्त व्यय और विलम्ब हुआ है। केवल विदेशी ऋण के अन्तर्गत ही आयात का प्रबन्ध किया जा सका हैं। अतिरिक्त व्यय का परिशुद्ध अनुमान लगाना सम्भव नहीं है लेकिन सामान्यता ऋण के अन्तर्गत उपकरण प्राप्त करने से (1) जहाज पर माल चढ़ाने से पहले होने वाले प्रभार (2) उपकरण प्राप्त करने के प्रभार और (3). बट्टा सम्बन्धी प्रभार के रूप में अतिरिक्त व्यय होता है जिससे जहाज में लदे माल के मूल्य में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हो जाती है।

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड

2053. **श्री के० एम० अब्राहम :** श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय केवल प्रबन्ध निदेशक ही फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड के बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार और अधिक पूर्णकालिक क्रियाशील निदेशक नियुक्त करने का है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) और अधिक पूर्ण कालिक क्रियाशील निदेशक नियुक्त करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल से लड़कियों को रोम में ईसाई भिक्षुणियों के रूप में दीक्षा देना

2054. **श्री के० रमानी :** श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० गोपालन : श्री के० एम० अब्राहम :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल से कुछ लड़कियों को उनके माता-पिता को एकमुश्त भुगतान के बाद, रोम में ईसाई भिक्षुणियों की दीक्षा देने के लिये भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो 1963 से 31 मार्च, 1969 तक की अवधि में कितनी लड़कियों को भेजा गया था;

(ग) लड़कियां रोम भेजने का विमान का खर्चा कौन वहन करता है;

(घ) क्या सरकार को इस बारे में लड़कियों के माता-पिता और ईसाई पादरियों के बीच होने वाले किन्हीं समझौते की जानकारी है; और

(ड) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) उत्तर सकारात्मक है किन्तु लड़कियों के माता-पिता को कोई धन दिया गया था इस बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) 1965 से मार्च, 1969 के अन्त तक धार्मिक अध्ययन के हेतु इटली जाने के लिए 367 लड़कियों को पास-पोर्ट सुविधाएं दी गई थीं जिसका विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	उन लड़कियों की संख्या जिन्हें इटली के लिए पास-पोर्ट दिए गए		
	सिस्टरहुड के लिए	धार्मिक अध्ययन के लिए	योग
1965	6	40	46
1966	शून्य	18	18
1967	24	63	87
1968	शून्य	197	197
1969 (31-3-1969 तक)	शून्य	19	19
कुल योग :—	30	337	

(ग) यह बतलाया गया है कि हवाई यात्रा का खर्च इटली के उत्तरदायी संस्थानों द्वारा वहन किया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

बड़ौदा को अंकलेश्वर से प्राकृतिक गैस की सप्लाई

2055. **श्री अदिचन :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा को पाइप लाइनों द्वारा सीधे अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस सप्लाई करने के लिए कोई योजना तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अंकलेश्वर तथा देश में अन्य तेल क्षेत्रों से अन्य नगरों को भी गैस सप्लाई करने की योजना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) बड़ौदा में घरेलू खपत हेतु बड़ौदा नगर निगम के लिए 50,000 घन मीटर गैस रखी गई है। इसके अतिरिक्त, बड़ौदा में विभिन्न उद्योगों और गुजरात राज्य उर्वरक निगम के लिए अंकलेश्वर से प्रति दिन लगभग 531,600 घन मीटर गैस की मात्रा निम्न प्रकार वचन बद्ध की गई है :—

उद्योग का नाम	वचन बद्ध गैस की मात्रा घन मीटर में
जी० एस० एफ० सी०	400,000
साराभाई केमीकल्स	30,000

अलेम्बिक ग्लास	60,000
दिनेश मिल्स	4,000
सयाजी मिल्स	15,000
अलेम्बिक केमीकल्स	12,000
पंजाब रोलिंग मिल्स	3,000
एम्बिका मिल्स	4,000
न्यू इण्डिया मिल्स	3,500
चन्दन मेटल वर्क्स	100
कुल	531,600

(ग) इस समय अंकलेश्वर या देश के अन्य किसी तेल क्षेत्र से किसी और शहर को गैस की सप्लाई की कोई योजना नहीं है ।

तेल उत्पादों में आत्म-निर्भरता

2056. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री जनार्दनन :
श्री सीताराम केसरी :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 1978-79 के अन्त तक वर्तमान उत्पादन की दर 36 लाख टन से बढ़ाकर 1.45 करोड़ टन प्रति वर्ष करने के लिए एक दस वर्षीय कार्य क्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इस कार्यक्रम की क्रियान्वित के परिणामस्वरूप तेल उत्पादों में मदवार देश के कहां तक आत्म-निर्भर हो जाने की आशा है ।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) (क). जी हां ।

(ख) इस स्कीम में योजना अवधि के दौरान, भूमि में 95 मिलियन मीटरी टन तथा तट-दूर क्षेत्र में लगभग 115 मिलियन मीटरी टन तेल के प्रारंभिक उपलब्धि योग्य भण्डारों की स्थापना निहित है । इससे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तेल के उत्पादन को 1974-75 में 6.9 मिलियन मीटरी टनों तक और 1978-79 में (1500 मिलियन घन मीटर गैस सहित) 14.5 मिलियन मीटरी टनों तक बढ़ा सकेगा । इसे प्राप्त करने के लिये शायद लगभग 1415 कुओं का व्यधन करना पड़े । योजना के वित्तीय परिव्यय के लगभग 1208.80 करोड़ रुपये होने का अनुमान है ।

(ग) 1975 तक देश में 34 मिलियन मीटरी टन शोधन क्षमता की जरूरत का अनुमान है। इस वर्ष देश में कुल लगभग 10 मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल के उत्पादन का अनुमान है। 1975 में, तेल उत्पादों में देश की आत्म-निर्भरता लगभग 30 प्रतिशत होगी। क्योंकि 1978-79 में अपेक्षित शोधन क्षमता का कोई अनुमान नहीं लगाया गया हैं, इस वर्ष में आत्म-निर्भरता की मात्रा के बारे में बताना संभव नहीं है।

हरयाणा के ग्रामीणों में रतौंध का रोग

2057. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री क० लकप्पा -

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरयाणा की रेवाड़ी तहसील के कुछ गांवों में, विशेषकर पड़ला नामक गांव में लोगों को रात में कुछ दिखाई नहीं आता और उन्हें सूर्य छिप जाने के बाद मजबूरी में घरों में रहना पड़ता है;

(ख) क्या रतौंधी के कारणों का पता लगाने के लिये सरकार का विचार इन गांवों का विशेष रूप से सर्वेक्षण करने का है; और यदि हां, तो कब; और

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी ग्राम-वासियों को रतौंधी का रोग होने के समाचार मिले हैं और यदि हां, तो यह बीमारी किस सीमा तक फैली हुई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क), (ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है। और यथा समय सभा पटल पर रखदी जाएगी।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को विशेष वेतन

2058. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भरती किये गये तथा प्रतिनियुक्त किये गये सभी ओवरसियरों (सैक्शन आफीसरों) को 1 मई, 1968 तक 50 रुपये प्रतिमास का विशेष वेतन दिया जाता था;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1 मई, 1968 से कुछ विभागों में इस विशेष वेतन को समाप्त कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव पूर्ण व्यवहार के क्या कारण है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेक्शनल आफीसरों को दिया गया 50 रुपये का विशेष वेतन 1 मई, 1968 से समाप्त कर दिया गया।

(ग) अतिरिक्त विशेष वेतन की स्वीकृति 1958 में दी गई थी क्योंकि अन्दमान और निकोबार प्रशासन को अपने लोक निर्माण विभाग को सैक्शनल आफीसर नहीं मिल रहे थे। 1958 में अनुभव की गई सैक्शन आफिसरों की कमी अब समाप्त हो गई है और अब अन्दमान और निकोबार द्वीपों में सेवा करने की प्रेरणा देने के लिए अतिरिक्त विशेष वेतन देने का कोई कारण नहीं है। 1 मई, 1968 से पूर्व अन्दमान और निकोबार प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर गए अनुभाग अधिकारियों को उनकी प्रतिनियुक्ति की वर्तमान अवधि की समाप्ति तक अतिरिक्त विशेष वेतन देने का प्रश्न विचाराधीन है।

हमें उन परिस्थितियों की जानकारी नहीं है जिनके अधीन अन्य विभागों के अधिकारियों को, यदि कोई है, अतिरिक्त विशेष वेतन की यह रियायत दी जा रही हैं।

Electrically operated water pumps in Delhi

2059. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of electrically operated water pumps in Delhi and the annual expenditure being incurred thereon;

(b) whether it is a fact that the water of these water pumps is not utilised for watering lawns, gardens etc. but just flows into drains; and

(c) if the reply to part (b) above be in affirmative, the action taken by Government in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The total number of pumps installed to lower sub-soil water is 303 and an approximate annual expenditure of Rs. 8 lakhs is being incurred on them.

(b) and (c). Except for a few pumps, the water of these pumps is not being utilised for irrigation purposes for the following reasons :–

(i) the water is highly saline and is not fit for gardening purposes;

(ii) the location of some of the pumps is such that it will not be practicable to utilise the water for gardening purposes.

रेलवे के सामान का आयात करने के लिये विश्व बैंक से ऋण

2060. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री नम्बियार :
श्री के० एम० अब्राहम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे के सामान के आयात के लिये विश्व बैंक से कोई ऋण मांगा था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) - (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक दल से 4 करोड़ अमेरिकी डालर (30 करोड़ रुपये) की विदेशी मुद्रा की सहायता का अनुरोध किया गया हैं ताकि रेल-संचालन के आधुनिकीकरण के लिए रेल-विभाग डीजल और बिजली से चलने वाले रेल-इंजनों और बिजली के बहु-एकक रेल यात्री-डिब्बों (इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट कोच) के निर्माण के लिए मशीनों के हिस्सों और माल का आयात कर सके और ऊपरी विद्युतीकरण, संकेत-व्यवस्था और दूर-संचार योजनाओं के लिए उपकरणों, मशीनों के हिस्सों और कच्चे माल का आयात कर सके। विश्व बैंक दल इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

Complaint againt the office bearers of Welfare Association, sector II R. K. Puram, New Delhi

2061. **Shri Chandra Shekhar Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the Chief Engineer (ND) of his Ministry had lodged a complaint against the Office-Bearers of the Welfare Association of Sector-II, Rama Krishna Puram, New Delhi in connection with the beating of labourers of the C. P. W. D. Enquiry Office, Rama Krishna Puram, Sector-II by those Office-Bearers;

(b) if so, the action taken by his Ministry in this regard and the punishment awarded to the persons found guilty; and

(c) if no action has been taken, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B.S. Murthy) : (a) No complaint was lodged by the C.E. (NDZ) with this Ministry against the office bearers of Cl.-IV. Residents Welfare Association, Sector-II, R K. Puram, in connection with the altercation between the beldar of the CPWD Enquiry Office and the Vice-President of the Association. The Chief Engineer (NDZ), however, sent a report to the Ministry of Home Affairs, in response to a representation, received through that Ministty, from the President, R. K. Puram Sector II, C. IV. Residents Welfare Association, containing allegations against the CPWD workers.

(b) Since the Chief Engineer reported that the matter was settled amicably, the Ministry of Home Affairs forwarded a copy of the report of the Chief Engineer to the President, R.K.Puram Sector II, Cl. IV Residents Welfare Association for imformation.

(c) Does not arise.

सिंचाई आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन

2062. **श्री राममूर्ति :** **श्री वि० कु० मौडक :**
श्री सत्यनारायण सिंह : **श्री पी० पी० एस्थोस :**

क्या **सिंचाई तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छः सदस्यीय सिंचाई आयोग से कोई अन्तरिम सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस आयोग ने अभी हाल ही में अपना काम आरभ किया है और कोई अन्तरिम सिफारिशें नहीं भेजी हैं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

थान्नीरमुक्कम बांध के निर्माण कार्य का रुकना

2063. श्री अ० कु० गोपालन :
श्री पी० टी० एस्थोस :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थान्नीरमुक्कम बांध का निर्माण कार्य रुके रहने के क्या कारण है ;

(ख) यदि कोई कठिनाइयां है, तो उनको दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) . थान्नीरमुक्कम वेरियर को चरणों में बनाया जा रहा है ताकि एक समय में केवल एक-तिहाई निर्माण कार्य ही शुरु किया जाए जिससे बाकी दो-तिहाई भाग में से बाढ़ का पानी निकल सके। इससे यह बात सुनिश्चित हो जाएगी कि कोचीन काट और बन्दरगाह पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

थान्नीरमुक्कम की ओर के एक तिहाई भाग पर कार्य 1958-59 में शुरु किया गया था और वह पूर्ण हो गया है। बैटचूर की ओर के दूसरे एक-तिहाई भाग पर भी कार्य शुरु कर दिए गये हैं। किन्तु कापर बान्ध में एक दरार के आ जाने के कारण निर्माण कार्यक्रम में बाधा पड़ गई थी। दरार को बन्द किया जा चुका है। उपलब्ध ड्रेजरों को पानी निकालने पर लगाया गया है। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार अतिरिक्त ड्रेजरों को प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्न कर रही है। जैसे ही पानी निकालने का कार्य पूर्ण हो जाएगा, खम्बें गाड़ने का कार्य शुरु किया जाएगा। इस समय जो कार्य किए जा रहे हैं उनके पूर्ण हो जाने के पश्चात् मध्य के एक तिहाई भाग पर कार्य शुरु करने का प्रस्ताव है।

राज्य सरकार का अनुमान है कि परियोजना अगले तीन वर्षों में पूर्ण हो जाएगी यह खेद है कि कार्य में देरी हो गई है और कार्य गति में तेजी लाने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

केरल में पजहासी परियोजना

2064. श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री ई० के० नायनार :
श्री प० गोपालन :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में पजहासी परियोजना का काम अभी पूरा नहीं हुआ है ;

(ख) पजहासी परियोजना का कार्य कब आरम्भ हुआ था ;

(ग) इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस परियोजना का काम कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) 1961

(ग) धन की अपर्याप्तता ।

(घ) चौथी योजनावधि के दौरान ।

Copper exploration in Rajasthan

2065. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metats** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that explorations for copper are being made at Bhagauni id District Alwar in Rajasthan by his Department :

(b) if so, the result of the explorations made so far ;

(c) whether it is a fact that exploration work is not making satisfactory progress as there is shortage of electricity there and that the generating sets installed there are of low voltage;

(d) if so, whether steps are being taken to get supply of Power from the Government of Rajasthan for this purpose; and

(e) whether there are some places in this district where exploration work for copper has not been started so far and if so, the number of such places ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jaganath Rao) : (a) and (b) : Yes sir. Detailed exploration by drilling was commenced at Bhagauni in March 1963 and exploratory mining in April, 1965. So far 1.5 million tonnes of copper ore have been proved.

(c) There is a temporary shortage of electricity due to failure of two generators out of 4 installed at Bhagauni. The two generators working at present are insufficient to feed the four pumps for dewatering, air-circulation, hoisting, etc. The exploratory mining was, thus affected and is expected to be resumed shortly. The generating sets are not of low voltage.

(d) No, Sir.

(e) Most of the known occurrences of copper in Alwar district have been investigated. Detailed exploration by drilling is proposed to be undertaken at Kalighat near Bhagauni and Kondla near Rajgrh.

गोआ में खनिज ससाधन

2066. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में खनिज ससाधन किस परिमाण में है ;

(ख) क्या गोआ के मुख्य मंत्री के नियन्त्रणाधीन लौह अयस्क खान में यूरेनियम के निक्षेप पाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें निकालने के लिये यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो उसका ब्यौरा क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) गोआ में निम्नलिखित खनिजों (उन की उपलभ्य राशियों की मात्रा के साथ) का पता लगाया गया है :–

+ 58 प्रतिशत एफ० ई० वाला लोह अयस्क (जिस में से 850 लाख मैट्रिक टन ढेलेदार अयस्क है और 3200 लाख मैट्रिक टन अयस्के भुरभुरी तथा चूर्णी हैं)	4050 लाख मैट्रिक टन
काला लोह अयस्क	6.3 लाख मैट्रिक टन
38 प्रतिशत मैंगनीज मात्रा वाला मेंगनीज अयस्क	12.3 लाख मैट्रिक टन
बुली मिट्टी	12.65 लाख मैट्रिक टन
बाक्साइट	150 लाख मैट्रिक टन

कुछ नये पूर्वेक्षण-स्थलों में, जिनकी भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा जांचें की जा रही हैं, पर्याप्त मात्रा की उपलभ्य राशियां मिलने की संभावना है ।

(ख) अणु शक्ति विभाग ने, जो कि इस खनिज के साथ सम्बन्धित हैं, सूचित किया है कि गोआ के किसी क्षेत्र में यूरेनियम के मिलने का पता नहीं लगा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Supply of Drinking Water in South Avenue, New Delhi

2067. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the supply of drinking water in South Avenue, New Delhi is restricted from 4 A. M. to 12 NOON and again from 4 p. m. to 10 p. m.

(b) whether it is also a fact that the supply of drinking water continues for twenty-four hours in South Avenue Lane, Kashmir House, Tin Murti and Rashtrapati Bhavan;

(c) if the reply to parts (a) and (b) above be in affirmative, the reasens for not maintaining unrestricted supply of water in South Avenve also; and

(d) the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) Yes, Sir.

(b) Excepting the South Avenue Lane, there is continuous water supply in the other buildings mentioned because there are underground sumps in these buildings, from where water is pumped into overhead tanks for use during the period when the supply in the Municipal mains is cut off.

(c) The supply of drinking water is the responsibility of the local body and owing to the acute shortage of water, particularly in summer months, it is restricted to fixed hours by the New Delhi Municipal Committee.

(d) Additional shortage tanks of 120 gallons capacity have been installed in each house in South Avenue so that the residents can use the additional stored water when the municipal supply is cut off.

Manufacture of Gold from Mercury.

2068. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachway :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Sharda Nand :
Shri B. Shankarananda :
Shri Beni Shanker Sharma :
Shri K. Lakkappa :
Shri Samar Guha :
Shri Srinibas Mishra :
Shri Baidhar Behera :
Shri N. Shivappa :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that somebody has demonstrated in the presence of the Revenue Minister of Gujarat that gold can be prepared from mercury;

(b) whether it is also a fact that gold prepared like this has stood every test! and

(c) if so, the reaction of Government in this regard and the action proposed to be taken ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) During four days Conference of Ayurvedic Practitioners at Ahmedabad. Dr. A. P. Acharya a registered practitioners held a "Senskar" on 8. 6. 1969, in presence of the Revenue Minister of Gujarat, to demonstrate how mercury could be processed into a substance called 'Bijabadh Parad' . which on further process could be used for medicimal purpose. It is understood that Shri Acharya himself and the present of the Akhil Bhartiya Parad Sanskar Prayogatmak Parished have stated that the substance so obtained is nothing but solidiffied mercury.

(b) and (c). Do not arise in view of the reply to (a) above.

बंगलौर में राज्यों के आवास मन्त्रियों की बैठक

2069. श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री क्रु० मा० कौशिक :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री प्र० के० देव :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के आवास मंत्रियों ने, जिनकी हाल में बंगलौर में बैठक हुई थी, देश में गृह निर्माण कार्यों के लिये गैर-सरकारी पूंजी जुटाने के प्रश्न पर विचार किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ग) इस निर्णय के क्या प्रभाव होंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) . इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा मुकदमेबाजी में खर्च की गई राशि

2070. श्री नन्द कुमार सोमानी : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम ने अपने एक विदेशी ठेकेदार अमरीका के मैसर्स कैमिकल कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन पर, उनके द्वारा भेजे गये कथित गलत आयकर विवरण के कारण उर्वरक निगम को हुई हानि की पूर्ति के लिये मुकदमा चलाया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बम्बई उच्च न्यायालय ने इस मुकदमें को खारिज कर दिया है और प्रतिवादियों को खर्चा दिये जाने का आदेश दिया है ; और

(ग) भारतीय उर्वरक निगम ने इस मुकदमे पर अब तक कुल कितना धन व्यय किया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) नहीं । कैमिको के एक प्रार्थना-पत्र पर बम्बई उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि मुकदमा स्थगित कर दिया जाये और मामला पंच निर्णय के लिये सौंप दिया है । यह आदेश अब स्वीकृताधीन है ।

(ग) भाग (ख) . के उत्तर को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार के फलहीन खर्च होने का प्रश्न नहीं उठता । निगम द्वारा मुकदमे पर होने वाला व्यय लगभग 40,600 रुपया है ।

सुवर्ण रेखा उड़ीसा बाढ़ नियंत्रण

2071. श्री रविराय : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुवर्ण रेखा में बाढ़ नियन्त्रण के बारे में चर्चा करने के लिये पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के सिंचाई मन्त्रियों की 17 मई, 1969 को भुवनेश्वर में बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी बातचीत का ब्यौरा क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) ; (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि सुवर्णरेखा के लगभग 1,50,000 एकड़ बाढ़ के पानी को समाने के लिए कोई प्राकृतिक चैनल नहीं थी, यह मान लिया गया कि सुवर्णरेखा का समस्त प्रवाह उड़ीसा द्वारा इस शर्त पर नियंत्रित किया जायगा कि सम्बन्धित राज्यों में तटबन्ध केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के मुख्य इन्जीनियर की सिफारिशों के अनुसार स्थापित किए जाएं । बिहार में तट बन्ध के निर्माण के रूप में कुछ अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त लागत पश्चिम बंगाल द्वारा वहन की जाएगी ।

यह भी मान लिया गया है कि दोनों राज्यों में स्कीमों का समाकलन किया जाए और दोनों राज्यों में परियोजना का एक साथ कार्यान्वयन होना चाहिये । तटबन्धों के बीच रहने वाले लोगों को उपयुक्त रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने घरों का निर्माण करने के लिए ऊंचे-ऊंचे टीले बना सकें ।

चूंकि दोनों सरकारों के पास इन स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए अपने-अपने आयोजित बजटों में आवश्यक धन नहीं था, यह फैसला किया गया कि इनका कार्यान्वयन करने के लिए अपेक्षित 1.70 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए भारत सरकार से प्रार्थना की जाए ।

उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखाना

2072. श्री रविराय : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री बीजू पटनायक ने उनके मन्त्रालय को सूचित किया है कि वह अपना उर्वरक कारखाना पंजाब के बजाय उत्तर प्रदेश में स्थापित करना चाहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) मैसर्स कालिंगाट्यूबस लिमिटेड को दिये गये आशय-पत्र के अनुसार प्रस्तावित उर्वरक कारखाने की स्थापना मंगलौर, अथवा पंजाब में किसी स्थान अथवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित कर दी गई है । कारखाने के स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय की सूचना उनसे अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रस्ताव के अनुसार मिले जुले उर्वरक जैसे यूरिया, अमोनिया फास्फेट, एन० पी० के० और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन होगा और प्रति वर्ष लगभग 10 लाख टन उत्पादन होगा। परियोजना पर 75 करोड़ रुपये के लगभग लागत आने का अनुमान है। इसमें 36.6 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा होगी।

जीवन बीमा निगम के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

2073. **श्री रविराय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारतीय बीमा क्षेत्रीय कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ के क्षेत्रीय प्रधान श्री एम० एम० सदानाह द्वारा 29 मई, 1969 को भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष को लिखे गये एक पत्र की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र में क्या लिखा गया हैं ; और

(ग) क्या जीवन बीमा निगम के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के बारे में सरकार ने आवश्यक जांच कराई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) . पत्र में जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध कुछ आरोप थे तथा मामले की जांच की जा रही है।

जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारी

2074. **श्री रविराय :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के भारत सरकार के परिचारी आदेश सख्या 53 (1) इस (1) 157 और जीवन बीमा निगम बोर्ड के दिनांक 8 दिसम्बर, 1969 के निर्णयों द्वारा उसमें किये गये अग्रेतर संशोधनों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस परिचारी आदेश का ब्यौरा क्या है, जो विशेषकर जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों के कृत्यों से सम्बन्धित है ; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा दिये गये सुझावों के बावजूद जीवन बीमा द्वारा अपनाए गये नवीनतम कार्य के मापदण्डों में बहुत ही असंगतियां एवं बिषमताएं है, इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के आदेश से है। इस आदेश में, संशोधन करने का निगम को कोई अधिकार नहीं है।

(ख) भारत सरकार के उक्त आदेश के अनुसार विकास अधिकारी के कर्त्तव्य निम्नलिखित हैं :—

(I) विकास अधिकारी का जो क्षेत्र निर्धारित किया जाय अथवा जिस क्षेत्र में उसे काम करने की परवानगी दी जाय, उस में निगम द्वारा उसके अधीन रखे गये एजेंटों के माध्यम से, व्यवस्थित ढंग से, जीवन बीमा के नये काम का विकास करे तथा उसकी वृद्धि करे ;

(II) ऐसे सभी एजेंटों का मार्गदर्शन करे, तथा उनके काम की निगरानी और निर्देशन करे ;

(III) एजेंटों के सुव्यवस्थित दल का विकास करने की दृष्टि से नये एजेंटों की भर्ती करे तथा उन्हें प्रशिक्षण दे ;

(IV) आम तौर पर इस ढंग से कार्य करे कि विद्यमान एजेंट कर्मठ बने रहें और नये एजेंटों को प्रेरणा मिले ;

(V) पालिसिधारियों को ऐसी सभी सेवाएं दे जो बीमा पालिसी लेने के बाद उसे सम्यक रूप से चलाते रहने में सहायक हो ;

(VI) उसके लिये निर्धारित किये गये क्षेत्र में निगम के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करे और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करे जो निगम द्वारा उसे प्रतिनिधि के रूप में सोंपे जांय ;

इसके अतिरिक्त उक्त आदेश में विकास अधिकारी के कार्य का मूल्यांकन में विचारणीय आधार भी नीहित है ।

(ग) भारत सरकार के ऊपर उल्लिखित आदेश के तथा विकास अधिकारी के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा अब निर्धारित किये गये कार्य-प्रतिमानों के बीच कोई असंगति नहीं है और इसलिए सरकार का इस मामले में कोई कार्यवाही करने का इरादा नहीं है ।

Installation of new oil refineries during the Fourth Plan

2075. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it is proposed to instal a few Oil Refineries in the country during the Fourth Five Year Plan period ;

(b) if so, the number and the proposed locations thereof ;

(c) the names of the States which have demanded the installation of Refineries in their States : and

(d) the reaction of Central Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Meals (Shri D R. Chavan) : (a) to (d). The Indian Institute of Petroleum has estimated that about 8 million tonne refinery capacity may have to be added to the current capacity in order to meet the increased demands upto 1975. Studies are being made as to when, how and where these capacities be located most economically.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मूर्तियों वाले भूखण्डों को सुन्दर बनाना

2076. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के विचारार्थ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मूर्तियों वाले भूखण्डों को सुन्दर बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुछ मूर्तियों को उनमें वर्तमान स्थान से हटाने का कोई प्रस्ताव है : और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति पर आयकर की बकाया राशि

2077. **श्री भारत सिंह चौहान :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री शारदा नन्द :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति पर आयकर की काफी राशि बकाया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि समिति ने 1963 से आयकर का भुगतान नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने वित्तीय वर्ष 1963-64 और 1964-65 तथा उसके बाद के वर्षों की कितनी बकाया राशि वसूल करनी है और उसको वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं । समिति ने अप्रैल, 1969 में 1,00,000/-रुपये की रकम अदा की है ।

(ग) वित्तीय वर्ष 1963-64 तथा 1964-65 के सम्बन्ध में निम्नलिखित रकमें बकाया हैं :—

	वित्तीय वर्ष	कर निर्धारण वर्ष	बकाया रकम
(I)	1963-64	1964-65	56,479 रुपये
(II)	1964-65	1965-66	86,293 रुपये

(III) 1966-67 तथा परवर्ती वर्षों के लिए कर निर्धारण होना अभी बाकी है।

ऊपर मद (I) में उल्लिखित मांग के बारे में निर्धारिती ने अपील दायर की है तथा प्रथम अपील का फैसला होने तक, कर अदायगी की मोहलत दी गई है।

ऊपर (II) में उल्लिखित मांग के सम्बन्ध में कानून की व्यवस्था के अनुसार वसूली की आवश्यक कार्यवाही की जा रही हैं।

उड़ीसा द्वारा राज्य कर्मचारियों को वेतन देने के लिये अधिक धन निकाला जाना

2078. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उडीसा सरकार ने गत तीन वर्षों में 25 करोड़ रुपये अपने अधिक निकाले हैं ;

(ख) क्या यह अधिक राशि राज्य सरकार के कर्मचारियों को वेतन देने के लिये निकाली गयी थी ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि राज्य सरकार अब वित्तीय संकट का सामना कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य की इस स्थिति से किस प्रकार निपटने का केन्द्रीय सरकार का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में उड़ीसा सरकार के नाम रिजर्व बैंक से अनधिकृत रूप से, जमा से अधिक निकाली गयी रकम में, 8.42 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। यह रकम भारत सरकार से प्राप्त 13.5 करोड रुपये की शुद्ध तदर्थ ऋण-सहायता के अलावा हैं।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उडीसा सरकार ने भारत सरकार से 16 करोड़ रुपये का अर्थोपाय अग्रिम लेने के बाद 27 जून, 1969 को रिजर्व बैंक से निकाली गयी जमा से अधिक रकम चुका दी और इस समय उसके नाम जमा से अधिक निकाली गयी कोई रकम बकाया नहीं है।

(घ) उड़ीसा सरकार को यह सलाह दे दी गई है कि वह रिजर्व बैंक से जमा से अधिक रकम न निकाला करे और अपना काम चलाने के लिए अतिरिक्त साधन जुटाए तथा खर्च में कमी करे।

चलचित्र निदेशकों की आय पर कर

2079. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चलचित्रों के निदेशक देश में फिल्मों के निर्माण से काफी लाभ कमाते हैं और वे प्रति वर्ष औसतन तीन या चार फिल्में तैयार करते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच हैं कि उनका आयकर का भुगतान उनकी आय के अनुरूप नहीं होता है और बहुत कम होता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उनकी आय निर्धारण करने के लिये नीति में सुधार करेगी ;

(घ) किन-किन चलचित्र निदेशकों ने वर्ष 1965, 1966, 1967 और 1968 में आयकर चुकाया था और उस अवधि में उन पर आयकर की कितनी राशि बाकी थी ; और

(ङ) क्या उक्त अवधि के दौरान उनके मकानों की तलाशी ली गई थी और यदि हां, तो इस तलाशी के परिणाम स्वरूप उनसे कितना लेखाबह्य धन प्राप्त किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) फिल्म निर्देशकों को आम तौर पर नियत पारिश्रमिक मिलता है और फिल्म के निर्माण मे होने वाले लाभ में उनका कोई हिस्सा नहीं होता है। फिल्म बनाने पर लाभ अथवा नुकसान फिल्म निर्माता को ही होते हैं। कभी कभी निर्माता स्वयं ही अपनी फिल्मों का निर्देशन भी करते हैं, और ऐसी फिल्मों के निर्माण से होने वाला लाभ अथवा नुकसान उन्हीं को होता है। कुछ निर्देशक साल में 3 अथवा 4 फिल्मों का निर्देशन करते हैं, परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि सभी निर्देशक साल में 3 अथवा 4 फिल्मों का निर्देशन करते है।

(ख) जी, नहीं। अगर कर-अपवन्चन का कोई मामला विभाग के ध्यान में आता है तो कानून के मुताबिक आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(ग) यह सवाल नहीं उठता।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ङ) वर्ष 1968 में एक फिल्म निर्देशक के यहां छापा मारा गया था परन्तु कोई लेखा बाह्य धन नहीं पकड़ा गया था।

आयकर अधिकारियों/निरीक्षकों के विरुद्ध अनिर्णीत मामले

2081. श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे आयकर अधिकारियों/निरिक्षकों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध 30 जून, 1969 को भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के पास मामले अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कई मामले 5 वर्षों से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े हैं और इनकी संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या मन्त्रालय ने इस मामले में उचित प्राधिकारियों से सम्बन्ध स्थापित किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सठी) : (क) आयकर विभाग में भ्रष्टाचार-विरोधी कार्यवाही चलाने के काम की देखभाल निरीक्षण निदेशालय (जांच पड़ताल) द्वारा की जाती है। 30 जून, 1969 को, जिन आयकर अधिकारियों तथा आयकर निरीक्षकों के खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही चल रही थी उनकी संख्या क्रमशः 37 और 17 है।

(ख) 30 जून, 1969 को, 5 वर्ष से अधिक समय से चल रहे मामलों की संख्या केवल तीन थी।

(ग) जब कभी आवश्यक होता अनिर्णीत चल रहे ममालों के शीघ्र निपटान के लिए, उपयुक्त अधिकारियों से निवेदन किया जाता है।

(घ) हमेशा पूरा सहयोग मिलता है।

उत्पादन-शुल्क अधिकारियों/निरीक्षकों के विरुद्ध अनिर्णीत मामले

2082. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उत्पादन शुल्क अधिकारियों/निरीक्षकों की संख्या कितनी है, जिनके विरुद्ध 30 जून, 1969 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो और अन्य भ्रष्टाचार विरोधी विभागों के पास मामले अनिर्णीत पड़े थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक मामले लगभग पांच वर्षों से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े हैं और इनकी संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या मन्त्रालय ने इस मामले में किन्ही अधिकारियों को लिखा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

अमरीका का भारत में रुपयों में खाता

2083. **श्री हेमराज :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अमरीका का रुपयों में खाता कितना है और क्या उनसे धन अनुदान अथवा ऋण के रूप में लिया जाता है और उन पर प्रति वर्ष कितना ब्याज देना पड़ता है तथा किस दर पर ; और

(ख) इनसे भारतीय अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भारत सरकार को दिये जाने वाले ऋणों और अनुदानों के लिए निर्धारित 53 करोड़ रुपये सहित 30 जून, 1969 को भारतीय रिजर्व बैंक में संयुक्त राज्य अमेरिका का रुपयों के रूप में 611 करोड़ रुपया जमा था। यह रकम विशेष प्रतिभूतियों में लगा दी जाती है जिन पर $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज मिलता है।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका की रुपया निधियों के अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्योरा उस विवरण में दिया गया था जो 21 जुलाई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर में सभा की मेज पर रख दिया गया था।

मिट्टी के तेल और डीजल तेल के प्रयोग में वृद्धि

2084. श्री एन० शिवप्पा : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1972 तक देश में मिट्टा के तेल और डीजल तेल के प्रयोग का तेजी से विकास होने की सम्भावना है ;

(ख) क्या इसके लिए अतिरिक्त शोधन क्षमता पैदा करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे है ;

(ग प्रस्तावित तेल शोधन कारखाना कहां स्थापित किया जाएगा ; और

(घ) क्या यह सरकारी क्षेत्र में स्थापित होगा अथवा नहीं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ). इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ पैट्रोलियम ने अनुमान लगाया है कि वृद्धियुक्त मांगों को पूरा करने के लिए 1975 तक 8 मिलियन मीटरी टन की और शोधन क्षमता स्थापित करनी होगी। इस बात की जांच की जा रही है कि कहां, कब और कैसे इस अतिरिक्त क्षमता को स्थापित की जाए।

Seizure of Goods by Customs Authorities in Delhi

2085. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total value of seized in Delhi by the customs officials since the 1st January, 1969 to-date; and

(b) the total value of the gold out of the above seized goods at the international price and the quantity thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The total value of goods seized in Delhi by the Customs officials since the 1st January 1969 to 29th July, 1969 is Rs. 9 lakhs approximately.

(b) The quantity and total value of gold at international price out of the above seizures are 54.61 Kg. and Rs. 4.61 lakhs respectively.

Foreigners engaged in voluntary work in India

2086. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total number of foreigners engaged in voluntary work in various fields in the country;

(b) whether Government have any means of watching their day-to-day activities;

(c) if so, the nature thereof and the details of information received by Government in this regard including the propaganda against the Government of India during the last six months: and

(d) the steps proposed to be taken by the Government to check such activities ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) 1428.

(b) Yes, Sir.

(c) These volunteers are obtained in response to specific job requirements indicated by State Governments etc. and their day-to-day work, therefore, it determined by those job requirements. Such work is watched and supervised by the Project Head who is an Indian. In addition, they are subject to the normal procedures governing the stay of foreigners in India. No incident involving propaganda against the Government of India have been reported during the last six months.

(d) Does not arise.

पश्चिमी जर्मनी में तकनीकी प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां

2087. श्री हरदयाल देवगुण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी की सरकार ने पश्चिमी जर्मनी में तकनीकी प्रशिक्षण के लिए हाल में भारत सरकार से 60 छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव किया है, और

(ख) यदि हां, तो छात्रवृत्तियों का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार ने 1969-70 के दौरान तकनीकी प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार को 70 छात्रवृत्तियां देने की पेशकश की है।

(ख) छात्रवृत्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(1) राउरकेला इस्पात कारखाने के इंजिनियरों के लिए 10 छात्रवृत्तियां,

(2) मैसूर लोहा और इस्पात कारखाना, भद्रावती के इंजिनियरों के लिए 6 छात्रवृत्तियां;

(3) आदिरूप उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्र, ओखला के लिए 4 छात्रवृत्तियां;

(4) भारतीय रेलों के 10 इंजिनियरों के लिए;

(5) भारत की संसद के दोनों सदनों में स्वचालित मतदान यंत्र के चालन और अनुरक्षण से सम्बन्धित तकनीकी कर्मचारियों के लिए दो छात्रवृत्तियां;

(6) भारत-जर्मन कृषि विकास प्रयोजनाओं के कृषि विशेषज्ञों के लिए 15 छात्रवृत्तियां;

(7) गैर सरकारी क्षेत्र के भारत-जर्मन उपक्रमों के तकनीशनों के लिए 10 छात्रवृत्तियां;

(8) "उत्पादन प्रबन्ध" के एक पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों के लिए 10 छात्र-वृत्तियां, जिनका नामांकन राष्ट्रीय उत्पादिनी परिषद करेगी; और

(9) "निर्यात-संवर्धन और विपणन" के एक पाठ्यक्रम के लिए 3 छात्रवृत्तियां।

भारत सरकार ने इस पेशकश को स्वीकार कर लिया है और उम्मीदवार चुने जा रहे हैं।

Factory for Manufacture of Ammonia in Iran

2088. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the term and outline of the scheme formulated by Government for setting up a factory in Iran collaboration with the Government of Iran for producing ammonia; **and**

(b) when the said factory is iikely to start production ?

The Minister of State in the Ministry of Petrolenm aud Chemicals and Mines and Metals (Shri D.R. Chavan) . (a) and (b). The praposal to set up a joint venture in Iran for the production of ammonia is under consideration. It is not possible to indicate at this stage the date by which production is likely to start.

पौलिएस्तर रेशों के निर्माण के लिए कारखाने

2089. श्री मधुलिमये : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोलिएस्टर रेशे की अत्यधिक कमी होने तथा एक ही एकाधिकार प्राप्त कम्पनी अर्थात आई० सी० आई० द्वारा इसका निर्माण किए जाने और इसके अधिक मूल्य रखे जाने के तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार पोलिएस्टर रेशे के निर्माण के लिए तुरन्त और अधिक कारखाने स्थापित करने की अनुमति देगी;

(ख) यदि हां, तो कितने नये कारखानों को पोलिएस्टर रेशे बनाने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं, और

(ग) उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). पोलिएस्टर फाइबर के निर्माण के लिए तीन नए कारखानों की स्थापना के लिए आशय पत्र दे दिए गए हैं।

(ग) इन तीनों कारखानों की प्रत्येक की प्रस्तावित क्षमता प्रतिवर्ष 6,100 मीटरी टन पोलिएस्टर फाइबर है।

इन्डेन गैस की सप्लाई

2090. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) अगले तीन वर्षों में जिन जिन नगरों को इन्डेन गैस की सप्लाई की जायेगी क्या उनकी सूचि तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी सूचि कब तक तैयार हो जायेगी:

(घ) क्या भारतीय तेल निगम ने अपने व्यापार को बढ़ाने की पूर्व योजना बनाई है, यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) से (ङ) . सरकारी क्षेत्रीय शोधनशालाओं से तरल पेट्रोलियम गैस, और सलेण्डरों तथा अन्य उपकरणों की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए भारतीय तेल निगम ने आगामी 5 वर्षों का वर्षानुसार उपभोक्ता नामांकन कार्यक्रम तैयार किया है। इस पर आधारित और वर्तमान व्यापार केन्द्रों में इन्डेन गैस की बिक्री तथा उत्पाद एवं सैलेण्डरों की उपलब्धता को विचार में रखते हुए, नये केन्द्रों की स्थापना के लिए वर्षवार कार्यक्रम बनाया जाता है। संलग्न विवरण–पत्र में, उन शहरों के नाम, जहां पर 1969 में इण्डेन गैस की सप्लाई चालू की गई है और अन्य नगरों के भी नाम, जहां पर इस वर्ष शेष अवधि में इसे चालू करने का विचार है, दर्शाये गये हैं।

विवरण

1969 में इन्डेन गैस के लिए स्थापित किये गये/स्थापित किए जाने वाले व्यापार केन्द्र—

उत्तरी ब्रांच	पूर्वी ब्रांच	पश्चिमी ब्रांच	दक्षिणी ब्रांच
आगरा*	करौनी उपनगर*	भावनगर*	मदुरै*
ग्वालियर	गौहाटी*	जामनगर*	मद्रास

देहरादून	खरगपुर*	पोरबन्दर*	त्रिची
गोरखपुर	शिलांग	जूनागढ़*	कोयम्बटूर
जोधपुर		गोदरा	सलेम
गाजियाबाद		भरौच	
फरीदाबाद		आनन्द	
गुडगांव		नदियाद	
सोनीपत		जबलपुर	
पानीपत		सुरेन्द्र नगर	
अम्बाला		उज्जैन	
चण्डीगढ़			
शिमला			
लुधियाना			

*1969 में स्थापित कर दिए गए व्यापार केन्द्र ।

Increase in prices of Non-ferrous Metals

2091. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state:

(a) whether it is a fact that due to 30 percent rise in prices of non-ferrous metals as compared to last year, 50 percent capacity of this industry is lying idle;

(b) the causes of the rice in prices; and

(c) the action proposed to be taken by Government to stabilise the prices and to ensure supply of the required quantity of non-ferrous metals ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) There has been an increase in the prices of some of the imported non-ferrous metals, particularly copper to the extent of 30 percent as compared to last year, but there has been no idle capacity in the industry poducing these metals in the country. However, there has been some idle capacity in the industry producing non-ferrous semis and alloys making use of virgin metals. This however, has not been so much due to the increase in prices of non-ferrous metals but due to restricted imports on account of foreign exchange shortage.

(b) and (c) . Non-ferrous metals are mostly imported into the country and their prices depend on inter-national prices which fluctuate from time to time due to various causes, including demand and supply, in the world market. Due to the tight foreign exchange position it is difficult to ensure supply of the required quantity of non-ferrous metals to all the consuming industries. The units in question could, however, diversify their production by making use of available metal like aluminium. Steps are also being taken to increase the indigenous production of different non-ferrous metals to the extent feasible and to intensify the search for non-ferrous mineral ores within the country.

एन्टीबायोटिक प्रोजैक्ट्स तथा इंडियन ड्रग फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के अधिकारियों के विरुद्ध मामले

2092. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय जांच विभाग ने प्रति जीवाणु परियोजना इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के अधिकारियों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किये हैं ।

(ख) उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या उन अधिकारियों को निलम्बित किया गया है अथवा वे उन्हीं पदों पर काम कर रहे हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) वर्ष 1966, 1967, 1968 और 1969 (30 जुलाई, 1969 तक) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 5 मामले दर्ज किए और उनकी जांच की ।

(ख) और (ग) . (1) एक मामले में स्टोर पर्यवेक्षक को चेतावनी दी गई थी और उससे 1960 रुपये वसूल करने के आदेश दिये गये ।

(2) दूसरे मामले में सम्बद्ध अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हो सके और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श पर (उसके विरुद्ध) कोई अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की गई ।

(3) तीसरे मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट और सिफारिश प्राप्त होने से पूर्व, सम्बद्ध अधिकारी ने त्याग-पत्र दे दिया और प्राधिकारियों ने उसे स्वीकार कर लिया ।

(4) अन्य दो मामले, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से अभी विचाराधीन हैं ।

ओ० टी० ए० इण्डिया, बम्बई के अधिकारियों के विरुद्ध जांच

2093. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि क्लीयरिंग एजेन्टों की एक फर्म ओ० टी० ए० इन्डिया बम्बई के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध जांच की गई थी;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी जांच पूरी कर ली है; यदि हां, तो उससे क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच पूरी करली है और उसकी रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परीक्षणाधीन है।

साउथ एवेन्यू में संसद सदस्यों के सेवकों के मकानों का रख-रखाव

2094. **श्री शिवपूजन शास्त्री :**
श्री निहाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि साउथ एवेन्यू में संसद सदस्यों के सेवकों के क्वार्टरों में शौचालय और स्नानघर बहुत ही बुरी अवस्था में है और स्नानघरों के फर्श बुरी तरह टूटे हुए हैं और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने शौचालयों में फ्लश की टंकी चालू हालत में नहीं लगाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और शौचालयों में नए फ्लश की टंकी लगाने तथा स्नानगृहों और अन्य स्थानों की मरम्मत करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या यह सच है कि साउथ एवेन्यू स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछ-ताछ कार्यालय में इस समय जो कार्य करने वाले लोगों का दल नियुक्त है वह केवल सफेदी करने का कार्य करता है और कोई भी पर्यवेक्षी कर्मचारी सेवकों के क्वार्टरों की अवस्था को देखने के लिए अभी तक वहां नहीं गया हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) तथा (ख). साऊथ एवेन्यू के संसद सदस्यों के सर्वेन्ट क्वाटरों के स्नानागार के फर्श की स्थिति संतोषपूर्ण है। फ्लश की टंकियां भी चालू हालत में हैं। तथापि यह देखा गया है कि सर्वेन्ट क्वार्टरों के दखलकारों को स्टोरेज टंकियों से बालटियों द्वारा पानी निकालने की आदत है। पानी के नल प्रायः बन्द नहीं किये जाते और परिणाम स्वरूप स्टोरेज टैंक खाली हो जाते हैं। इस कारण से फ्लश की टंकी सदा नहीं भरी रहती। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के ध्यान में यह बात भी आई है कि कभी कभी फ्लश की जंजीर को अनावश्यक जोर-दार झटके दिए जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप टंकी के अन्दर 'साईफन वॉल' अपने स्थान से हट जाता है और इससे फ्लस-सिस्टम बिगड़ जाता है। तथापि फ्लस टैंकों के बारे में आई शिकायतों पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है और सप्ताह में एक बार उनकी जांच कर ली जाती है और उन्हें जब कभी आवश्यक हो ठीक कर दिया जाता है।

(ग) यह बात सत्य नहीं है कि साऊथ एवेन्यू पूछ-ताछ कार्यालय में लगाया गया सर्विस स्काइड केवल सफेदी का ही ध्यान रखता है। सर्विस स्काइड एक पूरे समय के सैक्शनल अधिकारी की देख-रेख में जो कि स्काइड का नेता है, काम कर रहा है और सहायक इन्जीनियर

तथा कार्यपालक इन्जीनियर भी चक्कर लगाते हैं और स्काइड़ के कार्य की जांच करते हैं। ससद सदस्य के निवास स्थान के साथ ही सर्वेन्ट क्वार्टरों का निरीक्षण, स्काइड द्वारा दिया जाता है और जब कभी त्रुटियां दिखाई पड़ती हैं। उन पर शीघ्र ही ध्यान दिया जाता है। सेक्शन आफीसर, सहायक इन्जीनियर और कार्य–पालक इन्जीनियर भी प्रायः सर्वेन्ट क्वार्टर को देखने जाते हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली में ताल कटोरा बैरकों का रख-रखाव

2095. **श्री निहाल सिंह :**
श्री अदिचन :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि तालकटोरा बैरकों का जिनमें लोक सभा, राज्य सभा तथा चुनाव आयोग के कुछ कार्यालय स्थित हैं, रख–रखाव तथा मरम्मत इतनी असंतोषजनक है, कि शौचालयों में फ्लश व्यवस्था बार-बार खराब हो जाती है तथा ऐसी ही खराब रहती है, स्नानघर गन्दे रहते हैं, बैरकों को बाहरी सड़क से मिलाने वाली सड़क ठीक स्थिति में नहीं रहती, बिजली फिटिंग, जैसे रेगुलेटर रिंग आदि की बार बार मरम्मत करने की आवश्यकता होती है और बिजली की सप्लाई अभी भी कम वोल्टेज वाली डी० सी० बिजली से की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्थिति होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन बैरकों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). ये बैरकें जो कि द्वितीय महायुद्ध के दौरान अस्थाई विशिष्टियों के साथ बनाई गई थीं वे केवल लगभग पांच वर्षों के लिए अभिकल्पित थीं। अतएव ये अपना जीवन जी चुकी हैं। तथापि इनकी समय समय पर (आवधिक) मरम्मत नियमित रूप से की जा रही है।

शौचालयों की फ्लश पद्धति जब कभी खराब हो जाती है तो उसकी मरम्मत कर दी जाती है तथा जब कभी आवश्यकता होती है स्नानगृह के साज़-सामान की मरम्मत की जाती है।

बैरकों को मुख्य सड़क से मिलाने वाली सड़कों (एप्रोच रोड्स) की दशा पर्याप्त संतोषजनक है। रास्ते की सफाई (झाड़ू देना) तथा भवनों की रखवाली जिसमें शौचालयों तथा स्नानगृहों की सफ़ाई शामिल है, का उत्तरदायित्व उन विभागों का है जिनका इन बैरकों में दखल है।

बिजली का सामान जैसे रेग्यूलेटर तथा तार आदि बहुत पुराने होने के कारण प्रायः मरम्मत की अपेक्षा करते हैं जो कि नियमित रूप से की जाती है, इन बैरकों को डी० सी० सप्लाई से ए० सी० सप्लाई में बदला जा रहा है। इसके साथ प्रायः तार तथा रेग्यूलेटरों के ख़राब होने की समस्या में कमी आ जायेगी।

(ग) क्योंकि इन बैरकों की निकट भविष्य में मास्टर प्लान के अनुसार क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए गिराये जाने की संभावना है, अतएव इनके सम्पूर्ण नवीकरण पर भारी ख़र्चे को उपयुक्त नहीं समझा गया।

ऊपरी वर्धा नदी घाटी परियोजना

2096. **श्री कृ० गु० देशमुख :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस आशय का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है कि ऊपरी वर्धा नदी घाटी परियोजना की स्वीकृति देने के मामले को गोदावरी बेसिन की जटिल समस्या से न जोड़ा जाये;

(ख) क्या महाराष्ट्र के विदर्भ प्रदेश के हितों को देखते हुए इस परियोजना की मंजूरी शीघ्र दी जाएगी;

(ग) यदि हां, तो सरकार की महाराष्ट्र राज्य सरकार के अभ्यावेदन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना के बाद, महाराष्ट्र सरकार से ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं आया है।

(ख) और (ग). ऐसा विचार है कि जब तक नदी से जल सम्बन्धित जल विवाद न्यायाधिकरण के विचाराधीन है तब तक बेसिन में परियोजनाओं को स्वीकृति देना ठीक नहीं होगा।

तैरती (फ्लोटिंग) क्रेन के अभाव में अलियाबेट और ताप्ती में ड्रिलिंग कार्य का बन्द होना

2097. **श्री ई० क० नायनार :**
श्री प० गोपालन :
श्री क० रमानी :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अलियाबेट और ताप्ती के लिये तैरती (फ्लोटिंग) क्रेनों के उपलब्ध न होने के कारण ड्रिलिंग कार्य बन्द पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये तैरती (फ्लोटिंग) क्रेनों की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) भारत में तेल के ड्रिलिंग कार्य के लिए कितनी तैरती (फ्लोटिंग) क्रेनों की आवश्यकता है और इस समय हमारे पास कितनी क्रेनें हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं, यद्यपि तैरती क्रेनों की अभी व्यवस्था करनी है।

(ख) एक इण्डियन पोर्ट ट्रस्ट से उधार पर एक भारी तैरती क्रेन का प्राप्त करने तथा भारतीय निर्माताओं से एक हल्की तैरती क्रेन को खरीदने के यत्न किए जा रहे हैं।

(ग) दो तैरती क्रेनें अर्थात्—एक भारी और एक हल्की क्रेन की आवश्यकता है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पास इस समय कोई तैरती क्रेन नहीं है।

गुजरात में सहकारी समितियों के माध्यम से गैस का वितरण

2098. **श्री प्र० न० सौलंकी** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात की कुछ सहकारी समितियों की ओर से पत्र/ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें उन्होंने यह मांग की है कि उनके माध्यम से गैस वितरित की जाये;

(ख) क्या यह सच है कि तैल तथा प्राकृतिक गैस आयोग सामान्यत: नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों के माध्यम से गैस का वितरण कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समितियों के नाम क्या हैं, उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पत्रों आदि पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) तैल तथा प्राकृतिक गैस आयोग नगरपालिकाओं या स्थानीय संस्थाओं को अभी गैस वितरण नहीं कर रहा है। फिर भी, बड़ौदा नगर निगम के प्रार्थना पर, उनके ही द्वारा बड़ौदा नगर में घरेलू उपभोक्ताओं में वितरण के लिए अंकलेश्वर की प्राकृतिक गैस की प्रतिदिन 50,000 घन मीटर मात्रा रखी गई है। कुछ अन्य नगरपालिकाओं ने भी ओ०एन० जी० सी० से ऐसी ही पूछताछ की है। इन नगरपालिकाओं से इसकी सप्लाई के बारे में बातचीत अभी प्रारम्भिक स्थिति में है। तैल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गैस की आवश्यक मात्रा दबाव और प्रत्याशित भार लक्षण के बारे में ब्यौरा मांगा है। इन ब्यौरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) से (घ) : खम्भात तालुक सहकारी समिति, जिला कैरा, ने 85 घन मीटर प्रतिदिन मात्रा की प्राकृतिक गैस के लिए प्रार्थना की है। यह मात्रा बहुत कम है और इसकी सप्लाई लाभप्रद न होगी। तदनुसार आयोग ने इस समिति से गैस की आवश्यक मात्रा के बारे में पुनर्विचार के लिए प्रार्थना की है। अभी तक कोई और सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

सालन्डी सिंचाई परियोजना

2090. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में सालंदी सिंचाई परियोजना कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या विश्व बैंक से पूरा ऋण ले लिया गया है और अब तक उक्त परियोजना पर खर्च किया गया है;

(ग) इस परियोजना का मूल तथा संशोधित अनुमानित प्राक्कलन क्या क्या है;

(घ) क्या विश्व बैंक इस परियोजना को पूरा करने के लिए ऋण देगा; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1969-70 तक ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मूल अनुमान 465.60 लाख रुपये का था और संशोधित अनुमान 1307.68 लाख रुपये का था ।

(घ) विश्व बैंक से और ऋण लेने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

गृह-निर्माण के लिए आवर्तक निधि योजना

2101. **श्री लोबो प्रभु :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गृह निर्माण के लिए आवर्तक निधि योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा गृह निर्माण को क्यों सम्मिलित किया गया है, जबकि सरकार द्वारा भूमि का विकास किए जाने और ऋण दिये जाने के बाद यह कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए छोड़ा ।

(ख) 50 करोड़ रुपये की राशि में से कितने-कितने प्रतिशत राशि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च होगी और क्या कारण है कि तुलनात्मक दृष्टि से कम मकानों वाले क्षेत्रों में इसे अधिक खर्च नहीं किया जाता; और

(ग) गांवों में गृह निर्माण की योजनाओं का सम्बन्ध, आत्म सहायता से क्यों नहीं जोड़ा जाता और ऋण केवल उन लोगों को ही क्यों दिया जाता है जो पूंजी निवेश के अधिकांश भाग की व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) तथा (ख). प्रस्तावित आवर्तन निधि (रिवाल्विंग

फण्ड) अभी प्रारम्भिक अवस्था में है । प्रस्ताव का ब्यौरा, जिसमें निधि की राशि तथा उसका राज्यों में बांटना तथा उपयोग शामिल है, अभी तैयार किए जाने है ।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा तैयार की गई ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम सहायता प्राप्त आत्म-सहायता पर आधारित है । तथापि इसके वास्तविक कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों / संघ क्षेत्र प्रशासन पर है ।

गृह निर्माण के लिये किराया खरीद समितियां

2102. **श्री लोबो प्रभु : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गृह निर्माण का कार्य कर रही किराया खरीद समितियों को वित्त प्रदान करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार स्वर्गीय श्री अन्नादुराई की योजनानुसार गैर सरकारी गृह स्वामियों को दिये गये ऋण की गारंटी लेने को तैयार हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) तथा (ख) : फिलहाल सरकार के पास, इस प्रकार के किराया-खरीद समितियों को, वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव या साधन नहीं हैं । तथापि, इस मंत्रालय द्वारा बनाई गई निम्न तथा मध्यम आय वर्ग आवास योजनाओं के अन्तर्गत, सहकारी समितियों को अपने सदस्यों के लिए मकान बनाने के लिये ऋण दिये जा सकते हैं । ऋण ब्याज की छोटी दर पर लम्बी अवधि में वापस अदा करने होते हैं ।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है । उपलब्ध सूचना के अनुसार, अभी तामिल नाडु सरकार द्वारा कोई इस बारे में निश्चित योजना नहीं तैयार की गई है ।

यमुना तट विकास मंडल द्वारा दिल्ली में नदी तट (वाटर फ्रन्ट) का निर्माण

2103. **श्री धीरेश्वर कलिता : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यमुना तट विकास मंडल ने दिल्ली में एक नदी तट (वाटर-फ्रन्ट) का विकास करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यमुना नदी तट

योजना (रिवर फ्रन्ट स्कीम) के लिये विशाल योजना तैयार की है। अधिकरण ने मन्दिर और स्नान घाटों के निर्माण के लिए धन इकट्ठा करने के लिए यमुना तट विकास बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड ने अभी योजनाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

(ख) अधिकरण द्वारा तैयार की गई योजना तीन चरणों में है। पहले चरण में निगम बोध घाट और बुद्ध बिहार के बीच फैले वर्तमान मिट्टी के बन्ध का उपयोग करते हुये 50 फुट चौड़े मार्ग का विकास और बाहरी उपमार्ग और वर्तमान बंध के बीच पड़ी भूमि का विकास शामिल है। दूसरे चरण में निगम बोध घाट से बुद्ध-विहार तक नदी और वर्तमान बंध के बीच की भूमि का विकास शामिल है। इस क्षेत्र का स्नान घाट के रूप में और नौका बिहार के उद्देश्य के लिए विकास किए जाने का प्रस्ताव है। तीसरे चरण में निगम बोध घाट से रेलवे पुल तक, मनोरंजनात्मक और धार्मिक उपयोग के लिए, जिसमें स्नान-घाट शामिल हैं, भूमि का विकास किया जाएगा।

(ग) पहले और दूसरे चरण की अनुमानित लागत 15 लाख रुपये है, तीसरे चरण की लागत का अभी हिसाब नहीं लगाया गया है।

देवारी में जिंक पिघलाने के संयंत्र का बन्द होना

2104. श्री जनार्दनन :
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्चे माल की कमी के कारण देबारी स्थित जिंक पिघलाने के कारखाने को कुछ महीनों के लिए बन्द करने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि संयंत्र को पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की सप्लाई की जाये, क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मंगलौर में उर्वरक परियोजना के लिए ब्रिटेन से ऋण

2105. श्री अदिचन : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने ब्रिटेन की सरकार से यह अनुरोध किया है कि मंगलोर में उर्वरक परियोजना के पहले चरण की क्रियान्विति के लिए स्वीकृत जो ब्रिटिश ऋण रुका पड़ा है उसे वह अब दे दे; और

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटेन की सरकार रुके पड़े ऋण को देने के बारे में सहमत हो गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) ब्रिटेन सरकार की सलाह से, परियोजना की विदेशी मुद्रा लागत की व्यवस्था ब्रिटेन के ऋण के अन्तर्गत किये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

Deposits for installation of Electric Meters in Government quarters in Delhi

2106. **Shri Mahant Digvijai Nath :**
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Government employee has to deposit Rs. 5 for the installation of an electric meter when he is allotted an old quarter in South Delhi whereas he has not to pay anything for the installation of a meter when he is allotted a new quarter;

(b) if so, the reasons thereof;

(c) whether it is also a fact that a Government employee has to deposit Rs. 5 in case he wants to get a defect removed in the meter installed in his quarter and this amount is returned if the defect is traced but it is forfeited if the defect is not traced; and

(d) if so, the sector-wise number of cases in R. K. Puram where this deposit has not been so far returned even when the defect in the electricity meter was traced ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). When a Government servant occupies a new quarter, he is not required to pay service connection charges for electric supply, as these charges have already been paid by the CPWD as the owner of the property. When an allottee of a Government quarter vacates his quarter, he gives prior notice to the Electric Supply Authority and on the date of his vacating the quarter, the Electric meter is dis-connected. If the new allottee occupies the quarter within a fortnight thereafter, he is charged only 25 paise as re-connection charges. If however, the new allottee occupies the quarter after more than a fortnight, he has to pay Rs. 5/- as reconnection charges to the Electric Supply Authority.

(c) Yes, Sir.

(d) As the transaction takes place between the occupant and the Electric Supply Authority, this information is not available with Government,

पी० एल० 480 निधि के अन्तर्गत गांवों में बिजली लगाने की योजना

2107. **श्री स० कुन्दू :**
श्री विश्वनाथ पाण्डे :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पी० एल० 480 निधि की सहायता से गावों में बिजली लगाने की योजना तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न राज्यों को इस काम के लिए कितनी-कितनी राशि नियत की जायेगी ?

सिचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : अभी हाल ही में ग्राम विद्युतीकरण निगम नाम की एक सरकारी कम्पनी स्थापित की गई है। इस निगम ने पी०एल० 480 समझौते के द्वारा अमरीकी सरकार को प्रोद्भुत संयुक्त-राष्ट्र विशेष निधियों से 105 करोड़ रुपये के अनुदान के लिए अमरीकी अधिकारियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अनुदान को चौथी योजना के दौरान पांच-वर्षों की अवधि में 70 (यू० एल० ए० आई० डी०) : 30 (भारत सरकार) के अनुपात में बांटा जाएगा और इसमें भारत सरकार का अंशदान 45 करोड़ रुपये होगा । यह निगम राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों के वित्तीय संसाधनों का अनुपूरण करके ग्राम विद्युतीकरण का विकास करेगी। इस निगम से राज्यों को जो सहायता मिलेगी वह योजना से बाहर होगी।

(ग) इस निगम के द्वारा विविध राज्यों को उपलब्ध सहायता की मात्रा उन राज्यों से निगम द्वारा प्राप्त ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों और निगम द्वारा उनकी स्वीकृति पर निर्भर करेगी।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फारमास्युटिकल लिमिटेड में उत्पादन लागत

2108. श्री विरेन्द्र कुमार शाह : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खनिज तथा धातु मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 21 जून 1969 के इकानामिक्स, में प्रकाशित इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि जैसा कि प्रबन्ध निदेशक ने कहा है कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड में उत्पादन लागत अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में कम है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को पिछले वर्षों में भारी हानि हुई है क्योंकि विदेशी कम्पनियों के साथ प्रतियोगिता में उन्हें अपने उत्पादन लागत मूल्य से प्राय: पांचवें भाग की दर पर बेचने पड़े थे और प्रबन्ध निदेशक के मतानुसार उन विदेशी कम्पनियों ने भारी लाभ कमाया था; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) तथा (ग). का उत्तर हां में है तो इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को उत्पादन लागत कम होने पर भी वह प्रतियोगिता में पीछे क्यों है तथा विदेशी कम्पनियों का प्रतियोगिता में आगे होने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हां। परन्तु प्रबन्ध निदेशक ने बताया है कि पत्र में उनका वक्तव्य ठीक ढंग से नहीं छापा गया है।

(ख) ऐसा नहीं है। प्रबन्ध निदेशक ने जो वक्तव्य दिया था, ऐसा प्रतीत होता है कि उसका तात्पर्य यह था कि कुछ औषधियों की उत्पादन लागत, विशेष रूप से हैदराबाद में स्थापित संश्लिष्ट औषधि परियोजना में बनने वाली, विदेशों में बनने वाली समान औषधियों के तुलनात्मक है और विदेशी औषधियों की आयातित कीमत आवश्यक रूप से उनकी लागत मूल्य का प्रदर्शन नहीं करती है।

(ग) यह पूर्ण रूप से सही नहीं है। प्रबन्ध निदेशक ने ऐसा कहा प्रतीत होता है कि कम कीमत पर औषधियों के आयात से और उसके फलस्वरूप बाजार में जो स्थिति बनती है, उसमें इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के पास इस बात के अलावा और कोई चारा नहीं था कि वह संश्लिष्ट औषधि–परियोजना हैदराबाद में निर्मित कुछ औषधियों को कम दामों पर बेचे जो कभी कभी उनके उत्पादन मूल्य के एक चौथाई तक कम थी जिसके फलस्वरूप काफी हानि हुई।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि प्रबन्ध निदेशक ने यह कभी नहीं कहा कि इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की उत्पादन लागत कम है। उन्होंने जो कहा था वह यह था कि कुछ औषधियों का आयात मूल्य बहुत कम कीमत पर होने के कारण इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स बाजार में प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकता : कुछ विदेशी कम्पनियों के मूल्य, जो आयातित तकनीकी माल से औषधियों का निरूपण करते हैं, स्पष्टतया प्रतियोगी हैं क्योंकि जिन कीमतों पर वे माल आयात करते हैं वह अनुकूल हैं।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अशोधित तेल का आयात

2109. **श्री विरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा कच्चे तेल के आयात के लिये नियत विदेशी मुद्रा में सरकार ने कटौती करने के बारे में निर्णय किया हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ऐसा विश्वास करती है कि इस कटौती के परिणाम स्वरूप आयात किये जाने वाले कच्चे तेल की मात्रा में कोई कमी नहीं होगी; क्योंकि अब उसका मूल्य कम है;

(ग) भारतीय तेल निगम के विभिन्न तेल शोधक कारखाने कच्चे तेल के प्रति पीपे के लिए क्या औसत मूल्य देते हैं; और

(घ) क्या सरकार ने ऐसी व्यवस्था करली है जिससे यदि विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा के नियतन में कमी के कारण उत्पादन कम कर दिया जाये तो भी शुद्ध उत्पादों का अभाव न हो ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) विदेशी तेल कम्पनियों को लिखे गये अपने पत्र में सरकार ने कहा है कि मध्य-पूर्व के कच्चे तेल के मूल्यों में गिरावट को ध्यान में रखते हुए, विदेशी मुद्रा आवंटन में कमी

के बावजूद भी वे अपनी शोधन-शालाओं के सामान्य थ्रूपुट के लिए अपेक्षित कच्चे तेल की पूर्ण मात्रा ला सकेंगे ।

(ग) भारतीय तेल निगम की शोधनशालाएं देशीय कच्चा तेल प्रयोग करती हैं । ये कच्चे तेल विभिन्न ए० पी० आई० ग्रेवेटीज के हैं, किन्तु आयात साम्य मूल्य के अन्तर्गत, 34 डिग्री ए० पी० आई० ग्रेविटी के लिए भारतीय तेल निगम की शोधनशालाओं द्वारा प्रति बैरल का अदा किया गया मूल्य वही होगा, जो विदेशी तेल कम्पनियां अदा करेंगी ।

(घ) जी हां ।

मैसूर राज्य में रायचूर जिले के गांवों में भोजन विषाक्तता की घटनाएं

2110. **श्री स० अ० अगडी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में रायचूर जिले में जेलवर्ग तालुक में इतगी, वान्नीकोफा, मण्डलीगेरी और मन्नापुर गांवों में भोजन विषाक्तता से लगभग 200 व्यक्ति बीमार हुये थे;

(ख) उनमें से कितने लोगों की मृत्यु हुई थीं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वहां पर उपयुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी और कोफल के पुलिस अधिकारियों ने दवाएं खरीद कर डाक्टरों को दी थी;

(घ) क्या भोजन की विषाक्तता होने के कारण का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) एक विवाहोत्सव में तैयार भोजन को खाने के बाद 28-5-1969 को रायचूर जिले के वीरफुड, वनीकोप्पा और कन्नयाल ग्रामों के 103 व्यक्तियों को अतिसार और उल्टियां हो पड़ी । इतगी, मण्डलीगेरी और मन्नापुर ग्राम का कोई भी व्यक्ति इससे पाड़ित नहीं हुआ ।

(ख) किसी की भी मृत्यु नहीं हुई ।

(ग) कुकनूर, जेलवर्ग और कोप्पाल के स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारियों, कुकनूर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्वास्थ्य कर्मचारियों तथा दो प्राइवेट चिकित्सकों ने आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था की । पुलिस ने भी 30.56 रुपये की कुछ औषधियां दीं ।

(घ) जी हां ।

(ङ) बासी मालदी भोजन तथा बिना कलई किये गये पीतल के वर्तन में तैयार इमली का रसम खाने से यह विषाक्तता हो पड़ी थी । मल और के के नमूने परीक्षण के लिए भेज दिये गये हैं और परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

Assistance to Mysore Government under Cooperative House Building Society Programme

2111. **Shri Rama Chandra Veerappa** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the amount of financial assistance provided to the Government of Mysore under the Co-operative House Building Society programme for the year 1969–70; and

(b) the number of such Societies functioning in Mysore State at present ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) In pursuance of the revised procedure for giving Central assistance to the States, the Government of Mysore has been allocated Central assistance of the order of Rs. 30 60 crores during the year 1969–70 for financing all the State Sector programmes idcluding housing 30./· of this amount i. e. Rs. 9.18 crores will be grants and the balance as loans. The State Government has full discretion to utilise the assistance under the various State Sector programmes (including Cooperative Housing) according to the priority and requirements as they may decide.

(b) The information has been called for from the Government of Mysore and it will be placed on the Table of the Sabha when received.

भूतपूर्व राजाओं और नवाबों को विदेश जाने के लिये दी गयी विदेशी मुद्रा

2112. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेश जाने वाले गृह कार्य मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त भूतपूर्व राजाओं और नवाबों अथवा उनके निकट रिश्तेदारों के नाम तथा पते क्या हैं और प्रत्येक को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी;

(ख) उन प्रत्येक को विदेश जाने की अनुमति दिए जाने के क्या कारण थे; और

(ग) क्या सरकार उन्हीं आधार पर अन्य को विदेश जाने की अनुमति देगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) और (ख). रिजर्व बैंक में, व्यक्तियों की हैसियत, जैसे भूतपूर्व रियासतों के नरेशों या उनके सम्बन्धियों के अनुसार आंकड़े नहीं रखे जाते । यदि कोई खास नाम बताये जायं तो पिछले तीन वर्षों में उन्हें दी गयी विदेशी मुद्रा और उसके कारणों के सम्बन्ध में जानकारी दी जा सकती है ।

(ग) इस प्रकार की प्रार्थनाओं के सम्बन्ध में, मामले के सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, फैसला किया जाता है; किसी मामले में विदेशी मुद्रा की मंजूरी देने से पहले सम्बद्ध जानकारी का होना जरूरी हैं ।

मास्को में हुआ साम्यवादी पार्टियों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

2113. **श्री कंवर लाल गुप्त** :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री भोलानाथ मास्टर ।
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्युनिस्ट पार्टियों के हाल में मास्को में हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिये जिन व्यक्तियों को अनुमति दी गई थी उनके नाम तथा पते क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को इस समाचार की जानकारी है कि कुछ व्यक्तियों ने सम्मेलन में पूर्वी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया था परन्तु उन्होंने मास्को जाने की अनुमति भारत सरकार से ली थी;

(ग) इस समाचार पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उन्हें बीजा क्यों दिये गये थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जून, 1969 में, मास्को में, साम्यवादी पार्टियों का जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें खास तौर पर भाग लेने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति दी गयी थी :—

(1) श्री सी० राजेश्वर राव, मार्फत भारतीय साम्यवादी दल, आसफ अली रोड, नयी दिल्ली

(2) श्री एन० के० कृष्णन, 68 साउथ एवेन्यू, नयी दिल्ली

(3) श्री इन्द्रजीत गुप्त, संसद सदस्य, 38 वेस्टर्न कोर्ट, नयी दिल्ली ।

सम्भव है कि इस सम्मेलन में ऐसे लोगों ने भी भाग लिया हो जो उक्त सम्मेलन में भाग लेने के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किये बिना सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ और यूरोप के अन्य देशों की यात्रा करने की अनुमति लेकर विदेश गये हों ।

(ख) इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पूर्वी पाकिस्तान के किसी प्रतिनिधि को, सरकार द्वारा अनुमति दिये जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) और (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

केरल में चिकित्सा कालेज

2114. श्री इ० के० नायनार : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री ब० सू० मूर्ति की जुलाई के प्रथम सप्ताह में केरल यात्रा के दौरान यह प्रस्ताव रखा था कि चौथी योजना में नौ में से एक चिकित्सा कालेज केरल में खोला जाये; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) पचास लाख की जनसंख्या के पीछे एक चिकित्सा कालेज के हिसाब से केरल राज्य में वर्तमान चार चिकित्सा कालेजों के अतिरिक्त वहां एक और चिकित्सा कालेज खोलने की गुंजाइश नहीं है।

थाना बम्बई में पकड़ी गई निषिद्ध वस्तुएं

2115. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, थाना, बम्बई के अधिकारियों ने 23 अप्रेल 1969 को एक ट्रक से एक लाख रुपये के मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा था और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख) . 22/23 अप्रैल 1969 को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, बम्बई ने एक ट्रक से दालचीनी के 1,415 किलोग्राम वजन के और 70.750 रुपये मूल्य की 28 पेटियां, 12, 400 रुपये मूल्य की सिगरेटों के 249 डिब्बों की 5 पेटियां तथा सब मिलाकर 12,800 रुपये मूल्य की टोंटियां, सांकल-कुन्दे, ताले, वाशिंग मशीन, सूट और कमीज के कपड़े आदि अन्य फुटकर सामान की तीन पेटियां पकड़ी। 10,000 रु० मूल्य के ट्रक सहित यह सारा माल पकड़ लिया गया है। ट्रक में सवार दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। आगे जांच पड़ताल चल रही है।

Taxes above Rs. 5 lakhs outstanding against individuals and Companies in Uttar Pradesh

2116. **Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the names of persons/firms in U. P. against whom tax-arrears of five lakh rupees or more were outstanding towards Income-Tax, Estate Duty, Wealth-Tax and Gift-Tax;

(b) the amount outstanding against each of the above persons/firms; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to realise the said arrears ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c) . The requisite information is not readily available and is being collected. The same will be laid on the Table of the House as early as possible.

बिहार में कमला नदी का मार्ग बदलना

2117. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कमला नदी के एक भाग को उसके वर्तमान मार्ग से मोड़ कर दरभंगा जिले में खजौली थाने में भकुआ के समीप वाले उसके पुराने मार्ग से ले जाने की योजना अंतिम रूप से तैयार कर ली गई है;

(ख) क्या इस काम के लिए एक नियामक (रेगुलेटर) की भी व्यवस्था करनी होगी; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कमला नदी का व्यपवर्तन करने की स्कीम की जांच हो रही है। इस स्कीम में पक्के नियमक को सम्मिलित करने का प्रश्न भी विचाराधीन है। इस स्कीम को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

Shortage of Revenue Stamps in Farukhabad (U. P.)

2118. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that black-marketing in revenue stamps is on the increase in Farukhabad, Uttar Pradesh, as a result of the shortage thereof;

(b) whether it is also a fact that the tickets and the stamps of the denomination of 25 paise to Rs. 20.00 are not available; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). Government have not received any complaint in the matter so far. The indents of the Government of Uttar Pradesh for Revenue Stamps have been fully complied with by the Controller of Stamps. However, the Government of Uttar Pradesh have been addressed in the matter and their reply is awaited.

लोकटक परियोजना

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969–70 में लोकटक परियोजना पर क्या-क्या कार्य किया जायेगा और उसके लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : लोकटक परियोजना अभी औपचारिक रूप से कार्यान्वियनार्थ स्वीकार नहीं की गई है।

मनीपुर के सामान्य अस्पताल से डाक्टरों और विशेषज्ञों की बदली

2120. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के सामान्य अस्पताल से डाक्टरों और विशेषज्ञों के आम तबादले के आदेश जारी किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन डाक्टरों और विशेषज्ञों की सूची क्या है जिनके तबादले हुए हैं ;

(ग) इतने अधिक लोगों का एक साथ तबादला करने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या मनीपुर सरकार और वहां की जनता ने इसका विरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उन्होंने किस आधार पर विरोध किया है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं । केवल दो डाक्टरों का प्रशासनिक आधार पर तबादला किया गया है ।

(ख) से (ङ) . ये प्रश्न नहीं उठते ।

मनीपुर सरकार के अस्पतालों के परिचर्या कर्मचारियों को भत्ते का भुगतान

2121. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 10 अप्रैल 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2357 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के सरकारी अस्पतालों के परिचर्या कर्मचारियों को उक्त भत्तों का भुगतान वास्तव में कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके भुगतान में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) विभिन्न श्रेणियों के परिचर्या कर्मचारियों के उक्त भत्तों की राशि का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) . जी हां । प्रशिक्षणार्थी नर्सों के मामले में । अन्य नर्सिंग कर्मचारियों के बारे में असम में दिए जाने वाले विभिन्न भत्तों की दरों के अनुसार पूर्व प्रभावी संस्वीकृति देते हुए संशोधित आदेश 31 मई, 1969 को जारी किए गए थे, और इन आदेशों के अनुसार देय बकाया राशि का भुगतान किया जा रहा है ।

(ग) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1507/69]

तुलिहाल हवाई अड्डे पर नियुक्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सैक्शनस ऑफीसर

2122. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेक्शनल आफीसरों को जो तुलिहाल हवाई अड्डे के निर्माण-कार्य के लिए वहां नियुक्त किये गये हैं तुलिहाल परियोजना भत्ता/या विशेष वेतन और किराया-मुक्त आवास दिया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो उपरोक्त सुविधाएं न दिये जाने के क्या कारण है;

(ग) क्या यह सच है कि हवाई अड्डे का निर्माण परियोजना के रूप में आरंभ किया गया है और वहां सेक्शन आफीसरों को सामान्य काम के घंटों से अधिक कार्य करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो विशेष वेतन के या अन्यरूप में कोई भुगतान किया जाता है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ग). तुलिहान हवाई अड्डे के निर्माण का कार्य उन शर्तों को पूरा नहीं करता जो सरकार द्वारा परियोजना भत्ता देने के लिये निर्धारित की गई है। केवल यही बात कि पर्यवेक्षण स्टाफ को नियत समय से अधिक समय तक कार्य करना पड़ता है, उन्हें परियोजना भत्ते का अधिकारी नहीं बनाता।

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्टाफ, जिसमें सेक्शन आफीसर भी शामिल हैं, को प्रतिकरात्मक भत्ता देने का प्रश्न मनीपुर केन्द्रीय डिविज़न के विचाराधीन है।

व्यापार-गृहों को जीवन बीमा निगम से ऋण

2123. **श्री अदिचन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की ऋण देने की नीति अब तक अधिकतर एकाधिकार को बढ़ाने के पक्ष में रही है, क्योंकि अब तक जीवन बीमा निगम ने गैर-सरकारी क्षेत्र में जितने ऋण दिये हैं, उसका अधिकांश भाग टाटा तथा अन्य बड़े व्यापार गृहों को दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में टाटा, बिरला, बाजोरिया तथा अन्य बड़े व्यापार गृहों के विभिन्न उपक्रमों के लिये दिये गये ऋण की प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) सरकार ऐसी क्या कार्यवाही कर रही है, जिससे सरकारी क्षेत्र के वित्तीय अभिकरणों की ऋण देने की नीति ऐसी न हो, जिससे कुछ एक एकाधिकार-वादियों के हाथों में ही आर्थिक शक्ति केन्द्रभूत हो जाय ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) : जीवन बीमा निगम द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में लगायी जाने वाली पूंजी को इन तीन मुख्य भागों में बांटा जा सकता है :

1. बाजार से शेयरों तथा ऋण-पत्रों की खरीद, जो निगम के निवेश का एक बहुत बड़ा भाग है। इन निवेशों से सम्बद्ध कम्पनियों को किसी तरह की प्रत्यक्ष वित्तीय

सहायता नहीं पहुंचती क्योंकि इनसे कम्पनियों पर किसी तरह का असर डाले बिना केवल शेयरों का स्वामित्व ही एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर को अन्तरित होता है ।

2. **कम्पनियों को प्रत्यक्ष ऋण :** जीवन बीमा निगम ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को केवल 1964 से ही सार्वाधिक ऋण देने शुरु किये थे । 31 मार्च, 1968 तक बकाया कुल ऋणों की रकम 17.35 करोड़ रुपया थी, जिसमें से 9.30 करोड़ रुपये के ऋण, उन 75 व्यापारिक समूहों के जिम्मे बकाया थे, जिनका उल्लेख एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट में किया गया है ।

3. कम्पनियों के शेयरों तथा ऋणपत्रों की सीधी खरीद तथा उनका जिम्मा लेना । इन निवेशों के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें पिछले तीन वर्षों में निर्दिष्ट समूहों की कंपनियों की जीवन बीमा निगम द्वारा दिये गये ऋणों के आंकड़े दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1508/69]** इन समूहों संबधित कपनियों के ऋण पत्रों की सीधी खरीद पर जो रकम लगायी गयी है उसके आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है और उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है ।

(ग) जब बड़े औद्योगिक समूहों से संबंध रखने वाली ऐसी औद्योगिक कंपनियां, जिन्हें सरकार की तरफ से किसी प्रायोजना को क्रियान्वित करने का लाइसेंस मिल चुका हो, वित्तीय सहायता के लिये वित्तीय संस्थाओं से अनुरोध करती है, तब सामान्यतः ये संस्थाएं उनसे यह आशा करती है कि वे उन प्रायोजनाओं के वित्त प्रबंध के लिए, जिन्हें वे शुरु करती हैं, अपने साधनों से उस रकम के मुकाबले और ज्यादा धन की व्यवस्था करें जिसकी आशा ये संस्थाएं सामान्यतः उस छोटे उद्यमकर्ता से करती है जब वह इसी तरह की प्रायोजनाओं की वित्त व्यवस्था के लिए अनुरोध करता है । बड़े बड़े औद्योगिक समूहों को वित्तीय सहायता देने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा भविष्य में जो नीति अपनायी जायगी उस पर चौथी पंचवर्षीय आयोजना की भूमिका में योजना आयोग द्वारा बतायी गयी बातों तथा औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की हाल की रिपोर्ट के संदर्भ में, अभी सरकार विचार कर रही है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पश्चिमी बंगाल विधान सभा के परिसर में पुलिस कर्मचारियों द्वारा की गई तोड़ फोड़

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun) : Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a sentence thereon ;

"Vandalism by police personnel in the precincts of West Bengal Legislative Assembly."

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I rise on a point of order. It has been a practice here that we are supplied a copy of the statement so that we could put questions. Now if the statement is a lengthy one, we would not be able to put questions. I request that we should be given a copy.

उपाध्यक्ष महोदय : गृह–कार्य मंत्री से अनुरोध किया गया था कि इसके बारे में एक वक्तव्य दें । वह इसको सभापटल पर नहीं रख रहे है । वह उसे पढ़ने जा रहे हैं । यह एक छोटा सा वक्तव्य है ।

Shri Atal Behari Vajpayee (Balrampur) : I rise on another point of order. The motion which I gave was worded differently and as such the purpose of the motion is changed.

उपाध्यक्ष महोदय : सब से पहले प्राप्त होने वाले नोटिस की यही भाषा है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–पूर्व उत्तर) : मैं जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार का विषय इस सभा के क्षेत्राधिकार में आता है ? क्या पश्चिमी बंगाल विधान सभा में पुलिस मैनों द्वारा की गई तोड़ फोड़ पर हम यहां पर चर्चा कर सकते हैं । इन शब्दों को बदला जाये । हमें इस प्रकार इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैने यह प्रश्न उठाने की अनुमति इस आधार पर दी थी कि विधान मंडल की गरिमा पर चोट आयी है । विधान मंडलों को संविधान का संरक्षण करना है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : आप को भी यशपाल सिंह के शब्दों में परिवर्तन करना चाहिए । इस पर इसी रूप में चर्चा नहीं हो सकती । मैं चाहता हूं कि इस वक्तव्य पर प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए ।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : पश्चिमी बंगाल पुलिस राज्य का विषय है । आपको केवल विधान मंडल की गरिमा के भंग होने के प्रश्न तक ही सीमित रहना चाहिये । इसके अतिरिक्त और कुछ नही.....

श्री प्र० के० देव (काला हांडी) : यह एक बहुत गंभीर मामला है । हमें इस पर चर्चा करनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राममूर्ति ने ठीक कहा है कि इस सभा को राज्यों के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है । परन्तु हम विधान मंडल के अपमान पर चुप नहीं रह सकते ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : वहां संवैधानिक व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई है ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 31 जुलाई, 1969 को 24 परगना, अलीपुर स्थित राज्य पुलिस के कुछ कर्मचारी

बहुत क्षुब्ध हो गये थे। वे चाहते थे कि एक पुलिस सिपाही नायक शंकरदत्त शर्मा का शव उन्हें दिया जाये ताकि वे उसका जलूस निकाल सकें। वे जबरदस्ती पुलिस के सुपरिन्टेन्डेन्ट के कार्यालय में घुस गये और उसके कार्यालय में तोड़ फोड़ की। फिर वे एक जुलूस के रूप में गये और वहां से मृत शरीर ले आये और एक जलूस निकाला।

उसके बाद वे मुख्य मार्गों से होते हुये विधान सभा के मुख्य द्वार पर पहुंचे। वे अन्दर जाना चाहते थे। कलकत्ता पुलिस ने जो वहां तैनात थी, उन्हें रोका। इसमें हाथा पायी हो गयी।

पुलिस वाले जबरदस्ती अन्दर चले गये। उन्होने फर्नीचर आदि को क्षति पहुंचायी। उन्होने कुछ सदस्यों को भी पीटा और बिजली के उपकरणों को नुकसान पहुंचाया। विधान सभा की बैठक स्थगित कर दी गई। इसके बाद पुलिस वाले अध्यक्ष तथा उपमुख्य मंत्री के कमरों की ओर गये। कुछ सुरक्षा अधिकारियों को चोटें आयीं।

उपमुख्य मंत्री ने पुलिस वालों के इस व्यवहार की निन्दा की और उन्हें ऐसे दुर्व्यवहार के लिये क्षमा याचना करने को कहा।

राज्य सरकार ने संविधान के खंड 311 (2) के अन्तर्गत कुछ पुलिस के सिपाहियों को बर्खास्त करने का निर्णय किया है। उसने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि सेना को भी सतर्क रहने की हिदायत दी जाये। यदि आवश्यकता हो तो उसकी सेवा ली जाये। सेना अधिकारियों को ऐसे आदेश दे दिये गये हैं।

पुलिस वालों के ऐसे व्यवहार में कोई औचित्य नहीं है। इसकी निन्दा की जानी चाहिये। सभी ने 31 जुलाई, 1969 वाली घटना को खराब कहा है।

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun) : Sir, it is not the law of jungle in our country. Our great leaders had not suffered for such things. I cannot understand as to why the legislators did not retaliate ? I want to know whether Central Government is thinking of dismissing the Government of West Bengal and to impost the President's rule there.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने कोई प्रश्न तो किया नहीं। उन्होंने बड़े सुन्दर शब्दों में अपनी राय व्यक्त की है। मैं उससे सहमत नहीं हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The entire house deplores the incident which took place in the West Bengal Legislative Assembly. The conduct of policemen cannot be appreciated. We want to know why all this happened ? We would like to know the circumstances leading to the death of policeman. How Government gets its information ? It should not depend solely on the State Government. What was the role of Congress Party in this ? We want to know the authenticity in the allegation that C. I. A. had a hand in this. We demand a Supreme Court judge should be asked to go into all this ? It is not a question of West Bengal only. It is of great importance for our democracy. It is not a stray incident. We know about the incidents of Durgapur and other incidents. Is it a fact that politics is being injected in police there ? Is it also a fact that there is a division in police officials there ?

I want straight answers to these questions from hon. Home Minister.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : बंगाल में घटी घटनाओं पर सदस्यों का चिन्तित होना स्वाभाविक है। हमें ध्यान में रखना चाहिये कि हमें केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर भी ध्यान रखना है। हमें राज्यों द्वारा दी गई जानकारी पर ही निर्भर करना पड़ता है। हां, यदि सदन चाहता है और आप आज्ञा देते हैं तो सभा में बगाल की स्थिति पर चर्चा की जा सकती है।

Shri K. N. Tiwary (Beteah) : We all are very much concerned on these incidents. If we think from revolutionery point of view it is a step forward towards revolution. **(interruptions).**

The procession of policemen was going round for about two hours. I want to know what precautions were taken by the State Government to disperse this procession ? Is it also a fact that there are two police associations there ? Further I want to know whether hon. Home Minister's attention has been drawn to the statement of Secretary of Congress Assembly Party Shrimati Abha Maiti in which she has levelled allegations against Shri Jyoti Basu the Deputy Chief Minister of Bengal ? What is his reaction in this regard ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने स्वयं बहुत सी जानकारी दे दी है। यह बात ठीक है कि राज्य सरकार को जलूस के बारे में जानकारी होनी चाहिये थी। परन्तु इस पर राज्य सरकार को ध्यान देना होगा। वैसे मृत व्यक्ति के बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी मंगानी होगी। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : शव की दशा क्या थी।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : शव पर गंभीर चोटें थी।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : संविधान के अनुसार गृह-कार्य मंत्री की जिम्मेदारी है कि समूचे देश में कानून और व्यवस्था का ध्यान रखें। उन्हें केवल राज्य सरकार पर ही निर्भर नहीं करना चाहिये। क्या उन्हें यह नहीं जानना चाहिये कि समाचारपत्रों में छपी बात सच है अथवा नहीं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं जानकारी एकत्रित करूंगा।

Shri Madhu Limaye) (Monghyr) : I want to state that the police employees should be provided with the civic rights and they should be allowed to establish their Trade Unions. In the programme countries like West Germany and Australia Policemen are given rights to have their Trade Unions. In certain countries even the military personnel are free to organise their unions. The Government of India are strictly against the establishment of the Trade Unions proposed to be established by the police employees. Shri Y. B. Chavan and Shri Jyoti Basu want that the policemen should not express their grievances. Shri Jyoti Basu has issued a warning to the policemen that the consequences of and agitation launched by them would not be good for them He also says that the demands and the grievances of the policemen, if any, are not genuine.

श्री ही० ना० मुकर्जी : ये बातें ठीक नहीं है।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या ऐसी बातों पर जो उनको पसन्द नहीं है ये लोग आपत्ति उठा सकते हैं ?

श्री रविराय : उन्हें ये सभी बातें कहने का अधिकार है।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय ! पश्चिमी बंगाल के गृह-कार्य मन्त्री यहां उपस्थित नहीं हैं। अतः उनके विरुद्ध इस प्रकार के आरोप नहीं लगाये जाने चाहिये। जहां तक मैं समझता हूँ माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह सच नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि उन्हें इस प्रकार के आक्षेप लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी की आपत्ति उचित है। हमें संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : उनका प्रश्न मूल अधिकारों पर आधारित है।

श्री गणेश घोष (कलकत्ता दक्षिण) : राज्य के पुलिस सम्बन्धी मामलों पर इस सभा में चर्चा नहीं हो सकती।

Shri Madhu Limaye: Sir, in 1967 Mr.Chavan said the same words and I think both Mr.Chavan and Mr. Jyoti Basu have the same attitude towards the policemen. I do not support the disruptive attitude and the action of the policemen but I wish they should have launched their agitation in peaceful manner. In 1967 also we declared that the policemen had rights to lanch their agitation in peaceful manner. I am constrained to state that in 1966 thousands of policemen resorted to gerao and though at that time there was not a single incident of violence yet there was firing and as a result thereof one man was killed. Not only this nearly 1200 to 1500 policemen were dismissed or discharged.

In the circumstances, may I know whether the hon. Minister propose to call a meeting or conference of all the Home Ministers of the States to consider the basic problems relating to the policemen and to consider the question of giving the rights to from their Trade Unions so that they may get all civic rights ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक पुलिस को धार्मिक संघ बनाने के अधिकारों की बात है मेरा इस बारे में वही दृष्टिकोण है जो मैंने 1967 में अपनाया था। उन्होंने कहा है कि श्री ज्योतिवसु का भी वही विचार है जो मेरा है। अतः यह स्पष्ट है कि उत्तरदायित्व का उचित निर्वाह करने के लिये यही आवश्यक है जो किया रहा है। यदि माननीय सदस्य को भी कभी गृह-कार्य मन्त्री बनना पड़ा तो उनका विचार भी यही होगा।

पुलिस को धार्मिक संघ बनाने के अधिकार देने के विषय में सभी राज्यों के गृह-कार्य मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाने का मेरा कोई विचार नहीं है। मेरा विचार पुलिस कर्मचारियों की सभी वास्तविक कठिनाइयों की जांच कराने का है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Deputy Speaker, Sir, may I know whether the military was deployed at the instance of Shri Jyoti Basu or it was done by the Central Government on their own ?

Mr. Jyoti Basu spoke of the sanctity of the House but he himself with his benchmen launched a gherao against the Governor and did not let him read his address in the Assembly. May I know, therefore, whether Mr. Basu have changed his view point regarding the sanctity of the House. I want to know whether the Union Home Minister has received the report regarding the new policy abopted by Shri Jyoti Basu.

The question is that what compelled the policemen to act in this manner. Nearly 104 political murders have taken place there. Gherao has been declared illegal by the High Court yet. Mr. Jyoti Basu and other Ministers have been supporting the tendency of organising gheroas. In this way, they are showing disrespect to the decision of the High Court. A parallel force has been created by the Marxist party in West Bengal and this force interfere the day to day business of the police creating a sense of frustation in the minds of the policemen there.

There is a crime wave in West Bangal and the law and order situation has been completely disturbed there with the conivance of the Government. May I know whether the Central Government will dismiss the present Government of West Bengal in order to watch the interests of the people of that State as was done with the Government of Kerala, and if not will it not mean the collision between Mrs. Indira Gandhi and the Government of West Bengal ?

Lastly I want to know the nature of the report made by the Government of India ?

श्री राममूर्ति (मदुरै) : उपाध्यक्ष महोदय ! मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का एक विशेष बिषय होता हैं तथा किसी को भी उस विषय से अलग बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये बातें संगत हैं ? आपको इन्हें कार्यवाही वृतान्त से निकाल देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी प्रश्न तो संगत नहीं कहे जा सकते । मैंने बहुत बार उन्हें सचेत भी किया है । अब गृह-कार्य मन्त्री उत्तर देंगे ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) · On a point of order, Sir It cannot be said a fair convention to attend a point of order raised during the period of putting a question. You allow the mambers of the Marxist party to have an opportunity to speak but we are devoid of it, Perhaps you are afraid of them.

उपाध्यक्ष मोहोदय : डरने का कोई सवाल नहीं है । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के समय मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दे देता हूं ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : श्री कंवरलाल गुप्त का पहला प्रश्न था कि पश्चिमी बंगाल में सेना किसने बुलाई थी । मेरा उत्तर है कि सेना पश्चिमी बंगाल सरकार ने बुलाई थी और श्री ज्योति बसु वहां की सरकार के एक अंग है ।

श्री ज्योति बसु के विचारों में किसी परिवर्तन के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता और न कहने का अधिकारी हूँ।

घिराव के कारण पश्चिमी बंगाल की आर्थिक स्थिति तथा राजनीतिक स्थिति को धक्का लगा है। इस मामले पर अलग से विचार होना चाहिए। जहां तक सरकार की समाप्ति का प्रश्न है यह मामला इतना सरल नहीं है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसन्धान संस्था, चण्डीगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : महोदय ! मैं स्नातकोत्तर चिकित्सा तथा अनुसन्धान संस्था, चण्डीगढ़, अधिनियम, 1966 की धारा 19 के अधीन स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसन्धान संस्था चण्डीगढ़, के 1967–68 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1487/69**]

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिरक्षा सेवाएं 1969 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम तथा सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : महोदय ! मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ।

(1) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उप-धारा 3(दो) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अधीन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिरक्षा, सेवाएं, 1969 की एक प्रति (हिन्दी संस्करण)।

(2) वर्ष 1967-68 के लिए प्रतिरक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे की एक प्रति तथा उसका वाणिज्यिक परिशिष्ठ (हिन्दी संस्करण)। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1488/69**]।

(3) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (नवां संशोधन) नियम 1969 जो दिनांक 12 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1615 (अंग्रेजी सस्करण) और जी० एस० आर० 1616 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (आठवां संशोधन) नियम, 1969 जो दिनांक 19 जुलाई 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1713 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1714 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1489/69]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रतिः—

(एक) जी० एस० आर० 1456 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 21जून, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 1716 जो दिनांक 19 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) जी० एस० आर० 1717 जो दिनांक 19 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) जी० एस० आर० 1783 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1784 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 26 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में पकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1490/69]

(5) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रतिः—

(एक) जी० एस० आर० 1120 और 1121 जो दिनांक 8 मई, 1969 के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 1550 जो दिनांक 27 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) जी० एस० आर० 1611 और 1612 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1613 और 1614 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 12 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) जी० एस० आर० 1730 और 1731 जो दिनांक 19 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1491/69]

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेलवे) 1967-68
DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS) 1967-68

रेलवे मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री रोहनलाल चतुर्वेदी) : महोदय ! मैं वर्ष 1967-68 के आय-व्ययक (रेलवे) सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की मांगे दर्शाने वाला एक विवरण पेश करता हूँ ।

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA-SABHA

सचिव : श्रीमन ! मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त एक संदेश की सूचना देनी है कि राज्य सभा, 31 जुलाई, 1969 को हुई अपनी बैठक में, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक 1969 से, जो लोक सभा द्वारा 23 जुलाई 1969 को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

समिति के लिये निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE

भारतीय चिकित्सा तथा होमियोपेथी में अनुसन्धान के लिये केन्द्रीय परिषद

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि स्वास्थ्य परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय (स्वास्थ्य विभाग) के संकल्प संख्या एफ० 113/68 ए ई, दिनांक 22 मई, 1969 के पैरा 1 (8 और 9) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें भारतीय चिकित्सा तथा होमियोपैथी में अनुसन्धान के लिए केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय (स्वास्थ्य विभाग) के संकल्प संख्या एफ० 113/68 ए ई, दिनांक 22 मई, 1969 के पैरा 1 (8 और 9) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय चिकित्सा तथा होमियोपैथी में अनुसन्धान के लिये केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

Re : QUESTION OF PRIVILEGE

उपाध्यक्ष महोदय : कई दिन पहले विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया था तथा मैंने विधि मन्त्री महोदय से उस बारे में कुछ कहने को कहा था। वैसे मैं सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : महोदय हम आपकी कठिनाई समझते हैं किन्तु कई बार शीघ्रता में सभा को ज्ञात ही नहीं होता कि वास्तव में हो क्या रहा है। अतः मेरा निवेदन है कि श्री साल्वे को थोड़ा समय दिया जाये।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : विधि मन्त्री महोदय ने मुझे सूचित किया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मुकदमें को तुरन्त खारिज कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो कुछ किया है उसके विरुद्ध सभा को कोई कार्यवाही करनी चाहिये या नहीं इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं समझता हूं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने यह उचित कदम उठाया है तथा इससे एक दुरुह स्थिति टल गई है। अतः मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में मुझे अपने प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति दी जाये .....**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह अलग बात है। माननीय मन्त्री की बात भी हमें सुननी चाहिए।

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : हाल ही में मैंने निवेदन किया था कि समन जारी करने से विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं होगा क्योंकि यह कोई अदालती मामला नहीं है। मुझे जैसे ही इस मामले की सूचना मिली सरकार ने इस बात की व्यवस्था की कि महान्याय वादी न्यायालय को इस बात की सूचना दे कि यह मामला अनुच्छेद 105 (2) के अन्तर्गत समाहित हो जाता है। ऐसा ही किया गया तथा न्यायालय ने मुकदमें को तुरन्त खारिज कर दिया।

श्री नाथपाई : महोदय ! यह मामला किसी व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित नहीं है वरन् समस्त सभा से सम्बन्धित है। मैंने वह नोटिस देखा है तथा उसमें स्पष्ट लिखा है कि ' उस तिथि को मामला नहीं लिया जायेगा तथा आपको 4 अगस्त को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं हैं।" उसमें यह भी लिखा गया है 'कि यदि आपकी उपस्थिति आवश्यक हुई तो आपको सूचित कर दिया जायेगा।' इस प्रकार यह मामला पूर्णतः खारिज नहीं किया गया है।

श्री गोविन्द मेनन : आज 10 बजे महन्यायवादी ने न्यायालय को यह सूचना दी थी कि यह मामला अनुच्छेद 105 (2) के अन्तर्गत आता हैं। अतः इस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

श्री नाथ पाई : उच्च न्यायालय को यह सूचना प्रारम्भ में ही मिलनी चाहिये थी।

श्री गोविंद मेनन : उच्च न्यायालय को इस की सूचना अभी मिली है तथा उसने तुरन्त ही इसे खारिज कर दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी इस मामले को समाप्त नहीं किया जाता । हम इस मामले को कल उठायेंगे । उन्होने आदेश नहीं पढ़ा है । मैं एक बात और कहना चाहता हूँ । इसमें कहा गया है कि "हमारा विचार है कि संविधान के अनुच्छेद 105 (2) के अन्तर्गत इस मामले पर मुकदमा नहीं हो सकता अत. वाद पत्र खारिज किया जाता है" जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है यह तो समाप्त हो जाता है किन्तु इससे विशेषाधिकार सम्बन्धी अनेक और भी प्रश्न उठते हैं । जो माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाना चाहें वे मुझे लिख कर दें ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : स्वतन्त्र पार्टी के विरुद्ध मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव का क्या हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे सब उपयुक्त समय पर सभा के समक्ष आयेंगे । बैंकिंग कम्पनी विधेयक पर विचार करने के लिये आज अन्तिम दिन है । अतः मेरा सुझाव है कि यदि आवश्यक हुआ तो सभा अधिक समय तक बैठे । मेरा निवेदन है कि सदस्य गण अपनी बात संक्षेप में कहे तथा केवल महत्वपूर्ण बातों पर बल दें जिससे कि हम इस कार्य को समाप्त कर सकें ।

श्री कंवरलाल गुप्त : महोदय यह असम्भव है । इस विधेयक पर चर्चा आज कैसे पूरी हो सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय है कि जब तक यह कार्य समाप्त न हो सभा स्थगित नहीं होगी ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये ढाई बजे म० प० के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Half past fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर सैंतीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok-Sabha reassembled after Lunch at Thirty seven minutes past fourteen of the Clock.

{ **श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए**
Shri Vasudevan Nair *in the Chair* }

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The Government should make a statement regarding the loss caused to the peasants of Madhya Pradesh due to the floods.

श्री ग्र० सि० सहगल (बिलासपुर) : मैं भी यही कहना चाहता हूँ ।

सभापति महोदय : मैंने श्री प्र० चं० सेठी को विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति मांगने के सम्बन्ध में कहा है । अन्य माननीय सदस्य कृपया बैठ जाँय । मैं उनकी बात बाद में सुनूंगा ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विधेयक
CENTRAL EXCISES BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधन करने के लिए विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मैं पहले ही सूचना दे चुका हूँ कि मैं इस विधेयक का विरोध पुरःस्थापन के समय ही करना चाहता हूँ । इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि इस विधेयक में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पुनर्गठन समिति की सभी महत्वपूर्ण सिफारिशें समाविष्ट नहीं हुई हैं । इस विधेयक के खण्ड 41 के अनुसार प्रशासन को अपरिमित शक्तियां दी जायेंगी और मैं समझता हूं कि इस खण्ड को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है ।

आप जानते ही हैं कि प्रारम्भ में कुछ ही वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगा हुआ था । परन्तु अब धीरे धीरे सरकार ने इसे बहुत सी वस्तुओं पर लगा दिया है । इस नीति से राज्यों की आय में पर्याप्त हानि हुई । और इस प्रकार इससे केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध बिगड़ जाने की संभावना है ।

इस विधेयक का उद्देश्य तो यह होना चाहिए था कि कई बार उत्पादन शुल्क न लगाये जायें इसकी व्यवस्था हो परन्तु इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

पुनर्गठन समिति ने सिफारिश की थी कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के ढांचे में परिवर्तन कर दिया जाये क्योंकि अनेक वस्तुएं छोटे उद्योगों द्वारा निर्मित होती हैं । अब, जबकि मामले पर सविस्तार विचार किया जा रहा है, अच्छा होता यदि सभी शिफारिशों पर ध्यान दिया जाता ।

इस आधार पर मैं विधेयक का विरोध करता हूं ।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : It has been proposed in this bill to impose duty on salt. In our struggle for freedom we launched Salt Satyagraha. After independence duty on salt was removed. Today the Government proposes to impose duty on salt. There has been increase in duty on Kerosene, Sugar and Tea, these are the items which are commenly consumed. I, therefore, oppose this bill.

श्री प्र० चं० सेठी : हमने विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति लेली है । अन्य प्रकार की वैधानिक स्वीकृतियां भी इसके लिए ले ली गई हैं । इस समय विधेयक पुरस्थापित किया जा

रहा है। मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जायेगा और उन्हें इसके विवरण एवं गुणों पर चर्चा करने का अवसर मिल जायेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री प्र० चं० सेठी : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं।

पटसन उद्योग में संकट के बारे में
Re : CRISES IN JUTE INDUSTRY

श्री स० कुण्डू (बालासोर) : हाल में ही श्री भगत ने कहा था कि वे पटसन मिलों की हड़ताल को समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे। पता चला है कि वार्ताएं विफल हो गई हैं। पटसन की 70 मिलों में 2 लाख व्यक्ति हड़ताल पर हैं जिससे 1 करोड़ रुपए की प्रतिदिन हानि हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार हड़ताल रोकने के लिए क्या प्रयत्न कर रही है।

श्रम मंत्री ने कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया है, क्या वे तथा श्री भगत इस बारे में वक्तव्य देने की कृपा करेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): हाल में ही जब हमारे आग्रह पर श्री भगत कलकत्ता गये थे तब मिल मालिकों ने पुरानी बात दुहराई थी कि वे कार्य कर्त्ताओं को तब तक कुछ नहीं देना चाहते हैं जब तक कि निर्यात शुल्क समाप्त नहीं कर दिया जाता। उन्होंने उलटा पुलिस का संरक्षण मांगा है। क्या श्रम मंत्री इस पर अपना वक्तव्य देंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : I support Shri Banerji. The Government should endeavour to find out some solution even if it becomes necessary to redue duty.

The Government should see that the Mill gets Police protection and the workers get fair wages.

Shri Daven Sen (Asansol) : I want to know the reasons for the failure of the negotiations.

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि संसद कार्य मन्त्री महोदय ने सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों को सुना है। मुझे आशा है कि वे उन विचारों को अन्य मन्त्रियों तक पहुंचा देंगे।

बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तांतरण) विधेयक

BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL

खण्ड 12

सभापति महोदय : अब बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तांतरण) विधेयक पर खण्डवार आगे विचार किया जायेगा ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I have to propose an important amendment that representatives of Bank employees, workers, and farmers may be taken on the Advisory Board. I also support the amendment of Shri Patodia in which it is proposed that representatives of Depositors should also be on the board. I suggest that Shri Govind Menon may be permitted to amalgamate these two amendments and to redraft them.

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : मैं अपना संशोधन संख्या 369 प्रस्तुत करता हूँ ।

सभापति महोदय : आप अपने संशोधन पर बोलना शुरु कीजिए ।

Clause 12 says :

There shall be an Advisory Board to aid and advise the Custodian in the discharge of his duties.

I have said in my amendment to this clause that the persons representing the various interests, particularly agriculturists, small industrialists, bank employees and small dipositors should be taken in the Advisory Board. These are the interests which are directly related with banks Big industrialists prefer to invest his money in some industry rather than to deposit it in banks. Therefore, there is no need to take the representatives of big industrialists in the Advisory Board. They take loans from banks for their business.

Agriculturists and small industrialists deposit their money in banks and therefore they should have representation in the Advisory Board.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मेरे संशोधन में कहा गया है कि सलाहकार बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैंक सम्बन्धी विशेषज्ञ तथा सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी लिये जाने चाहिए जिन्हें सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना के द्वारा नियुक्त कर सकती है । अतः मेरा निवेदन है कि अन्य बातों के साथ साथ मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये ।

श्री नारायण दाण्डेकर (जामनगर) : मन्त्री महोदय ने माननीय सदस्य श्री मधुलिमये का यह सुझाव मान ही लिया है कि सलाहकार बोर्ड में बैंक कर्मचारियों, किसानों, मजदूरों तथा शिल्पियों के प्रतिनिधी लिये जाने चाहिए । मैं अपने संशोधन में केवल यह कहना चाहता हूँ कि उपर्युक्त प्रतिनिधियों के साथ साथ जमाकर्ताओं के प्रतिनिधि भी इस बोर्ड में लिये जाने चाहिए ।

रहा है । मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जायेगा और उन्हें इसके विवरण एवं गुणों पर चर्चा करने का अवसर मिल जायेगा ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री प्र० चं० सेठी : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं ।

पटसन उद्योग में संकट के बारे में
Re : CRISES IN JUTE INDUSTRY

श्री स० कुण्डू (बालासोर) : हाल में ही श्री भगत ने कहा था कि वे पटसन मिलों की हड़ताल को समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे । पता चला है कि वार्ताएं विफल हो गई हैं । पटसन की 70 मिलों में 2 लाख व्यक्ति हड़ताल पर हैं जिससे 1 करोड़ रुपए की प्रतिदिन हानि हो रही है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार हड़ताल रोकने के लिए क्या प्रयत्न कर रही है ।

श्रम मंत्री ने कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया है, क्या वे तथा श्री भगत इस बारे में वक्तव्य देने की कृपा करेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): हाल में ही जब हमारे आग्रह पर श्री भगत कलकत्ता गये थे तब मिल मालिकों ने पुरानी बात दुहराई थी कि वे कार्य कर्त्ताओं को तब तक कुछ नहीं देना चाहते हैं जब तक कि निर्यात शुल्क समाप्त नहीं कर दिया जाता । उन्होंने उलटा पुलिस का संरक्षण मांगा है । क्या श्रम मंत्री इस पर अपना वक्तव्य देंगे ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : I support Shri Banerji. The Government should endeavour to find out some solution even if it becomes necessary to redue duty.

The Government should see that the Mill gets Police protection and the workers get fair wages.

Shri Daven Sen (Asansol) : I want to know the reasons for the failure of the negotiations.

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि संसद कार्य मन्त्री महोदय ने सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों को सुना है । मुझे आशा है कि वे उन विचारों को अन्य मन्त्रियों तक पहुंचा देंगे ।

बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तांतरण) विधेयक

BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL

खण्ड 12

सभापति महोदय : अब बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तांतरण) विधेयक पर खण्डवार आगे विचार किया जायेगा ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I have to propose an important amendment that representatives of Bank employees, workers, and farmers may be taken on the Advisory Board. I also support the amendment of Shri Patodia in which it is proposed that representatives of Depositors should also be on the board. I suggest that Shri Govind Menon may be permitted to amalgamate these two amendments and to redraft them.

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : मैं अपना संशोधन संख्या 369 प्रस्तुत करता हूँ ।

सभापति महोदय : आप अपने संशोधन पर बोलना शुरु कीजिए ।

Clause 12 says :

There shall be an Advisory Board to aid and advise the Custodian in the discharge of his duties.

I have said in my amendment to this clause that the persons representing the various interests, particularly agriculturists, small industrialists, bank employees and small dipositors should be taken in the Advisory Board. These are the interests which are directly related with banks Big industrialists prefer to invest his money in some industry rather than to deposit it in banks. Therefore, there is no need to take the representatives of big industrialists in the Advisory Board. They take loans from banks for their business.

Agriculturists and small industrialists deposit their money in banks and therefore they should have representation in the Advisory Board.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मेरे संशोधन में कहा गया है कि सलाहकार बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैंक सम्बन्धी विशेषज्ञ तथा सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी लिये जाने चाहिए जिन्हें सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना के द्वारा नियुक्त कर सकती है । अतः मेरा निवेदन है कि अन्य बातों के साथ साथ मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये ।

श्री नारायण दाण्डेकर (जामनगर) : मन्त्री महोदय ने माननीय सदस्य श्री मधुलिमये का यह सुझाव मान ही लिया है कि सलाहकार बोर्ड में बैंक कर्मचारियों, किसानों, मजदूरों तथा शिल्पियों के प्रतिनिधी लिये जाने चाहिए । मैं अपने संशोधन में केवल यह कहना चाहता हूँ कि उपर्युक्त प्रतिनिधियों के साथ साथ जमाकर्ताओं के प्रतिनिधि भी इस बोर्ड में लिये जाने चाहिए ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : सलाहकार बोर्ड में किसानों, बैंक कर्मचारियों, शिल्पियों के प्रतिनिधियों के साथ साथ राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी लिये जाने चाहिए, क्योंकि बैंकों को राज्यों में भी काम करना पड़ता है और उनका कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए राज्य सरकारों के प्रतिनिधि लेना आवश्यक है। अत मेरा अनुरोध है कि मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरि) : विधेयक में कहा गया है कि सलाहकार बोर्ड के स्थान पर निदेशक बोर्ड बनाया जायेगा जो वित्त मत्रालय के अन्तर्गत होगा। हम अपने पिछले अनुभव से देख चुके हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र जनता से दूर होता जा रहा है और इसमें नौकरशाही का प्रभुत्व बढता जा रहा है। यदि सरकार चाहती है कि बैंक राष्ट्रीय हित के कार्य करें तो इसमें उच्चस्तर पर नौकरशाही का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। अत: मेरा निवेदन है कि सलाहकार बोर्ड का स्थान एक उच्च निकाय द्वारा लिया जाना चाहिए। मेरा संशोधन इसी निकाय की स्थापना के सम्बन्ध में है। इस निकाय में किसानों, सहकारी समितियों, लघु उद्योगों एवं सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ साथ तीन संसद सदस्य भी लिये जाने चाहिए। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लेंगे।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I understand that the Chairman of the banks have been appointed Custodians and the Advisory Board will be set up and the members of these Boards will be appointed from amongst the shareholders of these banks. It is appreciated that the hon. Minister has accepted the amendment moved by Shri Limaye and the amendment moved by Shri Banerjee is being accepted by him I have already stated that such Chairman of banks against whom serious charges are pending should not be appointed as Custodians and similarly such persons should not be taken in the Advisory Board.

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Mr. Chairman. it is appreciated that some suggestions have been accepted. I would like to say something about the undertakings in the public sector. The main cause of the mismanagement in the public sector is that these are run by the persons who have no faith in the public sector. Mostly these persons are mill owners.

I agree with the suggestions that representatives depositors should also be included in the Board of Directors. It is necessary that the representatives of every section should be taken in it in order to safeguard and the interests of every section. I have said in my amendment that the elected representatives of the Parliament should also be taken in the Board because they are responsible for protecting the interests of the public. I, therefore, request the hon. Minister that my amendment may be accepted.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं अपने संशोधन संख्या 212 के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूँ कि सलाहकार बोर्ड में कम से कम एक ससद सदस्य, एक चार्टर्ड एकाउन्टेंट तथा लघु उद्योगों, किसानों, कर्मचारियों तथा जमा कर्ताओं का एक एक प्रतिनिधि लिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : आप बातों को दोहरा रहें हैं। इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

माननीय सदस्य अब अपनी बात कह चुके हैं और वह बठ जायें । माननीय सदस्यों को पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग करना चाहिए ।

श्री अब्दुल गनी दार : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है :

If Government are being allowed to move their amendment. We should also be allowed to do so.

सभापति महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री स्वतत्र सिह कोठारी (मंदसौर) : मैं यह कहना चाहता हूं कि परामर्शदातृ बोर्डों के सदस्यों को कोई पारिश्रमिक न दिया जाये बल्कि उन्हें यात्रा भत्ता और भोजन-खर्च दिया जाये । इन बोर्डों में ईमानदार लोग होने चाहिए जो सरकार की नीतियों और बैंक के राष्ट्रीय-करण को सफल बनाने के लिए प्रयास करें । बोर्ड में कर्मचारियों और ससद सदस्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए । इनमें असफल या निराश राजनीतिज्ञों को न लाया जाये । ये सब बातें निदेशक-मण्डलों पर भी लागू होनी चाहिए ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम) . यदि सलाहकार बोर्ड बहुत ही छोटी अवधि के लिए बनाया जा रहा है तो उसे अन्तरिम व्यवस्था का नाम दिया जाना चाहिए था । चूंकि मन्त्री महोदय ने उसे अन्तरिम व्यवस्था नहीं कहा इसलिए सलाहकार बोर्ड में जमाकर्ताओं, किसानों आदि के प्रतिनिधित्व के लिए संशोधन दिये जा रहे हैं । उसमें कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व उनके मान्यता प्राप्त संगठनों के माध्यम से सुगमता से किया जा सकता है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालौर): बैंकों में 1,60,00,000 लोगों की 4600 करोड़ रुपये की राशि जमा है । इनमें से 1,40,00,000 वकील, डाक्टर, अध्यापक, किसान और छोटे दुकानदार हैं । यदि खातेदारों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया तो इससे अधिक लोगों को बैंकों में राशि जमा करने की प्रेरणा मिलेगी तथा उनके मन में विश्वास की भावना भी पनपेगी । अत: जिन लोगों का बैंकों में हिसाब है उनका सलाहकार मंडल में उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिये ।

Shri Daven Sen (Asansol) : Sir, my amendment is as follows:--

> Page 6, line 29, --add at the end "and shall include rapresentative of Employees, workers and artisans"

I do not want to make any speech,

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Sir, my amendment is that after line 29 it may be added ·

"Provided that these shall be included in such board atleast two representatives of the bank employees."

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : यह स्वीकार किया गया है कि सलाहकार मंडल संक्रमण-कालीन संस्था है और बाद में वह निदेशक मंडल में मिल जायेगी । यह बात बहुत ही अस्पष्ट है । घेरा सुझाव यह है कि पुराने बैंकों से सम्बद्ध सभी मंडल नये बकों के अस्तित्व में आते ही स्वयं समाप्त हो जाने चाहिए ।

श्री गोविन्द मेनन : यदि माननीय सदस्यों ने श्रीमती शारदा मार्गव को ठीक से समझा होता तो इस पर इतने भाषण न दिये जाते । व्यवस्था यह है कि सलाहकार मंडल संक्रमण काल के लिये है और उसे धारा 13 के उपखण्ड (2) के खंड (ख) के अन्तर्गत समाप्त कर दिया जायेगा और नये निदेशक मंडलों का गठन हो जायेगा । मैं यह स्वीकार करता हूं कि उसमें कर्मचारियों, कृषकों और खातेदारों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये । निदेशक मंडल में संसद सदस्य के प्रतिनिधित्व की बात मुझे स्वीकार्य नहीं है । सभा में व्यक्त विचारों को देखते हुये मैं स्वयं इस आशय का निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 28-29 के स्थान पर निम्नलिखित रखिये–

"The Advisory Board shall consist of representatives of the following, namely, the depositors of the corresponding new bank, employees of such bank, farmers, workers and artisans to be elected in such manner and by such authority as may be prescribed, and shall also consist of such other persons as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint."

[सलाहकार मंडल में तत्स्थानी नये बैंक के खातेदारों, उसके कर्मचारियों, किसानों, श्रमिकों तथा शिल्पियों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे जिनका निर्वाचन ऐसी रीति तथा उस प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसका निर्धारण किया जाना है और उसमें वे व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे जिनकी केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियुक्ति करेगी ।]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय ने एक संशोधन पेश किया है जिसमें सभा में प्रस्तुत किये गये संशोधनों को संक्षेप में रखा गया है । अब अन्य संशोधनों के बारे में क्या किया जाए ।

कुछ माननीय सदस्य : वापस लिए जाते हैं ।

अन्य सभी संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस किये गये ।

All other amendments, by leave, withdrawn.

सभापती महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 6, पंक्ति 28-29 के स्थान पर निम्नलिखित रखिए—

The Advisory Board shall consist of representatives of the following, namely, the depositors of the corresponding new bank, employees of such bank, farmers

workers and artisans to be elected in such manner and by such authority as may be prescribed and shall also consist of such other persons as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint,"

[सलाहकार मंडल में तत्स्थानी नये बैंक के खातेदारों, उसके कर्मचारियों, किसानों, श्रमिकों तथा शिल्पियों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से तथा उस प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसका निर्धारण किया जाना है, और उसमें वे व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे जिनकी केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियुक्ति करेगी।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12, सशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

खंड 12 को, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 12, as amended, was added to the Bill.

खण्ड—13

श्री मधुलिमये (मुंगेर) : मैं अपना संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं।

श्री देवेन सेन (आसनसोल) : मैं अपना संशोधन संख्या 52 प्रस्तुत करता हूं।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर): मैं अपना संशोधन संख्या 103 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अपना संशोधन संख्या 115 प्रस्तुत करता हूँ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

पृष्ठ 6, —पंक्ति 42 के पश्चात निम्नलिखित जोड़िये—

"(bb) the reconstitution of any corresponding new bank into two or more corporations, the amalgamation of and corresponding new bank with any other corresponding new bank or with another banking institution, the transfer of the whole or any part of the undertaking of a corresponding new bank to any other banking institution or the transfer of the whole or any part of the undertaking of any other banking institution to a corresponding new bank."

["(खख) किसी नये तत्स्थानी बैंक का दो अथवा उससे अधिक निगमों के रूप में पुनर्गठन, किसी नये तत्स्थानी बैंक का किसी अन्य नये तत्स्थानी बैंक या किसी अन्य

बैंकिंग संस्था के साथ मिलाया जाना, तत्स्थानी नये बैंक के उपक्रम को पूर्णतः अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य बैंकिंग संस्था में स्थानान्तरित किया जाना अथवा किसी अन्य बैंकिंग संस्था के उपक्रम को पूर्णतः अथवा उसके किसी भाग को तत्स्थानी नये बैंक में स्थानान्तरित किया जाना ।]" [130]

पृष्ठ 6, पंक्ति 46 में —

"Vary the scheme" ["योजना में परिवर्तन"] के स्थान पर—

"Vary any scheme" [किसी योजना में परिवर्तन"] शब्द रखे जायें !

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं अपना संशोधन संख्या 166 और 167 प्रस्तुत करता हूं।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन (विशाखापतनम) : मैं अपना संशोधन संख्या 171 प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरी) : मैं अपना संशोधन संख्या 201 प्रस्तुत करती हूं।

श्री स्वतंत्रसिंह कोठारी (मन्दसौर) : मैं अपना संशोधन संख्या 214 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं अपने संशोधन संख्या 230 और 231 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मैं अपने संशोधन संख्या 292, 293, 294 प्रस्तुत करता हूं।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं अपने संशोधन संख्या (क), (ख) तथा (ग) जो मैंने आज सबेरे दिये थे और जिन्हें अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार कर लिया है, पेश करता हूं।

श्री नारायण दांडेकर : मैं भी अपना संशोधन संख्या (घ) पेश करता हूं जिसकी सूचना मैंने आज सवेरे दी थी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैंने अपने संशोधन संख्या 165 में कहा है कि इस राशि को 15 करोड़ रुपये के बदले 10 करोड़ रुपये रखा जाये क्योंकि इसके पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि इन बैंकों में से जिनका हम राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, उस स्थिति में किसी भी बैंक की, किसी अंश पूंजी स्टेट बैंक आफ इन्डिया से किसी भी स्थिति में, अधिक न होने पाये।

जहां तक मेरे संशोधन संख्या 166 का सम्बन्ध है, मुझे इस बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया है। मैं आशा करता हूं कि जिस प्रकार परामर्शदाता बोर्ड में प्रतिनिधि रखे गये हैं, उसी प्रकार निदेशक बोर्ड में भी जनता के प्रतिनिधि होंगे।

संशोधन संख्या 167 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुभव से हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक का इन बैंकों पर पर्यवेक्षी नियंत्रण है। वह निदेश देता है किन्तु इन निदेशों का केवल उल्लघन ही नहीं होता है अपितु रिजर्व बेंक के लिए बैंकों की समस्त कार्य प्रणाली की तकनीकी रूप से देखभाल करने की जिम्मेदारी को निभाना भी असम्भव है। नीति बनाने वाले निकाय द्वारा तकनीकी मामलों की जांच नहीं की जा सकती। यदि हम ऐसा चाहे कि ये बैंक समुचित ढंग से काम करें और उनके काम का उचित पर्यवेक्षण हो, तो एक बैंकिंग नियन्त्रण आयोग की व्यवस्था करना आवश्यक है जो किसी तरह रिजर्व बैंक के अधीन नहीं होगा और बिल्कुल स्वतन्त्र होगा। उसके गठन के बारे में नियम बनाये जा सकते हैं। मुझे आशा है सरकार इस संशोधन को स्वीकार करेगी।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Sir, what I want to say is at the end of clause 13 (1), the followiug should be added, namely :--

"Provided that new banks shall not be merged or amalgamated without the approval of Parliament,"

The idea behind the amendment is that these bank should function independently with their separate entities so that there is a fair competition amongst them. If these banks are amalgamated any time, that would defeat the very purpose of our objective. Therefore it is necessary to provide that these banks shall not be merged or amalgamated and if situation demands, it shall be done only with the approval of the Parliament.

Shri Shive Chandra Jha (Madhubani) : Sir, my amendment No. 115 to clause 13 (2A) seeks to reduce the proposed paid-up capital of corresponding new bank from Rs. 15 crores to Rs 10 crores which will help maintain or increase efficiency in the working of such banks and enable them to diversify their advances. I hope the hon. Minister will accept my amendment.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : हम एक स्थायी निदेशक बोर्ड के गठन के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। निदेशकों तथा सलाहकारों के बीच फर्क करना जरूरी है। इन दो निकायों के बारे में सिद्धान्त अलग-अलग होने चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि इसमें भी बैंकों का सामाजिक नियंत्रण अधिनियम की भांति विभिन्न हितों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जानी चाहिए और इसमें निदेशकों के प्रतिनिधियों के स्थान पर संसद के प्रतिनिधि रखे जा सकते हैं क्योंकि वे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं;

मेरा तीसरा संशोधन एक ऐसा ऋण निकाय गठित करने के बारे में है जो रिजर्व बैंक के अधीन न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होगा जो सरकार के लिये संसद अथवा उसकी समितियों की स्थानापन्न संस्था होगी लेकिन उसमें संसद के प्रतिनिधि होंगे जिसमें प्राक्कलन समिति की तरह सभी दलों के सदस्य होंगे जिससे उसमें समुचित सन्तुलन रहेगा और सरकार स्वतः अपने पक्ष में अत्यधिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगी।

श्री स्वतंत्रसिंह कोठारी (मन्दसौर) : मेरा निवेदन यह है कि खण्ड 13 (1) के अन्तर्गत जो योजना बनायी जायेगी उसे संसद के समक्ष रखना जरूरी है और उस पर संसद की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि बोर्ड में संसद सदस्यों के अलावा एक अर्थशास्त्री तथा एक चार्टर्ड एकाउन्टैंट भी शामिल किया जाना चाहिए जिससे बैंक को निश्चित रूप से लाभ पहुँचेगा। प्रश्न यह है कि यह राजनैतिक नियुक्ति नहीं होनी चाहिए।

Shri Abdul Gani Dar (Gurgaon) : Sir, a director requires certain qualifications and unless one fulfills these qualifications, how can he be appointed to that office. The suggestion that the Board of Directors should consist of cultivators constituting 50 percent strength of the Board could not be accepted unless such cultivators possessed the requisite qualifications for the office of a Director. The Board of Directors should certainly include representatives of different interests and persons with specialised knowledge on the subjects with which the banks deal, otherwise as the Punjabi saying goes that "if one becomes mad, the other can set him right, but if all became mad, who can set them right" will fit in the matter.

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि) : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या वह योजना में राष्ट्रीय स्तर पर किसी ऐसे निकाय को शामिल करेंगे जो ऋण के नियतन, शाखाओं के खोलने तथा अन्य ऐसी बातों के सम्बन्ध में प्राथमिकताएं निर्धारित करेगी ? मैंने अपने संशोधन में इसके लिये एक शिखर निकाय गठित करने का सुझाव दिया है। यदि संशोधन के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो मंत्री जी कम से कम ऐसा आश्वासन दें कि योजना के अंग के रूप में ऐसा एक राष्ट्रीय निकाय गठित किया जायेगा।

श्री नारायण दाण्डेकर : मैं मंत्री महोदय का ध्यान अपने संशोधन संख्या 292, 293 और 294 की ओर दिलाता हूं। मैंने विधेयक पर विचार करते समय के अपने भाषण में कहा था कि इन सभी खण्डों में रिजर्व बैंक को एक किनारे लगाया जा रहा है और केन्द्रीय सरकार प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रक प्राधिकारी का रूप ग्रहण कर रही है। मैं इस दृष्टिकोण तथा रवैया का विरोध करता हूँ।

श्री प्र० चं० सेठी : संशोधन संख्या 130 नये बैंकों के गठन तथा उनका पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से एकीकरण के बारे में सभी मामलों से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी योजना से सम्बन्धित है।

संशोधन संख्या 131 केवल छपाई सम्बन्धी गलती को ठीक करने के बारे में संशोधन है।

श्री गोविन्द मेनन : सरकार खण्ड 23 के अन्तर्गत योजनाओं को मनमाने ढंग से ड्राफ्ट करने की शक्ति नहीं ले रही है, रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके योजनाएं बनाने के बाद उन्हें विचार-विमर्श संशोधन, स्वीकृति आदि के लिये सभा के समक्ष रखा जायेगा।

खण्ड 13 में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके योजना बना सकती है जिसका अर्थ यह है कि योजना अभी पूरी नहीं बनी है और वह पूरी तभी होगी जब वह सभा के समक्ष रखी जायेगी और उस पर यहां विचार-विमर्श हो जायेगा।

जहां तक तदनुरूपी नये बैंक की पूंजी का सम्बन्ध है, ऐसे किसी बैंक की प्रदत्त पूंजी 15 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी जिसका अर्थ यह है कि उसमें 10 करोड़ रुपये की पूंजी भी शामिल है क्योंकि ऐसी पूंजी 15 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।

जहां तक एकीकरण के प्रश्न का सम्बन्ध है, हमारा उद्देश्य एकीकरण करना नहीं है। प्रधान मंत्री ने पहले ही बता दिया है कि हमारा उद्देश्य यह है कि ये बैंक अलग-अलग ईकाइयों के रूप में काम करें, यदि बैंकिंग के हित में कभी ऐसा करने की आवश्यकता भी पड़ी तो योजना बनायी जायेगी और सभा की स्वीकृति के लिये उसके समक्ष रखी जायेगी। इसलिये खण्ड 23 में व्यवस्था की गई है कि योजना को विचारार्थ संशोधनार्थ, अनुमोदनार्थ आदि के लिये सभा के समक्ष रखा जायेगा।

जहां तक श्रीमती शारदा मुकर्जी के शिखर निकाय के गठन के बारे में सुझाव का सम्बन्ध है, शिखर निकाय से उनका अभिप्राय शायद किसी ऐसे निकाय से है जो विभिन्न बैंकों के संचालन के सम्बन्ध में निदेश दे, मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि योजना में ऐसा निकाय शामिल किया जायेगा। योजना में सभी आवश्यक सुरक्षोपायों को शामिल करना कठिन नहीं है। यदि कोई ऐसा प्रस्ताव पेश करे कि इस योजना पर विचार किया जाये, तो हम उस पर विचार विमर्श करेंगे। मैंने एक संशोधन की पूर्व सूचना दी है, जिसे मैं पेश करता हूँ।

पृष्ठ 6, पंक्ति 44 के बाद निम्नलिखित जोड़िये :

"(2A) Every Board of Directors of a corresponding new bank shall include representations of the following, namely, the depositors of such bank, employees thereof, farmers, workers and artisans, to be elected or nominated in such manner as may be specified in the scheme made under sub-section (I)."

["(2क) तत्स्थानी नये बैंक के प्रत्येक निदेशक मंडल में उस बैंक के जमाकर्ताओं उसके कर्मचारियों, किसानों, श्रमिकों तथा शिल्पियों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे जिन्हें उप धारा (1) के अन्तर्गत बनायी गई योजना में उल्लिखित रीति से निर्वाचित अथवा मनोनीत किया जायेगा।"]

"निर्वाचित अथवा मनोनीत" शब्दों का प्रयोग इसलिये किया गया है कि कुछ वर्गों यथा किसानों के मामले में समुचित निर्वाचन मंडल होना संभव नहीं है।

जहां तक श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी के बैंकिंग नियंत्रण आयोग के गठन के बारे में दिये गये सुझाव का सम्बन्ध है, इस विधेयक का 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक सीमित उद्देश्य है, इसलिये इस मामले में ऐसे निकाय की स्थापना पूर्णतः उपयुक्त नहीं होगी।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मंत्री जी कहते हैं कि सलाहकार बोर्ड की स्थापना के बारे में सर्वसम्मति थी। लेकिन नामांकन शामिल किया गया है और उसमें यह विशेषरुप से नहीं कहा गया है कि नामांकन केवल किसानों तथा शिल्पियों के मामले में होगा। यह कर्मचारियों पर भी लागू होता है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं उनके संशोधन पर संशोधन पेश करता हूं कि 'मनोनीत' शब्द निकाला जाये।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य श्री शिवचन्द्र झा अपने संशोधन संख्या 115 को सभा के मतदान के लिये अलग से प्रस्तुत कराना चाहते हैं।

श्री कंवरलाल गुप्त : मेरा संशोधन भी अलग से लिया जाये।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम् : मेरा संशोधन भी अलग से लिया जाये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : संशोधन संख्या 165, 166 तथा 167 भी

सभापति महोदय : अलग अलग मतदान नहीं होगा। जो विभाजन चाहते हैं उनके संशोधनों पर ही केवल मत विभाजन होगा। मैं अब संशोधन संख्या 115 मतदान के लिए रखता हूं।

लोक सभा में मतविभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 17	:	**विपक्ष में 156**
Ayes 17	:	**Noes 156**

संशोधन अस्वीकृत हुआ

The amendment was negatived

संशोधन संख्या 171, मतदाता के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No 171 was put and negatived

सभापति महोदय : मैं श्री कंवरलाल गुप्त के संशोधन मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्कीकृत हुए

The amendments were put and negatived

सभापति महोदय : मैं श्री बनर्जी का संशोधन सभा में मतदान के रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatvied

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 6 पंक्ति 44 के पश्चात निम्नलिखित जोड़िये :–

"(2A) Every Board of Directors of a corresponding new bank shall include representatives of the following, namely, the depositors of such bank, employees thereof, farmers, workers and artisans, to be elected or nominated in such manner as may be specified in the scheme made under sub-section (1)."

"(2क) तत्स्थानी नये बैंक के प्रत्येक निदेशक मंडल में उस बैंक के जमाकर्ताओं, उसके कर्मचारियों, किसानों, श्रमिकों तथा शिल्पियों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे जिन्हें उप-धारा (1) के अन्तर्गत बनाई गई योजना में उल्लिखित रीति से निर्वाचित अथवा मनोनीति किया जायेगा ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 122	:	**विपक्ष में 12**
Ayes 122	:	**Noes 12**

संशोधन स्वीकृत हुआ

The amendment was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 42 के बाद निम्नलिखित जोड़िये :—

"(bb) the reconstitution of any corresponding new bank into two or more corporations, the amalgamation of any corresponding new bank with any other corresponding new bank or with another banking institution, the transfer of the whole or any part of the undertaking of a corresponding new bank to any other banking institution or the transfer of the whole or any part of the undertaking of any other banking institution to a corresponding new bank;".

"(ख) किसी नये तत्स्थानी बैंक का दो अथवा उससे अधिक निगमों के रूप में पुनर्गठन, किसी नये तत्स्थानी बैंक का किसी अन्य नये तत्स्थानी बैंक अथवा किसी अन्य बैंकिंग संस्था के साथ मिलाया जाना, तत्स्थानी नये बैंक के उपक्रम को पूर्णतः अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य बैंकिंग संस्था में स्थानान्तरित किया जाना अथवा किसी अन्य बैंकिंग संस्था के उपक्रम को पूर्णतः अथवा उसके किसी भाग को तत्स्थानी नये बैंक में स्थानान्तरित किया जाना ।"

पृष्ठ 6, पंक्ति 46

(Vary the Scheme) [योजना में परिवर्तन] के स्थान पर (Vary any Scheme) [किसी योजना में परिवर्तन] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभापति द्वारा अन्य सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All the other amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 13 को, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 13, as amended, was added to the Bill

खण्ड 6

सभापति महोदय : अब खण्ड 6 पर चर्चा होगी जिस पर चर्चा रोक दी गई थी ।

श्री गोविन्द मेनन : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि –

पृष्ठ 4, पंक्तियां 34 से 42 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"(3) The amount of compensation determined in accordance with the foregoing provisions shall be paid to each existing bank, at its option,--

(a) in saleable or otherwise transferable promissory notes or stock certificates of the Central Government, issued and repayable at par, and maturing at the end of ten years from the date of commencement of this Act and carrying interest at the rate of four and a half per cent per annum; or

(b) in saleable or otherwise transferable promissory notes or stock certificates of the Central Government, issued and repayable at par, and maturing at the end of thirty years from the date of commencement of this Act and carrying interest at the rate of five and a half per cent per annum; or

(c) partly in such number of securities specified in clause (a) and partly in such number of securities specified in clause (b), as may be required by the existing bank.

(3A) The option referred to in sub-section (3) shall be exercised by every existing bank within three months from the commencement of this Act (or within such further time, not exceeding three months, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify) and the option so exercised shall be final and shall not be altered or rescinded after it has been exercised.

(3B) An existing bank which omits or fails to exercise the option referred to in sub-section (*3*), within the time specified in sub-section (3A) shall be deemed to have exercised its option in favour of the securities specified in clause (a) of sub section (3).

(3C) Notwithstanding anything contained in this section, any existing bank may, before the expiry of three months from the commencement of this Act (or within such further time, not exceeding three months as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify) apply to the Central Government for an interim payment of one half of the amount of its paid-up share capital and there upon the Central Government shall, if the existing bank agrees in writing to distribute the amount so paid to its shareholders in accordance with their rights and interests, pay the same to the existing bank in securities specified in sub-section (3) in accordance with the option exercised. or deemed to have been exercised, under sub-section (3A) or (3B). as the case may be :

Provided that where the Central Government makes an interim payment under this section, it shall pay to the existing bank by a cheque drawn on the Reserve Bank such sum as would enable the existing bank to distribut--

(a) in cash one-half of the amount paid up on the shares held by a person if one-half of the amount paid up on the shares held by such a person does not exceed five thousand rupees; and

(b) where one half of the amount paid up on the shares held by a person exceeds five thousand rupees, such sum as would enable the existing bank to pay to the holder of such shares a sum of five thousand rupees in cash and the balance of one-half of the amount paid up on the shares held by such person in securities specified in sub-section (3).

(3D) The interim payment made to an existing bank shall be set off against the total amount of the compensation payable to it under this Act and the balance of the compensation remaining outstanding after such payment shall be given to the existing bank in securities specified in sub-section (3) in accordance with the option exercised or deemed to have been exercised, under sub-section (3A) or sub-section (3B) as the case may be.

(3E) Where the amount of compensation, payable in the form of securities under this section is not a multiple of one hundred rupees, any excess over the highest such multiple shall be paid by a cheque drawn on the Reserve Bank.

(3F) Nothing contained in sub section (3) shall affect the rights inter se between an existing bank and any other person who may have an interest in such bank and such other person shall be entitled to enforce his interest against the compensation awarded to the existing bank but not against the Central Government or the corresponding new bank.

"(3) पूर्वोल्लिखित उपबन्धों के अनुसार निश्चित की गई मुआवजे की राशि वर्तमान प्रत्येक बैंक को उसके निम्न किसी विकल्प, पर दी जायेगी ।

(क) सममूल्य पर जारी किये गये तथा प्रतिदेय, और इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से दस वर्ष की समाप्ति पर परिपक्व होने वाले और साढ़े चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज वाले केन्द्रीय सरकार के विक्री योग्य अथवा अन्यथा हस्तान्तरणीय बचन पत्रों अथवा स्टाक प्रमाणपत्रों में, अथवा

(ख) सममूल्य पर जारी किये गये तथा प्रतिदेय और अधिनियम के लागू होने की तिथि से तीस वर्ष की समाप्ति पर परिपक्व होने वाले और साढ़े पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज वाले केन्द्रीय सरकार के विक्रय योग्य अथवा अन्यथा हस्तान्तरणीय वचनपत्रों अथवा स्टाक प्रमाणपत्रों में, अथवा

(ग) अंशत: खण्ड (क) में उल्लिखित प्रतिभूतियों की ऐसी संख्या में और अंशत: खण्ड (ख) में उल्लिखित प्रतिभूतियों की ऐसी संख्या में, जैसा कि वर्तमान बैंक द्वारा अपेक्षित हो ।

(3क) वर्तमान प्रत्येक बैंक को उप-धारा (3) में उल्लिखित विकल्प इस अधिनियम के लागू होने से तीन महीने के अन्दर देना होगा (अथवा अग्रेतर ऐसे समय में, तीन महीने अनधिक, जैसा कि केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करे) और इस प्रकार एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम समझा जायेगा और एक बार विकल्प दिये जाने के बाद इसमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा अथवा इसको रद्द नहीं किया जायेगा ।

(3ख) यदि कोई वर्तमान बैंक उप-धारा (3क) में उल्लिखित समय के अन्दर उप-धारा (3) में उल्लिखित विकल्प नहीं देता है अथवा वह विकल्प नहीं दे पाता है तो यह समझा जायेगा कि उस बैंक ने उप-धारा (3) के खण्ड (क) में उल्लिखित प्रतिभूतियों के पक्ष में विकल्प दिया है ।

(3ग) इस धारा में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी कोई वर्तमान बैंक इस अधिनियम के लागू होने से तीन महीने की समाप्ति से पूर्व (अथवा अग्रेतर ऐसे समय के अन्दर तीन महीने से अनधिक जो केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करे) केन्द्रीय सरकार को अपनी प्रदत्त अंश पूंजी की आधी राशि के अन्तरिम भुगतान के लिए आवेदन पत्र दे सकता है और तत्पश्चात, यदि वर्तमान बैंक इस प्रकार उसको दी गई राशि को अपने अंशधारियों को उनके अधिकारों तथा हितों के अनुसार वितरण करने के लिए लिखितरूप में सहमत हो जाये तो सरकार, उप-धारा (3क) अथवा (3ख) के अन्तर्गत दिये गये विकल्प अथवा जिस विकल्प को दिया गया समझा गया हो, उसके अनुसार यथास्थिति उप-धारा (3) में उल्लिखित प्रतिभूतियों में वर्तमान बैंक को वह राशि देगी ।

परन्तु जिस मामले में केन्द्रीय सरकार इस धारा के अन्तर्गत अन्तरिम भुगतान करती है, तो वह वर्तमान बैंक को रिजर्व बैंक के चैक के द्वारा इतनी राशि का भुगतान करेगी जिससे वर्तमान बैंक निम्न राशि का वितरण कर सके–

(क) यदि किसी व्यक्ति के अंशों की प्रदत्त राशि का आधा पांच हजार रुपये से अधिक नहीं है तो उसको अंशों की प्राप्त राशि की आधी राशि का भुगतान नगदी में; और

(ख) जिस मामले में किसी व्यक्ति के अंशों की प्रदत्त राशि का आधा भाग पांच हजार से अधिक हो ऐसे मामले में इतनी राशि का भुगतान, जिससे वर्तमान बैंक

ऐसे अंशों के अंशधारी को पांच हजार रुपये का भुगतान नकद कर सके तथा ऐसे व्यक्ति के अंशों पर प्रदत्त राशि के आधे भाग की शेष राशि का भुगतान उप-धारा (3) में उल्लिखित प्रतिभूतियों के रूप में कर सके ।

(3घ) वर्तमान बैंक को किया गया अन्तरिम भुगतान इस अधिनियम के अन्तर्गत बैंक को देय मुआवजे की कुल राशि के विरुद्ध जमा किया जायेगा और इस भुगतान के बाद मुआवजे की शेष राशि का भुगतान वर्तमान बैंक को उप-धारा (3क) अथवा उप-धारा (3ख) के अन्तर्गत दिये गये विकल्प अथवा जिस विकल्प को दिया गया समझा गया हो उसके अनुसार यथास्थिति उप-धारा (3) में उल्लिखित प्रतिभूतियों में किया जायेगा ।

(3ङ) जिस मामले में इस धारा के अन्तर्गत प्रतिभूतियों के रूप में देय मुआवजे की राशि एक सौ रुपये विभाजित नहीं होती ऐसे मामले में उच्चतम गुणक से अधिक की राशि का भुगतान रिर्जव बैंक के चैक द्वारा किया जायेगा ।

(3च) उप-धारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात का वर्तमान बैंक और किसी ऐसे व्यक्ति जिसका ऐसे बैंक में हित हो के परस्पर अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसा अन्य व्यक्ति अपने हित को वर्तमान बैंक को दिये गये मुआवजे में से लेने का अधिकारी होगा परन्तु केन्द्रीय सरकार अथवा तत्स्थानी नये बैंक से लेने का अधिकारी नहीं होगा ।

श्री महाराजसिंह भारती (मेरठ) : मैं अपने संशोधन सख्या 6, 7 और 8 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री देवेन सेन (आसनसोल) : मैं अपना संशोधन संख्या 49 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अब्दुल गनी दार (गुडगांव) . मैं सशोधन संख्या 66, 67 और 68 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) . मैं अपने संशोधन संख्या 1, 2, 3 और 4 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अपने संशोधन संख्या 109 और 110 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं अपने संशोधन संख्या 163 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं अपना संशोधन संख्या 211 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री देवेन सेन : मैं अपना संशोधन संख्या 212 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं अपने संशोधन संख्या 220, 221 और 222 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मैं अपने संशोधन संख्या 283 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नम्बीयार (तिरुविनापल्लि) : मै अपने संशोधन संख्या 333 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : मैं अपने संशोधन संख्या 339, 340 और 341 प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमती रत्न पाल चौधरी (कृष्णनगर) : मैं अपना संशोधन संख्या 349 प्रस्तुत करती हूं ।

श्री विभूति मिश्र : मैं अपने संशोधन संख्या 367 और 368 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 405 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अब्दुल गनी दार : मैं अपना संशोधन संख्या 424 और 425 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री देवेन सेन : मैं अपना संशोधन संख्या 426 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अब्दुल गनी दार : मैं अपने संशोधन संख्या 427, 428, 429, 430 431 432 और 433 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं । जिसके द्वारा मैं चाहता हूं के अंशधारियों को अंश की कीमत, पिछले 10 वर्ष के कानून भाव के अनुसार मिले ।

मैं अपने एक अन्य संशोधन के द्वारा पृष्ठ 4 पर पंक्तियां 29 से 33 को विधेयक से निकालना चाहता हूं ।

श्री नारायण दाण्डेकर : मुझे संशोधन संख्या 419 की एक प्रति सप्लाई की जाये ।

सभापति महोदय : मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वह एक प्रति माननीय सदस्य को दे दे ।

श्री गोविन्द मेनन : तीन अथवा चार दिन पूर्व मैंने उसको पठिचालित कर दिया था ।

Shri Kanwar Lal Gupta : There is much confusion about the clause 6.

{ श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwari *in the Chair* }

It seems that Government is more confused than any one else.

The Government have changed its position five times in eight days about the payment of compensation. Now it is provided in the final amendment that the compensation will be paid to the existing Banks and if the banks give

in writings then they will be paid interim compensation. In this way the small share-holders will not get any compensation. So my fisrt amendment is this that compensation should be paid to the share–holders. They should be left on the mercy of the directors.

So far as the question of the break-up value is concerned I may say that Government should take into account the market value of the shares which was prevailing a day before the issue of ordinance. At the time of the nationalization of the Imperial Bank Government gave the market rate. So this practice should be followed even now.

The Government have fixed the maximum limit of compensation of five thousand rupees and that too on the paid up value. In this connection I may quote that the market value of the shares of the Panjab National Bank is twenty five rupees out their face value is ten rupees. Suppose the person who have purchased the shares on the market value of rupees twenty five will get rupees five only. It means the person concerned will get only twenty percent in interim relief. Government should raise this limit to ten thousand rupees and should pay half of the market value.

The remaining amount of compensation should be paid in five years instead of ten years. Rate of interest should be six and a half percent.

1 hope the hon. Minister would accept my amendments.

Shri Maharaj Singh Bharati : It has been said thet if any dispute is not settled within these months it will be preferred to the Tribunal. This period of three months should be increased to one year.

The rate of interest should be reduced to two pereent. The repayment period of ten years should be inereased to fifteen years.

Shri Deven Sen ; In my amendment I have suggested that rate of interest should be two and a half pereent instead of four and a half percent.

Shri Abdul Ghani Dar : In my amendment I have suggested that the Tribunal shall be consist of a judge of the Supreme Court. Chairman of the Chamber of Commerce and an ex-Finance Minister of the Central Government.

So far as the rate of interest is concerned I would say that it should be atleast seven percent. So far as the period of reaching at an agreement is concerned it should be one year instead of three months.

Shri Surendra Nath Dwivedi : In my amendment I have suggested that the value should be assessed at the rate which existed on the day of acquisition of the existing banks. It is a simple amendment and I hope the Government will accept it.

श्री स्वतन्त्रसिंह कोठारी (मंदसौर) : अब सरकार ने एक संशोधन के द्वारा यह उपबंध किया है कि वह उन बैंकों को प्रतिभूतिया देगी जो 10 वर्ष में परिपक्व होगी और उन पर $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज होगा या 30 वर्ष में परिपक्व होगी और उन पर $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज दिया जायेगा। इसका असर यह होगा कि बहुत से अंशधारी अपने अंशों को बाजार में बहुत कम

मूल्यों पर बेच देंगे । अतः मेरा निवेदन है कि या तो सरकार पूरे का पूरा मुआवजा नकद रूप में दे या 50 प्रतिशत नकद रूप में और शेष राशि पांच वर्ष में पूरी होने वाली सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में दे जिस पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज हो और जो आयकर से मुक्त हो । यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिसका लाखों अन्शधारियों पर असर पड़ेगा । यदि सरकार भेदभाव करना चाहती है तो 50,000 रु० के मूल्य तक के अंशधारियों को मुआवजा नकद रूप में दिया जा सकता है तथा 50,000 रु० से अधिक वालों को नकद तथा सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में मिला कर दिया जा सकता है । किन्तु यह आवश्यक है कि सरकार मुआवजे के रूप जो प्रतिभूतियां दे उनका सममूल्य बना रहे ।

प्रत्येक बैंक का एक गुप्त रक्षित कोष होता है जिसका प्रयोग वह संकट के समय में करता है । इन रक्षित कोषों पर नैतिक तथा कानूनी दृष्टि से अंशधारियों का अधिकार होता है । अतः इन रक्षित कोषों को भी बैंक की सम्पत्ति में शामिल किया जाना चाहिये ।

अन्त में मैं फिर दोहराता हूँ कि मुआवजा अंशधारियों को प्रत्यक्ष रूप में दिया जाना चाहिये ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैंने तीन संशोधन प्रस्तुत किये हैं । मेरा पहला संशोधन यह है कि मुआवजा अंशधारियों को ही सीधे रूप में दिया जाना चाहिये नकि बैंकों को । सरकार ने इसको स्वीकार भी कर लिया था किन्तु बाद में स्थिति बदल दी । मन्त्री महोदय को स्पष्ट करना चाहिये कि ऐसा क्यों किया गया है । मेरा दूसरा संशोधन यह है कि मुआवजा अंशों के बाजार मूल्य के आधार पर दिया जाना चाहिये । मेरा तीसरा संशोधन यह है कि ब्याज की दर युक्तिसंगत होनी चाहिये क्योंकि $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर बहुत कम है । यदि अंशधारियों को समुचित मुआवजा नहीं दिया गया तो यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जायेगा ।

श्री नारायण दाँडेकर (जामनगर) : पहले विधेयक में वर्तमान बैंकों को मुआवजा देने का उपबन्ध था । फिर कई एक संशोधन किये गये जिसमें अंशधारियों को मुआवजा देने का उपबन्ध था । अन्ततः अब संशोधनों में बैंकों को ही प्रत्यक्ष रूप से मुआवजा देने का उपबन्ध किया गया है । इसके अनुसार अंशधारियों को उनकी पूंजी का केवल 20 प्रतिशत मूल्य ही नकद भुगतान के रूप में मिलेगा । उनको कई वर्ष तक प्रतिक्षा करने के पश्चात केवल $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज मिलेगा जबकि उस समय उनको 10 प्रतिशत ब्याज मिल रहा था । मेरा संशोधन यह है कि इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात 3 मास के अन्दर वर्तमान बैंकों की प्रदत्त पूंजी की समान राशि, उसे नकद भुगतान के रूप में दी जायेगी । शेष राशि के भुगतान के बारे में मेरा सुझाव है कि 4.5 प्रतिशत ब्याज वाली अवधि को 10 वर्ष से कम करके 7 वर्ष कर दिया जाना चाहिये और 5.5 प्रतिशत ब्याज वाली अवधि को 30 वर्ष से कम करके 20–25 वर्ष कर दिया जाना चाहिये ।

इन 14 बैंकों के 15–16 प्रतिशत अंशों पर भारत के जीवन बीमा निगम का स्वामित्व है । दूसरे 6–7 प्रतिशत अंश यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया के हाथ में हैं । जीवन बीमा निगम

का एक औसत पालिसीहोल्डर एक साधारण व्यक्ति है। यूनिट ट्रस्ट में भी बहुत सारे लोगों के हिस्से हैं और इसमें उनको लगभग 8 प्रतिशत आय होती है। इस प्रकार इन बैंकों के 75 प्रतिशत अंश साधारण व्यक्तियों के होते हैं।

गुप्त रक्षित कोष के प्रश्न को श्री कोठारी ने बहुत अच्छे ढंग से पेश किया है। गुप्त रक्षित कोष की राशि को बैंक अपने वित्तीय हितों में प्रकाशित संतुलन पत्रों में नहीं दिखाते है, किन्तु रिजर्व बैंक से यह बात छिपी नहीं होती है और वह जानता है कि बैंकों का गुप्त रक्षित कोष कितना है।

मेरा एक सुझाव यह है कि बैंकों की सम्पत्ति का हिसाब लगाते समय उनकी अस्पृश्य सम्पत्ति का भी हिसाब लगाया जाना चाहिये। जैसे कि एक बैंक का "सद्भाव"। इन संशोधनों में कहीं भी सद्भाव का जिक्र नहीं किया गया है।

यद्यपि मैं मानता हूँ कि सरकार के पास बैंक के मालिकों को मुआवजा देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है परन्तु मैं यह भी कहूंगा कि वह मुआवजा कम से कम प्रदत्त पूंजी जितना तो दिया जाना ही चाहिये और यदि आवश्यक हो तो साथ ही यह भी शर्त रखी जानी चाहिए कि वे बैंक उस धन को अंश दाताओं में बांट दें ताकि वे अपना काम चालू रखने के लिये कुछ हासिल कर सकें और उन्हें अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा न करनी पड़े।

दूसरे, मूल्यांकन के तुरन्त बाद शेष धन भी देना होगा। शेष धन की अदायगी के बारे में परिपक्वता की सात वर्ष की अवधि तक 4½ प्रतिशत तथा परिपक्वता की 20 वर्ष की अवधि तक के लिये 5 प्रतिशत ब्याज दिया जाये।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मेरा संशोधन पृष्ठ 4 पर पंक्ति 17 से 21 के बारे में है। अध्यादेश तथा विधेयक में मुआवजा देने से सम्बन्धित व्यवस्था बिल्कुल गलत है। दूसरे अनुच्छेद में कहा गया है कि केन्द्र सरकार इन बैंकों के अधिग्रहण के बदले में वर्तमान प्रत्येक बैंक को मुआवजे के रूप में उतनी ही धनराशि देगी जितनी उस बैंक की कुल सम्पत्ति होगी·····। इस प्रकार मुआवजा देने के लिये बैंक की सारी सम्पत्ति का हिसाब लगाया जायेगा। परन्तु "सम्पत्ति" (Assets) का अर्थ केवल प्रदत्त पूंजी अथवा अंश ही नहीं होता। सम्पत्ति में तो बैंक का सब सामान, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरा सभी कुछ आ जाता है। ये सब चीजें बैंकों ने बैंक से प्राप्त लाभ से ही बनाई है तथा बैंक से ही सम्बन्धित है, अंशधारियों का इन पर हक नहीं है। इसलिये सारी सम्पत्ति में अंशधारियों का भाग नहीं है इससे यह होगा कि मूल्यांकन के समय कीमतें बढ़ जायेंगी। तः यह ठीक नहीं होगा क्योंकि सामान्य जनता को वह धन नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि बैंकों को उन का वैध भाग ही दिया जाना चाहिये और इसके लिये मुआवजा देने सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं का पूरा अध्ययन तथा उस पर चर्चा की जानी चाहिये। हम इतना अधिक मुआवजा देने के पक्ष में नहीं है।

यदि आप यहां निर्धारित नियमों के अनुसार ही मुआवजा देते हैं तो फिर राष्ट्रीयकरण का क्या लाभ है? गुप्त रक्षित राशि निकालने के बाद केवल 200 करोड़ रुपया ही तो रह जाता है। क्या केवल इतनी धनराशि के लिये ही राष्ट्रीयकरण किया गया है? इसका उद्देश्य

तो यह है कि देश का रुपया केवल कुछ एकाधिकारियों तथा व्यापारियों के हाथ में ही न रहे तथा इसे लेकर सरकार इसको जनहित के लिये उपयोग में लाये। अतः मुआवजे के रूप में यह धन वापस उन्हीं लोगों के हाथों में नहीं पहुँच जाना चाहिये।

अतः इस विधेयक में मुआवजा देने से सम्बन्धित प्रणाली का मैं विरोध करता हूँ। प्रधान मन्त्री हमारे संशोधनों को स्वीकार करें तथा राष्ट्रीयकरण से प्राप्त होने वाले धन को जनहित के कार्यों में लगाये। तीन वर्ष औसत निकाल कर अंशधारियों को उनके शेयर की बाजार कीमत दी जानी चाहिए।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Sir, my first amendment relates to sub-clause 1 where in it is stated that "in the Second Schedule and in the manner hereinafter set out, that is to say-" and I want to add "as in Bihar Zamidari Abolishing Act."

My second amendment is in regard to deleting sub-clause 2.

My third amendment is this that the words "bonds" be added after "Promisery notes" and "10 years" and "four percent" have been substituted by "40 years" and "two percent"

When the Government abolished Zamindari in Bihar, and also amended to Constitution for this purpose, they fixed the period of compensation to a long 40 years and gave two and half per cent interest whereas the share-holders of the banks will be getting their share-money in 10 years with 4½ percent interest there on. Why this social discrimination and injustice ? The Central Government and the State Government of Bihar both are governed by the same Constitution of India, but in case of Zamindars, the Government did not pay their compensalion in cash. Those people were issuued bonds worth Rs. 100/- each which they had to sell for Rs. 50/- only just to get money for their livelihood. And now they are on the roads. Government have not given them any alternative jobs. The Government should look into the conditions of the Zamindars in Bihar.

The Government should give compensation to the bank share holders quickly. Wherefrom will the Govt. bring money to pay them ? Printing currency notes would result in inflation. So, there is no need of so much hurry, These shareholders are rich people. They can very well manage. Besides that, the 4½ per cent is a very heavy rate of interest and the amount of compensation also is very big-about Rs. 125 crores. Wherefrom would the Government bring so much money to pay. Therefore, the rate of interest should be reduced two percent only. The Government should, therefore, accept my amendment.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I have moved three amendments on clause (6) and want to put my view point. Basically I am against compensation so this clause should be deleted, but if it is not possible, then I oppose the 4½% rate of interest, after 10 years. A hon. Member said that 50 percent of the shareholders are common man. He is wrong. It is a known fact that is most of our people are living from hand to mouth, and that too with great difficulty. How can they hold shares in banks ? Only Big business man and landlords are the share holders. This compensation of Rs. 75 crores is also like a present to them from the Government. Why can't Government utilise this money for the projects of the country ? Gandhiji was also

against the principale of giving such compensations. But if at all it is to be given, the period of payment should be 100 years instead of 10 years, and the interest should be 1/10 per cent. By then, we will be prosperous enough to pay this compensation to them.

Hence my amendment is that the period of 10 years and 4½ percent rate of interest should be changed respectively to 100 years and 1/10 percent.

श्री राम मूर्ति (मदुरै) : सरकार ने मुआवजा देने के बारे में बड़ी पेचीदा प्रणाली प्रस्तुत की है तथा स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया है कि मुआवजे के रूप में कुल कितनी धन राशि देनी पड़ेगी। शायद सरकार स्वय भी इस बारे में नहीं जानती। जब पहले इम्पीरियल बैंक आफ इन्डिया का अधिग्रहण किया गया था तो बड़े सीधे-साधे ढग से उस समय प्रचलित मार्किट-कीमत के हिसाब के मुआवजे की राशि दे दी गई थी। न जाने अब क्यों सरकार कोई भिन्न प्रणाली अपना रही है। पहले वह आस्तियों और दायित्वों का हिसाब कर ले तथा यह भी ध्यान में रखे कि ये बैंक हैं तथा शेयर होल्डिंग की तुलना में अत्यधिक अस्तियां रखते है। अत: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार अंशधारियों को उचित मुआवजा देकर ही सरकार उनके अंश अपने नाम कर सकती है।

दूसरे, 1954 में मद्रास बिजली उपक्रम का अधिग्रहण किया गया था तो मुआवजे के बारे में लिखित आस्तियों के मूल्य को आधार बनाया गया था। अर्थात् लिखित मुल्य से टूट फूट का मूल्य घटाया गया था। प्रचलित मार्किट-कीमत का हिसाब नहीं रखा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे उचित मुआवजा माना है। इसके बाद सरकार ने अब न जाने क्यों भिन्न प्रणाली अपनाई है। अध्यादेश में मुआवजा देने की प्रणाली भिन्न बताई गई थी, परन्तु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किये जाने के भय से महान्यायवादी ने सरकार को अब यह प्रणाली अपनाने की सलाह दी है। क्या महान्यायवादी ऐसी सलाह दे सकता है? इसका अर्थ तो यह होता है कि संसद सर्वोच्च नहीं है तथा बहस बाजी में सरकार ने जो कुछ भी पेश कर दिया संसद उसे पारित कर दे। मुझे विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय इस का पक्ष नहीं लेगा।

अत. मेरा निवेदन है कि अब भी आप इस खण्ड को रोक कर, इसमें परिवर्तन कर लें। आस्तियों तथा दायित्वों की जांच करने के लिये हमारी व्यवस्था बड़ी बेढंगी है। अन्त में यही होगा कि आपको आवश्यकता से अधिक देना पड़ेगा। मुझे मालूम हुआ है कि आपके हिसाब से मुआवजे के रूप में कोई 120 करोड़ रुपया देना होगा। अपने संशोधन में मैंने यही सुझाव दिया है कि मुआवजे की राशि या तो अध्यादेश जारी करने के समय शेयरों की मार्किट-कीमत के आधार पर दी जाये अथवा फिर गत तीन वर्षों की औसत मार्केट-कीमत के हिसाब से दी जाये। मुझे विश्वास है सर्वोच्च न्यायालय भी इसे उचित मानेगा।

मंत्री महोदय मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लेंगे ऐसा मै समझता हूं।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : It is against the Preamable of our Constitution to allow 4½ percent interest for ten years on the bank shares since only 2½ percent interest was given for 40 years to the landlords when Zamindari was abolished.

It is a submission that this Bill is a steps towards socialism. But whereas the Government propose to strive its best for the development and upliftment of the Harijans and Farmers in the country side, they are going to give away a lot of money to these big share holders who have earned Rs. 400/--by investing only Rs. 100/-- In fact there is no need to give any compensation to them. If at all it is to be given to them it should be given only at the rate of 2½ percent. It is already a precedent and we should not act against the spirit of the Constitution. A discriminatory yard stock between the rich people and the farmer would spoil the image of the Government. The capitalists should not be given undue favour; rather this money should be utilised for various development and irrigations schemes. We are in much need of mony to give adequte food to our poore ountrymen. Instead of giving away so much money to these crocodies, we should put it for the county's welfare.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : We should look into the question of giving compensation from a different point of view. Whereas the Government propose to support Mr. Nath Pai's. Bill challenging the right of the Parliament to amend the Fundamental Rights, they are not inclined to pay a little less compensation to the bank share holders although it is quite possible due to the fact that the Supreme Court has given a decision in this regard. The Government are deliberately giving this much money to the share holders. A capitaliste journal writes :

"Ther are many ways by which the amount of compensation can be determined. Of these two are batter known. The first is to pay on the basis of the average share market question of the particular share for a specialised period of time ....."

It may be 30 years, 25 years or so.

"This implies payment of a price at which the share was valued by the market. The second mode of determination of payment is to fix it in terms of the excess of assets of bank over its liabilities. That is. its nett worth which equal the paid up capital plus reserves. This is the mode which the Government has announced in the Ordinance for payment of compensation to the share-holders of these banks. Calculation of payment on this basis for each of the 14, and where applicable each of the different shares of the bank, is presented....."

I do not want to go into more details.

Finally the paper states.

"*Statement*"

"It is interesting to not that if the share price in the market is accepted as the basis of compensation, the shareholders would get a small amount by way of compensation"--

He has replied.

"As indicated earlier, Government would be paying about Rs. 65-70 crores by way of compensation to the shareholders of these banks. If, however, the market quotation had been adopted as the basis. the total compensation would have worked to around Rs. 50 cores." May I know after doing this injustice how will you support Shri Nath Pai's Bill, It is a matter of property.

I wanted to request that it was his argument that if Parliament will not have the power to make changes in the fundamental rights after the decision of the Supreme Court, we will not be able to make laws for the social and economic progress. I will just prove that there is no necessity to make changes. The existing law had provisions. What is the reason that they have adopted other measures and by way of which they would be paying Rs. 25 crores or 30 crores or Rs, 50 crores more.

Lastly, I would like to say that have changed their decisions three times and it will bring good results and will save country's Rupees 25 crores 50 crores if a fourth change is made.

May I know who will be burdened if more compensation is paid ? The burden will be on the public and on tax-payers. So I request to consider my amendment and change the basis of compensation.

श्री स० कुण्डू (बालासोर) : अगर मुआवजा के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध नहीं होते तो मुआवजा के भुगतान के सम्बन्ध में मैंने विरोध प्रकट किया होता। यदि आप मुआवजे के भुगतान का उपबन्ध न करें तो सारा विधेयक न्याय विरूद्ध घोषित कर दिया जायेगा। इन परिस्थितियों में हमें इस पर विचार करना है और हमारे संशोधनों का उद्देश्य कम क्षतिपूर्ति देना है, इसी कारणों से मैंने दो शब्दों का संशोधन प्रस्तुत किया है। मुआवजे की राशि दायित्वों को निकाल कर कुल आस्तियों के मूल्य में से शेष राशि के बराबर न होकर उनके मूल्य के आधार पर निर्धारित होने चाहिए। इस सूत्र के द्वारा मुआवजे की राशि निर्धारित की जा सकती है। मैं समझता हूं कि इससे 50 करोड़ रुपये अथवा 100 करोड़ रुपये की बात तो दूर रही 10-15 करोड़ रुपये का भुगतान करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खण्ड 6 क में कहा गया है कि इस सम्बन्ध में द्विपक्षीय वार्ता होगी और यदि वार्ता असफल रहेगी तो मामला न्यायाधिकरण को भेजा जायेगा। मैं न्यायाधिकरण को मामला सौंपने के विरूद्ध हूं। अगर ऐसा रास्ता अपनाया गया तो प्रत्येक मुआवजे की राशि अलग-अलग बतायेगा और मुआवजे के रूप में एक बड़ी राशि व्यय हो जायेगी, मुआवजे की अदायगी सरकार द्वारा सामाजिक प्रयोजन हेतु उसकी नीति तथा योजनाओं को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिये।

यदि मामला न्यायाधिकरण को भेजा जायेगा तो इसमें काफी समय लग जायेगा और कुछ मालूम नहीं कि अंशधारियों को कब मुआवजा मिले।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

जहां तक श्री नाथ पाई के विधेयक का सम्बन्ध है; इससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, चाहे आप 50 करोड़ रुपये का भुगतान करें अथवा 100 करोड रुपये का, आपको इसका भुगतान करना है क्योंकि संविधान में ऐसा उपबन्ध है। विधि मन्त्री इस पर विचार करें और मेरा संशोधन स्वीकार करें।

श्रीमती इला पाल चौधरी (कृषनगर) : मेरा साधरणसा संशोधन है और सरकार के संशोधन से काफी मिलता जुलता है, बैंकों के अर्जन तथा राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में हमें सदभावना का ध्यान रखना है, यदि संशोधन स्वीकार किया जाय तो सरकार का जो प्रयोजन है उसको उसके द्वारा पूरा करने में सहायता मिलेगी ।

ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में सरकार की आलोचना करना ठीक नहीं, सरकार ने कहा है कि वार्षिक ब्याज लगभग 3.75 करोड़ रुपये होगा, जहां तक अंशधारियों का सम्बन्ध है उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, मैं एक बात और यह कहना चाहती हूं कि औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम, और औद्योगिक वित्त निगम आदि जैसी विभिन्न साख संस्थाओं के बीच सम्पर्क कम होना चाहिये ताकि जब वे ऋण आदि दें तो छोटे उद्यमकर्त्ताओं, व्यापारियों और छोटे किसानों का जब कभी उनको ऋण की आवश्यकता हो तब उनका ध्यान रखें मैं आशा करती हूं कि मेरे संशोधन पर विचार किया जायेगा ।

श्री गोविन्द मेनन : उपाध्यक्ष महोदय इस खण्ड की चर्चा विस्तार से की गई है । इस समय केवल खण्ड 6 पर मेरे संशोधन पर चर्चा नहीं हुई है बल्कि सरकार द्वारा द्वितीय अनुसूची में किये गये उपबन्धों पर भी विचार किया गया है ।

हमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने पर मुआवजा देना चाहिए न केवल इसलिये कि संविधान के अनुसार यह अपेक्षित है बल्कि इसलिये भी कि हम विश्वास करते हैं कि प्रजातन्त्र में ऐसा करना उचित है ।

सरकार द्वारा अपनाये गये आस्तिकों के मूल्यांकन के तरीके की क्योंकि आलोचना की गई थी और अनुसूची का निर्देश किया गया था, इसलिए मैं द्वितीय अनुसूची में वर्णित आस्तियों का उल्लेख करना चाहता हूं, जो इस प्रकार हैं:

(क) "हाथ में नकद रकम"

(ख) "किसी बैंक में अतिशेष की रकम"

(ग) "सम्बन्धित बैंक द्वारा धृत किन्हीं प्रतिभूतियों, शेयरों, डिबेंचरों, बन्धपत्रों और अन्य विनिधानों का इस आधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले की तारीख पर बाजार मूल्य"

(घ) "अग्रिम धनों की रकम (जिसके अन्तर्गत उद्यम, नकद उद्यम खाता ऋण, ओवर ड्राफ्ट, खरीदे गये और मितीकांटे पर भुगतान किए गए विनमयपत्र भी हैं) और अन्य ऋण, चाहे वे प्रतिभूत हों या अप्रतिभूत हों, उस परिमाण तक जिस तक वे प्रतिभूति के, यदि कोई हों, मूल्य का, खाते के लेन देन का उधार लेने वाले की कथित साख का और उसके उत्तरदायित्व पूर्ण होने का, वसूली की सम्भाव्यताओं तथा अन्य सुसगत बातों का, ध्यान रखकर युक्तियुक्त रूप से वसूलीय समझे जाए"

(ङ) "किसी भूमि या भवन का मूल्य"

(च) "सब पट्टाप्रति सम्पत्तियों की बाबत संदत्त प्रीमियमों की कुल रकम...."

(छ) "सब फर्नीचर और फिटिंग का ऐसा अवलिखित मूल्य जैसा बहियों में हो या ऐसा वसूलीय मूल्य जैसा युक्तियुक्त समझा जाए"

(ज) 'बैंक की बहियों में लिखी अन्य आस्तियों का बाजार या वसूलीय मूल्य, जो भी समुचित हो ....."

तथा फर्नीचर के अतिरिक्त सभी प्रायः नकदी के समान हैं। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार पर ऐसा आरोप लगाना अनुचित होगा कि उसने आस्तियों का मूल्यांकन अधिक किया है। जहां तक भूमि या भवन के बाजार मूल्य का सम्बन्ध है हम एक स्पष्टीकरण जारी कर रहे हैं जिसका अर्थ होगा कि भवन का मूल्य भवन के लिए कुल उपलब्ध किराये का बारह गुणा होगा।

अनेक मित्रों द्वारा ऐसे सुझाव दिये गये थे कि केवल शेयरों के मूल्य दिये जाये। ऐसा अनुमान करना कि इस अनुसूची के अनुसार परिगणित मूल्य शेयरों के बाजार मूल्य से अधिक होगा, उचित नहीं है।

दूसरी बात यह है कि हम शेयर नहीं बल्कि उपक्रम खरीद रहे हैं और जब हम किसी उपक्रम को खरीद रहे हैं अथवा ले रहे हैं तो उसके लिए भुगतान अवश्य करना पड़ेगा। हम उतना ही भुगतान करते हैं जितना कि परिस्थियों को देखते हुए हम उचित समझते हैं।

मैं एक बात यह और कहना चाहता हूँ कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कोई नई बात नहीं है, वर्ष 1959 में सात या आठ राज्य बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के सहायक बैंकों के रूप में किया गया था और उनके सम्बन्ध में भी ऐसी ही प्रक्रिया अपनाई गई थी; इन सहायक बैंकों को उनका मूल्य दिया गया था, अतः मेरा निवेदन यह है कि जब इन उपक्रमों को लेने का प्रस्ताव किया जाता है तो बैंकों का पैसा ले लिया जाता है और हमें उसके लिए भुगतान करना पड़ता है।

यह अनुमान गलत है कि प्रत्येक अंशधारी, शेयरों का मूल्य लेने को उत्सुक है, यदि ऐसा होता तो वे इन बैंकों में जाकर शेयर नहीं खरीदते,

एक वैद्य कठिनाई, जिसका उल्लेख श्री दाण्डेकर ने किया है वह यह है कि बैंकिंग कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत इन बैंकों के निदेशकों को विकल्प दिया गया है कि वे बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर बैंकिंग के अतिरिक्त अन्य कोई व्यवसाय कर सकते हैं। गत पांच या छः वर्षों में रिज़र्व बैंक तथा बैंकों में आपसी समझौतों के द्वारा अनेक कार्य किये गये जिनके अन्तर्गत बैंकों को आपस में मिला दिया गया था, कई बड़े बैंकों ने छोटे बैंकों की आस्तियां तथा दायित्व ले लिये हैं और उनको अपने साथ मिला लिया है, यही प्रक्रिया है जो उस समय अपनाई गयी थी, दूसरे कुछ ऐसे बैंक भी थे जिनके बारे में रिज़र्व बैंक ने सोचा था कि उनकी पूंजी समाप्त हो गई है और उन मामलों के सम्बन्ध में ऋण शोध विलम्बकाल की घोषणा कर दी गई थी। आस्तियां ले ली गई थीं, आस्तियों तथा दायित्व का मूल्यांकन किया गया

था और जमाकर्त्ताओं को आनुपातिक राशि दे दी गई थी। हमने भी वही प्रक्रिया अब भी अपनाई है और कोई अन्य प्रक्रिया नहीं अपनायी है।

मुझे कोई सन्देह नहीं है कि इस विधेयक की अनुसूची–2 में जैसे मुआवजे की व्यवस्था की गई है वह उचित है। क्योंकि वह अंशधारियों तथा सरकार दोनों के लिए अच्छी रहेगी, जब आप मुआवजे की मात्रा के बारे में बोलते हैं तो आपको अंशधारियों की ओर भी देखना चाहिये क्योंकि ये बैंक कतिपय लखपतियों की सम्पत्ति नहीं है।

मैंने कहा था कि अंशधारियों को भुगतान किया जायेगा और उसके लिए व्यवस्था कर दी गई है कि यदि इसके लिए मांग करें तो उनको शेयरों की प्रदत्त पूंजी दे दी जायेगी। श्री दाण्डेकर ने आपत्ति की थी कि हमने इन आस्तियों के मूल्याकन में सद्भावना के लिए उपबन्ध नहीं किया है और किसी अन्य ने गुप्त रक्षितकोष के बारे में आपत्ति उठाई है, आखिर, गुप्त रक्षितकोष क्या है? गुप्त रक्षितकोष आस्तियों के न्यूनमूल्यांकन तथा दायित्वों के अतिमूल्यांकन द्वारा किया जाता है, जब आस्तियों तथा दायित्वों के मूल्यांकन के लिए न्यायाधिकरण है तो न आस्तियों का न्यूनमूल्यांकन होगा और न दायित्वों का अतिमूल्यांकन। जब मूल्यांकन किया जाता है तब गुप्त रक्षित कोष को भी मूल्यांकन के लिए ले लिया जाता है। जहां तक सद्भावना का सम्बन्ध है यह बात व्यापार तथा अन्य उपक्रमों में उत्पन्न होती है न कि ऐसे मामलों में जहां आस्तियों का मूल्यांकन किया जाता है। दायित्वों का मूल्यांकन किया जाता है और आस्तियों में से दायित्वों को घटाकर शेष आस्तियों के मूल्य दिये जाते हैं। क्या किसी बैंक के सन्तुलन पत्र में सद्भावना के लिए उपबन्ध किया जाता है? इस मामले में सद्भावना जैसी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हिसाब में लेना हो, अतः मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बैंकिंग उपक्रमों की आस्तियों तथा दायित्वों के मूल्यांकन के लिए हमने एक समुचित तथा न्यायसगत ढंग अपनाया है। हमने यह बात ध्यान में रखी है कि मुआवजे के अन्तिम लाभ उठाने वाले अंशधारी ही होंगे, अतः मेरा निवेदन है कि न खण्ड 6 में और न द्वितीय अनुसूची में कोई ऐसी बात है जो कि इस देश की जनता के लिए अहितकर हो।

एक बात यह भी उठाई गई थी कि 10 वर्षीय प्रतिभूतियों के लिए 4½ प्रतिशत और 30 वर्षीय प्रतिभूतियों के लिए 5½ प्रतिशत का भुगतान क्यों दिया जाना चाहिए। मैं उन आलोचकों से पूछना चाहता हूं कि मान लीजिये सरकार नकद भुगतान करने का निर्णय करती है तो क्या होगा? ये तो इस समय बाजार की उधार-दर हैं, अतः मैं अनुरोध करता हूं कि जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय,

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सरकारी संशोधनों को छोड़कर अन्य सभी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा,

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 419 को छोडकर सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं केवल सरकारी संशोधनों को प्रस्तुत करूंगा। सरकारी संशोधनों के बारे में श्री दार तथा श्री देव सेन के दो संशोधन है, मैं पहले उनको मतदान के लिए रखूंगा,

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived.

श्री गोविन्द मेनन : मैं संशोधन संख्या 419, 126, 410, 411 तथा 412 प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 6 पर प्रस्तुत मूल संशोधन संख्या 125 के सम्बन्ध में सरकार ने संशोधन संख्या 360, 408 तथा 409 प्रस्तुत किये हैं;

श्री गोविद मेनन : खण्ड 6 पर मैंने केवल एक संशोधन संख्या 419 प्रस्तुत किया है,

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि पृष्ठ 4, पंक्तियां 34 से 42 के स्थान पर निम्न लिखित रखिये :--

"(3) The amount of compensation determined in accordance with the foregoing provisions shall be paid to each existing bank, at its option,--

(a) in saleable or otherwise transferable promissory notes or stock certificates of the Central Government, issued and repayble at par, and maturing at the end of ten years from the date of commencement of this Act and carrying interest at the rate of four and a half per cent per annum; or

(b) in saleable or otherwise transferable promissory notes or stock certificates of the Central Government, issued and repayable at par, and maturing at the end of thirty years from the date of commencement of this Act and carrying interest at the rate of five and a half per cent per annum; or

(c) partly in such number of securities specified in clause (a) and partly in such number of securities specified in clause (b), as may be required by the existing bank.

(3A) The option referred to in sub-section (3) shall be exercised by every existing bank within three months from the commencement of this Act (or within such further time, not exceeding three months, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify) and the option so exercised shall be final and shall not be altered or rescinded after it has been exercised.

(3B) An existing bank which omits or fails to exercise the option referred to in sub-section (3), within the time specified in sub-section (3A) shall be deemed to have exercised its option in favour of the securities specified in clause (a) of sub-section (3).

(3C) Notwithstanding anything contained in this section, any existing bank may, before the expiry of three months from the commencement of this Act (or within such further time, not exceeding three months as the Central Government may, by notification in the Official Gezette, specify) apply to the Central Government for an interim

payment of one-half of the amount of its paid-up share capital and thereupon the Central Government shall, if the existing bank agrees in writing to distribute the amount so paid to its shareholders in accordance with their rights and interests, pay the same to the existing bank in securities specified in sub-section (3) in accordance with the option exercised, or deemed to have been exercised, under sub-section (3A) or (3B), as the case may be :

Provided that where the Central Government makes an interim payment under this section, it shall pay to the existing bank by a cheque drawn on the Reserve Bank such sum as would enable the existing bank to distribute--

(a) in cash one-half of the amount paid up on the shares held by a person if one-half of the amount paid up on the shares held by such a person does not exceed five thousand rupees; and

(b) where one-half of the amount paid up on the shares held by a person exceed five thousand rupees, such sum as would enable the existing bank to pay to the holder of such shares a sum of five thousand rupees in cash and the balance of one-half of the amount paid up on the shares held by such person in securities specified in sub-section (3).

(3D) The interim payment made to an existing bank shall be set off against the total amount of the compensation payble to it under this Act and the balance of the compensation remaining outstanding after such payment shall be given to the existing bank in securities specified in sub-section (3) in accordance with the option exercised or deemed to have been exercised, under sub-section (3A) or sub-section (3B) as the case may be.

(3E) Where the amount of compensation, payable in the form of securities under this section is not a multiple of one hundred rupees, any excess over the highest such multiple shall be paid by a cheque drawn on the Reserve Bank.

(3F) Nothing contained in sub section (3) shall affect the rights inter se between an existing bank and any other person who may have an interest in such bank and such other person shall be entitled to enforce his interest against the compensation awarded to the existing bank but not against the Central Government or the corresponding new bank.

"(3) पूर्वोल्लिखित उपबन्धों के अनुसार निश्चित की गई मुआवजे की राशि वर्तमान प्रत्येक बैंक को, उसके निम्न किसी विकल्प पर दी जायेगी;

(क) सममूल्य पर जारी किये गये तथा प्रतिदेय और इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से दस वर्ष की समाप्ति पर परिपक्व होने वाले और साड़े चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज वाले केन्द्रीय सरकार के बिक्री योग्य अथवा अन्यथा हस्तान्तरणीय वचनपत्रों अथवा स्टाक प्रमाणपत्रों में; अथवा

(ख) सममूल्य पर जारी किये गये तथा प्रतिदेय और इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से तीस वर्ष की समाप्ति पर परिपक्व होने वाले और साढ़े पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज वाले केन्द्रीय सरकार के विक्री योग्य अथवा अन्यथा हस्तान्तरणीय वचनपत्रों अथवा स्टाक प्रमाणपत्रों में, अथवा

(ग) अंशतः खण्ड (क) में उल्लिखित प्रतिभूतियों की राशि संख्या में और अंशतः खण्ड (ख) में उल्लिखित प्रतिभूतियों की राशि संख्या में, जैसा कि वर्तमान बैंक द्वारा अपेक्षित हो,

(3क) वर्तमान प्रत्येक बैंक को उप-धारा (3) में उल्लिखित विकल्प इस अधिनियय के लागू होने से तीन महीने के अन्दर देना होगा (अथवा अग्रेतर ऐसे समय में, तीन महीने से अनधिक, जैसाकि केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करे) और इस प्रकार एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम समझा जायेगा और एक बार विकल्प दिये जाने के बाद इसमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा, अथवा इसको रद्द नहीं किया जायेगा।

(3ख) यदि कोई वर्तमान बैंक उप-धारा (3क) में उल्लिखित समय के अन्दर उपधारा (3) में उल्लिखित विकल्प नहीं देता है अथवा वह विकल्प नहीं दे पाता है, तो यह समझा जायेगा कि उस बैंक ने उपधारा (3) के खण्ड (क) में उल्लिखित प्रतिभूतियों के पक्ष में विकल्प दिया है।

(3ग) इस धारा में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी कोई वर्तमान बैंक इस अधिनियम के लागू होने से तीन महीने की समाप्ति से पूर्व (अथवा अग्रेतर ऐसे समय के अन्दर, तीन महीने से अनधिक, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करे) केन्द्रीय सरकार को अपनी प्रदत्त अंश पूंजी की आधी राशि के अन्तरिम भुगतान के लिए आवेदन पत्र दे सकता है और तत्पश्चात यदि वर्तमान बैंक इस प्रकार उसको दी गई राशि को अपने अंशधारियों को उनके अधिकारों तथा हितों के अनुसार वितरण करने के लिए लिखित रूप में सहमत हो जाये, तो सरकार उपधारा (3क) अथवा (3ख) के अन्तर्गत दिये गये विकल्प अथवा जिस विकल्प को दिया गया समझा गया हो, उसके अनुसार यथा स्थिति उप-धारा (3) में उल्लिखित प्रतिभूतियों में वर्तमान बैंक को वह राशि देगी :

परन्तु जिस मामले में केन्द्रीय सरकार इस धारा के अन्तर्गत अन्तरिम भुगतान करती है, तो वह वर्तमान बैंक को रिजर्व बैंक के चेक के द्वारा इतनी राशि का भुगतान करेगा जिससे कि वर्तमान बैंक निम्न राशि का वितरण कर सके—

(क) यदि किसी व्यक्ति के अंशों की प्रदत्त राशि का आधा पांच हजार रुपये से अधिक नहीं है तो उसको अंशों की प्रदत्त राशि की आधी राशि का भुगतान नकदी में; और

(ख) जिस मामले में किसी व्यक्ति के अंशों की प्रदत्त राशि का, आधा भाग पांच हजार से अधिक हो, ऐसे मामले में इतनी राशि का भुगतान जिससे वर्तमान बैंक ऐसे अंशों के अंशधारी को पांच हजार रुपये का भुगतान नकद कर सके तथा ऐसे व्यक्ति के अंशों पर प्रदत्त राशि के आधे भाग की शेष राशि का भुगतान उप-धारा (3) में उल्लिखित प्रतिभूतियों के रूप मे कर सके।

(3घ) वर्तमान बैंक को किया गया अन्तरिम भुगतान इस अधिनियम के अन्तर्गत बैंक को देय मुआवजे की कुल राशि के विरूद्ध जमा किया जायेगा और इस भुगतान के बाद मुआवजे

की शेष राशि का भुगतान वर्तमान बैंक की उप-धारा (3क) अथवा उप-धारा (3ख) के दिये गये विकल्प अथवा जिस विकल्प के अन्तर्गत दिया गया समझा गया हो, उसके अनुसार यथास्थिति उप-धारा (3) में उल्लिखित प्रतिभूतियों में किया जायेगा,

(3ङ) जिस मामले में इस धारा के अन्तर्गत प्रतिभूतियों के रूप में देय मुआवजे की राशि एक सौ रुपये से विभाजित नहीं होती। ऐसे मामले में उच्चतम गुणक से अधिक की राशि का भुगतान रिजर्व बैंक के चैक द्वारा किया जायेगा,

(3च) उप धारा (3) में अन्तर्विष्ट होते हुए भी किसी बात का वर्तमान बैंक और किसी ऐसे व्यक्ति, जिसका ऐसे बैंक में हित हो, के परस्पर अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ऐसा अन्य व्यक्ति अपने हित को वर्तमान बैंक को दिये गये मुआवजे में से लेने का अधिकारी होगा परन्तु केन्द्रीय सरकार अथवा तत्स्थानी नये बैंक से लेने का अधिकारी नहीं होगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 6 को, संशोधित रूप में विधेयक जोड़ दिया गया।

Clause 6, as amended, was added to the Bill,

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : अभी मतदान से पहले आपने विधेयक का अन्तिम वाचन आज पूरा किये जाने के बारे में कहा था। नियम 93 (2) के अन्तर्गत जब एक विधेयक में संशोधन हुए हो कि विधेयक संशोधित रूप में पास किया जाय तो उसे उसी दिन प्रस्तुत नहीं किया जायेगा जिस दिन विधेयक पर विचार करना समाप्त होता हो, जब तक कि अध्यक्ष प्रस्ताव करने की अनुमति न दें।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा विधेयक के तृतीय वाचन के समय किया जा सकता है।

खण्ड 7

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : मैं अपने संशोधन संख्या 69, 70, और 71 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्री पाटोदिया संशोधन पेश कर रहे हैं।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : जी नहीं ।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं दोनों संशोधन पेश कर रहा हूं ।

श्री प्र० चं० सेठी : यह सरकारी संशोधन संख्या 126 है ।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मैं खण्ड 7 पेश नहीं कर रहा हूं ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं संशोधन संख्या 320 और 321 पेश कर रहा हूं (व्यवधान) । संशोधन संख्या 420 कोई अन्य पेश करेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक । यह सरकारी संशोधन है ।

श्री गोविन्द मेनन : संशोधन संख्या 410

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सरकारी संशोधनों को छोड़कर अन्य सब संशोधन मतदान के लिए रखता हूं ।

सरकारी संशोधनों को छोड़कर अन्य सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All other amendments except Government amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 4, पंक्ति 44 "a tribunal" (न्यायाधिकरण) के स्थान पर "one or more tribunals each of which" ("एक या अधिक न्यायाधिकरण जिसमें से प्रत्येक") रखिए । (126)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 7 को, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 7, as amended, was added to the Bill.

श्री नारायण दांडेकर : जिन लोगों ने संशोधन पेश किया है उनको 5 मिनट का समय भी बोलने के लिए नहीं दिया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब कहीं आवश्यक बात कहनी हो तो मैं निश्चय ही उसके लिए समय दूंगा परन्तु केवल भाषण देने के लिए ही समय देना ठीक नहीं है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I have a suggestion. Only those clauses which are important should be taken for consideration and other clauses may be passed.

उपाध्यक्ष महोदय : हम खण्ड 15, 16, 23 और 24 पर विचार विमर्श करेंगे तथा अन्य खण्डों को शीघ्र ही पारित कर देंगे' यह अच्छा विचार है ।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : You had promised me to give time to speak on clause 7. But that was not done. Please do not back out of your promise.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अन्तिम चरचा में आपको समय दूंगा ।

खण्ड 8

(न्यायाधिकरण को दीवानी अदालत की शक्तियां दी गई ।)

संशोधन किया गया ।
Amendment made

पृष्ठ 5, पंक्ति 17:—

"The tribunal" (न्यायाधिकरण) के स्थान पर "Every tribunal" (प्रत्येक न्यायाधिकरण) रखिए । (श्री गोविन्द मेनन)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 8 को, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया ।
Clause 8, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 9

उपाध्यक्ष महोदय । हम खण्ड 9 को लेते हैं ।

संशोधन किए गए ।
Amendment made.

पृष्ठ 5, पंक्तियां 26 और 27,

"The tribunal" ("न्यायाधिकरण") के स्थान पर "Every tribunal" ("प्रत्येक न्यायाधिकरण") रखिए। (414)

पृष्ठ 5, पंक्ति 29,

"The tribunal" ("न्यायाधिकरण") के स्थान पर "a tribunal" ("एक न्यायाधिकरण") रखिए। (415)

पृष्ठ 5, पंक्ति 31

"The tribunal" ("न्यायाधिकरण") के स्थान पर "Such tribunal" ("ऐसे न्यायाधिकरण") रखिए। (416)

(श्री गोविन्द मेनन)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 9 को, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 9, as amended, was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 10 was added to the Bill.

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 11 was added to the Bill.

खण्ड 14

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 14 को लेंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : I have two amendments namely 148 and 149 for clause 14. Amendment number 149 is very important. While prepairing the

Profit and Loss accounts and Balance Sheet, the auditor should also indicate the cuases of the decrease in Deposits or in Profit, if any.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मेरा संशोधन संख्या 216 है, हम नहीं चाहते कि बैंकों का लेखा-परीक्षण थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में हो । ऐसी धारणा प्रचलित है कि कुछ फर्मों को इस काम में एकाधिकार है जब कि अन्य को काम नहीं मिलता ।

मेरा दूसरा निवेदन है कि बैंकों को प्रत्येक कर्ज के अन्त में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना चाहिए जिसमें वे अपना सब कार्यकलाप प्रस्तुत करें यह प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए । इससे पता चल सकेगा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य कहां तक सफल रहा है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I have amendment No. 150.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I have amendment No. 116. The re-mnneration of auditor or custodian should not exceed Rs. 1500. The minimum should be Rs. 150 and maximum shoutd not be more than Rs. 1500.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I have a very simple amendment. Firstly the farmess, auditors should not be taken now and secondly it may be clearly stated that who will be the members of the tribunal.

श्री गोविन्द मेनन : मैं इसमें कोई बात नहीं देखता कि बैंकिग व्यवसाय के लेखा परीक्षण के लिए जो नियम निर्धारित किए गए हैं, उनको यहां लागू नहीं करना चाहिए । माननीय सदस्य कोठारी के संशोधन में कोई तुक नहीं है । बैंक के लेखा परीक्षण के प्रतिवेदन में और अन्य कोई नहीं आनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 14 मतदान के लिए रखूंगा । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 14 को विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 14 was added to the Bill.

खण्ड 15

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 15 से सम्बन्धित संशोधन पेश किए जाएं ।

श्री गोविन्द मेनन : मैं पेश करता हूं । पृष्ठ 8, पंक्ति 8 से 14 के स्थान 436 पर निम्नलिखित रखिए :-

"Removal from office of directors etc.

15 (1) Every person holding office as Chairman, managing or whole time director of an existing bank shall, on the commencement of this Act, be deemed to have vacated office and every other director of such bank (hereinafter referred to as the continuing directors) shall, until directors are duly elected by such existing bank, be deemed to continue to hold such office.

(1A) Until the Board of directors of an existing bank is duly constituted by it, the continuing directors shall be deemed to constitute its Board of Directors (hereinafter referred to as the 'Continuing Board,') and the Board of Directors or the Continuing Board, as the case may be, may transact all or any of the following business, namely :--

निदेशकों आदि के पद से हटाया जाना —

15 (1) किसी विद्यमान बैंक के अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध या पूर्णकालिक निदेशक के रूप में पद धारण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जायेगा कि उससे इस अध्यादेश के प्रारम्भ में पद रिक्त कर दिया है और ऐसे बैंक के प्रत्येक अन्य निदेशक के बारे में 'जिन्हें 'एतत्पश्चात सतत निदेशक' कहा जायेगा यह समझा जायेगा कि वे ऐसे विद्यमान बैंक द्वारा यथोचित रूप में निदेशकों को चुन लिए जाने तक ऐसे पद पर कार्य करते रहेंगे।

(1क) जब तक वर्तमान बैंक यथोचित रूप से अपने निदेशक मंडल को गठित न कर ले, तब तक पद पर कार्य कर रहें निदेशक अपने निदेशक मंडल को गठित कर सकेंगे (जिसे एतत्पश्चात 'सतत बोर्ड कहा जायेगा' 'और निदेशक मंडल अथवा "अविच्छिन्न मंडल" यथास्थिति सब अथवा निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य करे यथा" (436)

पृष्ठ 8, पंक्तियां 27 से 33 तक निकाल दीजिए। (437)

पृष्ठ 8, पंक्तियां 34 से 41 तक के स्थान पर निम्नलिखित रखिए :-

"(3) The Board of Directors of an existing bank, or its continuing Board, as the case may be, may authorise all such expenditure as it may think fit for discharging any of the functions referred to in Sub-Section 1(A) and the Central Government may authorise the corresponding new bank to make an advance of the amount required by the existing Banks in connection therewith and any amount so advanced shall be recouped from out of the Compensation Payable to the existing bank under this Act."

["(3) एक विधमान बैंक का निदेशक मंडल, अथवा इसका अविच्छिन्न मंडल, यथास्थिति, ऐसे व्यय करने का अधिकार दे सकता है तो वह उपधारा (1क) में दिए गए कार्यों में से कोई कार्य करने के लिए आवश्वक समझता हो और केन्द्रीय सरकार तत्स्थानी नए बैंकों को यह अधिकार दे कि वह वर्तमान बैंक को उसके कार्य के सम्बन्ध में अपेक्षित उधार दे और इस प्रकार जो धन दिया जायेगा उसको इस अधिनियम के अन्तर्गत विधमान बैंक को दिए जाने वाले क्षतिपूर्ति से पुनः प्राप्त किया जाये,"] (438)

Shri Kanwar Lal Gupta : I have two amendments namely number 151 and number 152. I welcome the first part of the clause that service conditions of the employees would not be changed but I oppose the last paragraph. Because then it will mean that Government will assume powers to dismiss or terminate the service of any employee. My amendment seeks that the conditions of the bank should be taken into consideration at the time of termination of service of an employee. Secondly, this should be insert after line 6,"Provided that their remuneration, terms and conditions shall not be altered to their detriment without their consent." It is my plea that the Government should give guarantee to the employees that the terms and condition will not be changed but if any change is to bring then the consent of the employee will be taken into consideration.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) :— मेरा संशोधन पंक्तियां 11 से 33 को हटाना है, खण्ड 15(1) में कहा गया है "कि इस अधिनियम के आरम्भ होने से ऐसा समझा जायेगा कि विद्यमान बैंक के अध्यक्ष, प्रबन्धक तथा निदेशक के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति अपने पद से हट जायेंगे ।" आगे यह कहा गया है "कि बशर्ते इस उपधारा से यह अर्थ न लगाया जायेगा कि विद्यमान बैंक को निदेशक मंडल बनाने से रोका जा रहा है"..... मैं इस पंक्ति से पंक्ति 33 तक को हटाना चाहता हूं । मैं इस कथन का समर्थन करता हूं कि विद्यमान बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों की शर्तें वही रहेंगी।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वागत किया है अतएव कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे उनके हितों को हानि पहुँचे । मेरा निवेदन है कि कर्मचारियों का वेतन मान उनके अनुकूल होना चाहिए क्योंकि उनमें यह धारणा है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद उनकी सेवा शर्तों में सुधार लाया जायेगा ।

मैं अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी एसोसिएशन को बधाई देता हूं कि उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का शुरू से ही समर्थन किया है । अन्य बैंकों तथा विदेशी बैंकों को भी सरकार अपने हाथ में ले । इसके साथ मैं अपनी संशोधन संख्या 159 पेश करता हूँ ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) :— मैं संशोधन संख्या 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, पेश करता हूँ । मैं संशोधन संख्या 300 और 301 पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ ।

मैंने संशोधन संख्या 300 में यह सुझाव दिया है कि पृष्ठ 9 में पंक्ति 6 के बाद यह जोड़ा जाये कि इस अधिनियम के आरम्भ होने से एक वर्ष के अन्दर अगर कोई अधिकारी तथा कर्मचारी तत्स्थानी नए बैंक से पद त्याग करना चाहता है तो वह ऐसा करने को स्वतंत्र होगा तथा उसे विद्यमान बैंक से मिलने वाली सभी सेवानिवृत के लाभ बिना सेवा अवधि में बाधा पड़े मिलेंगे, अतएव मेरा निवेदन यह है कि अगर कोई अधिकारी तथा कर्मचारी पद-त्याग करना चाहता है तो उसको बिना सेवा अवधि में बाधा डाले पेंशन, उपदान आदि के सभी लाभ मिलने चाहिए ।

मैंने संशोधन संख्या 301 में यह सुझाव दिया है कि पृष्ठ 9 में पंक्ति 12 से 18 के स्थान पर यह रखें कि अधिकारियों तथा कर्मचारियों को तत्स्थानी नए बैंक द्वारा दी जाने

वाली प्रतिदान को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत विद्यमान बैंक को दिए जाने वाले प्रतिदान में से नहीं कम करना चाहिए । इस संशोधन का आशय यह है कि सरकार को अधिनियम में यह व्यवस्था रखनी चाहिए कि विद्यमान बैंकों को अपने कर्मचारियों को सेवांत लाभ देना पड़ेगा । ऐसा करना आवश्यक है । मुझे विश्वास है कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करेगी जो कि आवश्यक है ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) :– मेरा संशोधन संख्या 326, 386, और 387 हैं । मेरा संशोधन संख्या 386 यह है कि सभी कर्मचारियों को नए बैंक में स्थानान्तरण करते समय उनके सेवाकाल में कोई अवरोध नहीं डालना चाहिए । अगर मंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार नहीं करते हैं तो वे स्पष्टतया यह बतायें कि विधेयक में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है ।

मैं संशोधन संख्या 387 पर प्रकाश डालना चाहूंगा । इसमें कहा गया है कि यदि नया बैंक कर्मचारियों की सेवा शर्तें, वेतन आदि में कोई परिवर्तन लाता है तो वह ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे उसके हितों को हानि पहुँचे । अगर मंत्री महोदय यह विश्वास दें तो मैं बिना संशोधन के इसे स्वीकार कर सकता हूं ।

मेरा संशोधन संख्या 326 यह है कि पृष्ठ 9 पंक्ति 14 में "अथवा अन्य कर्मचारी" को हटा दिजिए ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारियों को उनके स्थानान्तरण पर कुछ अधिकार मिले हैं । इस उप-धारा द्वारा उप बन्धित किया गया है कि उन्हें क्षति पूर्ति का कोई अधिकार नहीं होगा । मैं अपने संशोधन से यह चाहता हूं कि इस उप-धारा से "तथा अन्य कर्मचारी" शब्द हटा दिये जायें जिससे छोटे कर्मचारियों का क्षति पूर्ति का अधिकार बना रहे ।

राष्ट्रीयकरण के कारण कर्मचारियों की वर्तमान उपलब्धियों तथा सुविधाओं में कमी नहीं आनी चाहिए, अपितु उनको बढ़ाया जाना चाहिए ।

श्री गोविन्द मेनन : खण्ड 15 के बारे में मै अपना संशोधन प्रस्तुत कर चुका हूँ । यदि श्री गुप्ता खण्ड (3) को पढ़ेगें तो वे अनुभव करेंगे कि इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप संशोधन संख्या 436 पर ही बोल रहे हैं ?

श्री गोविन्द मेनन : मैं संशोधन का उत्तर दे रहा हूं ।

कर्मचारियों को सेवा से उन्हीं नियमों के अनुसार हटाया जा सकेगा जो कि पहले से स्थापित थे । वेतन-भत्तों में परिवर्तन सुधार की दृष्टि से ही होंगे ।

स्थानान्तरण का यहां अभिप्राय राष्ट्रीयकरण से होने वाले बैंकों के नाम तथा स्थिति में परिवर्तन से ही है, और कुछ नहीं ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत, यदि कोई कर्मचारी चाहे, तो वह वर्तमान बैंक पर, सेवा-निवृति लाभों का दावा कर सकता है । अन्यथा आप उन्हें नए बैंक द्वारा दिये जाने का आश्वासन दें ।

श्री गोविन्द मेनन : मैं मानता हूं कि जो लाभ किसी कर्मचारी को वर्तमान बैंक से उपलब्ध है वे उसे नए बैंक से भी उपलब्ध होते रहेंगे ।

श्री नारायण दाण्डेकर (जामनगर) : औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत किसी बैंक के स्वामित्व के हस्तान्तरण पर क्षति-पूर्ति की जो व्यवस्था थी, उसे इस धारा द्वारा समाप्त किया जा रहा है ।

[**श्री क० न० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

श्री गोविन्द मेनन : उद्देश्य यही है ।

श्री नारायण दाण्डेकर ; यदि यह मामला न्यायालय में लाया जाता है तो न्यायालय इस कार्रवाई को अनुचित ठहराएगा ।

[**श्री वासु देवन नायर पीठासीन हुए**
Shri Vasudevan Nair *in the Chair*]

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : कर्मचारियों के उस अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री गोविन्द मेनन : सेवा के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा, अतएव क्षति पूर्ति का कोई प्रश्न नहीं ।

श्री नारायण दाण्डेकर : एक बिजली की कम्पनी मैसूर राज्य द्वारा अधिकार में ली गई थी तब भी क्षति पूर्ति का प्रश्न उठा था । मेरा सुझाव है कि क्षति पूर्ति नए बैंकों द्वारा की जाये ।

श्री गोविन्द मेनन : स्मरण रहे कि यदि कर्मचारी सेवा निवृति ले लेते हैं तो उन की चरीयता समाप्त हो जाती है ।

सभापति महोदय : मै सभी गैर सरकारी संशोधनों को सदन के मत के लिए रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा सरकारी संशोधनों को छोड़ कर अन्य संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।
The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ट 8, पंक्ति 8 से 14 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

Removal from office of Directors etc:

15. (1) Every person holding office as Chairman, managing or whole-time director of an existing bank shall, on the commencement of this Act, be deemed to have vacated office and every other director of such bank (hereinafter referred to as the 'continuing directors') shall, until directors are duly elected by such existing bank be deemed to continue to hold such office.

(1A) Until the Board of Directors of an existing bank is duly constituted by it, the continuing directors shall be deemed to constitute its Board of Directors (hereinafter referred to as the 'continuing Board') and the Board of Directors or the continuing Board, as the case may be, may transact all or any of the following business, namely;

"निदेशक आदि के पद से हटाया जाना"

15 (1) किसी विद्यमान बैंक के अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक या पूर्णकालिक निदेशक के रूप में पद धारण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जायेगा कि उसने इस अध्यादेश के प्रारम्भ में पद रिक्त कर दिया है और ऐसे बैंक के प्रत्येक अन्य निदेशक के बारे में (जिन्हें एत्तपश्चात 'सतत निदेशक' कहा जायेगा) यह समझा जायेगा कि वे ऐसे विद्यमान बैंक द्वारा यथोचित रूप में निदेशकों को चुन लिये जाने तक ऐसे पद पर कार्य करते रहेंगे।

(1क) जब तक वर्तमान बैंक यथोचित रूप से अपने निदेशक मण्डल को गठित न कर लें, तब तक पद पर कार्य कर रहे निदेशक अपने निदेशक मंडल को गठित कर सकेंगे (जिसे एत्तपश्चात 'सतत बोर्ड कहा जायेगा)। और निदेशक मण्डल अथवा "अविच्छिन्न मंडल' यथास्थिति सब अथवा निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य करे" यथा (436)

पृष्ठ 8, पंक्तियां 27 से 33 निकाल दी जायें। - (437)

पृष्ठ 8, पंक्तियां 34 से 41 के स्थान पर निम्नलिखित रखिये:—

"(3) The Board of Directors of existing Bank, on its contining Board, as the case may be, may authorise all such expenditure as it may think fit for discharging any of the functions referred to in sub-section (1a) and the Central Government may authorise tne corresponding new bank to make an advance of the amount required by the existing bank in connection therewith and any amount so advanced shall be recouped from out of the compensation payble to the existing bank under this Act.

[(3) एक विद्यमान बैंक का निदेशक मंडल, यथास्थिति, ऐसे व्यय करने का अधिकार दे सकता है जो वह उप–धारा (1क) में दिये गये कार्यों में से कोई कार्य करने के लिए आवश्यक समझता हो और केन्द्रीय सरकार तत्स्थानी नए बैंकों को यह अधिकार दे कि

वे वर्तमान बैंक को उसके कार्य के सम्बन्ध में अपेक्षित उधार दे और इस प्रकार जो धन दिया जायेगा उसको इस अधिनियम के अन्तर्गत विद्यमान बैंक को दिये जाने वाले क्षतिपूर्ति से पुनः प्राप्त किया जाये।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

खण्ड 15, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 15 को, संशोधित रूप में विधेयक में जोड दिया गया।

clause 15, as amended, was added to the Bill

खण्ड 16

श्री नारायण दांडेकर : मै अपना संशोधन संख्या 262 प्रस्तुत करता हूँ।

इस खण्ड द्वारा नए बैंकों के परिरक्षकों अथवा अन्य अधिकारियों को कोई की सूचना, किसी भी व्यक्ति को देने से वंजित किया गया है। जब तक वर्तमान बैंकों को आवश्यक जानकारी नहीं दी जाती तो वे अपने दावे तैयार नहीं कर पायेंगे।

श्री गोविन्द मेनन : उसके लिए हमने वर्तमान बैंक और नए बैंक के मध्य क्षतिपूर्ति करार की व्यवस्था की है। करार केवल विचार-विमर्ष के आधार पर किए जायेंगे और यदि समझौता नहीं हो पाता तो मामला न्यायाधिकरण को सौंपा जायेगा।

श्री नारायण दांडेकर : मेरी समझ में नहीं आता कि जानकारी के तथा कागज-पत्रों के अभाव में क्षतिपूर्ति के दावे कैसे प्रस्तुत किये जा सकेंगे और न्यायाधिकरणों के समक्ष क्या रखा जायेगा ?

श्री गोविन्द मेनन : करार विचार विमर्ष द्वारा होंगे।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : हम 19 जुलाई से पहले की जानकारी चाहते हैं इसके बाद की नहीं।

श्री गोविन्द मेनन : विचार विमर्ष से जानकारी उपलब्ध हो जायेगी।

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 262 सदन में मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन सख्या 262 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 262 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि:

"खण्ड 16 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 16 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 16 was added to the Bill

खण्ड 17 तथा 18 विधेयक में जोड दिये गये।

clauses 17 and 18 were added to the Bill.

खण्ड 19

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 19 लेते हैं।

संशोधन किया गया

Amendment made

पृष्ठ 10, पंक्ति 6

"Reserve Bank" [रिजर्व बैंक] के पश्चात "[और तत्सम्बन्धी नए बैंक के हरेक अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी]" "and every officer or other employee of a corresponding new Bank" शब्द रखे जायें (133). (श्री प्र० चं० सेठी)।

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 267 प्रस्तुत करता हूं :

इसका उद्देश्य अविच्छिन्न निदेशक मंडल के अविच्छिन्न बोर्ड के नाम से जाना जाये। यदि वर्तमान बैंकों के निदेशक हिस्सेदारों के हितों का संरक्षण नहीं करते तो वे लोग अयोग्य कहेंगे ;

श्री गोविन्द मेनन : सरकार इस तर्क को स्वीकार नहीं करती।

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 267 को मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 267 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No 267 was put and negatived

सभापति महोदय:—प्रश्न यह है कि :

खंड 19, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

खण्ड 19 को, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड दिया गया ।
Clause 19, as amended was added to the Bill

खन्ड 20

सभापति महोदय : हम खण्ड 20 लेते हैं । इस पर संशोधन संख्या 420 रखा गया है ।
[संशोधन किया गया]

पृष्ठ 10, पंक्ति 21 के बाद निम्नलिखित रखिये:—

"Provided that nothing in this section shall apply to an existing bank in relation to any business which it may notwithstanding the provisions of section 4, carry on."

"[परन्तु इस धारा की कोई बात किसी भी वर्तमान बैंक पर उसके व्यापार कार्यों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी, जो कि वह बैंक धारा 4 के अधीन जारी रखे ।]" (420)
(श्री गोविन्द मेनन)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 20, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 20, को संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 20, as amended, was added to the Bill.

खंड 21

श्री गोविन्द मेनन : मैं प्रस्ताव करता हूँ—

पृष्ट 10, पंक्तियां 22 से 25 हटा दी जाये । (358)

इस संशोधन का उद्देश्य उप खण्ड (1) को हटाना है ।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I have proposed an amendment to clause (i) and therefore I suggest that it may not be omitted. I want to request through you that we should not proceed in the matter too fast.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ 10 पंक्तियां 22 से 25 हटा दी जाये ।" (358)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय:—प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 21, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 21 को संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 21 as amended, was added to the Bill

खंड 22

श्री प्र० च० सेठी : संशोधन संख्या 135 का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार की नियम निर्माण शक्ति से है तथा संशोधन संख्या 136 परिणामी है ।

सन्शोधन किये गये

Amendments made

पृष्ठ 10, पंक्ति 44 के बाद जोडिए:—

"(d) the terms and conditions of service of the Chairman, members and staff of the Tribunal,

(e) the procedure for payment of compensation, including the rsquirements subject to which the payment shall be made.

(f) the determination of the persons to whom compensation shall be payable in all case including cases where shares have been held by more than one person, or where they have been transferred before the commencement of this Act but the transfer has not been registered, or where the shareholder is dead,

(g) the circumstances under which claims for payment of compensation from persons claiming through or under a shareholder may be entertained ;

(h) the requirements to be complied with before receipt of compensation by a shareholder whose share certificate has been lost, destroyed, mutilated or stolen,

(i) the requirements subject to which information regarding payment of compensation may be granted or refused and conditions subject to which such information may be given.

"(घ) अधिकरण के सभापति तथा कर्मचारी वर्ग की सेवा की शर्तें ;

(ङ) क्षतिपूर्ति के भुगतान की विधि तथा वे अपेक्षताएं जिनके होने पर भुगतान किया जा सकेगा ।

(च) किन व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा सकेगा यह सभी मामलों में निर्धारित किया जायेगा, जिनमें ऐसे मामले भी सम्मिलित होंगे जहां हिस्से एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा धारित है, अथवा हिस्से अधिनियम के लागू होने से पहले हस्तांतरित कर दिये गये परन्तु जो हस्तांतरण पंजीकृत नहीं हुए अथवा हिस्सेदार की मृत्यु हो गई हो ;

(छ) वह परिस्थितियां जिनमें हिस्सेदारों अथवा उनकी ओर से किए जाने वाले क्षति पूर्ति के दावों को स्वीकार किया जा सके ;

(ज) उन हिस्सेदारों द्वारा, क्षतिपूर्ति का भुगतान लेने से पहले पूरी की जाने वाली अपेक्षताएं, जिनके शेयर प्रमाण-पत्र खो गये हैं, नष्ट हो गये हैं, विकृत हो गये है अथवा चोरी हो गये हैं ;

(झ) वे अपेक्षताएं तथा शर्तें जिनके अनुसार क्षतिपूर्ति के भुगतान के स्वीकार किए जाने तथा अस्वीकार किये जाने के बारे में जानकारी दी जा सके ।"]

(135)

पृष्ठ 10, पंक्ति 45,

"(d) ["(घ)"] के स्थान पर (J)" "[(ञ)]" रखे । (136)

(श्री प्र० चं० सेठी)

सभापति महोदय :—प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 22, संशोधित रूप में, इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 22 को संशोधित रूप में जोड़ दिया गया ।

Clause 22 as amended was added to the Bill.

खंड 23

श्री नारायण दांडेकर : मैं खण्ड 23 के बारे में अपना संशोधन संख्या 270 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री मधुलिमये : मैं अपना संशोधन संख्या 418 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपना संशोधन सख्या 269 प्रस्तुत करता हूं ।

खण्ड 23 में उपबन्धित व्यवस्था, कि कुछ समय के लिए इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम तथा योजनाएं संसद में प्रस्तुत किए जायें। मेरा सुझाव है कि इस विधेयक पर सरकार के खड 26 के बारे में दिये गय आदेश भी लागू हों।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Clause 23 (1) provides that the schedule and rules formulated for the purpose would be placed before the House for its approval, although power has been given to the House to modify the scheme. According to Parliamentary Practice, it is a negative procedure. We should adopt a positive procedure, that is it should require the positive approval of Parliament.

Parliament has power in regard to delegated legislation also. But in that case regulation or orders made by a Minister become operative only after a resolution has been passed by both Houses approving them in draft.

Here, in this case, I urge upon the hon. Minister to accept my amendment which shall mean every rule and every scheme made by the Central Government under this act shall be laid on a draft from, as soon as may be, after it is made before each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two successive sessions and shall come into force after it has been agreed to by both Houses before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following and if it has not been so agreed to, it shall lapse."

What we emphasise is every rule and every scheme made by the Government should be placed before Parliament for seeking its approval thereon aud it should be put into force only when it is agreed to by Parliament. The amendment, if accepted, would provide opportunities to Parliament to offer its valuable suggestions.

श्री नारायण दाण्डेकर : चूंकि यह मामला केवल नियम से ही सम्बन्धित नहीं है अपितु सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जा रहे बड़े बड़े उपक्रमों से सम्बन्धित सभी बातों के बारे में लागू होने वाली योजनाओं से भी सम्बन्धित है, अतः मैं श्री मधुलिमये के संशोधन का पूरा समर्थन करता हूं कि इसके लिये संसद की नकारात्मक स्वीकृति की नहीं बल्कि संसद की सरकारात्मक स्वीकृति की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री नम्बियार : इस योजना के अभाव में सम्पूर्ण विधान दोषपूर्ण है और उसमें कमी रह गयी है। इस संशोधन के स्वीकार किये जाने पर यह खतरा अदालत में चुनौती दी जाने की स्थिति में आंशिक रूप से दूर हो जाता है। इसलिये इसमें ऐसी व्यवस्था जरुर होनी चाहिए जिससे कि इस कानून को किसी भी अदालत में चुनौती दी जाने पर कोई आंच न आये।

Shri Abdul Gani Dar (Gurgaon) : For the successful completion and operation of this law, it is necessary to place every rule and every scheme prepared by the Government in draft from before the Parliament for its approval. I, therefore, strongly support the amendment moved by Shri Madhu Limaye.

Secondly, my amendment is very simple. It seeks to provide that these rules and schemes will be placed before parliament during the Budget session so that we have an ample time to dispose them of.

श्री गोविन्द मेनन : मेरी कठिनाई यह है कि श्री मधुलिमये का संशोधन योजना पर भी लागू होता है, वह चाहते हैं ऐसी व्यवस्था की जाये कि योजना सभा द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद लागू हो। इस प्रकार की व्यवस्था से बैंकिंग कारोबार में कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। हमने सभा को योजना में फेर बदल करने और उसे रद्द करने की शक्ति दी है लेकिन जो कुछ किया गया है, उसे यथावत् रहना चाहिए और उसी दृष्टि से इस खंड का प्रारुप तैयार किया गया है। अतः मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

सभापति महोदय : अब मैं इन संशोधनों को मदतान के लिये रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 23 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 23 को विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 23 was added to the Bill.

खंड 24—विनिमय बनाने की शक्ति।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 11,

(एक) पंक्ति 17, "for giving effect" (क्रियान्वित करने के लिए) **के स्थान पर**— "for which provision is expedient for the purpose of giving effect." ("जिसके लिये क्रियान्वित करने के लिये उपबन्ध उपयुक्त है") **पढ़िये।**

(दो) पंक्ति 47, " of effect " ("ऑफ इफैक्ट") **के स्थान पर** and effect (एन्ड इफैक्ट) **पढ़िये।** [137]

पृष्ठ 12—

पंक्ति 19, **के बाद निम्नलिखित पढ़िये:**—

"(n) "The establishment of joint Consultative Councils at all levels consisting of representatives of management and recognised Trade Unions of employees including supervisory staff."

[(ढ) और जब तक इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई ऐसा प्राधिकरण गठित न किया जाये, अभिरक्षक को भेजने के लिये समझा जायेगा।"] [143]

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : मैं अपना संशोधन संख्या 172 प्रस्तुत करता हूं।

खण्ड 24, विधेयक के खण्ड 23 से भी अधिक महत्वपूर्ण है और जिसके अन्तर्गत निदेशक मंडल केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से कई नियम बना सकता है। इसमें मैं चाहता हूँ कि केवल एक बात और जुड़ जाये यथा—नियमों में सभी स्तरों पर संयुक्त सलाहकार परिषदों की भी व्यवस्था की जाये जिसमें प्रबन्धकों तथा मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों के प्रतिनिधि हों। जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है उनके मामले में यह आवश्यक है कि इस उद्देश्य के लिये एक सांविधिक उपबन्ध की व्यवस्था की जाये ताकि वे इस सिद्धान्त अर्थात् संयुक्त सलाहकार परिषदों की स्थापना की क्रियान्विति के लिये अपने नियम स्वयं बना सकें।

श्री गोविन्द मेनन : यह संशोधन श्रमिकों तथा नियोजकों के प्रबन्ध मंडल से सम्बन्धित है वास्तव में इस मामले में ऐसी व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं हैं।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 172 सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन संख्या 172 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No 172 was put and negatived.

सभापति महोदय : अब मैं सरकारी संशोधन संख्या 137 तथा 143 सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह हैं ;

पृष्ठ 11,-

[(एक) पंक्ति 17, "for giving effect" [क्रियान्वित करने के लिये"] के स्थान पर—

"for which provision is expedient for the purpose of giving effect"

["जिसके लिये क्रियान्वित करने के लिये उपबन्ध उपयुक्त हैं") पढ़िये] [137]

(दो) पंक्ति 47, "of effect"(आफ इफेक्ट) के स्थान पर "and effect" "(एन्ड इफैक्ट)" पढ़िये।

पृष्ठ 12,--

पंक्ति 19, के बाद निम्नलिखित पढ़िये—

"and until any such corresponding authority is constituted under this Act, shall be deemed to refer to refer to the Custodian." [143]

["और जब तक इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई ऐसा प्राधिकरण गठित न किया जाये, अभिरक्षक को भेजने के लिये समझा जायेगा।"] [143]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 24 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 24 को संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause No. 24 as amended was added to the Bill.

खंड 25--कुछ अधिनियमों का संशोधन

Clause 25--Amendment of certain enactments.

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 12—पंक्ति 46 के पश्चात निम्नलिखित शब्द रख दिये जाये:--

(4) "In the Deposit Insurance Corporation Act, 1961.

47 of 1961 (a) in section 2,-

(i) after cluse (e), the following cluse shall be inserted, namely :-

"(ee) "corresponding new bank" means a corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1969 ;"

(ii) in clause (i), after the words "banking company", the words" "or a corresponding new bank" shall be inserted ;

(b) section 13 shall be renumbered as sub-section (1) thereof and after sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be inserted, namely :-

"(2) The provisions of clause (a), (b), (c), (d), and (h) of sub section (1) shall apply to a corresponding new bank as they apply to a banking company."

(5) In the State Agricultural Credit Corporations Act, 1968-

60 of 1968 (a) in section 2, after clause (i), the following clause shall be inserted, namely ;-

"(ii) "corresponding new bank" means a corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1969 ;"

(b) after the words "subsidiary banks" or "subsidiary bank", as the case may be, occurring in clause (d) of sub-section (3) of section 5, in clause (b) of section 9 and in the proviso to section 18, the words "corresponding new banks" or "corresponding new bank" as the case may be shall be inserted. [138]

1961 का 47 [(4) "जमा बीमा निगम अधिनियम 1961 में,—

(क) धारा 2 में:—

(एक) खण्ड (ङ) के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जायेगा अर्थात्:—

[(ङङ) "तदनुरूप नया बैंक" का अर्थ बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तान्तरण) अधिनियम, 1969 की धारा 3 के अन्तर्गत गठित "तदनुरुप नया बैंक" है।"]

(दो) खण्ड (एक) में, "बैंकिंग कम्पनी" शब्दों के बाद "अथवा तदनुरुप नया बैंक शब्द जोड़े जायेंगे।

(ख) धारा 13 को उसकी उप-धारा (1) की संख्या दी जायेगी और इस प्रकार फिर से संख्या दी गई उपधारा (1) के बाद निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जायेगी, अर्थात:—

"(2) उप धारा (1) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) तथा (च) के उपबन्ध तदनुरूप नये बैंक पर उसी तरह लागू होंगे जैसे कि बैंकिंग कम्पनी पर लागू होती हैं।

(5) राज्य कृषि ऋण निगम अधिनियम, 1968 में:—

1968 का 60 (क) धारा 2, खन्ड (झ) के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:—

"(दो) "तदनुरूप नया बैंक" का अर्थ बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तान्तरण) अधिनियम, 1969 की धारा 3 के अन्तर्गत गठित तदनुरूप नया बैंक हैं।"

(ख) "धारा 5 के उपधारा (3) के खण्ड (घ), धारा 9 के खंड (ख) तथा धारा 18 के परन्तुक में यथा स्थिति "सहायक बैंकों" अथवा सहायक बैंक' शब्दों के बाद 'यथा स्थिति' "तदनु

रूप नये बैंक" अथवा 'तदनुरूप नया बैंक" शब्द जोड़े जायेंगे']

[138]

जमा बीमा निगम अधिनियम तथा राज्य कृषि ऋण निगम अधिनियम में संशोधन करने का उद्देश्य उन्हें नये बैंकों पर लागू करना है।

श्री गोविन्द मेनन : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पृष्ठ 12, पंक्ति 36 के पश्चात् निम्नलिखित शब्द रख दिये जाये :

Page 12, after line 36, insert

'(d) in the Fifth Schedule, in Part I of paragraph 1, after clause (s), the following Explanations shall be inserted, namely :—

'Explanation 1 :-- For the purposes of this clause, "value" shall be deemed to be the market value of the land or buildings, but where such market value axceeds the ascertained value, determined in the manner specified in Explanation 2, shall be deemed to mean such ascertained value.

Explanation 2.---Ascertained value shall be equal to,--

(1) in the case of any building (including the land on which it is erected or which is appurtenant thereto) which is wholly occupied on the appointed day, twelve times the amount of the annual rent or the rent for which the building may reasonably be expected to be let out from year, to year, after deducting from such rent,---

(i) one-sixth of the amount thereof on account of maintenance and repairs,

(ii) the amount of any annual premium paid to insure the building against any risk of damage or destruction,

(iii) where the building is subject to any annual charge, not being a capital charge, the amount of such charge,

(iv) where the building is subject to a ground rent, the amount of such ground rent,

(v) where the building is subject to a mortgage or other capital charge, the amount of interest on such mortgage or charge,

(vi) where the building has been acquired, constructed, repaired, renewed or re-constructed with borrowed capital, the amount of any interest payable on such capital, and

(vii) any sums paid on account of land revenue or other taxes in respect of such building;

(2) in the case of any building (including the land on which it is erected or which is appurtenant thereto) which is partially occupied on the appointed day, the value of the pertion which is occupied, ascertained in accordance with the provisions of sub-clause (1) (the deductions under sub-clauses (ii) to (vii) being made on a proportionate basis) and multiplied thereafter by the ratio which the entire plinth area of the building bears to the plinth area of the building which has been occupied or let out;

(3) in the case of any land which has no building erected thereon or which is not appurtenant to any building, the value, determined with reference to the prices at which sales or purchases of similar or comparable properties have been made during the period of three years immediately preceding the appointed day, by instruments registered under the Inian Registration Act, 1908, in the city, town or village where such land is situated."

16 of 1908

[(घ) पांचवीं अनुसूची में काण्डिका 1 के भाग 1 में खण्ड (ध) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़े जायेंगे, अर्थात :—

स्पष्टीकरण 1:–इस खण्ड के प्रयोजन के लिये "मूल्य" जमीन अथवा इमारतों का बाजार मूल्य समझा जावेगा लेकिन जहां ऐसा बाजार मूल्य स्पष्टीकरण 2 में उल्लिखित ढग से निर्धारित अभिनिश्चित मूल्य से अधिक हो, उसे ऐसा अभिनिश्चित मूल्य समझा जायेगा ।

स्पष्टीकरण 2—अभिनिश्चित मूल्य उस राशि के बराबर होगा जो,--

(1) किसी इमारत (जिसमें वह भूमि जिस पर वह बनी है अथवा जो उसकी उपांग है शामिल है) के मामले में जिस पर निश्चित दिन को पूरी तरह कब्जा हो, वार्षिक किराये की बारह गुनी राशि अथवा वह किराया जिसकी उस इमारत से वर्ष-वार समुचित रूप से किराये की आशा की जा सकती है, ऐसे किराये में से इस प्राकार राशि घटाने के बाद--

(एक) रख-रखाव तथा मरम्मत के कारण उस किराये की $\frac{1}{6}$ राशि,

(दो) नुकसान व विनाश के किसी जोखिम के लिये इमारत का बीमा कराने के लिये किसी वार्षिक प्रीमियम की राशि,

(तीन) जहां इमारत के लिये कोई वार्षिक शुल्क (चार्ज) लिया जाता है जो पूंजी शुल्क न हो, ऐसी शुल्क की राशि,

(चार) जहां इमारत पर किराय लिया जाता है, भू किराये की ऐसी राशि,

(पांच) जहां इमारत भू-बन्धक रखी गयी हो अथवा अन्य पूंजी शुल्क के अन्तर्गत हो, ऐसे भू-बन्धक अथवा शुल्क पर ब्याज की राशि,

(छः) जहां कर्ज की पूंजी से इमारत अर्जित की गई है, निर्मित की गई है, मरम्मत की गई हैं, फिर से नई बनायी गई हो अथवा पुनः निर्मित की गई है, ऐसी पूंजी पर देय किसी ब्याज की राशि, और

(सात) ऐसी इमारत के सम्बन्ध में भू-राजस्व अथवा अन्य करों के कारण दी गई कोई राशि,

(2) किसी इमारत (जिसमें वह जमीन जिस पर वह बनी है अथवा जो उसकी उपांग हो शामिल है) के मामले में जिस पर निश्चित दिन को आंशिक रूप मे कब्जा हो उस भाग का मूल्य जिस पर कब्जा है, उप खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार (उप खण्ड (दो) से (सात) के अन्तर्गत अनुपातिक आधार पर राशियां

घटा कर) और उसके बाद उसे उस अनुपात से जो उस इमारत के समूचे कुर्सी क्षेत्रफल के साथ इमारत के उस भाग के कुर्सी-क्षेत्रफल का है जो कब्जे में है अथवा जिसे किराये पर दिया गया है, गुणा करके अभिनिश्चित किया जाता है ।

(3) किसी भूमि जिस पर कोई इमारत बनी न हो अथवा जो किसी इमारत की उपांग नहीं है, के मामले में मूल्य उन मूल्यों के संदर्भ में निर्धारित किया जायेगा जिन पर ऐसी ही अथवा तुलनात्मक सम्पत्ति का निश्चित दिन के ठीक तीन वर्ष पहले की अवधि में भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत पंजीकृत विलेखों द्वारा शहर, नगर अथवा गांव में जहां ऐसी भूमि है, क्रय-विक्रय हुआ है ।] [421]

1908 का 16

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) मैं अपना संशोधन संख्या 327 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मैं अपना संशोधन संख्या 173 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कंवरलाल गुप्त : मैं अपना संशोधन संख्या 153 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 160 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : My amendment seeks to omit lines 26 to 30 which in it has been provided that Section 36AD shall be applicable to this also. A propaganda is being carried on through radio, newspapers and other Government machinery that nationalisation of banks which was means of achieving socialism was effected for the economic uplift of the toiling millions in the country. But we know that this slogan is nothing else but a political stunt and pseudo socialism. We are opposed to the nationalisation of banks for the reasons that it would not be in the interests of the peple at large. The Government, on the one hand, raises slogans for the betterment of the farmers, workers and low paid employee, etc. and claim that they are doing every thing possible for the redressal of their grievances and, on the other hand, they are encroaching on the fundamental right of the employees by bringing and enacting price of legislation like section 36 AD. I therefore, appeal to the Government to accept my amendment and come forward as a model employer.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I demand that in place of lines 26 to 30 it may be written that sction 36 (a) (d) is abolished. Some person conveyed a meeting after the nationalization of the banks in which they threatened the people and said that there deposits are in danger. I have a poster with me in which it is said that "Save your Bank accounts, Bank Account in Danger" etc. It was a public meeting. Had we been conveyed such a meeting and accured such words we would have been put behind the jail for atleast one year. If there will be any difficulty to the employees consequent on the bank nationalization we will fight for the removal of those difficulties. I once again request that section 36 (a) (d) may kindly be scrapped.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मेरा संशोधन 26 से 30 तक की लाइनों को हटाने के बारे में है । बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन कर इसमें धारा 36 ए० डी० को अप्रत्यक्ष रूप से लाया जा रहा है ।

धारा 36 ए० डी० के अन्तर्गत कर्मचारियों को अपनी कठिनाइयों के बारे में विरोध करने का बैंक की सीमा के अन्तर्गत अधिकार नहीं है । हमने श्री मोरारजी भाई को भी

इस धारा को शामिल न करने के लिए कहा था परन्तु वह इस बात पर सहमत नहीं हुए थे। इसको इस विधेयक में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीयकरण लोगों के हित में है। अतः कर्मचारियों द्वारा इसका विरोध किये जाने का कोई कारण नहीं है। इस लिए इस उपबन्ध को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

शायद नौकरशाही ने शरारत की है। उन्होंने राष्ट्रीकृत तथा गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों में मतभेद नहीं किया है। राष्ट्रीयकरण से बैंक कर्मचारियों में बहुत उत्साह उत्पन्न हो गया है। यह दिखाने के लिए कि सरकार कर्मचारियों के साथ हैं सरकार को इन लाइनों को हटा देना चाहिए।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापटनम्) : मैंने अपने सशोधन द्वारा स्टेट बैंक आफ इण्डिया अधिनियम में संशोधन करना चाहा है। जो कुछ हुआ है उसको देखते हुए ऐसा करना आवश्यक हो गया है। निदेशक बोर्डों और सलाहकार बोर्डों में कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व देने के बारे में सरकार उनको अधिकार देने के लिए कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रही है। मेरा प्रथम सशोधन स्टेट बैंक आफ इण्डिया की धारा 19 (1) के बारे में है। यह केन्द्रीय बोर्ड के गठन के बारे में है। जो चीज राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू होती है वही चीज स्टेट बैंकों पर भी लागू होनी चाहिए।

मेरा दूसरा संशोधन स्टेट बैंक आफ इण्डिया अधिनियम की धारा 21 के बारे में है। यह स्थानीय बोर्डों के बारे में है। इस सम्बन्ध में भी मैं यही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू होने वाली चीज स्टेट बैंक पर भी लागू होनी चाहिए।

मेरा तीसरा संशोधन अनहर्ता को दूर करने के बारे में है, यह कहा गया है कि निदेशक लाभ का पद नहीं रख सकते, मेरा अन्तिम संशोधन अधिनियम की धारा 52 के बारे में है। उनके पास विनियम बानाने की शक्ति है, पर्यावेक्षी कर्मचारियों की हड़ताल से एक बात यह सामने आई है कि उनकी सेवा की शर्तों के बारे में कोई संविधिक विनियम नहीं है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 50 के उप-खन्ड (2) के अन्तर्गत विनियम बनाने की शक्ति बोर्डों की दी जानी चाहिए। श्री मेनन द्वारा दिये गये संशोधन को देखते हुए ये चार संशोधन बहुत आवश्यक हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : मैं संशोधन संख्या 421 का संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन संख्या 421 व्याख्या (2) में खण्ड (1), (2) और (3) के स्थान पर (A). (B) and (C) (ए) (बी) (सी) रख दिये जायें।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री विश्वनाथम् के संशोधन बिल्कुल भी ठीक नहीं है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मेरे संशोधन आर्डर में है। इन बैंकों पर लागू होने वाली प्रत्येक चीज स्टेट बैंक पर भी लागू होनी चाहिए।

श्री गोविन्द मेनन : ये आर्डर में नहीं है। यदि इन संशोधनों को स्वीकार भी कर लिया जाये तो भी धारा 36 (ए डी) स्टेट बैंक पर लागू रहेगी। और यदि यह मान लिया जाये कि यह धारा बुरी है तो फिर केवल इसमें ही क्यों परिवर्तन किया जाये ? तब इसको किसी भी बैंक पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। बैंकिंग विनियमन अधिनियम में यहां कहीं भी बैंकों का उल्लेख किया गया है वहां इन नए गठित बैंकों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अतः यदि इन संशोधनों द्वारा धारा 36 (ए डी) को हटाया जाता है तो वह केवल इन बैंकों पर ही लागू नहीं होगी।

श्री कवर लाल गुप्ता : मेरा संशोधन संख्या 153 पृथक से रखा जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

पृष्ठ 12—पंक्तियां 26 से 30 हटाई जाये,

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 20	विपक्ष में 153
Ayes 20	Noes 153

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 160 और 327 अलग अलग मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments No. 160 and 327 were put separately and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 12,—पंक्ति 46 के पश्चात् निम्नलिखित शब्द रखे जाये,—

47 of 1961. (4) "In the Deposit Insurance Corporation Act. 1961–

(a) In Section 2.–

(I) after clause (e), the following clause shall be inserted, nemely--

"(ee) "corresponding new bank" means a corresponding new bank constituted under Section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1969; "

(II) in clause (I) after the words "banking company" the words "or a corresponding new bank" shall be inserted.

(b) Section 13 seal be renumbered as sub-section (1) thereof and after sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be inserted, namely :

"(2) The provisions of clause (a), (b), (c), (d) and (h) of sub-section (I) shall apply to a corresponding new bank as they apply to a banking company. "

60 of 1968 (5) In the State Agricultural Credit Corporation Act, 1968,--

(a) in section 2, after clause (i), the following clause shall be inserted, namely :--

"(II) "corresponding new bank" means a corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfar of Undertakings) Act, 1969."

(b) after the words "subsidiary banks" or "subsidiary bank", as the case may be occurring in clause (d) of sub-section (3) of section 5, in clause (b) of section 9 and in the proviso to section 18, word "corresponding new banks," or "corresponding new bank as the case may be, shall be inserted.

1961 का 47 (4) जमा बीमा अधिनियम 1961 में,–

(क) धारा 2 में–

(एक) खण्ड (ङ) के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :

(ङङ) "तदनुरूप नया बैंक" का अर्थ बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तान्तरण) अधिनियम, 1969 की धारा 3 के अन्तर्गत गठित तदनुरूप नया बैंक है । "

(दो) खण्ड (एक) में, "बैंकिंग कम्पनी" शब्दों के बाद "अथवा तदनुरूप नया बैंक" शब्द जोड़े जायेंगे ।

(ख) धारा 13 को उसकी उपधारा (1) की संख्या दी जायेगी और इस प्रकार फिर से संख्या दी गई उप-धारा (1) के बाद निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात :—

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (क) (ख) (ग) (घ) तथा (च) के उपबन्ध तदनुरूप नये बैंक पर उसी तरह लागू होंगे जैसे कि वे बैंकिंग कम्पनी पर लागू होते हैं ।

(5) राज्य कृषि ऋण निगम अधिनियम, 1968 में,

1968 का 60 :—

(क) धारा 2 में खण्ड (झ) के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात :—

"(दो)" तदनुरूप नया बैंक का अर्थ बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तान्तरण) अधिनियम, 1969 की धारा 3 के अन्तर्गत गठित तदनुरूप नया बैंक है।"

(ख) धारा 5 की उप धारा (3) के खण्ड (घ), धारा 9 के खण्ड (ख) तथा धारा 18 के परन्तुक में 'यथा स्थिति' "सहायक बैंकों" का अथवा "सहायक बैंक" शब्दों के बाद "यथा स्थिति" "तदनुरूप नये बैंकों" अथवा तदनुरूप नया बैंक शब्द जोड़े जायेंगे] [138]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 421 का संशोधन सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :—

संशोधन 421 में, स्पष्टीकरण (2) में खण्ड (1), (2) और (3) के स्थान पर (A) (B) and (C) [(क), (ख) और (ग)] रखे जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 421 को संशोधित रूप में सभा में मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है .—

पृष्ठ 12—पंक्ति 36 के पश्चात् निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :—

Page 12, after line 36, iusert :

'(d) in the Fifth Schedule, in Part 1 of paragraph 1, after clause (c), the following Explanations shall be inserted, namely :--

Explanation 1. For the purpose of this clause, "value,' shall be deemed to be the market value of the land or building, but where such market value exceeds the ascertained value, determined in the manner specified in Explanation 2, shall be deemed to mean such ascertained value.

Explanation 2. Ascertained value shall be equal to,--

(I) in the ease of any building (including the land on which it is erected or which is appurtenant thereto) which is wholly occupied on the appointed day, twelve times the amount of the annual rent or the rent for which the building may reasonably be expected to be let out from year to year, after deducting from such rent,-

(I) one-sixth of the amount thereof on account of maintenance and repairs,

(II) the amount of any annual premium paid to insure the building against any risk of damage or destruction,

(III) where the building is subject to any annual charge, not being a capital charge, the amount of such charge,

(IV) where the building is subject to a ground rent, the amount of such ground rent,

(V) where the building is subject to a mortgage or other capital charge, the amount of interest on such mortgage or charge,

(VI) where the building has been acquired, constructed, repaired. renewed or re-constructed with borrowed capital, the amount of any interest payable on such capital, and

(VII) any sums paid on account of land revenue or other taxes in respect of such building;

(2) in the case of any building (including the land on which it is erected or which is appurtenant thereto) which is partially occupied on the appointed day, the value of the portion which is occupied, ascertained in accordance wlth the provisions of sub-clause (I) the deductions under sub-clauses (II) to (VII) being made on a proportionate basis) and multiplied thereafter by the ratio which the entire plinth area of the building bears to the plinth area of the protion of the building which has been occupied or let out;

(3) in the case of any land which has no building erected thereon or which is not appurenant to any building, the value, determined with reference to the prices at which sales or purchases of similar or comparable properties have been made during the period of three years immediately preceding the appointed day, by instruments registered under the Indian Registration Act, 1908, in the city, town or village where such land is situated. "

16 of 1908

(घ) पांचवी अनुसूचि में, कांण्डिका 1 के भाग 1, में खण्ड (घ) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़े जायेंगे, अर्थात :-

स्पष्टीकरण 1:-इस खण्ड के प्रयोजन के लिये "मूल्य" जमीन अथवा इमारतों का बाजार मूल्य समझा जायेगा लेकिन जहां ऐसा बाजार मूल्य स्पष्टीकरण 2 में उल्लिखित ढंग से निर्धारित अनिनिश्चित मूल्य से अधिक हो, उसे ऐसा अनिश्चित मूल्य समझा जायेगा ।

स्पष्टीकरण—2, अनिनिश्चित मूल्य उस राशि के बराबर होगा जो,-

(1) किसी इमारत (जिसमें वह भूमि जिस पर वह बनी है अथवा जो उसकी उपांग है शामिल है) के सामने में जिस पर निश्चित दिन को पूरी तरह कब्जा हो, वार्षिक किराये की बारह

गुनी राशि अथवा वह किराया जिसकी उस ईमारत से वर्ष-वार समुचित रूप से किराये की आशा की जा सकती है, ऐसे किराये में से इस प्रकार राशि घटाने के बाद,—

(एक) रख-रखाव तथा मरम्मत के कारण उस किराये की 6 राशि,

(दो) नुकसान व विनाश के किसी जोखिम के लिए इमारत का बीमा कराने के लिए किसी वार्षिक प्रीमियम की राशि ।

(तीन) जहां इमारत के लिए कोई वार्षिक शुल्क (चार्ज) लिया जाता है जो पूंजी शुल्क न हो, ऐसे शुल्क की राशि ।

(चार) जहां इमारत का भू- किराया लिया जाता है, भू-किराये की ऐसी राशि ।

(पांच) जहां इमारत भू–बन्धक रखी गई हो अथवा अन्य पूंजी शुल्क के अन्तर्गत हो, ऐसे भू-बन्धक अथवा शुल्क पर ब्याज की राशि ।

(छः) जहां कर्ज की पूंजी से इमारत अर्जित की गई हो, निर्मित की गई हो, मरम्मत की गई हो, फिर से नई बनाई गई हो, ऐसी पूंजी पर देय किसी ब्याज की राशि, और

(सात) ऐसी इमारत के सम्बन्ध में भू-राजस्व अथवा अन्य करों के कारण दी गई कोई राशि ।

(2) किसी इमारत (जिसमें वह जमीन जिस पर वह बनी है अथवा जो उसकी उपांग हो, शामिल हैं) के मामले में जिस पर निश्चित दिन को आंशिक रूप से कब्जा हो, उस भाग का मूल्य जिस पर कब्जा हो, उप-खण्ड (1) के उप बन्धों के अनुसार (उप खण्ड (दो) से (सात) के अन्तर्गत अनुपातिक आधार पर राशियां घटा कर) और उसके बाद उसे उस अनुपात से जो इमारत के समूचे कुर्सी क्षेत्रफल के साथ इमारत के उस भाग के कुर्सी-क्षेत्रफल का है जो कब्जे में है अथवा जिसे किराये पर दिया गया हैं, गुणा करके अभिनिश्चित किया जाता है ।

(3) किसी भूमि जिस पर कोई इमारत बनी न हो अथवा किसी इमारत का उपांग नहीं है, के मामले में मूल्य उन मूल्यों के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है जिस पर ऐसी ही अथवा

तुलनात्मक सम्पत्ति का निश्चित दिन के ठीक तीन वर्ष पहले की अवधि में भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के अन्तर्गत पंजीकृत विलेखों द्वारा शहर, नगर अथवा गांव में जहां ऐसी भूमि है, क्रय-विक्रय हुआ है।"] (421)

1908 का 16

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 25, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 25 को संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 25, as amended, was added to the Bill.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 173 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 173 was put and negatived.

खन्ड 26

श्री अब्दुल गनी वार (गुड़गांव) : मै संशोधन संख्या 83 प्रस्तुत करता हूँ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 83 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendments No. 83 was put and negatived.

श्री नारायण दान्डेकर (जामनगर)। बुरी ड्राफ्टिंग के कारण ही इस खण्ड की आवश्यकता पड़ी है। कानून की दृष्टि में भी यह एक बुरी बात है, अतः इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

श्री गोविन्द मेनन : यहां जो भी कानून अब पास हो रहे हैं उन सब में ऐसा खण्ड होता है। अतः इसमें कोई नई चीज नहीं है। इस शक्ति का केवल दो वर्षों के लिए ही प्रयोग किया जायेगा। अतः माननीय सदस्य के प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : माननीय मंत्री ने कोई पूर्वोदाहरण नहीं दिया है। कानून में इस प्रकार का कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। सरकार दो वर्ष के लिये ऐसी शक्ति को अपने पास रखना चाहती है जो कि उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई कठिनाई

उत्पन्न हो जाये तो उसको पुनः संसद में न आना पड़े। यह अध्यादेश से भी बुरा है। अतः मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गोविन्द मेनन : इस प्रकार का पूर्वोदाहरण स्वयं संविधान के अनुच्छेद 392 में मिल सकता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम में भी इस प्रकार के उपबन्ध हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 26 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खण्ड 26 को विधेयक में जोड दिया गया
Clause 26 was added to the Bill.

खण्ड 27

श्री गोविन्द मेनन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 13,-पंक्ति 13 के पश्चात निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :-

(3) No action taken or thing done under the said Ordinance shall, if it is inconsistent with the provisions of this Act, be of any force or effect.

[उक्त अध्यादेश के अन्तर्गत न की गयी कार्यवाही अथवा की गयी कार्यवाही यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत है तो वह लागू अथवा प्रभावी नहीं होगी।] [359]

पृष्ठ 13,-पंक्ति 13 के पश्चात् निम्नलिखित शब्द रख दिये जाये :-

"(4) Notwithstanding anything contained in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance, 1969, no right, privilege, obligation or liability shall be deemed to have been acquired, accrued or incurred thereunder."

["(4) बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तान्तरण) अध्यादेश, 1969 में निहित होते हुए भी इसके अन्तर्गत कोई भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व अथवा उत्तरदायित्व अर्जित किया गया, लिया गया अथवा दिया गया समझा जायेगा"।][422]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 13,-पंक्ति 13 के पश्चात निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :-

"(3) No action taken or thing done under the said Ordinance shall, if it is inconsistent with the privisions of this Act, be of any force or effect."

तृतीय अनुसूची को, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Third Schedule, as amended was added to the Bill.

खण्ड 1

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले कह चुका हूं कि मैं अन्तिम स्थिति में थोड़ा सा निरीक्षण करने की अनुमति दूंगा । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 1 को विधेयक मे जोड़ दिया गया ।

Clause 1 was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Enacting Formula was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से संशोधन हैं और जैसा कि मैंने कहा था अन्तिम स्थिति में भी कुछ समय दिया जायेगा ।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Title was added to the Bill.

श्री गोविन्द मेनन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

श्री देवकी नन्दन पटोदिया (जालोर) : नियम 93(2) के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि जिस विधेयक में संशोधन हुये हों यदि अध्यक्ष महोदय न चाहें तो उसे उसी दिन पारित करने

के लिये प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । अत: यह आपके स्वविवेक पर आधारित है । किन्तु मेरे विचार से कोई ऐसा स्पष्ट कारण नहीं है जिससे इस विधेयक को आज ही पारित करने को प्रस्तुत किया जाय । अत: मेरा सुझाव है कि अब सभा को स्थगित किया जाना चाहिए ।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : नियम के अन्तर्गत 'नहीं किया जायेगा' पर बल है । अत: सभा को ज्ञात होना चाहिए कि किस विवशता के कारण आप यह उचित समझते हैं कि विधेयक को आज ही पारित करने को प्रस्तुत किया जाय ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : It has been correctly observed by Shri Dandekar that the words used under the Rule 93 (2) on 'shall not' which apparently indicate that generally the hon. Speaker should not allow the Bill to be moved to pass in the same day. I would also like to say that you should exercise your discretion judiciously and you should agree to the proposal that it should be taken up to-morrow in order to enable us to understand the overall picture of this Bill after it has undergone several major amendments. I dare say that even the hon. Ministers may not be able to understand the true picture of the amended Bill. Sir, You are the custodian of the House. We seek your protection. Heavens will not fall, if it is taken up to-morrow. It would be very kind of you if you postpone this Bill till to-morrow.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाटोदिया ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया और मैंने उन्हें बोलने की अनुमति भी दी । नियय 93(2) का मैंने विधिवत अध्ययन किया है । श्री मसानी ने बड़े ध्यानपूर्वक विधान का अध्ययन करने के उपरांत 15 घन्टे का सुझाव दिया था । फिर भी हमने इस विधेयक पर विचार करने के लिये घन्टे ही नहीं दिन तक बढ़ाए हैं । हमने इस बारे में कोई जल्दीबाजी नहीं की है । मैं मानता हूं कि यदि इस विधेयक को कल तक स्थगित कर भी दिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं आयेगी । किन्तु मैं यह भी जानता हूं कि मैंने माननीय सदस्य को अपने अपने विचार प्रकट करने के लिये पर्याप्त समय दिया है तथा अनावश्यक भाषण तक सुने हैं । अब मैं श्री मसानी से तीसरी रीडिंग पर बोलने का निवेदन कर रहा हूं ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप अपने दिल पर हाथ रख कर कह सकते हैं कि मैंने न्याय किया है ? क्या आप कह सकते हैं कि यदि इस विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजा गया होता तो इस का स्वरूप वर्तमान स्वरूप से अच्छा न होता ? हमारे पक्ष में आपका विनिर्णय संतोषजनक नहीं है; अत: हम विरोध में सभा से उठ कर जा रहे हैं ।

श्री रंगा तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा के उठकर चले गये ।

Shri Ranga and some other hon. Members left the House.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, it is a Bill of great importance and I may say that even the hon. Minister would not be able to convey the exact meaning of the amended Bill. The third reading of the Bill is being moved but it is being done by killing the Parliamentary procedure and we cannot tolerate it.

I want to submit that the Ordinance was promulgated just 40 hours before the House was scheduled to meet and this Bill is being sought to be passed in a rushing-through manner to avoid any kind of deterioration which may likely be stemmed from

the decision of the Supreme Court, that is due on the 11th of this month. May I know whether the dignity of the Supreme Court may be protected in this manner ? We are not interested in allowing a few persons to concentrate the economic power of the country but our stand is that the economic power should not be concentrated in the hands of the persons who have already hold over the political power of the country. Its consequences would be unhealthy. To-day clamorous applaused are being made on the nationalisation of the Banking Companies by the members of the Congress Party. But may I know why this step was not taken during the last 20-22 years if the nationalisation was thought of so importance? What are those objectives which will be a chieved through the nationalisation ? Is it a mean or the end itself ?

Now it has become quite apparent that the nationalisation has been used to uphold the personel and political interest of a particular person. The Government nationalised the Life Insurance Corporation. The State Bank is being own by the Government. But the Government could not meet the requirement of the farmers and the small scale industries through these undertakings.

The hon. Prime Minister has herself confused that it cannot be said certainly by any country that socialism will be achieved there as soon as the nationalisation of Banks is done. I would like to add that the nationalisation is not apanacca which can care all the deseases prevailing in the society.

Deteriorations, in the economic sphere, may arise due to the taking over the banks in this hustling manner. Aims and objectives might be fair and healthy but these aims cannot be achieved and implemented with the corrupt machinery. The nationalisation will also earn a bad name as has been done by the Co-operatives.

Nationalisation will not be successful unless the spirit of nationalism is instilled among those who have been employed in the Public Sector Undertakings. There are so many Undertakings under the Public Sector but they are not being run properly. It would not be feasiable to assign the work of these banks in the hands of the un-experinced persons. We oppose this Bill on the practical grounds. Our approach to this matter is progmatic. The Government are also aware of this fact and only for this reason they have not taken over all the banks.

There is no doubt that this Bill will be passed but we want that the Government should ensure that their unlimited power which are being sought through this Bill are not misused and merely the interests of their party are not watched in the name of providing incentives progressive industrialists.

Several new hopes have been created in the minds of the public through this Bill but we are afraid of whether the Government would be able to implement their policies honestly and successfully. Any how we cannot cooperate with you in the way in which you are passing this Bill and seek your permission to leave the House as a protest.

इसके पश्चात श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा जनसंघ के कुछ अन्य सदस्य सदन से बाहर चले गये ।

And then Shri Atal Bihari Vajpayee and some other hon. Members of the Jan Sangh Party left the House.

Shri Ahmad Aga (Baramulla) : I rise to support this Bill. I feel that this bill is being delayed by the opposition parties unnecessarily. They have raised many vary arguments which are not at all cogent.

Actually, bank-nationalisation is a sequel to the policy of having a society based on the socialistic pattern. It has been observed by the Government through the various Committeess appointed by the Government that these credit institutions have facilitated only 75 business houses with the financial assistance. Therefore, it was felt that these banks should be nationalised in order to provide credit facilities to the farmers and the progressive industrialists and to curb the concentration of wealth from a few hands.

Shri Swami Brahmanandji (Hamirpur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I welcome the steps taken by Shrimati Indira Gandhi in connection with the nationalisation of banks. This is a step towards the goal of socialism. The hon. Prime Minister has given a new strength and spirit to the Congress Party by taking this step. Political parties are for the benefit of the countries and if certain political parties oppose this bill they should be considered worthless. I should say that intellect should only be used in seeking the betterment of the country with these words I support this Bill.

श्री एस० कन्डप्पन (मैंटूर) : केवल कुछ दलों को छोड़कर शेष सभी दलों के सदस्यों में इस विधेयक के सम्बन्ध में पर्याप्त उत्साह है। कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात का विरोध किया कि इस विधेयक को इस प्रकार से पारित नहीं होना चाहिए। यह विधेयक राजनीतिक कारणों से लाया गया है अथवा आर्थिक कारणों से, इस उलझन में भी मैं नहीं पड़ना चाहता। इसको प्रस्तुत करने का ध्येय कुछ भी रहा हो, किन्तु हम इस कोप्रगति के लिये किये जाने वाला उपाय मानकर इसका स्वागत करते हैं।

इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व सभी स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ने के दम में थे किन्तु अब हमें कई एक ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस राज्य से तो अंग्रेजों का राज्य ही अच्छा था।

यदि सरकार बैंक राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी लाभ उन लोगों को देने में सफल नहीं होती जिनके लाभ के लिये यह सब किया गया है तो सरकार का उपहास होगा। जीवन बीमा निगम और स्टेट बैंक आफ इण्डिया के मामले में सरकार असफल रही है।

सरकार को इस बारे में सभा के सब वर्गों से सलाह लेनी चाहिये ताकि राष्ट्रीयकरण के कार्यों को उचित तरीके से चलाया जा सके। इसको न केवल उचित तरीके से चलाया जाना चाहिये बल्कि इससे उन लोगों को अवश्य लाभ होना चाहिये जिनके लाभ के लिये राष्ट्रीयकरण किया गया है।

बैंक विधेयक पर पूरी तौर से चर्चा की जानी चाहिये। इसको जल्दबाजी में पास नहीं किया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं विधेयक के बारे में सरकार की चिन्ता को समझता हूं और सरकार और विपक्षी दलों को यह चेतावनी देता हूं कि यह प्रगतिशील उपाय है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इस देश में समाजवाद को बनाये रखे।

Shri Yogendra Jha (Begu Sarai) : To-day will remain as a memorable day in the history of the Parliament. Government has taken a very important step by passing the Bank Nationalization Bill. It is first step towards nationalization of foreign trade, oil industry etc.

It would have been better if our amendments regarding paying less compensation and nationalization of foreign and other banks have been accepted. The Government has taken an appropriate step, against a few monopolists by nationalizing banks. In the case of nationalization, danger is more serious from inside than from outside. It is very difficult to fight against those who oppose while remaining inside the cabinet. It is doubtful whether the aim of nationalization can be served, if the management of the nationalized banks will remain in the hands of the old bank officess.

If the Government wants that the object of the nationalization of banks may be achieved, it should relieve the old officers of the banks. Government should over-power the anti-nationalized elements.

श्री राम मूर्ति (मदुरै) : ऐसा कहा गया है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के परिणाम-स्वरूप लोगों में आशाएं आकांक्षाएं उत्पन्न होंगी। ऐसा होना स्वागत का विषय है, क्योंकि लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के पूरा न होने के परिणामस्वरूप नये आंदोलन आरम्भ होंगे और सरकार नहीं रहेगी।

इस प्रकार की कार्यवाही करना उचित है। मैं इस कार्यवाही का स्वागत करता हूं। हम यह नहीं चाहते कि देश में शीघ्र समाजवाद आये बल्कि हम यह चाहते हैं कि कुछ लोगों के एकाधिकार को समाप्त करना चाहिये। हमें विदेशों के हस्तक्षेप को समाप्त करना चाहिये।

Shri Abdul Gani Dar (Gurgaon) : I congratulate the Prime Minister for taking such an important step of nationalization of Banks. The Government has not done correct things by keeping the powers of nomination. The Government has adopted a duel policy by not nationalizing foreign banks and leavings some Indian banks. It is a matter of pleasure that Government is going to pass that Bill. Although I praise the step taken by the Prime Minister and I congratulate her for that yet I am against the way the Bill has been introduced I do not want a party to it. Therefore, I walk out in protest.

श्री अब्दुल गनी दार सभा से उठ कर चले गये।

Shri Abdul Ghani Dar left the House.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को शांत रहना चाहिये।

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : इस अवसर पर मैं किसी आलोचना का उत्तर देना उचित नहीं समझता। (अन्तर्बाधाएं) चूंकि इसके लिये निर्धारित

समय से कई गुना समय हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। अतः इस विषय में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये। इस विषय पर मुझे सभा के सब वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ है और मुझे उन सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त हुआ है जो इसके तीसरे वाचन पर मतदान होने से पूर्व सदन छोड़कर चले गये थे।

मैं निवेदन करूंगा कि संशोधन संख्या 410, 411 और 412 को पारित किया जाये। मुझे मौखिक संशोधनों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

मेरा निवेदन है संशोधन संख्या 135 और 136 को रद्द कर दिया जाये और संशोधन संख्या 410, 411 और 412 को प्रस्तुत करने और पारित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

कि "संशोधन संख्या 135 और 136 के बारे में लिये गये निर्णय को रद्द किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य संशोधन इस प्रकार किये गये:—

संशोधन किये गये।
Amendments made.

पृष्ठ 5-पंक्ति 1, 3 और 8 में "the tribunal" ("न्यायाधिकरण") के स्थान पर "a tribunal" ("एक न्यायाधिकरण") शब्द रखे जायें। (410)

पृष्ठ 5, पंक्ति 1 में "the tribunal" ("न्यायाधिकरण") के स्थान पर "such tribunal" (उक्त न्यायाधिकरण) शब्द रखे जाये। (411)

पृष्ठ 5, पंक्ति 13 में "the tribunal" ("न्यायाधिकरण") के स्थान पर "a tribunal" ("एक न्यायाधिकरण") शब्द रखे जाये। (412)

(श्री गोविन्द मेनन)
(Shri Govind Menon)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रुप में पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार 5 अगस्त, 1969/14 श्रावण 1891 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

Tho Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday. August 5, 1969/ Sravana 14, 1891 (Saka).

मुद्रक:— डाइमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर—3

["(3) उक्त अध्यादेश के अन्तर्गत न की गई कार्यवाही अथवा की गई कार्यवाही यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत है, तो वह लागू अथवा प्रभावी नहीं होगी ।] [359]

पृष्ठ 13–पंक्ति 13 के पश्चात निम्नलिखित जोड़िये–

"(4) Notwithstanding anything contained in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Uudertakings) Ordinance, 1969, no right, privilege, obligation or liability shall be deemed to have acquired, accrued or incurred thereunder. "

["(4) बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तान्तरण) अध्यादेश, 1969 में निहित होते हुए भी इसके अन्तर्गत कोई भी अधिकार विशेषाधिकार, दायित्व अथवा उत्तर-दायित्व अर्जित किया गया, लिया गया अथवा दिया गया नहीं समझा जायेगा,"] [122]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :– 'कि खण्ड 27, संशोधित रुप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 27 को संशोधित रुप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 27 as amended was added to the Bill.

प्रथम अनुसूची

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं संशोधन संख्या 328 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 14,-स्तम्भ 1 की प्रविष्टियों में, निम्नलिखित प्रविष्यिों से पूर्व 'The' (दी) जोडिये :–

'सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया लिमिटेड, बैंक आफ इण्डिया लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड, बैंक आफ बड़ौदा लिमिटेड, यूनाइटिड कमर्शियल बैंक लिमिटेड, यूनियन बैंक आफ इण्डिया लिमिटेड, इण्डियन बैंक लिमिटेड, बैंक आफ महाराष्ट्र लिमिटेड, इण्डियन ओवरसीज बैंक लिमिटेड," [144]

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं संशोधन संख्या 118 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नम्बियार : मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि प्रथम अनुसूची में सात विदेशी बैंकों को भी शामिल कर दिया जावे । मैं समझता हूं कि केवल 14 भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण

से उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी । अब विदेशी बैंक, यदि उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया तो, हमारी अर्थ व्यवस्था को हानि पहुंचायेंगे । अत: हमें जनहित में विदेशी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि मेरा संशोधन स्वीकार कर ले।

Shri Shiv Chandra Jha : I want that all private and foreign banks should be nationalised. As a result of nationalistation of 14 banks and State Bank Government will have control on about 85 percent deposits. It is very necessary to nationalise the remaining banks and to have control on remaining deposits. Otherwise these banks will be doing harm to the national economy. Keeping in view this, I have moved my amendment.

श्री गोविन्द मेनन : श्री नम्बियार और श्री शिवचन्द्र झा के संशोधन नियम बाह्य हैं। यह इसलिए हैं क्योंकि खण्ड (2) (क) की स्वीकृति में विदेशी बैंकिंग कम्पनियां नहीं आती । खण्ड (ख) के अनुसार 'वर्तमान बैंक' वे हैं जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपये से अधिक होगी । ये खण्ड स्वीकार कर लिये गये हैं । अत: ये संशोधन नियम बाह्य हैं ।

श्री शिवचन्द्र झा : मेरा संशोधन अलग से रखा जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

पृष्ठ 14-पंक्ति 18 के बाद

"(All Private Banks) ["सभी गैर सरकारी बैंक"] के स्थान पर "the corresponding new Banks" "तदनुसार नये बैंक" शब्द रखे जायें; (118)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 3 : विपक्ष में 156

Ayes 3 : Noes 156

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 328 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 328 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 14 में स्तम्भ 1 की प्रविष्टियों में निम्न प्रविष्टियों के पहले 'The' ('दी') रख दिया जाये:

["सेंट्रल बैंक आफ इंडिया लिमिटेड, बैंक आफ इंडिया लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड, बैंक आफ बड़ोदा लिमिटेड, यूनाइटिड कमर्शियल बैंक लिमिटेड, यूनियन बैंक आफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन बैंक लिमिटेड, बैंक आफ महाराष्ट्र लिमिटेड, इंडियन ओवरसीज बैंक लिमिटेड"] (144)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

प्रश्न यह है :

'कि प्रथम अनुसूची संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

प्रथम अनुसूची को संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The first schedule, as amended, was added to the Bill.

द्वितीय अनुसूचि

श्री च० चु० देसाई : मैं संशोधन संख्या 407 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 274 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं संशोधन संख्या 280 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री गोविन्द मेनन : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

पृष्ठ 16, भाग 1 में व्याख्या के खण्ड (ङ) में "market" ('मण्डी") शब्द हटा दिया जाये । (145)

मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 16, खण्ड (ङ) के बाद यह रख दिये जाये :–

"**Explanation 1.** For the pursose of this clause, "value" shall be deemad to be the market value of the land or buildings, but where such market value exeeds the ascertained value, determined in the manner specified in Explanation 2,shall be deemed to mean such ascertained value.

Explanation 2, Ascertained value shall be equal to,-

(1) in the case of any building (including the land on which it is erected or which is appurtenant thereto) which is wholly occupied on the date of the

commencement of this Act, twelve times the amount of the annual rent or the rent for which the building may reasonably be expected to be let out from year to year, after deducting from such rent.-

(i) One-sixth of the amout thereof on account of maintenance and repairs,

(ii) the amount of any annual premium paid to insure the building against any risk of damage or destruction,

(iii) where the building is subject to any annual charge, not being a capital charge, the amount of such charge,

(iv) where the building is subject to a ground rent, the amount of such ground rent,

(v) where the building is subject to a mortgage or other capital charge the amount of interest on such mortgage or charge,

(vi) where the building has been acquired, constructed, repaired, renewed or re-constructed with borrowed capital, the amount of any interest payable on such capital, and

(vii) any sums paid on account of land revenue or other taxes in respect of such building,

(2) in case of any building (including the land on which it is erected or which is appurtenant thereto) which is partially occupied on the date of the commencement of this Act, the value of the portion which is occupied ascertained in accordance with the provisions of sub-clause (1), (the deductions under sub-clauses (ii) to (vii) being made on a proprotionate basis) and multiplied thereafter by the ratio which the entire plinth area of the building bears to the plinth area of the portion of the building which has been occupied or let out;

(3) in the case of any land which has no building erected thereon or which is not appurtenant to any building the value, determined with reference to the prices at which sales or purchases or similar or comparable lands have been made during the period of three years immediately preceding the date of commencement of this Act, by instruments registered under the Indian Registration Act, 1908, in the city, town or village where such land is situated."

["व्याख्या 1. इस खण्ड के उद्देश्य के लिए 'मूल्य' भूमि अथवा भवन के बाजार मूल्य को मूल्य माना जायेगा, परन्तु जिस मामले में व्याख्या 2 के अनुसार मूल्य नियत किया गया हो, उसमें वह मूल्य माना जायेगा ।

व्याख्या 2. मालुम किया गया मूल्य इस प्रकार होगा:-

(1) कि भवन जो (जिसमें वह भूमि जिस पर यह बना हुआ और सम्बन्धित भूमि भी है) इस अधिनियम के लागू होने की तिथि को कब्जे में है, के वार्षिक किराये के बारह गुने किराये की राशि निम्न राशि घटाकर,—

(1) रख-रखाव और मरम्मत के लिये उसका छटा भाग,

(2) क्षति और नष्ट होने की जोखिम के लिये बीमे के वार्षिक प्रीमियम की राशि ।

(3) जहां भवन पर कोई वार्षिक व्यय हो, उसकी राशि, पूंजी व्यय को छोड़कर ।

(4) जहां भवन का भूमि किराया हो, उसकी राशि;

(5) जहां भवन बन्धक पड़ा हो, उस मामले में उस पर ब्याज की राशि;

(6) जहां भवन अर्जित किया गया हो, बनाया गया हो, उसकी मरम्मत की गई हो अथवा पुनः बनाया गया हो और उनके लिए पूंजी ऋण के रूप में ली गई हो, उस पर अदा किया जाने वाला ब्याज,

(7) जहां भू-राजस्व अथवा अन्य करों के रूप में राशि का भुगतान किया गया हो;

(2) किसी भवन (जिस भूमि पर वह बना हुआ है और उससे सम्बन्धित भूमि) जो इस अधिनियम के लागू होने की तिथि को आंशिक रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है और उस भाग का मूल्य उपखण्ड (2) के उपबन्धों के अनुसार मालूम किया जायेगा (उपखण्ड (2) से (7) के अनुसार अनुपात से कटौतियां करने पर) और प्रयोग में लाये गये भाग अथवा किराये पर दिये गये भाग के कुर्सी क्षेत्र के अनुपात के अनुसार ।

(3) जिस भूमि पर भवन नहीं बना है और जो किसी भवन से सम्बन्धित नहीं है उसका मूल्य उसी प्रकार की भूमि के गत तीन वर्षों के क्रय अथवा विक्रय जो भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत उस नगर अथवा गांव में नियत किया गया हो, नियत किया जायेगा ।" [423]

श्री गोविन्द मेनन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 16 भाग 2, कण्डिका 2, पंक्ति 1, में "divided in" "[में विभक्त]" शब्द हटा दिये जाये । (141)

श्री च० चु० देसाई : मुआवजे के रूप में बहुत बड़ी राशि अदा करनी पड़ेगी ।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

इस राशि की भारत के महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा होनी चाहिये । यह राशि 75 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये के बीच है । मैं आशा करता हूं कि सरकार इस आशय के संशोधन को स्वीकार कर लेगी ।

Shri Abdul Gani Dar : Sir, my amendments are very simple. First is that on page 15 'security etc. should be added after currency notes, the second is that in place of

balance' unsettled dues' should be inserted and third is that directors should be held responsible, if Government money is not recovered. I hope my amendments will be accepted by Government.

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा संशोधन संख्या 280 है । वैसे तो मुआवजा दिया ही नहीं जाना चाहिये , परन्तु यदि सरकार देना चाहती है तो जैसे मेरे संशोधन में सुझाव है उसके अनुसार दिया जाये ।

श्री प्र० च० सेठी : संशोधन संख्या 141 और 145 सरकारी संशोधन हैं । मैं सरकारी संशोधनों के अतिरिक्त शेष सभी संशोधनों का विरोध करता हूं,

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सरकारी संशोधनों को छोड़कर शेष सभी संशोधनों को सभा के समक्ष मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सरकारी संशोधनों को छोडकर अन्य सभी संशोधन मतदान के लिए प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए :

All amendments, except Government amendments, were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि पृष्ठ 16, भाग 2, कण्डिका 2 पंक्ति 1, में "divided in "[में विभक्त] शब्द हटा दिये जायें, [141]

"कि पृष्ठ 16, भाग 1 में व्याख्या के खण्ड (ड.) में "market" ['मण्डी"] शब्द हटा दिया जाये ।" [145]

"कि पृष्ठ 16, खण्ड (ड.) के बाद यह रख दिया जाय:—

"**Explanation 1**. For the purpose of this clause, "Value" shall be deemed to be the market value of the land or buildings, but where such market value exeeds the ascertained value, determind in the manner specified in Explanation 2, shall be deemed to mean such ascertained value.

Explanation 2, Ascertained value shall be equal to, -

(1) in the case of any building (includlng the land on which it is erected or which is appurtenant thereto) which is wholly occupied on the date of the commencement of this Act, twelve times the amount of the annual rent or the rent for which the building may reasonably be expected to be let out from year to year, after deducting from such rent, ---

(i) one-sixth of the amont thereof on account of maintenance and repars,

(ii) the amount of any annual premium paid to insure the building against any risk of damage or destruction,

(iii) where the building is subject to any annual charge, not being a capital charge, the amount of such charge,

(iv) where the building is subject to a ground rent, the amount of such ground rent,

(v) where the building is subject to mortgage or other capital charge, the amount of interest on such mortgage or charge,

(vi) where the building has been acquired, constructed, repaired, renewed or ex-constructed with borrowed capital, the an ount of any interest payable on such capital, and

(vii) any sums paid on account of land revenues or other taxes in respect of such buildings;

(2) in case of any building (including the land on which it is erected or which is appurtenant thereto) which is partially occupied on the date of the commencement of this Act, the value of the portion which is occupied, ascertained in accordance with the provisions of sub-clause (1), (the deductions under sub-cluses (ii) to (vii) being made on a proportionate basis) and multiplied thereafter by the ratio which the entire plinth area of the building bears to the plinth area of the portion of the building which has been occupied or let out;

(3) in the case of any land which has no building erected thereon or which is not appurtenant to any building the value, determined with reference to the prices at which sales or purchase or similar or comparable lands have been made during the period of three years immediately preceding the date of commencement of this Act, by instruments registered under the Indian Registration Act, 1908, in the city, town or village where such land is situated."

"[व्याख्या 1. इस खण्डके उद्देश्य के लिये 'मूल्य' भूमि अथवा भवन के बाजार मूल्य को मूल्य माना जायेगा, परन्तु जिस मामले में व्याख्या 2 के अनुसार मूल्य नियत किया गया हो, उसमें वह मूल्य माना जायेगा।

व्याख्या 2. मालूम किया गया मूल्य इस प्रकार होगा:—

(1) कि भवन जो (जिसमें यह भूमि जिस पर यह बना हुआ है और सम्बन्धित भूमि भी है) इस अधिनियम के लागू होने की तिथि को कब्जे में है, के किराये के बारह गुने किराये की राशि निम्न राशि घटाकर,

(1) रखरखाव और मरम्मत के लिये उसका छटा भाग,

(2) क्षति और नष्ट होने की जोखिम के लिये बीमे के वार्षिक प्रीमियम की राशि,

(3) जहां भवन पर जो वार्षिक व्यय हो, उसकी राशि, पूंजी व्यय को छोड़कर

(4) जहां भवन का भूमि किराया हो, उसकी राशि,

(5) जहां भवन बन्धक पडा हो, उस मामले में उस पर ब्याज की राशि,

(6) जहां भवन, अर्जित किया गया हो, बनाया गया हो, उसकी मरम्मत की गयी हो अथवा पुनः बनाया गया हो और उनके लिये पूंजी ऋण के रूप में ली गई हो, उस पर अदा किया जाने वाला ब्याज।

(7) जहाँ भू-राजस्व अथवा अन्य करों के रूप में राशि का भुगतान किया गया हो,

(2) किसी भवन (जिस भूमि पर वह बना हुआ है और उससे सम्बन्धित भूमि) जो इस अधिनियम के लागू होने की तिथि को आंशिक रुप से प्रयोग में लाया जा रहा है और उस भाग का मूल्य उपखण्ड (2) के उपबन्धों के अनुसार मालूम किया जायेगा (उपखण्ड (2) से (7) के अनुसार अनुपात से कटौतियां करने पर) और प्रयोग में लाये गये भाग अथवा किराये पर दिये गये भाग के कुर्सी क्षेत्र के अनुपात के अनुसार।

(3) जिस भूमि पर भवन नहीं बना है और जो किसी भवन से सम्बन्धित नहीं है उसका मूल्य उसी प्रकार की भूमि के गत तीन वर्षों के क्रय अथवा विक्रय जो भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत उस नगर, अथवा गांव में नियत किया गया हो, नियत किया जायेगा।] [423]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि द्वितीय अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

द्वितीय अनुसूची को, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Second Schedule, as amended was added to the Bill.

तृतीय अनुसूची

संशोधन किया गया।

Amendment made.

'कि पृष्ठ 17–पंक्ति 5 में "truely" [वस्तुतः] के स्थान पर 'truly" [वस्तुतः] शब्द रखिये। (श्री प्र० चं० सेठी) [142]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तृतीय अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted